बंदियों का सुधार
एवं
पुनर्वास

बंदियों का सुधार एवं पुनर्वास

(पं. गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत)

प्रो. (डा.) दीप्ति श्रीवास्तव

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

(भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने हिन्दी में पुलिस संबंधी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति ने 23 मई, 1979 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि न्याय वैद्यक, अपराध शास्त्र, पुलिस अनुसंधान और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर लिखित हिन्दी की मौलिक पुस्तकों पर पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना प्रतिस्थापित की जाए। तदनुसार 22 मार्च, 1980 को अपर सचिव की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में हुई बैठक में निर्धारित मापदंडों के आधार पर इस संबंध में जो निर्णय लिए गए उसके अनुसार इस योजना को अंतिम रूप दिया गया। इस योजना के अंतर्गत ही भाग 1 में मौलिक प्रकाशित पुस्तकों को पुरस्कृत किया जाता है तथा वर्ष 1982 से भाग 2 के अंतर्गत दिए गए विषयों पर पुस्तक लेखन कार्य कराया जाता है। इसी के तहत यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है।)

इन पुस्तक में दिए गए विचार लेखक के निजी हैं
इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की
सहमति आवश्यक नहीं है।

प्रकाशक के सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाशक – पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय),
3/4 मंजिल, ब्लाक–II, सी.जी.ओ. कंप्लैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

एकमात्र वितरक – नियंत्रक, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइंस, दिल्ली–110054

प्रथम संस्करण – 2012

मुद्रक – प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय

आमुख

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा पुलिस व न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित हिंदी में साहित्य उपलब्ध कराने के लिए पं. गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना को वर्ष 1982 में प्रारंभ किया गया था। पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं।

गत वर्ष समिति के सदस्यों ने समाज में कारागार और उनमें बंदियों की स्थिति पर विचार–विमर्श किया तथा भारत के विभिन्न कारागारों में बंदियों की स्थिति, कारागारों की स्थिति तथा शासकीय प्रयासों व कानूनी प्रावधानों के स्वरूप पर विस्तृत चर्चा हुई और पुरुष–महिला बंदियों की दशा व कारागारों की स्थिति तथा इससे संबंधित विभिन्न समस्याओं का समावेश करते हुए सर्वसम्मति से इस विषय का निर्धारण हुआ। ब्यूरो द्वारा संचालित पं. गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना की मूल्यांकन समिति ने पर्याप्त विचार–विमर्श के बाद देश के विभिन्न प्रांतों से इस विषय पर विचार आमंत्रित किए। विभिन्न राज्यों सो प्राप्त रूपरेखाओं में से प्रो. (डा.) दीप्ति श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा को चुना गया। लेखिका ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के साथ–साथ ठोस सुझाव प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास भी किया है।

मैं समझता हूं कि बंदियों का सुधार और पुनर्वास विषय पर लेखिका प्रो. दीप्ति श्रीवास्तव ने उनके बारे में जो अध्ययन किया है तथा जो उद्धरण दिए गए हैं और उन्होंने अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं इसके लिए वह बधाई की पात्र हैं। सफल प्रकाशन के लिए ब्यूरो के संपादक हिंदी को भी धन्यवाद देता हूं।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई बंदियों के सुधार एवं पुनर्वास से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं और समाधानों के बारे में दी गई जानकारी निश्चित ही सभी आम जन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

कुलदीप शर्मा

महानिदेशक
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

आभार

जून 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पश्चात यद्यपि संपूर्ण विश्व के कारागार प्रशासन में बन्दियों के सुधार एवं पुनर्वास पर तीव्रता आई, किन्तु विशेष तौर पर भारतीय कारागारों में जेल अधिकारी बन्दियों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए कृतसंकल्पित हुए। आज प्रत्येक कारागार अधिकारी के लिए बन्दियों के सुधार एवं पुनर्वास से संबंधित कानूनी प्रावधान एवं नित–नए निर्देश जानना अत्यन्त आवश्यक है जिनके आधार पर वे भारतीय कारागारों में बन्दियों को सुधार कर समाज में पुनर्वासित कर सकें। इस दिशा में समस्त साहित्य की अंग्रेजी की उपलब्धता एक बहुत बड़ी बाधा है। भारतीय कारागार प्रशासन, संचालन के जितने भी निर्देश व साहित्य उपलब्ध हैं वे सभी मात्र अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं साथ ही जेल अधिकारियों को दिए जानेवाला प्रशिक्षण भी अंग्रेजी भाषा में होता है, मध्यम स्तर के कार्यपालक जेल अधिकारियों के लिए जिसे समझना कठिन होता है। विषय को गहराई से समझने के लिए तत्व हिन्दी भाषा में हो तो प्रशिक्षण सही मायने में उपयोगी हो सकता है। शिक्षाशास्त्री इस पर एकमत हैं कि ज्ञान का माध्यम मातृभाषा सहज संप्रेषणीय एवं विषय को गहराई तक जानने में सहयोगी होती है। प्रशिक्षण के माध्यम के रूप में दूसरी भाषा, अधिकारियों के मस्तिष्क पर अतिरिक्त दबाव का काम करती है, जिससे वह प्रशिक्षण में दिए जा रहे ज्ञान पर पर्याप्त ध्यान दे पाने के बजाए सृजनात्मक ऊर्जा का क्षय भाषा को समझने में करते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक बन्दियों का सुधार एवं पुनर्वास, इस कमी को निश्चय ही दूर करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह अत्यंत सुखद है कि समय रहते पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और सर्वजन को सुलभ कराने के लिए मातृभाषा में कारागार प्रशासन की पुस्तकों

की आवश्यकता पर बल दिया। प्रस्तुत पुस्तक इसी अभाव को दूर करने की दिशा में एक कदम है। पुस्तक की रचना भारतीय कारागार प्रशासन अधिकारियों के लिए निर्दिष्ट विषय–वस्तु को दृष्टि में रखकर की गई है। पुस्तक की विषय–वस्तु का विभाजन दो खण्डों में किया गया है। प्रथम भाग सुधार से संबंधित है जिसमें एक से चार तक अध्याय हैं। द्वितीय भाग बन्दियों के पुनर्वास से संबंधित है जिसमें पांच से लेकर सात अध्याय तक सम्मिलित हैं। परिशिष्ट को भी उपयोगी मानकर पुस्तक में संलग्न किया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हिन्दी में बड़ी कठिनाई से उपलब्ध होती है इसे भी परिशिष्ट का एक अंग बनाया गया है। पुस्तक में कारागार प्रशासन में हुए नवीनतम अनुसंधानों, सुधारों एवं परिवर्तनों का यथा स्थान उल्लेख किया गया है। साथ ही लेखिका ने प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय कारागार के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी सम्मिलित किए हैं, जिससे कारागार अधिकारी लाभान्वित हो सकें। इस पुस्तक के सहयोग से जेल अधिकारी एवं कारागार प्रशासक बन्दियों के सुधार एवं पुनर्वास की अवधारणा को स्पष्टतः समझ सकेंगे और क्रियान्वित कर सकेंगे। जहां एक ओर यह पुस्तक जेल अधिकारियों के लिए लाभप्रद होगी वहीं इसे कारागार ग्रंथालयों में रखकर बन्दियों को भी उनके सुधार एवं पुनर्वास के लिए जागृत बनाकर लाभान्वित किया जा सकेगा। भाषा को यथा संभव सरल बनाने का प्रयास किया गया है और विषय विवेचन को दृष्टांतों के सहारे अधिक स्पष्ट, रोचक तथा बोधगम्य बनाने की चेष्टा की गई है।

पंडित गोविन्द बल्लभ पंत पुरस्कार के लिए नामांकित प्रस्तुत पुस्तक की पूर्णता के लिए मैं सर्वप्रथम महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली एवं डा. एस.पी. वैद, निदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली की अत्यंत आभारी हूं जिन्होने मुझे इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार हेतु नामांकित किया। डा. बी.वी. त्रिवेदी, उपनिदेशक (अनुसंधान एवं सुधार प्रशासन) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की उनके मूल्यवान परामर्श व प्रेरणा के लिए अत्यंत आभारी हूं जिसके बिना यह पुस्तक लिखना संभव नहीं था। डा. रीता तिवारी, श्री दिवाकर शर्मा, संपादक, हिन्दी को भी उनके असीम सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हूं।

द्वितीयतः मैं अपने पूरे परिवार विशेषकर पति एवं मेरे पुत्र प्रितांशु एवं पुत्री प्रियंका की अत्यंत ऋणी हूं जिनके व्यक्तिगत समय में से कटौती कर यह पुस्तक लिख

सकी। सच तो यह है कि मेरे परिवार ने ही व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकालकर पुस्तक लिखने के लिए मुझे प्रेरित किया।

साथ ही पुस्तक के टंकण कार्य के लिए श्री लखन लाल सेन व श्री प्रदीप श्रीवास की भी आभारी हूं जिन्होंने कड़ा परिश्रम कर इस पुस्तक को लिखने में सहयोग किया।

डा. दीप्ति श्रीवास्तव
भोपाल

अनुक्रमणिका

अध्याय–1	परिचय	13
अध्याय–2	बंदियों का सुधार	39
अध्याय–3	सामयिक शासकीय प्रयास	69
अध्याय–4	बंदियों के सुधार के कानूनी प्रावधान	102
अध्याय–5	बन्दियों का पुनर्वास	122
अध्याय–6	बंदियों के पुनर्वास के कानूनी प्रावधान	145
अध्याय 7	उपसंहार	152
परिशिष्ट अ	मानव अधिकारी की सार्वभौम घोषणा	159
परिशिष्ट अ	बाल अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1990	168
परिशिष्ट स	संदर्भ सूची	195
परिशिष्ट द	सीडॉ	200

अध्याय 1

प्रस्तावना

अपराध–अपराधियों का सुधार एवं पुनर्वास विगत पांच दशकों से समाजशास्त्रीय एवं आपराधिक शोध के वृहत क्षेत्र में सम्मिलित हुआ है फिर भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अपराधियों का सुधार एवं पुनर्वास विषय पर शोध एवं वैज्ञानिक साहित्य बहुत कम है। प्रस्तुत पुस्तक का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान में अपराधियों के सुधार एवं पुनर्वास के क्षेत्र में हो रहे कार्यों एवं प्रयासों की समीक्षा के साथ ही सुधार एवं पुनर्वास को बेहतर बनाने के सुझाव हैं।

अपराध सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रत्येक देश एवं काल में अपराधों का अस्तित्व रहा है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि विघटनकारक है। जिस प्रकार अपराध सार्वभौमिक है उसी प्रकार अपराधों को रोकने के प्रयास भी सार्वभौमिक रहे हैं। परिणामस्वरूप प्रत्येक समाज में अपराधों के अस्तित्व में आने के साथ–साथ ही उस समाज में अपराधों की रोकथाम के युक्तियुक्त प्रयास भी किए जाते रहे हैं। वर्तमान अपराधशास्त्रियों का अभिमत है कि अपराध के लिए व्यक्ति उत्तरदाई न होकर समाज उत्तरदाई है। सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति को अपराधों की ओर उन्मुख करती है। ऐसी स्थिति में यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि उस व्यक्ति की उन परिस्थितियों की ओर ध्यान दिया जाए, जिसने अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियोंवश अपराध का सम्पादन किया है। साथ ही, ऐसे प्रयास किए जाएं कि व्यक्ति भविष्य में अपराध की ओर उन्मुख न हो।

जन समूह के बीच जेल प्रशासन स्वतंत्रता के पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात हमेशा से ही गहन विवाद एवं आलोचना का विषय रहा है। विगत कुछ दशकों से भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जेल की अमानवीय स्थितियों पर गहरी चिंता

व्यक्त की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मीडिया एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी ध्यान भारतीय जेलों की स्थिति पर आकर्षित हुआ। विश्व के सभी देशों की सरकार संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं के माध्यम से जेलों की स्थिति के बारे में एक मंच पर एकत्रित हों। विश्व की इस एकजुटता ने बंदियों के प्रति मानवता के लिए एक ऐसी जागरूकता पैदा की जो स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से जन–जन तक पहुंची। सभी देशों की सरकारों ने बंदियों के सुधार एवं पुनर्वास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की चाहे वह राष्ट्रीय स्तर रहा अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर।

कारागार प्रशासन का इतिहास

जेलों का भारतीय समाज में अस्तित्व वैदिक काल से रहा है। जहां असामाजिक तत्वों को रखकर समाज में शांति व्यवस्था कायम की जाती थी तथा सामान्य जनता में असामाजिक कार्यों के प्रति भय उत्पन्न किया जाता था। उपरोक्त कथन इस बात से प्रमाणित किए जा सकते हैं कि स्वयं श्री भगवान कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था। यद्यपि प्राचीन काल में जेलों का स्वरूप एवं उद्देश्य आधुनिक जेलों से बहुत भिन्न था, प्राचीन काल में जेलों का स्वरूप केवल असामाजिक तत्वों को रखने का एक स्थान था जहां उनके सुधार एवं पुनर्वास की कोई परिकल्पना नहीं होती थी वरन बंदियों को जेलों में रखना कारावास का प्रमुख उद्देश्य होता था, किन्तु ज्ञान के विकास के साथ–साथ दंड के उद्देश्यों का भी स्वरूप परिवर्तित होने लगा। जॉन लॉक सत्रहवीं शताब्दी के महान राजनैतिक विचारक थे उनके विचार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अच्छा ही है यदि कुछ व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए तो सामान्यतः समाज के सदस्य अच्छे ही होते हैं।

किसी आपराधिक कानून का मुख्य उद्धेश्य समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाना होता है जिससे कि समाज के सदस्य शांति प्रिय तरीके से अच्छा–जीवन यापन कर सकते हैं। जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी दृष्टि से प्रताड़ित या शोषित न कर सके। सत्रहवीं शताब्दी के पहले शासकों द्वारा कदाचित ही बंदियों को, शायद ही जेल में रखने की सजा दी जाती थी। सामान्यतः दंड, फाइन, अंग–भंग या मृत्यु दंड दिया जाता था। शासनाधिकारी जनसामान्य के बीच अपराधियों को सजा देते थे जिससे समाज के अन्य सदस्य सबक ले सकें।

यद्यपि इंग्लिश और फ्रेंच शासक अपने राजनैतिक शत्रुओं को जेलों में रखते थे जैसे कि लंदन टॉवर और पेरिस में बेस्टाइल। लेकिन इस स्थिति में उनके परिवार

भी उनके साथ रह सकते थे। सत्रहवीं शताब्दी में ही सर विलियम ब्लैक स्टोन ने मृत्यु दंड एवं अन्य कठोर दंड की कड़ी आलोचना की परिणामतः कठोर दंड जैसे कि मृत्यु दंड के स्थान पर अपराधियों को परिवार से दूर कारावास में रखने की व्यवस्था की गई।

प्राचीन काल के जेल अंधकार से भरे गंदे तथा बिना सुविधाओं वाले होते थे जहां किसी भी प्रकार की बंदी श्रेणियां नहीं बनी थीं। अतः बच्चे–बूढ़े, औरतें, खतरनाक एवं सभी बंदी एक साथ रखे जाते थे।

ब्रिटेन के एक सुधारक जॉन हाबर्ट ने अपनी पुस्तक द स्टेट ऑफ प्रिजंस इन इंग्लैण्ड एंड वेल्स 1777 में जेलों की स्थिति का प्रथम बार वर्णन किया। जॉन हार्बट के अवलोकन ने प्रथम जेल सुधार की नींव रखी (अखिल भारतीय जेल सुधार समिति 1982–83) 1787 में सुधारकों के एक समूह ने जिसे वर्तमान में पेंसिल वेनिया जेल समिति के नाम से जाना जाता है। जेलों के सुधार में रूचि दिखाई इस समिति ने इस बात पर जोर दिया कि आदतन अपराधियों को पृथक रखा जाना चाहिए। साथ ही इन्हें कठोर परिश्रम और ध्यान के माध्यम से सुधारा भी जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्वेकर ने यह भी महसूस किया कि महिला एवं पुरूष बंदियों हिंसक एवं अहिंसक बंदियों को भी पृथक–पृथक रखा जाना चाहिए। उपरोक्त मत पेंसिल वेनिया व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध हुए एवं 1790 में प्रथमतः फीलेडेल्फियास वॉलनट स्ट्रीट जेल यह जेल संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली जेल के नाम से जानी जाती है। बंदियों के सुधार एवं पुनर्वास की दिशा में पेंसिलवेनिया सिस्टम पहला प्रयास था। मूल्यतः पेंसिलवेनिया व्यवस्था का विचार मूलतः मौलिक एवं सुधारात्मक था किन्तु बंदियों की अत्यधिक संख्या की वजह से जघन्य अपराधियों को पृथक तो रखा गया किन्तु सुधारना मुश्किल रहा। (अखिल भारतीय जेल सुधार समिति 1982–83) अठारहवीं शताब्दी के दौरान न्यूयार्क के जेल अधिकारियों ने दो मुख्य व्यवस्थाएं कारागार प्रशासन में लागू करने का प्रयास किया :–

1. अर्बन व्यवस्था एवं एल्मेरा व्यवस्था अर्बन व्यवस्था अर्बन जेल न्यूयार्क में 1921 में शुरू की गई जिसे बृहत स्तर पर अपनाया गया। इस व्यवस्था के माध्यम से बंदियों को संपूर्ण दिवस विभिन्न कार्यों में संलग्न रखा जाता था एवं रात्रि में एकल बैरक में रहना होता था। इस व्यवस्था के माध्यम से बंदियों को एकांत में सोचने का मौका दिया गया कि उन्होनें क्यों और किन परिस्थितियों में अपराध किया। काफी हद तक अर्बन व्यवस्था सफल रही किन्तु आंशिक रूप से असफल भी रही, बंदियों का

अकेलापन सुधारात्मक प्रक्रिया को धीमा करता है।

भारतीय जेल प्रशासन ब्रिटिश शासन की देन थी मुख्यतः ब्रिटिशर्स के पूर्व भारत में मुगल शासन काल में जेलों का अस्तित्व अवश्य था किन्तु बंदियों की संख्या अधिक नहीं होती थी। ब्रिटिश शासन के दौरान ही भारतीय आंदोलनकारियों को जेलों में रखा जाता था एवं बंदियों की संख्या इसी दौरान तीव्रता से बढ़ी। चूंकि इस दौर में शासक गैर भारतीय थे अतः बंदियों का शोषण करने में नहीं चूकते थे, लार्ड मैकाले ने सर्वप्रथम भारत में वैधानिक कौंसिल को 21 दिसंबर 1835 को एक लेख भेजा, जिसमें प्रथम बार भारतीय जेलों की दिल दहला देने वाली अमानवीय स्थिति के बारे में वर्णन किया। जिसमें उन्होंने एक समिति बनाने की अनुशंसा की ताकि जेलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सके। इसी क्रम में इसी आशय की जेल अनुशासनात्मक समिति का गठन 2 जनवरी 1936 में लार्ड विलियम बेंटिक ने किया।

इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 1838 में लार्ड ऑकलैण्ड गवर्नर जनरल को सौंपा। इस समिति के प्रतिवेदन में भारतीय बंदियों के कठोर दंड की अनुशंसा की गई तथा इस समिति ने किसी भी प्रकार के सुधार को एवं शैक्षणिक व्यवस्था को महत्वहीन बताया।

सर जॉन लारेंस जो कि एक प्रसिद्ध न्यायाधीश थे, ने एक बार पुनः 1864 में भारतीय जेलों का अध्ययन किया। परिणाम स्वरूप द्वितीय कमीशन ने एक बार पुनः जेल प्रबंधन की जांच के लिए लार्ड डलहौजी को नियुक्त किया गया। इस कमीशन ने बंदियों के सुधार और कल्याण के बारे में कोई विशेष अनुशंसा नहीं की वरन जेल अनुशासन के नाम पर शारीरिक यातना बंदियों पर थोप दी गई। यद्यपि द्वितीय कमीशन द्वारा कुछ विशेष अनुशंसाएं जैसे कि बंदियों का आवास,वस्त्र, बिस्तर, भोजन, चिकित्सा सुविधाएं आदि के बारे में कीं।

इसके पश्चात चौथा जेल कमीशन लार्ड डेफरीन ने 1888 में जेल प्रशासन के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए गठित किया। किस कमीशन ने समस्त जेलों को एकल जेल अधिनियम द्वारा संचालित करने की अनुशंसा की। एक समग्र जेल प्रशासन तैयार किया गया जिसमें कुछ जेलों में दिए जाने वाले दण्ड की अनुशंसाएं की गईं जैसे कि एकल कारावास, हाथ और पैरों में हथकड़ियां डालना, भोजन में सुधार आदि। यह प्रस्ताव भारत सरकार के गृह सचिव द्वारा 25 मार्च 1893 में वितरित किया गया। बाद में इसी का समावेश गवर्नर जनरल द्वारा जेल अधिनियम 1894 में किया गया और यह अस्तित्व में आया जो कि 112 वर्ष तक प्रभावी रहा यहां तक कि

स्वतंत्रता के 58 वर्षों के बाद भी। यद्यपि 1894 के बाद विभिन्न प्रकार के नए विचार कारागार प्रशासन के बारे में आते रहे किन्तु कारागार प्रशासन में मुश्किल से ही कोई परिवर्तन आए। जेल अधिनियम 1894 के क्रियान्वन के पश्चात भी जेल समस्याओं के पुनार्वलोकन की प्रक्रिया चलती रही। इस अधिनियम के पश्चात पहली बार एक विस्तृत अध्ययन अखिल भारतीय जेल सुधार समिति (1919–1920) का गठन किया गया जो कि भारतीय कारागार प्रशासन के इतिहास में प्रथम बार बंदियों के सुधार एवं पुनर्वास की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। पहली बार जेल प्रशासन के इतिहास में बंदियों का सुधार एवं पुनर्वास को जेल प्रशासन का मुख्य उद्देश्य बनाया गया। समिति द्वारा कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की गईं जो निम्नलिखित हैं :–

1. बंदियों की देखभाल प्रशिक्षित स्टाफ कर्मियों के द्वारा की जानी चाहिए एवं उन्हें पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए।
2. जेल सेवाओं में कार्यपालन, सुरक्षा कर्मी एवं लिपिकीय तथा तकनीकी जेल कर्मचारी अलग–अलग होने चाहिएं।
3. तीसरी महत्वपूर्ण अनुशंसा यह की गई कि प्रत्येक बंदी को 75 वर्ग गज का स्थान दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक श्रेणी की जेलें अलग होनी चाहिएं।

दुर्भाग्य से ये अनुशंसाएं अनुपालित न हो सकीं संवैधानिक परिवर्तन एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 ने बंदियों के स्थानांतरण की अनुशंसा की जिसकी वजह से भी अखिल भारतीय जेल समिति (1919–1920) की अनुशंसाएं लागू करने में परेशानी हुई। यद्यपि 1937 से 1947 की अवधि में जनसामान्य के बीच जन सुधार का मुद्दा जागरुकता की लहर बन गया। कुछ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारियों ने जेलों की दशाएं सुधारने के लिए सरकार पर दबाव बनाए। इस अवधि में महत्वपूर्ण समितियां बनीं।

- जेल सुधार मैसूर समिति 1940–41
- उत्तर प्रदेश जेल सुधार समिति 1946
- बाम्बे जेल सुधार समिति 1946–48

इस अवधि में कुछ महत्वपूर्ण विधान भी बने जैसे कि–

- बाम्बे परिवीक्षा अधिनियम 1936
- सी पी एवं बरार सशर्ती बंदी रिहाई अधिनियम 1936
- उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी परीवीक्षा अधिनियम 1938 आदि।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जेल प्रशिक्षण शाला की स्थापना की, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई बंदी सुधार एवं पुनर्वास को राजनैतिक सुधारकों द्वारा

विशेष महत्व दिया गया । 1950 में संविधान में जेलों को एक राज्य का विषय बनाया गया और सूची 2 में – राज्यों की सूची में सातवीं अनुसूची (एन्ट्री 4) स्वतंत्रता के पश्चात पहला दशक जेल सुधारों के लिए जाना जाता है। कई संख्या में जेल सुधार समितियां नियुक्त की गईं जिनका मुख्य उद्देश्य जेलों में मानवतावादी स्थितियों के आधार पर बंदियों का सुधार वैज्ञानिक स्तर पर करना था। कुछ इनमें से उल्लेखनीय समितियां निम्नानुसार हैं :–

- पूर्वी पंजाब जेल सुधार समिति, 1948–1949,
- मद्रास जेल सुधार समिति, 1950–51,
- उड़ीसा जेल सुधार समिति, 1952–55,
- त्रावणकोर एवं कोचीन जेल सुधार समिति, 1953–55,
- उत्तर प्रदेश जेल औद्योगिक जांच समिति, 1955–56 तथा
- महाराष्ट्र जेल उद्योग पुनर्गठन समिति, 1958–1959

इसी बीच डा. वाल्टर रेक्लेस, संयुक्त राष्ट्र बंदी सुधार कार्य के विशेषज्ञ 1951–52 के दौरान भारतीय कारागार प्रशासन के अवलोकन के लिए भारत आए। उनका प्रतिवेदन भारत में जेल प्रशासन भी भारतीय जेलों के सुधारात्मक इतिहास में दूसरा मील का पत्थर साबित हुआ। डॉ. रेक्लेस ने जेलों को जेलों से सुधारात्मक गृह में परिवर्तित करने की गहरी अनुशंसा की, साथ ही नई जेलों की स्थापना का समर्थन किया। उनकी अन्य महत्वपूर्ण अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं –

- किशोर अपराधी वयस्क अपराधियों के साथ न रखे जाएं
- जेल सेवाएं विशेषतः प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा संचालित की जाए
- विशेषीकृत प्रशिक्षण जेल अधिकारियों के द्वारा बंदी सुधार किया जाए
- एक संपूर्ण कालिक परिवीक्षा पुनर्वालोकन मंडल का गठन किया जाए जो कि बंदियों को रिहाई के पश्चात पुनर्वासित कर सके ।
- एक सलाहकार समिति का गठन किया जाए जो सुधार प्रशासन भारत सरकार के नाम से जाना जाए तथा राज्य सरकारों को सुधार कार्यक्रमों को संचालित एवं विकसित करने में मदद कर सके।
- विशेषज्ञों का राष्ट्रीय दल बनाया जाए जिससे, की उच्च व्यावसायिक विशेषज्ञता का आदान–प्रदान कर सुधार प्रशासन को उच्च व्यावसायिक सुझाव दे सके।
- जेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की विचारगोष्ठियां समय–समय पर

आयोजित की जाएं।

भारत सरकार ने वाल्टर रेक्लेस की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए अखिल भारतीय जेल अधिनियम समिति 1957 में गठित की जिसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक जेल अधिनियम बनाना था। अखिल भारतीय जेल अधिनियम समिति को जेल प्रशासन से जुड़े सभी विषयों पर सुधार हेतु सुझाव देने के लिए निर्देशित किया गया। एक समग्र नीति निर्धारक के रूप में जेल अधिनियम कार्य कर सके।

इसी अनुक्रम में भारत सरकार ने डब्लू सी रेक्लेस की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो आफ करेक्शनल सर्विसेज का गठन गृह मंत्रालय के अधीन 1961 में किया। करेक्शनल सर्विसेज ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य कारागार प्रशासन बंदियों की पुनर्वास अनैतिक व्यापार परीवीक्षा किशोर न्याय आदि मुद्दों को देखना था।

1972 में गृहमंत्रालय भारत सरकार ने जेलों के कार्यकारी समूह का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट 1973 में प्रस्तुत की, इस रिपोर्ट में जेलों की राष्ट्रीय नीति बनाने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय नीति के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार प्रस्तावित किए गए :–

- कारावास के अन्य संभावित विकल्प तलाश करना।
- जेल अधिकारियों की सेवा शर्तों में विकास एवं सही प्रशिक्षण।
- बंदियों की श्रेणियों का वैज्ञानिक विभाजन।
- जेल प्रशासन को सामाजिक सुरक्षा का अभिन्न अंग मानकर राष्ट्रीय योजना में शामिल करने पर बल देना।
- जेल प्रशासन को प्रमुखता प्रदान करना।
- जेल प्रशासन को पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल करना ।
- संविधान में जेलों के विषय को कन्करेंट सूची में शामिल करना।

1971 में ब्यूरो आफ करेक्शनल सर्विसेज राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्था के रूप में पुनर्गठित हुआ जिससे कि समाज की सुरक्षा का पुनार्वलोकन किया जा सके।

इतने प्रयासों के पश्चात भी जेल प्रशासन राज्य सरकारों के अधीन होने से बहुत ही असंतोष जनक था। अंततः 1980 में भारत सरकार ने एक अखिल भारतीय जेल सुधार समिति माननीय न्यायाधीश श्री ए.एन. मुल्ला की अध्यक्षता में गठित की। तीन वर्ष के अंतराल के पश्चात प्रस्तुत की। इस प्रतिवेदन में 658 अनुशंसाएं समिति द्वारा की गईं और राज्य सरकारों को वितरित की गईं क्योंकि राज्य का विषय होने की वजह से राज्य को ही इन अनुशंसाओं का पालन करना था। इस समिति ने जेलों की राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुल्ला समिति के प्रतिवेदन से बंदियों के

सुधार एवं पुनर्वास को जो अब तक जेलों में प्राथमिकता न पा सका था, प्राथमिकता पाकर बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया।

राष्ट्रीय जेल नीति का प्रारूप राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकार अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 के अनुरूप को समाहित करते हुए परिवर्तित किया। उसके पश्चात पुनः भारत सरकार ने 26 मई 1986 को राष्ट्रीय महिला बंदी विशेषज्ञ समिति माननीय न्यायाधीश कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में गठित की। जिसका प्रतिवेदन समिति द्वारा 18 मई 1987 को सौंपा गया। भारत सरकार ने समिति की अनुशंसा पर गहरी रूचि दिखाते हुए प्रतिवेदन इस आशय के साथ भेजा की जेलों को सुरक्षित स्थान बनाना है। साथ ही भारत सरकार ने अखिल भारतीय जेल प्रशासन सुरक्षा एवं अनुशासन समूह 28 जुलाई 1986 में श्री आर.के.कपूर की अध्यक्षता में गठित किया जिन्होनें अपना प्रतिवेदन 29 जुलाई 1987 में प्रस्तुत किया। अखिल भारतीय जेल सुधार समिति की अनुशंसा के आधार पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को एक राष्ट्रीय स्तर पर नाभिक संस्था के रूप में चिन्हित किया ।

इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रकरण राममूर्ति वी एस स्टेट ऑफ कर्नाटक राज्य 1986 के आधार पर अखिल भारतीय प्रादर्श जेल मेन्यूल समिति का गठन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक की अध्यक्षता में किया। जिसमें नए सिरे से जेल प्रशासन को पुनर्संरचित करने का प्रयास किया गया।

वैश्विक परिदृश्य

1930 में मानवाधिकार शब्द अस्तित्व में आया। 1939 और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में हाने वाले अत्याचारों पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जून 1945 में एक प्रसंविदा व संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों के हस्ताक्षर करवाए जिसमें से भारत भी एक देश था। संयुक्त राष्ट्रसंघ की यही सार्वभौमिक घोषणा कारागार प्रशासन के लिए एक वैश्विक मंच का आधार बनी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रसंविदाएं भी भारत एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों में संयुक्त रूप से पालन करने की बाध्यता संयुक्त राष्ट्र ने बनाई –

- सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकार अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966
- आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1976
- यातना के विरूद्ध प्रसंविदा 1987
- प्रजातीय भेद–भाव को दूर करने हेतु प्रसंविदा 1977

- महिलाओं के प्रति सभी भेद–भाव मिटाने की प्रसंविदा 1981
- बच्चों के अधिकारों की प्रसंविदा 1990
- प्रवासीय श्रमिक प्रसंविदा 1990।
- अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून 1949।

उपरोक्त सभी प्रसंविदाएं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समय–समय पर बंदियों के हित में घोषित एवं हस्ताक्षरित करवाई गई थीं कि जवाबदेही संबंधित राष्ट्रों पर डाली गई जिससे संपूर्ण विश्व का कारागार प्रशासन एक मंच पर एकत्रित हुआ।

विश्व के सभी देशों में सामान्यतः बंदियों से संबंधित समस्याएं एक सी ही हैं। निम्नलिखित तालिका क्रमांक 1.1 एशिया के विभिन्न देशों में बंदियों की संख्या स्पष्ट करती है।

निम्नलिखित तालिका स्पष्ट करती है कि एशिया में सबसे अधिक बंदियों की संख्या वाले देश चीन, भारत, थाइलैण्ड, ईरान, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि हैं जबकि बंदियों की कम संख्या वाले देशों में कजाकिस्तान, हांगकांग, अफगानिस्तान, कम्बोडिया आदि हैं । (स्रोत : अंतर्राष्ट्रीय जेल अध्ययन केन्द्र 2010)

तालिका क्रमांक 1.2 यूरोपीय देशों में बंदियों की संख्या को प्रदर्शित करती है, जिसमें रशियन फेडरेशन, तुर्की, इंग्लैण्ड एण्ड वेल्स आदि देशों में बंदियों की संख्या अधिक है जबकि यूरोप के अन्य देश जैसे कि बुल्गारिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड आदि में बंदियों की संख्या कम है।

उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसमें फ्रांस, सूरीनाम, गुआना, चिली एवं ब्राजील में बंदियों की संख्या अधिक है। वहीं अर्जेन्टीना, वेनेजुला, इक्वाडोर आदि देशों में बंदियों की संख्या काफी कम है।

जिन देशों में बंदियों की संख्या कम है वहां भी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार रखना भी संभव नहीं है। प्रायः सभी देशों में बंदियों की संख्या जेलों की क्षमता अधिक होने की वजह से भीड़–भाड़ की स्थिति निर्मित हो जाती है जिससे बंदियों के रख–रखाव सुधार एवं पुनर्वास एवं चिकित्सा सुविधाओं में अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में वर्णित स्तर का परिपालन नहीं हो पा रहा, जेलों में भीड़–भाड़ की एक वजह यह भी है कि विचाराधीन बंदियों की संख्या प्रायः सभी देशों की जेलों में अधिक है। न्यायालयों में निर्णय की प्रतीक्षा में साधारण अपराध वाले अपराधी भी वर्षों तक अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करते रहते हैं।

तालिका कमांक 1.1

एशिया में बंदियों की कुल संख्या		
1	चीन	1,620,000
2	भारत	376,396
3	थाइलैण्ड	212,058
4	ईरान	166,979
5	इंडोनेशिया	140,740
6	वियतनाम	107,668
7	फिलीपिंस	
8	पाकिस्तान	95,016
9	बांग्लादेश	83000
10	जापान	80,523
11	ताईवान	63,408
12	म्यांमार (बर्मा)	60,053
13	कजाखस्तान	59,141
14	दक्षिण कोरिया	47,514
15	मलेशिया	36,040
16	उज्बेगिस्तान	34000
17	श्री लंका	30,933
18	सिंगापुर	12,944
19	कम्बोडिया	12,577
20	अफगानिस्तान	12,500
21	तुर्किस्तान	10,953
22	हांगकांग (चीन)	9,882
23	कजाकिस्तान	7,350

स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय जेल अध्ययन केन्द्र 2010

तालिका क्रमांक 1.2

यूरोप में बंदियों की कुल संख्या		
1	रशियन फेडरेशन	850,800
2	उक्रेन	148,295
3	तुर्की	119,112
4	इंग्लैंड और वेल्स	84,966
5	पोलैण्ड	83,954
6	स्पेन	76,926
7	जर्मनी	70,817
8	इटली	67,444
9	फ्रांस	59,655
10	हंगरी	15,373
11	पुर्तगाल	11,535
12	सर्बिया	10,526
13	स्लोवाकिआ	9,316
14	बुल्गारिआ	9,031
15	यूनाइटेड किंग्डम स्काटलैण्ड	7,953
16	स्वीडन	7,286
17	लाटविआ	72,00
18	मोलडोवा रिपब्लिक आफ	6,535
19	स्विट्जरलैंड	6,084
20	अल्बानिआ	5,041
21	आयरलैण्ड रिपब्लिक आफ	4,214
22	डेनमार्क	3,967
23	अर्मेनिआ	3,965
24	ईस्टोनिआ	3,555

स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय जेल अध्ययन केन्द्र 2010

बंदियों की अधिक संख्या संपूर्ण विश्व के कारागार प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय कारागार प्रशासन समुदाय बंदियों के सुधार एवं पुनर्वास के नित नए उपाय एवं प्रभावी और माडल की जांच करने में लग गए। अपराधियों को एक अपराध मुक्त जीवन के अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक देश में स्थानीय स्तर पर अलग–अलग उपाय किए जा रहे हैं। अपराध की रोकथाम और अपराधियों के उपचार, 1955 जेनेवा में आयोजित पहली संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस द्वारा अपनाई गई पहली मानक नियम नीति कारागार प्रशासकों को कानूनी बाध्यता देती है अतः विश्व के सभी देश अपने–अपने स्तर पर बंदियों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए कृतसंकल्प हैं। निम्नलिखित विस्तृत विवेचन सुधार एवं पुनर्वास का विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करता है :–

ब्रिटेन का अपराधी पुनर्वास अधिनियम :– ब्रिटेन में 1974 में अपराधियों के लिए पुनर्वास हेतु एक नया नियम बनाया गया। इस अधिनियम के माध्यम से कारावास के दौरान बंदियों को विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है तथा रिहाई के पश्चात कारागार प्रशासकों की मदद से विभिन्न व्यवसायों में बंदियों को संलग्न किया जाता है जिससे कि वे रिहाई के पश्चात कलंकित जीवन जीने के स्थान पर सम्मान जनक जीवन जी सकें और समाज में यथा संभव पुनर्वासित हो सकें। (सीमोन थामसन, 2009) यू. के., यूरोप में कारावास जाने वालों की अधिकतम दर रखता है अंग्रेजी जेलों में 80 हजार से अधिक बंदी प्रतिवर्ष प्रवेश लेते हैं। यू.के. गृह मंत्रालय 2004 ऐसी नीतियों को विकसित कर रहा है। जिससे कि यू.के. की जनता सुरक्षित हो सके एवं अपराधी पुनर्अपराध करके समाज में अव्यवस्था न फैला सकें। राष्ट्रीय आपराधिक प्रबंधन सेवाएं समाज की इस आवश्यकता को गहराई से समझ रहा है कि बंदियों की भी अपनी सामाजिक आवश्यकताएं हैं। यू.के. सरकार अभी भी इस खोज में लगी है कि किस तरह रिहा बंदियों की आवास की समस्या को दूर किया जाए। बढ़ती हुई आदतन अपराधियों की संख्या यू के सरकार का चिंता का विषय है इसलिए जेलों में परीवीक्षा सेवाएं भी चुस्त की जा रही हैं (ब्रेमर 2003–2004)। यू. के. सरकार ने वन आयोग के साथ मिलकर जंगलात में काम करने का एक व्यवसाय बंदियों के लिए ढूंढ़ा है इस परियोजना का नाम अपराधी एवं प्रकृति है। इस योजना के अंतर्गत कार्य करने से जहां एक ओर समाज का सामना नहीं करना पड़ता वहीं उन्हे व्यवसाय भी मिलता है और आंतरिक संतोष भी डार्ट मूर्ड पुनर्वास परियोजना बंदियों के पुनर्वास के लिए एक नवीन एवं सशक्त परियोजना मानी जा रही है।

सिंगापुर में सुधार एवं पुनर्वास योजना –सिंगापुर बन्दी पुनर्वास निगम जो कि स्कोर अर्थात 'सिंगापुर कौंसिल ऑफ ओफेन्डर्स रिहेबिलिटेशन' के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बन्दियों को कारागार में तथा कारागार के पश्चात व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सुधार एवं पुनर्वास है। जैसे–जैसे यह निगम अपने उद्देश्यों में सफल होता गया इसने सिंगापुर के रिहाशुदा बन्दियों को पुनर्वासित करने का कार्य तेजी से करना प्रारम्भ कर दिया। इस सेवा का नाम 'केयर' रखा गया। यह सिंगापुर जेल प्रशासन का एक निकाय है जिसका प्रमुख उद्देश्य बन्दियों को समाज में पुनर्वासित करना है। सिंगापुर सरकार इस बात में विश्वास करती है कि जितना अधिक रोज़गार बन्दियों को उपलब्ध कराया जाएगा उतने ही अपराधपुनरावृत्ति की दर में कमी आएगी। यह निगम बन्दियों को आत्मसम्मान से जीने के लिए व्यवसाय करना सिखाता है तथा अपनी स्वयं की व अपने परिवार की जिम्मेदारी एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में उठाने की सीख देता है। सही व्यावसायिक शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण यदि बन्दी को दिया जाए तो वह आपराधिक प्रवृत्तियां छोड़कर एक उत्तरदाई व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सिंगापुर सरकार का यह कदम वास्तविक रूप में एक सराहनीय प्रयास है। (सिंगापुर सुधार प्रशासन वार्षिक प्रतिवेदन, 2008)

आस्ट्रेलिया में सुधार एवं पुनर्वास योजना – अन्य देशों की तरह आस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश में बन्दियों के उत्थान के लिए इस प्रकार की योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। आस्ट्रेलिया में विभिन्न स्तर पर अपराधी प्रवृत्ति के साथ सुधार एवं पुनर्वास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम उच्च स्तर के प्रेरणादाई मनोविज्ञान पर आधारित है जिससे अपराधी में नकारात्मक प्रवृत्तियों के स्थान पर कार्य का मनोविज्ञान स्थान पा सके। इन कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य बन्दियों का पुनर्वास है। आस्ट्रेलिया के प्रत्येक कारागार में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण तैयार किया जाता है, उसी के अनुरूप वहां के परिरुद्ध बन्दियों को भविष्य के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है। (आर.सी.आर.सी.,2004)

हांगकांग में सुधार एवं पुनर्वास योजना – अन्य देशों से हटकर हांगकांग सुधार प्रशासन ने बन्दियों के सुधार एवं पुनर्वास हेतु मौलिक कदम उठाए हैं। हांगकांग सुधार प्रशासन ने रेडियो एवं दूरदर्शन पर 10 कड़ियों के माध्यम से 'द रोड बेक' का प्रसारण किया जिसे रिहा बन्दियों ने बहुत ही अच्छी तरह ग्रहण किया। इन कड़ियों के माध्यम से समाज के अन्य पहलुओं की तरह समाज के लोगों को रिहा बन्दियों

के बारे में एवं उनकी पुनर्वास समस्याओं के बारे में जागरूक किया गया जिससे रिहा बन्दियों की समस्या में अत्यधिक कमी आई। समाज के कई सदस्य बन्दियों को पुनर्वासित करने के लिए आगे आए। अन्ततः इस कार्यक्रम को 'रजत पुरस्कार' के रूप में सम्मानित किया गया। द्वितीय वर्ष में इसी कार्यक्रम को 'स्वर्ण पुरस्कार' के रूप में सम्मानित किया गया और अन्ततः स्वर्ण रेमी पुरस्कार के रूप में 53 हॉस्टन अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुनः सम्मानित किया गया तथा फिल्म और वीडियो को समारोह में भी रखा गया।

उपरोक्त वर्णन यह स्पष्ट करता है कि सम्पूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत की गई प्रसंविदाओं के प्रभाव से लगभग प्रत्येक देश बन्दियों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए कृतसंकल्पित है। जहां एक ओर बन्दियों का सुधार एवं पुनर्वास राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी बाध्यता, है वहीं दूसरी ओर समाज की ज्वलंत आवश्यकता भी।

राष्ट्रीय परिदृश्य – भारतीय परिदृश्य में यद्यपि जेलों का अस्तित्व वैदिक काल से रहा है किन्तु फिर भी जेलों की व्यवस्था उतनी उन्नत कभी नहीं थी जितनी कि वर्तमान में। बृहस्पति में जेलों का वर्णन बहुत विस्तार से दिया गया है। यद्यपि मनु इस व्यवस्था के विरोधी थे। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा बन्दियों को उनके किलों में बन्दी बनाने की व्यवस्था का वर्णन किया है। वे व्यक्तिगत तौर पर इस विचार पर बल देते थे कि जेलों में बन्द बन्दियों को खुले वातावरण में ही दण्डित किया जाना चाहिए। बन्दियों को एकान्तवास में बन्दी बनाना एक सामान्य बात थी। हिन्दू एवं मुगल शासकों के साम्राज्यकाल में दण्ड इसलिए दिया जाता था कि समाज के अन्य व्यक्ति कोई असामाजिक कार्य न करें। उन्हें कड़ी निगरानी में रखा जाता था तथा कठोर श्रम लिया जाता था। ब्रिटिश शासकों का शासनकाल जेलों के सुधार का शुभारम्भ माना जाता है। ब्रिटिश शासकों ने जेल व्यवस्थाओं को सुधारने हेतु अनेक उपाय किए जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। भारतीय जेलों के परिदृश्य के पूर्व भारतीय परिदृश्य समझना आवश्यक है। निम्नलिखित तालिका क्रमांक 1.3 के द्वारा सामान्य भारतीय परिदृश्य प्रदर्शित किया गया है।

तालिका क्रमांक 1.3

सामान्य भारतीय परिदृश्य			
1.	क्षेत्र	1.35	मिलियन वर्ग किलोमीटर
2.	जनसंख्या	1027	मिलियन
3.	लिंगानुपात	933	महिलाएं प्रति हजार पुरूष
4.	महिलाएं	495.7	मिलियन
5.	पुरूष	531.3	मिलियन
6.	जनसंख्या घनत्व	324	व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
7.	साक्षरता दर	65.38	प्रतिशत
8.	मानव विकास दर	115, 162	वैश्विक सूची में

भारत में कारागारों का परिदृश्य – भारत में कारागार प्रशासन के अन्तर्गत कुल 1276 कारागार हैं जिनमें से 113 केन्द्रीय कारागार, 16 महिला कारागार, 309 जिला कारागार, 28 खुले कारागार, 769 उप कारागार अन्य कारागार, 41 हैं। देश के कारागारों की कुल क्षमता 2,77,304, जिसमें से केन्द्रीय कारागार 1,23,079 (44,4%) एवं 3,047 (1.1%) महिला कारागार, 1,03,853 (37,5%) जिला कारागार एवं 3,076 (1.1%) खुले कारागार तथा 37,532 (13.5%) उप कारागार हैं इसके अतिरिक्त 6,717 (2,4%) अन्य कारागार हैं। 347 दोषसिद्ध महिलाएं 391 बच्चे 1,338 विचाराधीन महिला बन्दी अपने 1, 510 बच्चों के साथ भारतीय कारागार में परिरुद्ध हैं।

वर्तमान में सम्पूर्ण भारतवर्ष में 3,60,995 पुरूष बन्दी 15,401 महिला बन्दी एवं कुल 3,76,396 भारतीय जेलों में परिरुद्ध हैं। कारागारों के बन्दियों की कुल संख्या 3,76,396 है। जिसमें से पुरूष 3,60,995 (95.9%) महिला बन्दी 15,401 (4.1%) हैं। भारतीय कारागारों में जहां 1,20,115 (31.9%) दोषसिद्ध बन्दी परिरुद्ध हैं वहीं 2,50,727 (66.6%) विचाराधीन बन्दी परिरुद्ध हैं जिनमें से पुरूष 1,16,057 (96.6) हैं वहीं महिला बन्दी 4,058 (3.4%) हैं। इसी प्रकार पुरूष बन्दी 2,39,714 (95.6%) विचाराधीन बन्दी के रूप में परिरुद्ध हैं एवं महिलाएं 11,013 (4.4%) विचाराधीन बन्दी के रूप में भारतीय कारागारों में परिरुद्ध हैं। अस्थाई बन्दी 4,687 (1.2%) हैं तथा अन्य 867 (0.2%) परिरुद्ध हैं।

तालिका क्रमांक 1.4

भारतीय कारागारों का परिदृश्य

क्रमांक	कारागार	संख्या	क्षमता	बन्दियों की संख्या	आवास की दर
1.	केन्द्रीय कारागार	113	123079	166047	134.9
2.	जिला कारागार	309	103853	157731	151.9
3.	उप कारागार	769	37532	42263	112.6
4.	महिला कारागार	16	3047	2777	91.1
5.	खुले कारागार	28	3076	2346	76.3
6.	अन्य कारागार	06	466	457	98.1
7.	विशेष कारागार	25	4649	4036	86.9
	कुल	1276	277304	376396	135.7

स्रोत जेल सांख्यिकीय 2007

सम्पूर्ण कारागार प्रशासन में कारागारों को सात श्रेणियों में विभाजित किया गया है। केन्द्रीय कारागार, जिला कारागार, उप कारागार, महिला कारागार, खुले कारागार, अन्य कारागार, विशेष कारागार। वर्तमान में भारत में कुल 1276 कारागार हैं जिनमें बंदियों की कुल क्षमता 2,77,304 है लेकिन इनमें इस क्षमता के विरुद्ध 3,76,396 बन्दी परिरुद्ध हैं तथा इनके आवास का कुल प्रतिशत 135.7 है।

भारतीय बन्दियों की आयु वितरण– भारतीय कारागारों में विभिन्न आयु वर्ग के बन्दी परिरुद्ध हैं। इन बन्दियों का आयु वितरण निम्नलिखित तालिका क्रमांक 1.5 में किया गया है। आयु एवं अपराध का गहन अर्न्तसम्बन्ध है। प्रस्तुत तालिका प्रदर्शित करती है।

तालिका क्रमांक 1.5 में बन्दियों की आयु का विवरण प्रदर्शित किया गया है। कुल 3,71,701 बन्दियों में से 16 से 18 आयु के मात्र 378 बन्दी भारतीय कारागारों में परिरुद्ध हैं जबकि 18 से 30 आयुवर्ग के बन्दियों की संख्या 1,60,627 है। एक बहुत बड़ी संख्या आयु वर्ग 30 से 50 में दिखाई देती है जो कि 1,68,709 है। तीसरे क्रमांक पर 50 से अधिक आयु वर्ग बन्दियों की श्रेणी है जिसमें मात्र 41,987 बन्दी भारतीय कारागारों में परिरुद्ध हैं। इसी प्रकार संलग्न तालिका में विदेशी बन्दियों का आयु वर्ग के अनुसार वितरण प्रदर्शित किया गया है, कुल बन्दी 4,695 भारतीय जेलों में परिरुद्ध

हैं जिनमें से सबस बड़ी संख्या 18 से 30 एवं 30 से 50 आयुवर्ग की है जबकि 16 से 18 एवं 50 से अधिक दोनों आयुवर्गों में बन्दियों की संख्या क्रमशः कम होती दिखाई देती है।

तालिका क्रमांक 1.5

भारतीय बन्दियों की आयु वितरण						
क्रमांक	**श्रेणी**	**16 से 18**	**18 से 30**	**30 से 50**	**50 साल से अधिक**	**कुल**
1.	दोषसिद्ध	30	41501	59111	18385	119027
2.	विचाराधीन	285	116621	107402	23053	247361
3.	परिरुद्ध	37	2239	1845	470	4551
4.	अन्य	26	266	351	79	722
5.	कुल	378	160627	168709	41987	371701
विदेशी बन्दी						
1.	दोषसिद्ध	45	494	467	82	1088
2.	विचाराधीन	72	1466	1618	210	3366
3.	परिरूद्ध	0	41	47	8	96
4.	अन्य	0	101	33	11	145
5.	कुल	117	2102	2165	311	4695

स्रोत जेल सांख्यिकीय 2007

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अपराधिता व उम्र का गहरा अर्न्त–सम्बन्ध होता है।

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1.5 को यदि विश्लेषित किया जाए तो हम पाएंगे कि 18 से 30 एवं 30 से 50 आयु वर्ग में सबसे अधिक अपराधियों की संख्या है। पोलॉक ने 1950 में अपने अध्ययन में इस तथ्य से अपनी सहमति दी है। इसके अतिरिक्त वर्क ने 909 लड़कों का अध्ययन किया और यह पाया कि बालक जैसे–जैसे बढ़ता जाता है उसकी आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती है। डा. हेण्टिंग ने भी इसी बात पर सहमति दी है। 18 से 30 एवं 30 से 50 वह संवेदनशील आयुवर्ग है जिसमें व्यक्ति पर सबसे

ज्यादा भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक दबाव होता है जिसमें व्यक्ति आकर अपराध कर बैठता है। उम्र एवं अपराध का अर्न्तसम्बन्ध किसी देश की सीमाओं में बंधा नहीं होता। तालिका क्रमांक 1.5 में यदि हम विदेशी बन्दियों का आयु वर्ग वितरण देखें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है।

आयु वर्ग वितरण सुधार एवं पुनर्वास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यदि भारतीय कारागारों में 18 से 30 से 30 से 50 आयु के सर्वाधिक बन्दी परिरुद्ध हैं, तो सुधार एवं पुनर्वास की कार्ययोजना इन बन्दियों के आयु वर्ग की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। युवा वर्ग की सबसे बड़ी आवश्यकता एक ऐसे रोज़गार की होती है जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए मदद कर सके।

कैदियों की संख्या– अन्य देशों की तरह भारतीय कारागारों में भी क्षमता से अधिक अतिरिक्त बन्दियों को परिरुद्ध किया है जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

अन्य देशों की तरह भारतीय जेलों में महिलाओं की संख्या मात्र 4 प्रतिशत है जबकि पुरूष बन्दियों की संख्या 96 प्रतिशत है। राज्यवार महिला एवं पुरूष बन्दियों की संख्या का विवरण तालिका क्रमांक 1.3 में देखा जा सकता है। सर्वाधिक महिला बन्दियों की संख्या उत्तरप्रदेश में है जहां 2329 महिला बंदी परिरुद्ध हैं, वहीं महाराष्ट्र में 1353, बिहार में 1292 एवं पश्चिम बंगाल में 1266 तथा तमिलनाडु में 1215 महिला बन्दी परिरुद्ध हैं। पुरूष कैदियों की राज्यवार स्थिति देखें तो उत्तरप्रदेश में सर्वाधिक पुरूष बंदी 73279 है। इसके पश्चात बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, झारखण्ड एवं तमिलनाडु में क्रमशः 38346, 31853, 24539, 17279 एवं 15384 पुरूष बन्दी परिरुद्ध हैं। इस प्रकार सर्वाधिक बन्दियों की संख्या उत्तरप्रदेश और बिहार में है अर्थात कुल 1901 बच्चे भारतीय कारागार में अपनी मां के साथ रहते हैं। इस आशय से कारागार प्रशासन के लिए अप्रैल 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर.डी.उपाध्याय विरुद्ध आन्ध्रप्रदेश के प्रकरण में महिला बन्दियों एवं उनके बच्चों के विषय में सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक राज्य में एक महिला कारागार होना चाहिए किन्तु आज दिनांक तक मात्र 16 कारागार देश के विभिन्न राज्यों में हैं। यद्यपि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली सतत् प्रयास कर रही है कि प्रत्येक राज्य में शीघ्रातिशीघ्र एक महिला कारागार स्थापित किया जाए जहां महिला बन्दियों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार विशेष श्रेणी के रूप में उपचारित किया जा सके।

बन्दियों की सबसे अधिक संख्या 76,180 उत्तरप्रदेश में है जहां 73,851 पुरूष बन्दी एवं 2,329 महिलाएं परिरुद्ध हैं। जो कि सम्पूर्ण कारागार जनसंख्या का 20 प्रतिशत है। इसके पश्चात बन्दी बिहार में परिरुद्ध हैं जिनकी कुल संख्या 39,638 है एवं 38,346 पुरूष बन्दी एवं 1,292 महिलाएं परिरुद्ध हैं। भीड़–भाड़ की दृष्टि से भी सर्वाधिक कारागार जनसंख्या उत्तरप्रदेश में है।

उत्तरप्रदेश सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले कारागार प्रशासन में से एक है। यहां (201.3%) अतिरिक्त बन्दी संख्या है। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ में (193.3%) एवं दिल्ली (185.7%) में अतिरिक्त बन्दी संख्या है।

तालिका क्रमांक 1.6

पुरूष एवं महिला कैदियों की कुल जनसंख्या

स. क्र.	राज्य	पुरूष कैदियों की संख्या	महिला कैदियों की संख्या	योग
1	आंध्र प्रदेश	14178	867	15045
2	असम	8454	251	8705
3	बिहार	38346	1292	39638
4	छत्तीसगढ़	9990	461	10451
5	गोवा	346	20	366
6	गुजरात	11177	665	11842
7	हरियाणा	12532	561	13093
8	हिमाचल प्रदेश	1374	61	1435
9	जम्मू एवं काश्मीर	2217	82	2299
10	झारखंड	17279	657	17936
11	कर्नाटक	12524	528	13052
12	केरल	6559	183	6742
13	मध्य प्रदेश	31858	854	32712
14	महाराष्ट्र	24539	1353	25892
15	मणिपुर	434	10	444

16	मेघालय	659	6	665
17	मिजोरम	856	95	941
18	नगालैंड	483	18	501
19	उड़ीसा	14748	620	15368
20	पंजाब	15137	835	15972
21	राजस्थान	14153	534	14687
22	सिक्किम	222	4	226
23	तमिलनाडु	15384	1215	16599
24	त्रिपुरा	1280	37	1317
25	उत्तर प्रदेश	73851	2329	76180
26	झारखंड	2672	82	2709
27	पश्चिम बंगाल	17332	1266	18598
28	राज्य योग	348529	14886	363415
29	नगालैंड	411	2	413
30	चंडीगढ़	483	18	501
31	दमन द्वीप समूह	60	6	66
32	दिल्ली	11120	485	11605
33	लक्षद्वीप	22	0	22
34	पांडीचेरी	342	4	346
	योग(राज्य)	12466	515	12981
	पूरे भारत का योग	360995	15401	376396

स्रोत जेल सांख्यिकीय 2007

अपराध के प्रकार – भारतीय कारावासों में परिरुद्ध बन्दियों में से कुल 1,05,249 दोष सिद्ध बन्दियों में से 62,048 बन्दी हत्या के आरोप में सजा काट रहे हैं। इसी प्रकार 59.0 प्रतिशत बन्दी विभिन्न प्रकार के भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में परिरुद्ध हैं। उत्तर प्रदेश से अधिकतम दोषसिद्ध बन्दी हैं जिनकी संख्या 17342 है। मध्यप्रदेश कारागारों में भी उत्तरप्रदेश की तरह 14,263 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध बन्दियों को परिरुद्ध है। हत्या के अपराध की अपेक्षा हत्या के प्रयास के अपराध में अधिक व्यक्ति कारागारों में बन्दी हैं जिनकी संख्या 10,023 है। इसके पश्चात बलात्कार के अपराध में परिरुद्ध बन्दियों की संख्या आती

है जो कि 6,399 है। चोरी के आरोप में 4,357 व्यक्ति कारागारों में परिरुद्ध हैं। अधिकांश दोषसिद्ध अपराधी हत्या के प्रयास या बलात्कार के आरोप में दण्डित हैं। छेड़–छाड़ आदि प्रकरणों में मात्र कुछ ही बन्दी कारागारों में परिरुद्ध हैं। स्थानीय विशेष कानून के अन्तर्गत 14,591 दोष सिद्ध बन्दी भारतीय जेलों में सजा काट रहे हैं। अधिकतम दोषसिद्ध बन्दी स्थानीय कानून के अन्तर्गत एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत 33.3 प्रतिशत व्यक्ति परिरुद्ध हैं। वहीं आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 10.4 प्रतिशत एवं आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 7.7 प्रतिशत व्यक्ति दण्डित हैं। मध्यप्रदेश में सर्वाधिक 1129 एन.डी.पी.एस.एक्ट के अपराधी बन्दी हैं एवं उत्तरप्रदेश में 528 इसी प्रकार शस्त्र अधिनियम के सर्वाधिक प्रकरण 28.6 प्रतिशत उत्तरप्रदेश, बिहार 17 , पंजाब 12.5 अधिसूचित हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में अपराधी केरल, पंजाब, बिहार और उत्तरप्रदेश से आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत परिरुद्ध हैं। 487 दोष सिद्ध अपराधी जुआ निषेध अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय कारागारों में परिरुद्ध हैं। इसी प्रकार विचाराधीन बन्दियों 1,95,641 में से 54,245 विचाराधीन बन्दी हत्या के आरोप में परिरुद्ध हैं जो कि सर्वाधिक 27 प्रतिशत है। विचाराधीन बन्दियों में भी सबसे अधिक संख्या 8,995 उत्तरप्रदेश के कारागारों में है। इसके पश्चात बिहार 6,606, कर्नाटक 4692, मध्यप्रदेश 4,091, उड़ीसा 3,983, तमिलनाडु 3,307 में हैं। इन छः राज्यों में हत्या के आरोपियों का कुल 58.7 प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों को परिरुद्ध किया गया है।

कारावास की अवधि – भारतीय कारावास में मुख्यतः चार प्रकार के बन्दी परिरुद्ध हैं, विचाराधीन, दोषसिद्ध, रोके गए बन्दी एवं अन्य।

विचाराधीन बन्दियों की कारावास की अवधि विचाराधीन बन्दी समस्त कारावास में रह रहे बन्दियों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत निर्मित करते हैं। कुल बन्दियों में से 66 प्रतिशत बन्दी विचाराधीन बन्दी हैं, शेष 31.9 प्रतिशत दोषसिद्ध बन्दी हैं। विचाराधीन बन्दियों की कारावास में रहने की अवधि तीन माह से लेकर पांच वर्ष तक है। 41.3% बन्दी मात्र तीन माह के लिए कारावास में परिरुद्ध रहे जबकि 20.9 प्रतिशत विचाराधीन बन्दी 3 से 6 माह के लिए, इसी प्रकार 6 से 12 महीने कारावास में रहने वाले विचाराधीन बन्दियों की संख्या 17.3 प्रतिशत है। एक वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक अपनी सुनवाई की प्रतीक्षा करने वाले बन्दी 18 प्रतिशत है– जिसमें से 5 वर्ष की अवधि वाले मात्र 0.8 प्रतिशत बन्दी हैं। महिला बन्दी प्रत्येक वर्ग में 2 प्रतिशत हैं, चाहे वह 3 माह की अवधि हो अथवा 5 वर्ष की। न्यूनतम 3 माह के लिए कारावासित बन्दियों

की सर्वाधिक संख्या बिहार, गोवा, सिक्किम, दमन एवं दीव में है। अधिकतम संख्या सिक्किम में 18.1 प्रतिशत एवं सर्वाधिक लक्षद्वीप में 90.9 प्रतिशत है।

1.4.6 दोषसिद्ध बन्दियों की कारावास की अवधि–सम्पूर्ण भारत वर्ष की कारागारों में कुल 1,20,115 दोषसिद्ध बन्दी विभिन्न प्रकार के अपराधों में दण्ड काट रहे हैं। इनमें से 308 बन्दियों को मृत्यु दण्ड की सजा दी गई है जिसमें से बिहार में सर्वाधिक 80 प्रकरण मृत्यु दण्ड के हैं जिनका प्रतिशत 26 है। इसके पश्चात उत्तरप्रदेश में 72 प्रकरण, महाराष्ट्र में 38, मध्यप्रदेश में 16, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु प्रत्येक राज्य में 14–14 मृत्यु दण्ड के प्रकरण हैं। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में 13, दिल्ली में 9, राजस्थान में 8, मृत्यु दण्ड के प्रकरण हैं।

इसके अतिरिक्त बन्दियों की बहुत बड़ी संख्या आजीवन कारावास के आरोप में भारतीय कारावास के अन्तर्गत कारावासित है। इनकी संख्या 63,828 है जिसका प्रतिशत 53 है। 11 राज्यों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बन्दियों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 53.1 प्रतिशत है। यह राज्य दमन एवं दीव, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, उत्तराखण्ड, पाण्डिचेरी, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात है। 14,433 दोषसिद्ध बन्दी 10 से 13 वर्षों के लिए भारतीय कारावास में सजा काट रहे हैं। इनका प्रतिशत 12.0 प्रतिशत है। 9,779 दोषसिद्ध बन्दी अर्थात 8.1 प्रतिशत बन्दी भारतीय कारावास में 7 से 9 वर्ष की सजा काट रहे हैं। ऐसे दोषसिद्ध बन्दियों की सर्वाधिक संख्या नगालैण्ड 16.8 प्रतिशत, दिल्ली 8 प्रतिशत, त्रिपुरा 11.8 प्रतिशत, गुजरात 11.8 प्रतिशत, गोआ एवं उत्तरप्रदेश 10.9 प्रतिशत, प्रत्येक हरियाणा और हिमाचल 10.4 प्रतिशत है। 7,514 बन्दियों की संख्या 5 से 6 वर्ष के कारावास की है। 6,201 बन्दियों की संख्या 2 से 4 वर्ष के बन्दियों की है। ऐसे बन्दियों की सर्वाधिक संख्या सिक्किम 30 प्रतिशत, नगालैण्ड 20.8 प्रतिशत, मेघालय 12.8 प्रतिशत है। त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं दमन एवं दीव में क्रमशः 11.6, 10.6, 10.4, 10.00 प्रतिशत है। मात्र 5,432 बन्दी ऐसे हैं जिनकी सजा 1 से 2 वर्ष की है। इसी प्रकार 4,780 छः माह से एक वर्ष की सजा काट रहे हैं।

कारागार के उद्धेश्य –

कारागार की कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं –

- **आदर्श जेल मेन्युअल 2003–** आदर्श जेल मेन्युअल 2003 में 24 के अन्तर्गत एक ऐसा स्थान जिसे कुछ समय के लिए या अस्थाई या स्थाई तौर

पर राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप बन्दियों को रखने के लिए उपयोग किया जाए। सी.आर.पी.सी. की धारा 417, 1973 के आधार पर जेल के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं।

- **फेयरचाइल्ड –** 'एक दण्ड देने वाली संस्था जिसका संचालन या तो राज्य या संघीय सरकार करती है और जिसका उपयोग केवल प्रौढ़ अपराधियों के लिए होता है, जिनकी सजा एक वर्ष से अधिक की होती है।
- **सेथना –** 'बन्दीगृह (कैदखाना) कारावास के लिए होते हैं। वे व्यक्ति भी जिन पर मुकदमा चल रहा होता है, कारागार में रखे जाते हैं। इन स्थानों में अपराधी को सुधार के लिए रखा जाता है।'
- **1894 का अधिनियम –** 'बन्दीगृह राज्य सरकार द्वारा परिभाषित वह स्थान है जहां बन्दियों को स्थाई अथवा अस्थाई रूप से रखा जाता है।'
- **डा. बघेल –** 'बन्दीगृह एक दण्ड संस्था है जो राज्य द्वारा संचालित होती है, जिसमें रखकर अपराधियों को दण्ड दिया जाता है तथा सुधारा जाता है।

1.5.2 कारागार की कुछ विशेषताएं – इस प्रकार बन्दीगृह की परिभाषा अपराधियों के दण्ड और सुधार की उस संस्था के रूप में किया जा सकता है, जो राज्य शासन द्वारा संचालित होती है एवं जहां बन्दियों को रखकर उनका सुधार एवं पुनर्वास किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कारागार की कुछ विशेषताएं परिलक्षित होती हैं जो इस प्रकार हैं –

- **अपराधी गृह –** बन्दीगृह अपराधियों का स्थान है जहां उन्हें दो उद्देश्यों से रोका जाता है–
  (अ) अपराधियों का सामाजिक पृथक्करण,
  (आ) अपराधियों का सुधार और दण्ड
- **राज्य द्वारा संचालित –** बन्दीगृह की दूसरी विशेषता यह है कि इसका संचालन राज्य शासन द्वारा किया जाता है। राज्य सत्ता के अभाव में बन्दीगृह का निर्माण और उसका संचालन असंभव है।
- **दण्ड और सुधार –** बन्दीगृह में रखकर अपराधियों को दण्ड दिया जाता है। यह दण्ड उस अपराध के बदले में दिया जाता है, जो अपराधी ने किए हैं। इसके साथ ही अपराधी को सुधारने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाते हैं।
- **कारागार के प्रमुख उद्देश्य –** कारागार के उद्देश्य प्राचीनकाल से

लेकर आज तक परिवर्तित होते रहे हैं। प्राचीनकाल से वे फिर पाश्चात्य देश हों अथवा भारतीय दण्ड व्यवस्था कारागार के उद्देश्यों में सदैव परिवर्तन होता रहा है। 1835 से लेकर आधुनिक युग तक लगातार कारागार के उद्देश्यों में प्रतिशोधात्मक दण्ड व्यवस्था के स्थान पर सुधारात्मक सिद्धान्त का पालन करने पर बल दिया जाता रहा है। 1945 के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर अपराधियों के साथ भी मानवीय व्यवहार करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में भारत भी एक सदस्य है। अतः विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं के प्रकाश में भारत का उच्चतम न्यायालय ने बन्दियों के रख–रखाव, सुधार, पुनर्वास एवं मानव अधिकारों को लेकर अत्यधिक सजग है। समय–समय पर इस आशय के निर्देश भी उच्चतम न्यायालयों ने भारत सरकार को दिए हैं।

एक बार किसी व्यक्ति के अपराध पर दण्ड निर्धारित होने के पश्चात भी एक व्यक्ति मानव ही रहता है। उच्चतम न्यायालय के यह निर्देश है कि कारागार में एक बन्दी मानवीय व्यवहार का हकदार है। वह कारागार की सीमाओं में विचरण की स्वतन्त्रता के अतिरिक्त प्रत्येक मानव अधिकार का हकदार है।

उपरोक्तानुसार कारागार के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- कारागार को अनुशासन एवं सुरक्षा के माध्यम से सुरक्षित स्थान बनाना
- कारावास अवधि का सकारात्मक एवं सृजनात्मक उपयोग करना जिससे बन्दी रिहाई के पश्चात पुनर्वासित हो सके।
- बन्दियों को मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना जिससे वे मानवीय गरिमा बनाते हुए कारावास की अवधि व्यतीत कर सकें।

बन्दियों की सुरक्षा, कारागार का मुख्य उत्तरदायित्व है। यद्यपि सामान्यतः कारागार प्रशासन का मुख्य उद्देश्य बन्दियों का सुधार एवं पुनर्वास है किन्तु बन्दियों की सुरक्षा की सीमा में सुधार एवं पुनर्वास किया जाना है। अतः न्यायालय बन्दियों के कुछ मूल अधिकारों में कटौती करती है जिससे कारागार अवधि को सुरक्षित बनाकर बन्दियों को सुधारा व पुनर्वासित किया जा सके।

अपराधी समाज–विरोधी व्यक्ति होता है, जिसने समाज का अहित किया है। जब इस व्यक्ति को यदि खुले समाज में छोड़ दिया जाए तो वह पुनः अपराधों का सम्पादन करेगा और इस प्रकार समाज को क्षति पहुंचाएगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे

समाज की शान्ति व्यवस्था भंग होगी और समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अपराधी सामाजिक प्राणी है। इसके अतिरिक्त कारागार के कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं जो निम्नानुसार हैं –

- **अपराध निरोध –** बन्दीगृह के निर्माण का पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य है अपराधों की संख्या में कमी लाना और और समाज में अपराधों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाना। निम्न तरीकों से बन्दीगृह अपराध निरोध में महत्वपूर्ण कार्य करता है –
- अपराधी को बन्दीगृह में रखकर दुबारा अपराध करने पर अंकुश लगाना,
- उन व्यक्तियों को नियन्त्रित करना, जो अपराध के लिए ललचाए जा सकते हैं।
- अपराधियों का सुधार करना ताकि वे भविष्य में अपराधों की ओर उन्मुख न हों।
- **अपराधी का समाजीकरण –** बन्दीगृह सुधार संस्थाएं भी हैं, जहां अपराधों को बीमार मानकर उसके उपचार के लिए प्रयास किए जाते हैं। आज इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है कि अपराधी पैदा नहीं होते, अपितु बनते हैं। इस दृष्टि से अपराधियों का उपचार दो प्रकार से किया जाता है –
- अपराधी को उस समाज से पृथक कर देना, जहां रहकर उसने अपराध करना सीखा है, और
- अपराधी की शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्थिति में इस प्रकार सुधार कर देना कि यह भविष्य में अपराधों का सम्पादन न करे।
- **मानवतावादी दृष्टिकोण –** मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण भी जेलों का जन्म और विकास हुआ है। अपराधी दोषी अवश्य है, किन्तु उसकी रक्षा समाज का उत्तरदायित्व है। अपराधी को समाप्त करना अमानवीय कार्य माना जाता है। जेल वे स्थान हैं, जहां अपराधियों को रखकर उनका सुधार किया जाता है और इस प्रकार मानव द्वारा मानव की रक्षा की जाती है।
- **अपराधी का पृथक्करण –** अपराधी सामाजिक उत्पादन है। भविष्य में उसे अपराधों से पृथक करने के लिए जेलों का निर्माण हुआ। अपराधी को समाज से अलग करने के निम्न उद्देश्य हैं –
- अपराधी द्वारा दुबारा अपराध न करना,

- अपराधी को सामाजिक सुरक्षा दिलाना,
- असामाजिक कार्यों के लिए अपराधी के मन में ग्लानि और पश्चाताप का अवसर प्रदान करना।
- **भय उत्पन्न करना–** बन्दीगृह वे स्थान हैं। जिनका नाम सुनकर व्यक्ति भय से भर जाता है। अपराधी को तो भय होता ही है, अनापराधी भी इससे भयभीत होते हैं अनापराधियों के भय का कारण है, उनके मस्तिष्क में बन्दीगृह की कल्पना। जब वे बन्दीगृह की यातनाओं के बारे में सोचते हैं, तो अपने आप अपराधों से विमुख हो जाते हैं।
- **राज्य शक्ति का प्रदर्शन –** राज्य एक शक्तिशाली संस्था है। इस संस्था की शक्ति के प्रदर्शन का मात्र एक ही उद्देश्य है– अपराधों की संख्या में कमी। बन्दीगृह में राज्य की वह शक्ति निहित है, जो बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति को अपने मजबूत सीखचों में समेट लेती है। राज्य की शक्ति का ही यह परिणाम है कि वह जब चाहे अपराधी को बन्दी बना सकता है।
- **सामाजिक न्याय–** अन्त में, न्याय की दृष्टि से भी बन्दीगृहों का विकास हुआ। यह न्याय दो पक्षों से संबंधित है –
- अपराधी को न्याय, और
- समाज को न्याय।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समाज में बन्दीगृहों का जन्म और विकास हुआ।

अध्याय 2

बंदियों का सुधार

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बन्दीगृहों को सदैव सुधारालय के रूप में मानने की अनुशंसा की, उनका मानना था कि अपराध ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं जो बीमार मानसिकता के शिकार हैं, बन्दियों को सुधार की आवश्यकता है न कि दण्ड की'' राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वप्न सच में पूर्ण हो रहा है। आधुनिक युग में कारागार एक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली सुधारात्मक संस्था के रूप में उभर कर आएं हैं। बन्दियों के पुनर्समाजीकरण का महत्वपूर्ण कार्य कारागारों के माध्यम से हो रहा है। दूसरे शब्दों में कारागार सामाजिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण इकाई बन गए हैं, जहां एक व्यक्ति अपूर्ण सामाजिक व्यक्तित्व से आत्मनिर्भर, अनुशासित व्यक्तित्व बन कर समाज में समाहित होता है। आज कारागार प्रशासन का उद्देश्य बन्दी को मात्र दण्ड देना नहीं वरन उसे आत्मनिर्भर बनाकर समाज में पुनर्वासित करना है। जहां बन्दी को नैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। यद्यपि भारतीय जेल प्रशासन बन्दियों को पुनर्वासित करने में उद्देश्यों के अनुरूप उतना सक्षम नहीं है किन्तु फिर भी एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली के अनुसार यदि आंकड़ों पर दृष्टिपात किया जाए तो ऐसे बन्दियों का बाहुल्य है जो प्रथमतः अपराधी हैं। अपराधियों के जनसंख्यात्मक परिदृश्य को देखें तो प्रतीत होता है कि बन्दी समान सामाजिक समूह से नहीं आते हैं। अधिकांश बन्दी निर्धन एवं अशिक्षित परिवारों से आते हैं जिन्हें रोज़गार के अवसर उपलब्ध नहीं होते। इसी प्रकार यदि महिला बन्दियों के आपराधिक इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो यह स्पष्ट होता है कि अधिकतर महिलाएं कमजोर सामाजिक पृष्ठभूमि से आई हैं।

इसके अतिरिक्त एक अन्य विशेषता बन्दी समूह की यह भी है कि अधिकतर

बन्दी ग्रामीण परिवेश से सम्बन्ध रखते हैं। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि इस बात के लिए राज्य एवं केन्द्र शासन को निर्देशित करती है कि यदि कोई व्यक्ति एक अपराधी के रूप में कारागार में परिरुद्ध किया जाता है तो उसकी कारागार अवधि का सृजनात्मक उपयोग किया जाना चाहिए जिससे उसकी आपराधिक प्रवृत्तियां सुधर सकें व वह व्यक्ति एक अनुशासित, सामाजिक व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो सकें। अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा धारा 10(3) के अनुसार प्रत्येक कारागार प्रशासन का मुख्य उद्देश्य बन्दियों का सुधार एवं पुनर्वास होना चाहिए। कैदियों के उपचार के न्यूनतम मानक नियम 65–66 कारागारों में परिरुद्ध बन्दियों के उपचार में इस उद्देश्य पर प्रमुख बल देना है कि वे अनुशासित एवं आत्मनिर्भर रूप में अपना जीवन–यापन कर सकें जिससे उनका आत्मसम्मान बढ़े और जिम्मेदारी की भावना आए। कैदियों के उपचार के न्यूनतम मानक नियम 65–66: (1) नियम आगे विस्तृत वर्णन करते हैं कि बन्दियों के सुधार के लिए वे सारे प्रयास किए जाने चाहिएं जिससे कि उनमें सुधार आए। जैसे कि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, धार्मिक रीति–नीतियों का पालन आदि। (2) बन्दी के प्रवेश के पश्चात ही बन्दी के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य सुधार के प्रयास होने चाहिएं जिससे उसके आपराधिक व्यवहार में परिवर्तन आ सके (कैदियों के उपचार के न्यूनतम मानक नियम) विभिन्न जेल सुधार समितियों के अनुशंसाओं का निचोड़ पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा निर्मित आदर्श कारागार मैनुअल 2003 के अध्याय 14 में डाला गया है। आदर्श कारागार मैनुअल 2003 में व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया है। बिन्दु क्रमांक 14.1 में स्पष्ट किया गया है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कार्य को बन्दी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य अंग बनाया जाए। इन कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

- बन्दियों में अनुशासन एवं कार्य संस्कृति की आदत डालना।
- बन्दियों की कार्य के प्रति मनोवृत्ति, परिवर्तन, विकास लाना एवं परिश्रम की गरिमा को समझाना।
- बन्दियों की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि लाना।
- बन्दियों का शारीरिक एवं मानसिक विकास।
- सहयोगात्मक भावना का विकास एवं सामूहिक व्यवहार के साथ समायोजन करना
- जीवन यापन के लिए कड़े श्रम की आदत।

- एकाग्रता, समग्रता एवं नियमितता की आदतों का निर्माण करना।
- कार्यकौशल का विकास।
- आत्म सम्मान और आत्मविश्वास का विकास।
- व्यावसायिक स्तर प्राप्त आर्थिक सुरक्षा का विकास करना।
- बन्दियों को उपयोगी एवं अर्थपूर्ण सृजनात्मक व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।
- बन्दियों में आलसी प्रवृत्ति, अनुशासनहीनता आदि का बचाव।

बन्दियों में नैतिक भावना का विकास एवं संस्थात्मक अनुशासन का विकास। (आदर्श कारागार मैनुअल 2003)

राष्ट्रीय कारागार नीति भाग–3 प्रावधान क्रमांक 69 बन्दियों के उपचारात्मक कार्यक्रमों को मूल्यांकन करने हेतु सुधार प्रशासन को निर्देशित करता है कि प्रत्येक उपचारात्मक कार्यक्रम समय–समय पर मूल्यांकित होना चाहिए। बन्दियों की प्रगति के आधार पर किसी भी कार्यक्रम की सामयिकता निर्भर करेगी। प्रावधान क्रमांक 70 स्पष्ट करता है कि प्रत्येक बन्दी को नैतिक शिक्षा दी जाए जिससे शिक्षा के साथ सामाजिक एवं पुनर्वासित होने की प्रक्रिया भी चलती रहे। प्रावधान क्रमांक 71 सुधार कार्यक्रमों में योगा, विपासना एवं जीवन जीने की कला जैसे कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए निर्देशित करता है जिससे कि बन्दियों के तनाव के स्तर में कमी आ सके। (राष्ट्रीय कारागार नीति भाग–3)

पाश्चात्य शोध साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि एक रिहा बन्दी के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक चुनौतियां होती हैं। निर्धनता, अधूरी शिक्षा, बेरोजगारी, मद्यपान की आदत, कारावास में दण्डित अपराधी का सामाजिक कलंक आदि(सामाजिक पुनर्वास इकाई, 2002) चुनौतियां रिहा बन्दी को पुनः अपराध की पुनरावृत्ति करने के लिए मजबूर करती हैं।

प्रत्येक व्यक्ति को नया जीवन प्रारम्भ करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त सामाजिक एवं सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी बन्दी को उचित उपचार से सुधारा जा सकता है।

अपराध साधारणतः सामाजिक एवं वैधानिक नियमों को तोड़ना है। पाश्चात्य एवं भारतीय शोध यह बताते हैं कि सामान्यतः व्यक्ति अपराधी व्यवहार करना नहीं चाहता किन्तु असामान्य परिस्थितयां, अपूर्ण समाजीकरण, अशिक्षा, निर्धनता, टूटे परिवार एवं कुसंगति किसी भी व्यक्ति को अपराध की ओर धकेल सकती है।

अपराधी व्यवहार एवं सैद्धांतिक संरचना – अपराध एवं अपराधी का

सुधार एवं पुनर्वास एक गहन विषय है जिसे किसी एक या दो तथ्यों के आधार पर नहीं समझा जा सकता। बन्दियों का सुधार तब तक संभव नहीं है जब तक कि कारागार प्रशासन यह न समझ ले कि सामान्य व्यक्ति अपराध करता ही क्यों है?

- **आर्थिक सिद्धान्त –** बेकर 1968 के अनुसार बहुत से व्यक्ति अपराध करते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थितियां उन्हें अपराधों की तरफ धकेलती हैं। व्यक्ति अपराध का दण्ड एवं आर्थिक लाभ की तुलना में आर्थिक लाभ को अधिक पाते हैं जिससे वे अपराध कर बैठते हैं। ऐरीजोनॉ 1994 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े यह बताते हैं कि जेलों में 85 प्रतिशत बन्दी ऐसे हैं जो हाई स्कूल तक शिक्षित हैं, शिक्षा धन कमाने के अवसरों को बढ़ाती भी है और सीमित भी करती है। हाई स्कूल तक शिक्षित बन्दी निश्चित रूप से रोजगार के अच्छे अवसर नहीं प्राप्त कर सकते फलस्वरूप वे अपराध करते हैं। (लो–पिन्टो, 2005) शिक्षा के स्तर व अपराध का गहरा सम्बन्ध है।
- **हर्जवर्ग का द्वि–कारकीय सिद्धान्त –** इस सिद्धान्त के अनुसार फेड्रिक हर्जवर्ग किसी भी व्यक्ति के कार्य को सन्तोष व असन्तोष की प्रेरणा के आधार पर घटित बताते हैं। हर्जवर्ग का कहना है कि अगर एक व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य मिले जिसमें उसे उपलब्धियां, पहचान, प्रगति एवं जिम्मेदारी प्राप्त हो जिससे उसका विकास हो सके तो यह कार्य उसे सन्तोष प्रदान करता है किन्तु यदि किसी कार्य में किसी व्यक्ति को अनचाहा कार्य पहचान का अभाव, प्रगति का अभाव आदि बातें महसूस हो तो व्यक्ति असन्तोषजनक स्थिति में आता है जिससे कि वह ऐसे रास्ते तलाश करता है जिससे कम समय में ज्यादा लाभ प्राप्त हो और सन्तोष प्राप्त कर सके
- **मेस्लो आवश्यकताओं का संस्तरीय सिद्धांत –** मेस्लो के सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताओं के पांच स्तर होते हैं। जैसे–जैसे व्यक्ति की आवश्यकताओं का पहला स्तर पूरा होता जाता है वैसे–वैसे वह आगे के स्तर पर अपनी आवश्यकता को महसूस करने लगता है।

व्यक्ति की आवश्यकताओं के निम्न पांच स्तर हैं।

प्रेरणा का सिद्धान्त– यह सिद्धान्त कार्य में प्रेरणा के महत्व को दर्शाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकता ही उसकी प्रेरणा होती है अतः यदि बन्दियों को सामान्य व्यक्ति मानकर उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं को चिन्हित कर उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाए तो निश्चित ही बन्दियों में

सुधार हो सकता है। बन्दी जो अधूरे सामाजीकरण की समस्या से ग्रस्त होते हैं उन्हें इस सिद्धान्त के माध्यम से प्रेरित कर अनुशासित, आत्मनिर्भर एवं उत्तरदाई व्यक्ति बनाया जा सकता है। उपरोक्त सैद्धांतिक विवेचन से यह स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को आपराधिक व्यवहार से विमुख करने के लिए सुधार का असीमित महत्व है। विभिन्न जेल सुधार समितियों, विशेषज्ञ समितियों द्वारा समय–समय पर बन्दियों के सुधार पर बल दिया गया है।

बन्दी सुधार के उद्धेश्य – कारावास के इतिहास में स्वतन्त्रता आंदोलनकारियों का समय एक काले अध्याय की तरह था जहां बन्दियों को सुधार एवं अन्य किसी भावना के स्थान पर प्रताड़ित करने के लिए रखा जाता था। कारावास बन्दियों को रखने का एक स्थान मात्र होते थे जहां उनके लिए किसी भी प्रकार की मूल सुविधाओं का पूर्णतः अभाव होता था।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचार था कि जेलों में अस्पताल का वातावरण होना चाहिए न कि भय का जिससे बन्दी की मानसिकता का उपचार किया जा सके। द्वापर काल में भी जेलों में बन्दियों को सुधार के अतिरिक्त भी अनेक अधिकार होते थे। भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भी कारावास में ही हुआ था। आधुनिक काल में दण्ड के सिद्धान्तों में परिवर्तन आया एवं कारागार प्रतिशोध एवं प्रतिकार के स्थान पर सुधारालय बनने लगे। सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ के कारावास विशेषज्ञ वॉल्टर रेक्लेस ने भी बन्दीगृहों को सुधारालय में परिवर्तित करने की जोरदार अनुशंसा की। बन्दी सुधार के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नलिखित पंक्तियों में संरचित किया जा सकता है–

- समाज में शांति व्यवस्था कायम करना।
- बन्दी का पुनर्समाजीकरण कर अनुशासित व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तित करना।
- आत्मनिर्भर बनाकर समाज में पुनर्वासित करना।
- आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाकर सुरक्षित करना।
- पुनः अपराधिता की दर कम करना।

आधुनिक युग में विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रकाश में बन्दी सुधार को नए आयाम दिए हैं। बन्दी सुधार का अत्यन्त महत्व हो गया है। ज्ञान के विकास के साथ इस सिद्धान्त को बल मिला है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तो यह समाज की असफलता है न कि उस व्यक्ति विशेष की। बन्दीगृहों में सुधार के माध्यम से समाज की इसी असफलता

को दूर करने का प्रयास किया जाता है एवं बन्दी को पुनर्सामाजिकृत किया जाता है। बन्दी को यदि जेल भेजा गया है तो यही उसके अपराध का दण्ड है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई दण्ड कारावास में देना अमानवीय माना जाता है। माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस सिद्धान्त को स्वीकार कर कारागार प्रशासन को इस विचार को अमल में लाने के लिए निर्देश दिए हैं। एक महत्वपूर्ण प्रकरण के अन्तर्गत माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा है कि यदि एक व्यक्ति कारावास में दण्डित है तो इसका यह कतई मतलब नहीं कि वह एक अमानव बन जाएगा। सुधार के माध्यम से बन्दी को नैतिक, व्यावसायिक, आर्थिक, धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वह समाज में अन्य लोगों के मानव अधिकारों का सम्मान करना सीखे। बन्दी इस प्रकार तभी हो सकता है जबकि उसे कारावास में सहानुभूति व सुधार का वातावरण मिल सके।

पुनर्समाजीकरण की आवश्यकता – समाजशास्त्री जॉन बी. वॉस्टन के अनुसार जब हम जानवरों को सामाजिक सीख दे सकते हैं तो फिर इन्सान को क्यों नहीं। उन्होंने यह चुनौती स्वीकार की कि उन्हें किसी भी वंशानुक्रमण के चार व्यक्ति दे दिए जाएं, वे उन्हें जो उनसे कहा जाए चिकित्सक, अधिवक्ता, कलाकार, चोर या भिखारी बना सकते हैं। उपरोक्त विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि व्यक्तिगत प्रवृतियां और सामाजिक वातावरण ही किसी व्यक्ति को अपराध की ओर धकेलने या सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। इस विषय में वॉल्टर रेकलेस ने 1955 : 79–80 में अत्यन्त सरल सूत्र दिया है।

$$C = \frac{S}{I} \quad \text{अर्थात} \quad \frac{\text{सामाजिक परिस्थितियां}}{\text{व्यक्ति का व्यक्तित्व}}$$

वॉल्टर रेकलेस ने 1955 : 79–80

इस सूत्र के अनुसार सी–'क्राइम' से तात्पर्य अपराध है। एस– 'सिचुएशन' अर्थात परिस्थितियों का दबाव एवं सामाजिक व्यवस्था की कमी। परिस्थितिजन्य दबाव व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है जिससे कि व्यक्ति कमजोर महसूस करता है, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि यदि व्यक्तित्व स्वनिर्देशित,स्वनियन्त्रित नहीं है तो व्यक्ति अपराध कर बैठता है। आई– अर्थात 'इंडीविजुअल' जो कि विभिन्न प्रकार की चिन्ताओं, निम्न सहनशीलता, कमजोर अहम, निम्न सुझाव ग्रहणशीलता, अनियन्त्रित व्यवहार, अपरिपक्वता और भावनात्मक अस्थिरता, कमजोर प्रवृतियां के प्रभाव में

दिशाहीन व लक्ष्यहीन व्यक्ति होता है। साथ ही बिना किसी सामाजिक निर्देशन व पारिवारिक सहारे के परिस्थितिजन्य प्रभाव, व्यक्ति के व्यक्तित्व से भारी पड़ता है और कमजोरकारक व्यक्तित्व को अपने दबाव में ले लेता है।

डेविड इब्राहिम 1946 : 7 ने भी इससे संबंधित एक सरल सूत्र दिया है।

$$C = T \frac{S}{R}$$

डेविड इब्राहिम 1946

यहां सी– से तात्पर्य 'क्राइम' अर्थात अपराध है। टी– से तात्पर्य 'टेन्डेन्सीज' अर्थात प्रवृतियां हैं। एस– से तात्पर्य 'सिचुएशन' अर्थात सामाजिक परिस्थितियां हैं। आर– अर्थात 'रेजिस्टेन्स' है। इब्राहिम के अनुसार अपराध व्यक्ति की व्यक्तिगत सहनशीलता और सामाजिक परिस्थितियों के दबाव का संघर्ष है, जो भी इनमें से भारी पड़ता है उसी की विजय होती है। यदि व्यक्तिगत सहनशीलता सामाजिक सीख अच्छी है तो व्यक्ति कितना भी समाजिक दबाव हो, अपराध नहीं करता है किन्तु यदि समाजिक सीख अर्थात व्यक्ति की प्रवृतियां जो उसे परिवार से समाजीकरण के द्वारा मिलती हैं, कमजोर हैं तो तनिक सी विपरीत परिस्थितियों के दबाब में भी व्यक्ति अपराध कर सकता है।

शेल्डन एण्ड ग्लूक ने 1950 में 5 मुख्य ऐसे कारक बताए हैं जिनकी वजह से व्यक्ति अपराध कर सकता है या अपराध से बच सकता है।

शारीरिक व्यवहारगत (बैचेनी, अति ऊर्जा, आक्रामक, बर्हिमुखी एवं विध्वंसकारी)

- प्रवृतियां (आक्रामक, दोषपूर्ण, क्रोधी, सन्देही, हठधर्मी, दुस्साहसी,)
- मनोवैज्ञानिक (तौर तरीके से न चलने वाला एवं नियमों से समस्या महसूस करने वाला)
- सामाजिक (टूटा परिवार, पालकों की अनैतिकता)

वर्तमान में भारतीय कारागारों में बन्दी सुधार की कई योजनाएं संचालित हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रसंविदाओं एवं विभिन्न जेल सुधार समितियों की अनुशंसाओं पर यद्यपि सुधार कारागार प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य बन चुका है किन्तु आदर्श जेल मैन्युअल, 2003 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली ने बन्दी सुधार को नई दिशाएं दी हैं। आदर्श जेल मैन्युअल, 2003 के नियम 49 के अनुसार प्रत्येक बन्दी सुधार एवं पुनर्वास के कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से भागीदारी करेगा।

उपरोक्त विश्लेषण एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के बन्दी सुधार विशेषज्ञ डा. रेक्लेस के उपरोक्त सूत्र से यह तथ्य स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा अपने वातावरण से बनता है। वास्तव में सामाजीकरण का तात्पर्य किसी व्यक्ति को जैवकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाना ही है। सामाजीकरण की प्रक्रिया सम्पूर्ण जीवन के सामाजिक अनुभवों से किसी व्यक्ति को मानव के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया है (मेकियोनिस 115) सामाजिक अनुभव भी व्यक्तित्व का आधार होते हैं जो कि किसी व्यक्ति को व्यवहार करने, सोचने एवं महसूस करने के तरीके प्रदान करते हैं। कोई भी मानव व्यक्तित्व को मां के गर्भ से लेकर पैदा नहीं होता, वरन उसे समाज का सदस्य होने के नाते सामाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है। व्यक्तित्व कभी भी समाज के अनुभवों के बिना विकसित नहीं हो सकता है। हैन्सीलिन का कथन है कि समाज के तरीके सीखने की प्रक्रिया विशेष तौर से किसी समाज विशेष की, जिसका कि व्यक्ति सदस्य है, को भी सामाजीकरण कहा जाता है। यह प्रक्रिया शैशव काल से ही प्रारम्भ हो जाती है। हैन्सलिन सामाजीकरण में इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखने को कहते हैं कि वंशानुक्रमण की कितनी भूमिका है। डॉरविन के उद्विकास के सिद्धान्त के अनुसार प्रजातियों को परिवर्तित होने में हजारों वर्ष लगते हैं। 19 वीं शताब्दी के अंत तक समाज विचारक प्रकृति से मानव प्रकृति के विषय में बात करने लगे और प्रत्येक विषय में प्रकृति को मूल प्रवृत्ति माना गया किन्तु समाजीकरण के माध्यम मूल प्रवृत्ति को मानव व्यवहार परिवर्तित करने पर बल दिया गया। वॉस्टन ने सांस्कृतिक विभिन्नताओं को नकार दिया। वॉस्टन व्यवहार को एक सीखी हुई प्रक्रिया मानते हैं न कि प्रावृत्तिक। वह इस सीखी प्रक्रिया को व्यवहारवाद का नाम देते हैं। यद्यपि वह यह भी मानते हैं कि मानव व्यवहार में जैवकीय गुण भी कार्य करते हैं लेकिन उनकी भूमिका सीमित होती है। इसी प्रकार चार्ल्स हॉर्टन कूले, 1864–1929 जो कि मीड्स के सहयोगी थे, कहते हैं कि समाज के अन्य सदस्यों का व्यवहार किसी व्यक्ति के लिए एक आइने के समान होता है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को देखता है। इस सिद्धान्त को कूले ने स्वयं को देखने का आईना के नाम से परिभाषित किया था। समाज के अन्य सदस्यों की प्रतिक्रियाओं को देखकर ही व्यक्ति स्वयं की छवि को सुधारता है।

जॉर्ज हर्बट मीड समाजीकरण की प्रक्रिया को परिभाषित करने वाले प्रसिद्ध समाजशास्त्री माने जाते हैं। उनके विश्लेषण को सामाजिक व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। वे भी वॉस्टन के कथन से सहमत थे कि वातावरण व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है किन्तु वॉस्टन से थोड़ी भिन्नता मीड यह रखते थे कि वे यह मानते

थे कि व्यक्ति की स्वयं पर नियन्त्रण की योग्यता ही मुख्य कारक है। व्यक्ति का मस्तिष्क समाज की देन होता है। व्यक्ति की स्वजागरूकता एवं स्वछवि यह दोनों ही तत्व समाज के सन्दर्भ में अविभाज्य हैं। स्वजैवकीय नहीं है, न ही यह शरीर का कोई अंग है एवं स्वजन्म से भी प्राप्त नहीं होता है। यह समाज से अंतःक्रिया से विकसित होता है। समाज की प्रतिक्रिया के विभिन्न अर्थ लगाकर व्यक्ति अपनी छवि बनाता है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि व्यक्ति सामाजीकरण के माध्यम से अच्छा या बुरा नागरिक बन सकता है। हैन्सलिन सामाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य कारकों का भी वर्णन करते हुए लिखते हैं कि परिवार सामाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। कई शोध यह तथ्य स्पष्ट करते हैं कि यदि अपराधियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो हम पाएंगे कि ज्यादातर अपराधी टूटे या उपेक्षित परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं। किसी भी बच्चे के लिए परिवार उसकी सम्पूर्ण दुनिया होती है। विशेष तौर पर विद्यालय जाने के पूर्व की स्थिति तक। यद्यपि माता–पिता एवं परिवार के सदस्य बाल विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया अकेले पूरी नहीं करते किन्तु मूल प्रवृतियों के विकास में जैसे कि प्रवृत्ति, रूचियां, उद्देश्य आदि को परिमार्जित करने में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सामाजीकरण की प्रक्रिया में यह है कि परिवार किसी बच्चे को बाल्यकाल से एक स्थिति प्रदान करते हैं। सामाजिक वर्ग के अनुसार बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार बच्चे का सामाजिक वर्ग भी परिवार द्वारा निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त धर्म, प्रजाति, नैतिकता आदि परिवार ही तय करते हैं। परिवार से अन्तःक्रिया के दौरान ही सी.एच. कूले की स्वदर्पण की प्रक्रिया पूरी होती है। माता–पिता द्वारा बालक के व्यक्तित्व की गढ़न ही व्यक्तित्व की बुनियाद होती है। व्यक्ति के स्वनिर्माण में परिवार एवं सामाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजीकरण के प्रतिमानों से भी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उच्च वर्गीय माता–पिता जहां एक ओर अपने बच्चों को सृजनात्मक की ओर ले जाते हैं, वहीं मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को मात्र अनुशासन की ओर। सामाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार की तरह विद्यालय भी अपनी भूमिका निभाते हैं। विद्यालय में आकर बालक सामाजिक समायोजन की प्रक्रिया को सीखता है, किस प्रकार विभिन्न पृष्ठभूमि से आए व्यक्ति समूह समायोजन करने के पश्चात् भी अपना स्थान समूह में बनाते हैं। विद्यालय में ही बालक यह जानता है कि यह समूह उसका परिवार नहीं है। यहां भावनात्मक सम्बन्धों के द्वारा नहीं वरन् अपनी योग्यता और परिश्रम के माध्यम से स्थान बनाया जा सकता है। विद्यालयों में व्यक्ति

ज्ञान के साथ कौशल भी सीखता है। साथ ही विद्यालय नियमों का पालन कर अनुशासित रहना भी सिखाता है। विद्यालयों से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में राष्ट्रीयता की भावना एवं सांस्कृतिक मूल्य समाहित होते हैं। भारतीय कारागारों में परिरुद्ध बन्दियों में बहुत बड़ा समुदाय अशिक्षित है। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि इन बन्दियों की सामाजीकरण की प्रक्रिया मात्र पारिवारिक प्रक्रिया तक आकर अवरुद्ध हो गई। विद्यालयों से मिलने वाली अनुशासन की सीख, ज्ञान एवं समूह समायोजन की कला यह अपराधी सीख नहीं पाए। इसीलिए कानूनविरोधी कार्यों के प्रति अशिक्षित वर्ग की कोई संवेदनशीलता नहीं होती, क्योंकि वे इसके परिणामों से अनभिज्ञ होते हैं।

हैन्सलिन का कहना है कि सामाजीकरण एक प्रभावशाली प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति को उचित वातावरण में मानव के रूप में परिवर्तित कर सकती है। अपराधी जो कि अधूरे सामाजीकरण या त्रुटिपूर्ण सामाजीकरण से ग्रस्त है, पुनर्सामाजीकरण उसके लिए नितान्त आवश्यक है। मानव व्यवहार को सही दिशा में सामाजीकृत करना ही पुनर्सामाजीकरण है। कारागार प्रशासन में एक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं व्यावसायिक शिक्षा देकर बन्दी के प्रत्येक कमजोर पहलू दूर करने का प्रयास किया जाता है जिससे कि वह पुनः अपराधों की ओर प्रवृत्त न हो सके। पुनर्सामाजीकरण के माध्यम, बन्दियों के दूषित सामाजीकरण को आध्यात्मिक शिक्षा, योग, विपासना, धर्म गुरूओं के प्रवचन, स्वयं का उत्तरदायित्व उठाना जैसी आदतों के विकास के साथ पुनर्सामाजीकरण अत्यधिक आवश्यक है। पुनर्सामाजीकरण की आवश्यकता पर किसी भी प्रकार का कोई तर्क किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि एक अपराधी को एक अनुशासित सामाजिक व्यक्ति में परिवर्तित करने की सम्पूर्ण सुधारात्मक प्रक्रिया ही पुनर्सामाजीकरण है किन्तु यदि यह तथ्य बन्दियों का अनुरक्षण करने वाले जेल अधिकारियों को बता दिया जाए तो निश्चित ही वे और अधिक सकारात्मक रूप में बन्दियों के पुनर्सामाजीकरण का प्रयास कर सकेंगे।

सुधार का राष्ट्रीय परिदृश्य – भारतीय कारागार प्रशासन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन्दियों का सुधार है। अखिल भारतीय जेल सुधार समिति, मुल्ला कमेटी, डा. रेक्लेस प्रतिवेदन, महिला सशक्तिकरण की संसदीय समिति, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर समिति चाहे किसी भी प्रतिवेदन का अध्ययन किया, प्रत्येक समिति के प्रतिवेदन में बन्दियों के सुधार पर बल दिया गया है। बन्दियों को न्यायालय के माध्यम से कारावास में रखने का आशय ही सुधारात्मक सिद्धान्त को बल देता है अन्यथा बन्दी को कारावास में रखकर भोजन, चिकित्सा, वस्त्र, मनोरंजन, शिक्षा

उपलब्ध करने का तात्पर्य मात्र शासकीय मेजबानी होगी। जब तक कि उपरोक्त सुविधाओं के साथ बन्दी को सुधारात्मक उपचार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, समस्त सुविधाएं मानव अधिकार के रूप में बन्दी को श्रमहीन, निठल्ला व्यक्ति बना देंगी साथ ही कारागारों को आरामगाह में परिवर्तित कर देंगे। सामान्यतः सुधारात्मक कार्यक्रमों को तीन स्तरों पर समझा जा सकता है, पहला स्तर जिसमें कि बन्दियों को सुधारने का दर्शन सम्मिलित है तथा जो कि उद्देश्य और पद्धति के साथ देखे जा सकते हैं। परम्परागत सुधार का दृष्टिकोण बन्दी के बृहत सामाजिक सन्दर्भ को भूलकर उसके वर्तमान व्यवहार पर दण्ड देता है किन्तु बन्दी सुधार का नया दृष्टिकोण समुदाय पर आधारित होता है। पुराने दृष्टिकोण में यदि एक व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध के लिए न्याय व्यवस्था उस व्यक्ति विशेष को अपराधी मानती है और यदि सुधार किया जाना है तो उस व्यक्ति को ही स्वयं में सुधार करना होगा, इसके विपरीत समुदाय पर आधारित अपराध व सुधार दोनों में ही समुदाय को समान भागीदार मानती है। इस प्रकार सुधार के परम्परागत सिद्धान्त का व्यक्ति से समुदाय की ओर अग्रसर हुआ है। यदि एक व्यक्ति कारावास में दण्ड की अवधि बिता कर समाज में पुनर्वासित है तो इसे समुदाय की उस व्यक्ति के प्रति स्वीकृति माना जाता है। अतः बन्दी सुधार के साथ–साथ सामुदायिक सहभागिता पर बल देकर ही वास्तविक बन्दी सुधार किया जा सकता है।

बन्दी सुधार के द्वितीय स्तर पर पूर्व सिद्धान्त ठीक विपरीत बन्दी सुधार को व्यक्ति के सन्दर्भ में देखने के स्थान पर समाज के बृहत संदर्भ में देखा जाता है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है? उसकी सामाजिक, आर्थिक कमजोर स्थिति अपराध के लिए निर्धारक कारक का कार्य करती है। यदि इसे दूर कर दिया जाए तो निश्चित ही व्यक्ति में सुधार हो जाएगा। पाश्चात्य कारागारों में इस दृष्टिकोण को अपनाकर उच्चस्तरीय उपचारात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उदाहरणार्थ– कमजोर शैक्षणिक योग्यताएं, नशावृत्ति की आदतें, बेरोजगारी की स्थिति, सामाजिक पृथकीकरण, कमजोर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य आदि ऐसे मुख्य सामाजिक संदर्भ हैं जिनके दबाव में आकर व्यक्ति अपराध करता है, विशेष तौर पर भारतीय कारावासों में यदि बन्दियों की सामाजिक व आर्थिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो यह दृष्टिकोण तर्कसंगत प्रतीत होता है। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को व्यवहार, प्रवृतियां, विश्वास एवं मूल्यों का समग्र बताया है। व्यक्ति का व्यक्तित्व यह सुनिश्चित करता है कि हम किस प्रकार अपने वातावरण के साथ

सामंजस्य करते हैं। कोई दो व्यक्ति कभी भी एक जैसे व्यक्तित्व के नहीं हो सकते। प्रत्येक व्यक्ति समान परिस्थितियों में अपनी ही तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व सम्पूर्ण जीवनकाल में विकसित होता रहता है। विभिन्न प्रकार की प्रवृतियां, गहनता के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। कुछ आदतें समय के अनुसार बदलती हैं और कुछ आदतें समय व आयु के अनुसार गहरी होती जाती हैं। व्यक्ति विकास बचपन में स्पष्ट दिखाई देता है जबकि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के दौर से गुजरता है। युवावस्था में व्यक्तित्व के गुण तुलनात्मक दृष्टि से धीमी गति से परिवर्तित होते हैं फिर भी प्रत्येक व्यक्ति में परिवर्तन के लक्षण भिन्न होते हैं। समाजशास्त्रियों में व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवहार को लेकर सदैव से मतभिन्नता रही है। कुछ समाजशास्त्रियों का मत है कि वंशानुक्रमण से कुछ विशेषताएं व्यक्ति के व्यक्तित्व में शारीरिक तौर पर हस्तांतरित होती हैं, जबकि कुछ समाजशास्त्री व्यक्तित्व को पूरी तरह से सामाजिक वातावरण व सम्पर्क की देन मानते हैं। सी.एच.कूले, मीड्स आदि समाजशास्त्री व्यक्ति को सामाजिक वातावरण और सामाजिक सीख की देन मानते हैं।

बन्दियों का वर्गीकरण – नियम 49 बन्दी सुधार की दिशा में वैज्ञानिक दृष्टि से बन्दियों को वर्गीकृत करने की अनुशंसा करता है जिससे कोई भी आदतन अपराधी प्रथम अपराधी को एक अपराधी न बना सके। यदि राष्ट्रीय अपराध लेखागार, नई दिल्ली के आंकड़े देखें तो हम पाएंगे कि अधिकतर अपराधी प्रथम अपराधी हैं जबकि बहुत कम आदतन अपराधी हैं तृतीय बार कारागार आने वाले अपराधी ही वास्तव में आदतन अपराधी हैं। अतः कारागार प्रशासन को सुधार की दिशा में सर्वप्रथम पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा निर्मित आदर्श जेल मैन्युअल, 2003 के नियम 49 के अनुसार बन्दियों का वैज्ञानिक श्रेणीकरण करना चाहिए।

तालिका क्रमांक 2.1

भारत में पुनर्अपराधिता

क्रमांक	वर्ष	एक बार	दो बार	तीन बार या अधिक
1.	2003	1,38,596	41,133	14,701
2.	2004	2,19,691	44,458	13,855

3.	2005	1,67,379	50,306	16,532
4.	2006	173,421	44ए303	14,453
5.	2007	1,74,008	49,617	15,134

स्रोतः क्राइम इन इंडिया, 2007

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि प्रथमतः अपराधी प्रत्येक वर्ष में 2003 से लेकर 2007 तक कमोवेश एक ही स्तर पर रहे हैं। विगत पांच वर्ष के आंकड़ों का यदि अध्ययन करें तो यह स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ष में सर्वाधिक प्रथमतः अपराधी, द्वितीय क्रम पर दूसरी बार अपराध करने वाले व्यक्ति तथा तीसरी बार अपराध करने वाले व्यक्ति तीसरे क्रम पर हैं और इनकी संख्या प्रति वर्ष समान परिदृश्य उपस्थित करती है। उपरोक्त तालिका में प्रथमतः अपराध करने वाले व्यक्तियों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है किन्तु द्वितीय एवं तृतीय बार अपराध करने वालों की संख्या में आंशिक परिवर्तन ही है। इसी संख्या को मद्देनजर रखते हुए आदर्श जेल मैन्युअल, 2003 के नियम 49 के अनुसार बन्दियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण समाज वैज्ञानिकों एवं व्यवहारविदों ने अनुशंसित किया है। महिला बन्दियों को पृथक कारागार में रखने की अनुशंसाएं माननीय जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा की गईं। यदि वर्तमान में पृथक कारागार उपलब्ध नहीं हैं तो महिलाओं को पृथक भवन में रखकर उनकी सुरक्षा एवं सुधार का कार्य महिला कर्मचारी एवं अधिकारियों द्वारा किए जाने के निर्देश दिए गए, जिसका प्रायः सभी राज्यों में पालन हो रहा है। महिला बन्दियों को किसी भी प्रकार के शोषण का सामना नहीं करना पड़े, इस बात के भी विधिवत उपाय किए जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय में आर.डी.उपाध्याय विरुद्ध आन्ध्रप्रदेश राज्य के विरुद्ध एक याचिका में महिला बन्दियों एवं उनके साथ रह रहे बच्चों की देखभाल व समाजीकरण के विषय में विस्तृत अनुशंसाएं की गई हैं जिसमें बच्चों की देखभाल के साथ महिला बन्दियों के सुधार एवं पुनर्वास पर अत्यधिक बल दिया गया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा इस विषय में एक राष्ट्रीय स्तर का शोध कार्य करवाया गया जिसमें यह पाया गया कि आज भी महिला बन्दियों व उनके बच्चों के लिए जो अनुशंसाएं की गई हैं, वे गुणात्मक तरीके से लागू नहीं हो पाई हैं।

आदर्श जेल मैन्युअल 2003 के नियम 58 के अनुसार एक श्रेणीकृत सुरक्षा बनाने के भी निर्देश कारागार प्रशासन को दिए गए हैं जिसमें विशेष सुरक्षा संस्थाओं में बन्दियों के सुधार की प्रगति के अनुसार रखने के निर्देश दिए गए हैं, अर्थात् जैसे–जैसे बन्दी में सुधार आता जाए, वह अलग संस्थाओं में रखा जाए जिससे वह किसी भी

प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त रह सके। नियम 59 में इस बात की अनुशंसा की गई है कि एक बन्दी, प्रवेश के दौरान मानवीय गरिमा के साथ व्यवहृत हो जिससे वह कारावास के दौरान मानवीय गरिमा का महत्व जान सके। मानवीय गरिमा के साथ कारावास में प्रवेश के दौरान ही बन्दी के अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। यद्यपि यह प्रक्रिया पूर्व से ही जेल मैन्युअल में संदर्भित की गई है किन्तु कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण एवं संख्या के अभाव में बन्दी को प्रवेश के दौरान मानवीय गरिमा के ठीक विपरीत एक नकारात्मक शुष्कता का वातावरण मिलता है। आदर्श जेल मैन्युअल 2003 के अनुसार प्रवेश के तुरन्त पश्चात बन्दियों को पृथक रखकर उनके व्यवहार का अवलोकन करना चाहिए। सुधार की प्रक्रिया यहीं से प्रारम्भ होती है।

कारागारों में शैक्षणिक गतिविधियां – प्रत्येक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में बन्दियों को शिक्षा देने पर बल दिया गया है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जहां एक ओर यह व्यक्तियों को बुराइयों से लड़ने की सीख देती है वहीं उसे आत्मशक्ति भी देती है। इसीलिए भारतीय जेलों में औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की पत्र–पत्रिकाएं, ग्रन्थालय आदि उपलब्ध हैं जिससे कि बन्दी अपराध के पूर्व जीवन में यदि शिक्षित न हो सका है तो वर्तमान कारावास के दौरान शिक्षा प्राप्त कर एक अनुशासन प्रिय नागरिक बन सके। विभिन्न शिक्षाविद एवं समाजशास्त्रियों के मतानुसार यदि व्यक्ति शिक्षित है तो वह व्यक्तिगत एवं सामाजिक विघटन में कम संलग्न होगा। सामाजिक दबाव बहाव बन कर उसे बहा नहीं पाएंगे। इस विषय में गेराल्ड जी. गैस, 2008 ने अपने शोध–पत्र कारागारों में शिक्षा योजना एवं रिहाई के पश्चात इसका प्रभाव विषय पर अपने एक शोध–पत्र में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि ''मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि सुधारात्मक प्रशासन में जो शिक्षा दी जाती है वह जहां एक ओर बन्दियों का सुधार करती है वहीं अपराध पुनरावृत्ति को रोकने के अवसरों को विकसित करती है। कुछ अन्य शिक्षाविद जैसे कि जॉन डेवी, 1916 के अनुसार, शिक्षा बन्दियों में नैतिकता का विकास करती है। हॉरर, 1995 तर्क देते हैं कि कारागारों मे दी गई शिक्षा पूर्व दूषित सामाजीकरण के स्थान पर सामाजिक जीवन की सीख और पुनर्सामाजीकरण बन्दियों में विकसित करती है। हॉरर कारावास के नकारात्मक प्रभाव के विरुद्ध कारावास शिक्षा को सामान्यीकरण की प्रक्रिया मानते हैं।

वर्तमान में भारतीय कारावासों में 1,20,115 दोषसिद्ध बन्दियों में से 36,421

दोषसिद्ध बन्दी अशिक्षित हैं। 52,834 बन्दी दसवीं तक शिक्षित हैं। यह दो श्रेणियां समस्त दोषसिद्ध बन्दियों की 74.3 प्रतिशत संख्या प्रतिनिधित्व करती हैं, मात्र 25.7 प्रतिशत दोषसिद्ध बन्दी बाहरवीं, स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की शैक्षणिक योग्यताएं रखते हैं। इसी प्रकार 2,50,727 विचाराधीन बन्दियों में से 88,312 बन्दी अशिक्षित हैं एवं 1,08,642 दसवीं तक शिक्षित हैं अर्थात 78.5 प्रतिशत बन्दियों को औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है। पांच प्रमुख राज्य उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं बिहार वे राज्य हैं जहां अशिक्षित बन्दियों की सर्वाधिक संख्या है। उत्तरप्रदेश में मात्र 6500 अशिक्षित बन्दी परिरुद्ध हैं, मध्यप्रदेश में 4906, गुजरात में 2525, बिहार में 1885 एवं महाराष्ट्र में 1678 बन्दी परिरुद्ध हैं। यदि हम पुनर्अपराधिता के आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो निश्चित ही ये ही वे राज्य हैं जहां रोज़गार एवं कौशल के अभाव में बन्दी पुनः अपराधिता की ओर प्रवृत्त होंगे।

यद्यपि उत्तरप्रदेश में मात्र 922 सर्वाधिक स्नातक परिरुद्ध हैं। इसके पश्चात मध्यप्रदेश में 573 एवं झारखण्ड में 528, इसी प्रकार स्नातकोत्तर दोषसिद्ध बन्दी सर्वाधिक उत्तरप्रदेश 330 हैं। वहीं इन बन्दियों की संख्या मध्यप्रदेश में 149, छत्तीसगढ़ में 148 व राजस्थान में 121 है। विचाराधीन बन्दियों में भी शिक्षित बन्दियों का कम या अधिक इसी प्रकार का वितरण देखने को मिलता है।

प्रायः प्रत्येक राज्य में बन्दियों की सुधारात्मक प्रक्रिया में शैक्षणिक गतिविधियां सर्वाधिक हैं। समस्त राज्यों में बन्दियों के लिए प्राथमिक शिक्षा, मुक्त विद्यालय एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए भी शिक्षा के उचित प्रबन्ध किए गए हैं। कारागार प्रशासन के ही शिक्षक भर्ती किए हैं जो बन्दियों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। यहां तक कि बन्दी महिलाओं के साथ परिरुद्ध छः वर्ष से कम उम्र के बालक–बालिकाओं को भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है जिससे बन्दियों की बहुत बड़ी संख्या जो कारावास में आने के पूर्व अशिक्षित होती है, शिक्षित हो जाती है।

महाराष्ट्र की ही तरह मध्यप्रदेश कारागारों में भी महिला एवं पुरूष बन्दी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प हैं। मध्यप्रदेश कारागारों में बन्दी परम्परागत शिक्षा के अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा एवं उच्च व्यावसायिक शिक्षा उपाधियां प्राप्त कर रहे हैं। निम्नलिखित तालिका मध्यप्रदेश में संचालित बन्दी सुधार कार्यक्रमों के परिदृश्य को प्रदर्शित करती है।

तालिका क्रमांक 2.2

मध्यप्रदेश कारागारों में शिक्षा का परिदृश्य					
क्र.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पुरूष	महिला	कुल बन्दी
1.	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा (महाराष्ट्र) द्वारा	प्राथमिक कक्षा प्रांरभिक कक्षा प्रवेश कक्षा	32 05 24	06 01	
2	सर्वशिक्षा अभियान मध्यप्रदेश शासन) द्वारा सर्वशिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा	सम्पूर्ण सत्र	45	03	116
3	मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम	एम.बी.ए.पाठ्यक्रम एम.बी.ए.प्रथम वर्ष एम.बी.ए.द्वितीय वर्ष एम.बी.ए.तृतीय वर्ष डी.सी.ए.	 11 10 12		33
4	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय शैक्षणिक पाठ्यक्रम	बी.ए.प्रथम वर्ष बी.ए.द्वितीय वर्ष बी.ए.तृतीय वर्ष एम.ए.प्रथम वर्ष एम.ए.द्वितीय वर्ष	01 03 08 04		16
5	प्राचीन कला केन्द्र चण्डीगढ़ संगीत विश्वविद्यालय चण्डीगढ द्वारा पाठ्यक्रम संगीत, गायन, वादन,चित्रकला	गायन प्रथम वर्ष गायन द्वितीय वर्ष गायन अंतिम वर्ष वादन प्रथम वर्ष प्रथम द्वितीय वर्ष प्रथम अंतिम वर्ष चित्रकला प्रथम वर्ष चित्रकला द्वितीय वर्ष चित्रकला अंतिम वर्ष	17 03 09 01 01 03 14 04 23		125
6	लोकशिक्षण संचालनालय	प्रथम सत्र	40		40

	(मध्यप्रदेश शासन)द्वारा शीघ्र लेखन, मुद्रलेखन	द्वितीय सत्र		
7	निर्माण उद्योग विकास परिषद् त्रिवर्षीय अभियांत्रिकी डिप्लोमा कोर्स	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष अंतिम वर्ष	150	150
8	इंदिरा गांधी मुक्त वि.वि. द्वारा उच्च एवं उच्चतर पाठ्यक्रम	वी.पी.पी.कोर्स	195	195
9	अन्य कोर्स			

स्रोत : मध्यप्रदेश कारागार, 2010

मध्यप्रदेश कारागारों में निर्माण उद्योग विकास परिषद् द्वारा संचालित त्रिवर्षीय अभियांत्रिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 150 बन्दी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसी प्रकार इंदिरा गांधी मुक्त वि.वि. द्वारा उच्च एवं उच्चतर पाठ्यक्रम में 195 बन्दी वी. पी.पी.कोर्स के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मध्यप्रदेश भोज (मुक्त)विश्वविद्यालय द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम एम.बी.ए. के अन्तर्गत 33 बन्दी उपाधि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पुरूष बन्दी एवं महिला बन्दी विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश कारागारों में उत्तरप्रदेश के पश्चात सर्वाधिक अशिक्षित बन्दी अर्थात् भारतीय कारागारों के 28 प्रतिशत अशिक्षित बन्दी मध्यप्रदेश के कारागारों में परिरुद्ध हैं जो अशिक्षित बन्दियों की एक बहुत बड़ा प्रतिशत निर्मित करते हैं। ऐसी स्थिति में कुल मात्र 706 बन्दी शिक्षारत हैं जो कि अत्यन्त अपर्याप्त है।

छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश कारागारों की तरह तिहाड़ जेल नई दिल्ली में भी बन्दियों के सुधार हेतु शैक्षणिक सुविधाएं उच्चस्तर पर उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से बन्दियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी बन्दियों को शिक्षित कर रहे हैं।

तालिका क्रमांक 2.3

दिल्ली कारागारों में शिक्षा का परिदृश्य		
क्र.	शिक्षा का स्तर	बन्दियों की संख्या
1.	प्राथमिक शिक्षा	1172

2.	प्रौढ़ शिक्षा	1070
3.	उच्च शिक्षा	261
4.	कम्प्यूटर शिक्षा	151
	कुल	**2654**

स्रोत : तिहाड़ जेल, नई दिल्ली

तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में बन्दियों के अध्ययन के लिए एक उच्चस्तरीय वाचनालय एवं ग्रन्थालय भी है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी विभिन्न व्यावसायिक एवं शैक्षणिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जहां विभिन्न श्रेणी के बन्दी अध्ययन कर रहे हैं।

प्रायः प्रत्येक राज्य में शिक्षा के उचित अवसर बन्दियों को मिल रहे हैं जिससे कि वह शिक्षित होकर एक अनुशासित व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तित होकर कारावास से बाहर निकलें जिससे कि वे समाज की मुख्य धारा में पुनर्वासित हो सकें।

भारतीय कारावासों में नैतिक शिक्षा एवं धार्मिक शिक्षा – आदर्श जेल मैन्युअल अध्याय 13 नियम 13.25 में बन्दियों की अपराधिता की प्रवृत्तियों को तथा अपराध की घटना को मन मस्तिष्क से हटाने के लिए ध्यान उपचार की तरह उपयोग करने की सलाह दी गई है जिससे वे अपना अतीत भूल सकें। साफ–सुथरे मन और मस्तिष्क व प्रवृत्तियों के अनुशासन के लिए भारतीय कारागारों में नियमानुसार योगा, विपासना एवं जीवन जीने की कला जैसी शिक्षा प्रदान की जा रही है। विभिन्न प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाएं एवं स्वयं कारागार प्रशासन आपसी समन्वय से बन्दियों में नैतिक शिक्षा एवं अनुशासित जीवन की रूपरेखा बनाने में सफल हो रहे हैं। 1994 में तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में विपासना ध्यान कैम्प आयोजित किया गया जिससे लगभग 1000 बन्दी लाभांवित हुए तब से एक विपासना केन्द्र की स्थापना हो चुकी है जिसमें नियमित 10–10 दिन के दो कैम्प आयोजित किए जाते हैं। इसी केन्द्र में 1998 में पेगोडॉज़ ध्यान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। बन्दियों के साथ–साथ कारावास कर्मचारी एवं अधिकारियों को भी इस ध्यान प्रकोष्ठ का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ईश्वरीय विद्या पीठ ब्रम्ह्कुमारी आश्रम के द्वारा बन्दियों को आध्यात्मिक ज्ञान देकर सुधार का प्रयास किया जाता है जिससे अनेक बन्दियों ने अपनी सोच का समग्र तरीका बदल दिया। इसी प्रकार प्रत्येक धर्म का आदर करने की आदत का बीजारोपण करने के लिए भारतीय कारागारों में प्रत्येक धर्म से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं जिससे बन्दियों में व्यक्तिकरण के साथ–साथ सामूहिकता की भावना का विकास हो सके। उनमें इस भावना का विकास हो कि यदि वे अपने धर्म का आदर करते हैं तो समाज के अन्य व्यक्ति भी

अपने धर्म और रीति–नीतियों का आदर करते हैं। व्यक्ति को सभी के धर्मों का सम्मान करना होगा तभी समाज में सामन्जस्य स्थापित हो सकता है। भारतीय कारागारों में दीपावली, रक्षाबन्धन, होली, ईद, मोहर्रम, क्रिसमस आदि सभी त्योहार के आयोजन कर बन्दियों के समक्ष सामाजिक सामन्जस्य का आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार भारतीय कारागारों में नैतिक व धार्मिक शिक्षा के द्वारा बन्दी सुधार किया जा रहा है। इस प्रकार का सुधार अप्रत्यक्ष तौर पर बन्दी का पुनर्सामाजीकरण कर उन्हें स्वस्थ विचार प्रदान करता है जिससे रिहाई के पश्चात वे समाज में सामाजिक समायोजन में सफल रहते हैं।

व्यायाम एवं शारीरिक शिक्षा – बन्दी सुधार के लिए प्रायः प्रत्येक जेल सुधार समिति, आदर्श जेल मैन्युअल 2003, राष्ट्रीय कारागार नीति, बन्दियों के मानक न्यूनतम उपचार नियम सभी ने व्यायाम एवं शारीरिक शिक्षा की अनुशंसा की है। आज भारतीय कारागारों में बन्दियों के लिए योगा जैसे व्यायाम से लेकर क्रीड़ा गतिविधियों की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। सी.एच. कूले ने सामाजीकरण में खेलकूद के समूह एवं व्यायाम का व्यापक महत्व बताया है। तमिलनाडु कारागार प्रशासन भी योगा के माध्यम से बन्दियों के बीच शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता के द्वारा सुधार लाने का प्रयास कर रहा है। तमिलनाडु कारागार प्रशासन में विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाएं हैं उदाहरणार्थ –

- ईशा फाउण्डेशन सहज योग कार्यक्रम, कोयम्बटूर
- विपासना योग मावुत्थान सेवा समिति विपेरी, चेन्नई
- मग्याऋषि योगा सेन्टर, माजाकुप्पम, कुढालोरे
- परियोजना अधिकारी, नशामुक्ति केन्द्र कुढालोरे
- प्रजापति ब्रम्हकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कुढालोरे
- वियाकुटू विकास केन्द्र, पोलाची
- ब्रम्हकुमारी, चेन्नई
- वियाकुटी विकास केन्द्र, चेन्नई

तमिलनाडु कारागार प्रशासन में भी कई प्रकार की क्रीड़ा गतिविधियां संचालित होती हैं। इसके अतिरिक्त नियमित व्यायाम द्वारा भी बन्दियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है जिससे बन्दी स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से जूझने के स्थान पर अपना समय सृजनात्मक कार्यों में लगाता है। निम्न चित्र तमिलनाडु कारागार प्रशासन का है जिसमें बन्दीगण व्यायाम की मुद्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

तमिलनाडु कारागार प्रशासन की तरह मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय,

मिजोरम, नगालैण्ड, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आदि राज्यों में बन्दियों के लिए विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिससे कि वे यह भूल सकें कि उनके द्वारा कोई अपराध हुआ है एवं भविष्य में पुनर्सामाजीकृत होकर समाज की मुख्य धारा में समाहित हो सकें।

सांस्कृतिक शिक्षा एवं बन्दियों का सुधार – सुधार के अन्य प्रयासों के साथ–साथ भारतीय कारागार प्रशासन सुधार की प्रत्येक विधा को अपना रहा है। आदर्श जेल मैन्युअल 2003 के अनुसार बन्दियों के सुधार में सांस्कृतिक शिक्षा का भी अपना महत्व है। प्रायः प्रत्येक राज्य के कारागारों में चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिससे बन्दियों की प्रदर्शन की मूल प्रवृत्ति को संतुष्टि का भाव मिल सके। बन्दियों की अन्य कला प्रियता जैसे कि गायन, नृत्य, वाद्य यंत्रों का वादन, वाद–विवाद, भाषण आदि विधाओं को भी कारागार प्रशासन के माध्यम से स्थानीय तौर पर प्रोत्साहन मिलता है। कोलकाता की बहरामपोर कारागार के 17 दोषसिद्ध बन्दियों के समूह ने कला केन्द्र अकादमी के एक आयोजन में भाग लिया एवं दर्शकों को अपने नृत्य से मंत्रमुग्ध कर दिया। 26 वर्षीय बुद्धादेव जीते जो कि अपने चाचा की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, ने कला के माध्यम से स्वयं में आए सुधार के बारे में अपने विचार व्यक्त किए कि मैंने जब–जब कोई प्रस्तुति दी मैं यह भूल गया कि मैं आजीवन कारावास का कोई बन्दी हूं। बन्दियों के इस समूह ने पांच प्रस्तुतियां दी हैं। इसी समूह ने नवम्बर 2008 में दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन किया। कला इन बन्दियों को अच्छा इन्सान बनने के लिए प्रेरित करती है।

कोलकाता कारागार प्रशासन जैसे ही भारतीय कारागारों में अनेक उदाहरण हैं जो कि इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि मात्र दूषित सामाजीकरण ही व्यक्ति को अपराधी बनाता है। मध्यप्रदेश केन्द्रीय कारागार भोपाल, में कारागार प्रशासन द्वारा एक गुड़िया केन्द्र संचालित किया जाता है, जहां बन्दी सुन्दर गुड़िया बनाकर अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। जेल अधिकारियों द्वारा इसी कला को व्यावसायिक कौशल में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। केन्द्रीय कारागार, भोपाल मध्यप्रदेश में बन्दियों द्वारा संचालित आर्केस्ट्रा पार्टी भी है जो किसी भी अन्य व्यावसायिक आर्केस्ट्रा पार्टी से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ जेल प्रशासन में भी सांस्कृतिक शिक्षा के माध्यम से बन्दियों को सुधारा जा रहा है। उत्तरप्रदेश की खुली जेलों में भी बन्दियों को सुधार के पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं जिससे खुली जेल के वातावरण में बन्दी अपनी

आपराधिता को भूलकर स्वतंत्रता के साथ रह सकें।

व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से बन्दियों में सुधार – भारतीय कारागारों में बन्दियों की जनसंख्यात्मक विशेषताओं पर दृष्टि डालने पर तथ्य स्पष्ट करते हैं कि 78 प्रतिशत बन्दी अशिक्षित एवं मात्र 10 वीं कक्षा तक शिक्षित हैं। यद्यपि कारागारों में परिरुद्ध बन्दियों का आर्थिक सर्वेक्षण नहीं हुआ है किन्तु द्वितीयक तथ्यों से यह बात स्पष्ट है कि 75 प्रतिशत बन्दी कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं। बन्दियों की आयु वर्ग से भी यह बात स्पष्ट है कि एक बहुत बड़ा प्रतिशत 18 से 30 एवं 31 से 50 आयु वर्ग के बन्दियों का है। अधूरी शिक्षा, कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि एवं युवा आयुवर्ग तीनों ही कारक बन्दियों की व्यावसायिक शिक्षा की महत्वता को स्पष्ट करते हैं। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी इस बात की अनुशंसा करते हैं कि प्रत्येक बन्दी व्यावसायिक दृष्टि से इस स्तर पर प्रशिक्षित किया जाए कि वह रिहाई के पश्चात बिना किसी कार्यकौशल के पुनः आपराधिता की ओर प्रवृत्त न हो।

भारतीय कारागार प्रशासन के प्रायः प्रत्येक कारागार में किसी न किसी प्रकार के व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जहां एक ओर इन व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से बन्दी आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने के अवसर प्राप्त कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कारावास की अवधि का सृजनात्मक उपयोग कर अपेक्षित सुधार का भी लाभ ले रहा है। साबरमती केन्द्रीय कारागार, गुजरात के बन्दी एक स्वादिष्ट सुस्वाद पकौड़े की दुकान संचालित कर रहे हैं जिससे कारागार प्रशासन को जहां एक ओर आर्थिक दृष्टि से बड़ा लाभ मिल रहा है वहीं बन्दियों में आत्मविश्वास आता जा रहा है कि वे रिहाई के पश्चात इसी प्रकार का कोई व्यवसाय कर सकेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य का पुनर्वालोकन से भी व्यावसायिक शिक्षा का महत्व स्पष्ट होता है। व्यावसायिक शिक्षा जहां एक ओर बन्दी को पुनर्वासित करती है वहीं दूसरी ओर उसके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करती है। साथ ही पुनर्अपराधिता के मार्ग से भी बन्दियों को दूर रखती है (गरबर एण्ड फ्रिच,1995) अन्य असंख्य शोध भी व्यावसायिक शिक्षा के सकारात्मक प्रभावों का वर्णन करते हैं। उच्चस्तरीय रोजगार के अवसर के साथ गिरफ्तारी दर निम्न होती है। (हॉरर, 1994: गिल्स एण्ड एसोसिएट्स,1998:गार्डन एण्ड वेल्डन, 2003) संयुक्त राष्ट्र के तीन प्रमुख देशों पर आधारित एक अध्ययन (स्ट्यूरर, स्मिथ एवं ट्रेसी, 2001) ने पाया कि व्यावसायिक शिक्षा बन्दियों में पुनर्अपराधिता की दर को निम्न कर देती है। रिहाई के पश्चात् बन्दियों को रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करती है। राष्ट्रीय शोध भी व्यावसायिक शिक्षा के महत्व से अछूते नहीं रहे हैं। बन्दियों

के सुधार एवं पुनर्वास में (श्रीवास्तव दीप्ति, 2007) व्यावसायिक प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, किन्तु व्यावसायिक शिक्षा स्थानीय बाजार की मांग के अनुसार होनी चाहिए। (सेवनिस,1958) ने व्यावसायिक शिक्षा को जहां एक ओर पुनर्वास का एक माध्यम माना है वहीं कारावास की अवधि का उचित उपयोग भी माना है। रिहाई के पश्चात सामाजिक पुनर्वास हेतु व्यावसायिक शिक्षा कारागार प्रशासन का एक आवश्यक अंग है।(चटोराज,2007)

वर्तमान में भारतीय कारागार प्रशासन में भारत के विभिन्न कारागारों में स्थानीय व प्रादेशिक मांग के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे बन्दियों में कारावास के नकारात्मक प्रभाव के स्थान पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है।

तमिलनाडु कारागार प्रशासन में बन्दियों को निम्नलिखित व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तालिका क्रमांक 2.4 बन्दियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण का विस्तृत विवरण देती है।

- वस्त्र एवं वस्त्र उद्योग
- टेलरिंग
- साबुन बनाना
- फिनाइल बनाना
- बुक बाइंडिंग और हस्तनिर्मित कागज उद्योग
- टेग बनाना
- सील में प्रयुक्त मोम का निर्माण
- जूते बनाना
- एल्युमीनियम
- लोहार का कार्य

तालिका क्रमांक 2.4

तमिलनाडु कारागार प्रशासन में बन्दियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

क्र.	कारावास का नाम	*औद्योगिक इकाई*
1	सेन्ट्रल जेल–1, पज़हल	सीलिंग वेक्स, टग बनाना, बुनाई
2	सेन्ट्रल जेल, ट्रिचे	साबुन का निर्माण, पट्टियों की बुनाई और पट्टियों का

		कपड़ा ऊनी कम्बल, किताबों की बाइंडिंग और फाइलों का निर्माण।
3	सेन्ट्रल जेल, मदुरई	हाथ से बना कागज, बुनाई,फाइल कवर बनाना आदि
4	सेन्ट्रल जेल, वैल्लोर	जूते बनाने का उद्योग, पट्टियों की बुनाई, बाइंडिंग, फाइलों का निर्माण।
5	सेन्ट्रल जेल, सेलम	एल्युमिनियम उद्योग, लोहे के सामान का उद्योग, हाथ से बना कागज, फाइलों का निर्माण एवं बाइंडिंग।
6	सेन्ट्रल जेल, कोयम्बटूर	बुनाई टेलरिंग, किताबों की बाइंडिंग हस्तकरघा, हाथ कालीन, बरसाती, मच्छरदानी, दोषसिद्ध बन्दियों के वस्त्र, गणवेश के वस्त्र एवं फाइलों का निर्माण।
7	सेन्ट्रल जेल, कुड्डालोरे	पट्टियों का कपड़ा।
8	सेन्ट्रल जेल,पलयम चोटाई	हाथ से बना कागज, पट्टियों का कपड़ा, फाइल का निर्माण।
9	विशेष महिला कारावास, वेल्लोर जेल	धागा, पट्टियां एवं टेप का निर्माण।

स्रोत : तमिलनाडु कारागार प्रशासन

उपरोक्त कार्यों के लिए बन्दियों को निम्नलिखित दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

- कुशल श्रमिक–60.00 रूपए प्रति दिन
- अर्द्धकुशल श्रमिक–50.00 रूपए प्रतिदिन
- अकुशल श्रमिक–45.00 रूपए प्रतिदिन

बन्दियों द्वारा अर्जित पारिश्रमिक 50 प्रतिशत बन्दियों के रख–रखाव आदि के लिए कटौती की जाती है। 20 प्रतिशत पीड़ित सांत्वना राशि के लिए कटौती की जाती है एवं शेष 30 प्रतिशत राशि बन्दी के खाते में जमा की जाती है। तमिलनाडु प्रशासन की तरह छत्तीसगढ़ कारागार प्रशासन में भी विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। बन्दियों द्वारा एक पेट्रोल पम्प संचालित किया जाता है, जिसमें आजीवन कारावास काट रहे बन्दी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आश्चर्यजनक किन्तु चकित करने वाली बात यह है कि यह पेट्रोल पम्प केन्द्रीय जेल, रायपुर के मुख्य द्वार पर ही है किन्तु व्यवसाय मनोविज्ञान के अन्तर्गत यह दोषसिद्ध बन्दी अपने कार्य पर इतनी अधिक एकाग्रता रखते हैं कि छत्तीसगढ़ में आज तक इन दोषसिद्ध बन्दियों में से किसी भी बन्दी के भगौड़ेपन की कोई घटना नहीं हुई। रायपुर केन्द्रीय जेल व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से सुधार

का ज्वलंत उदाहरण है। इसी प्रकार रायपुर केन्द्रीय जेल में बन्दियों द्वारा मुगौड़े की दुकान संचालित की जाती है जो अपने स्वादिष्ट मुगौड़ों की वजह से सम्पूर्ण शहर प्रसिद्ध है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में दोषसिद्ध बन्दियों द्वारा डेम का निर्माण किया गया है।

तिहाड़ जेल, नई दिल्ली ने बन्दियों में व्यावसायिक शिक्षा के नए आयाम छुए हैं। यहां विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षणों के माध्यम से बन्दियों को प्रशिक्षित किया जाता है जिनमें से प्रमुख निम्नानुसार हैं–

- **बुनाई प्रभाग –** प्रारम्भ में यह प्रभाग मात्र मूलभूत बुनाई के कार्य बन्दियों को सिखाती थी। जहां जेल कर्मचारियों के गणवेश एवं दोषसिद्ध बन्दियों के वस्त्र बनाए जाते थे किन्तु धीरे–धीरे आज यह प्रभाग चादरें, अच्छे सफेद वस्त्र, दस्ती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, हस्तकरघा वस्त्र आदि बनाता है। नई तकनीक का भी बन्दियों को परिचय देकर नए स्वचलित करघे के माध्यम से बुनाई सिखाई जाने लगी, जिससे बन्दी कुशल तौर पर बुनाई के कार्य को सीख सकें। केवल बुनाई ही बन्दियों को नहीं सिखाई जाती है वना लूम की मशीनों को किस प्रकार रखा जाए, उन्हें सुधारा किस प्रकार जाए आदि कौशल भी बन्दियों को सिखाए जाते हैं जिससे बन्दियों में यह आत्मविश्वास है कि वे रिहाई के पश्चात् इस प्रकार के कार्य कर जीविकोपार्जन कर सकेंगे। आज न केवल बन्दी, बुनाई केवल कारागार के लिए कर रहे हैं वरन दिल्ली शासन के विभिन्न सरकारी विभागों की मांग पूर्ति भी कर रहे हैं (शासकीय वेबसाइट दिल्ली कारागार, 2007)
- **बढ़ई प्रभाग–** यह प्रभाग प्रारम्भ में बहुत ही छोटे स्तर पर लकड़ी से बनने वाली वस्तुओं का प्रशिक्षण बन्दियों को देता था। धीरे–धीरे तिहाड़ जेल का बढ़ई प्रभाग विद्यालयों में टेबिल–कुर्सी प्रदाय करने लगा। धीरे–धीरे आज यह उद्योग जेल उद्योगों का गौरव बनकर दिल्ली एवं दिल्ली के आस–पास विद्यालयों में प्रमुख रूप से विद्यालय फर्नीचर प्रदाय करने का प्रमुख निकाय बन गया है। 2007 में 10000 डबल डेस्क विद्यालयों में प्रदाय की गई किन्तु फिर भी फर्नीचर की पूर्ति नहीं हो पाई। आश्चर्यजनक विकास बिन्दु यह है कि 23500 डबल डेस्क की और अधिक मांग की गई। इस प्रभाग में 350 बन्दी संलग्न हैं तथा इस प्रभाग द्वारा और अधिक दोषसिद्ध बन्दियों को कार्य में संलग्न करने की मांग की गई है।
- **रसायन प्रभाग–** इस प्रभाग में बन्दियों को साबुन फिनाइल, तेल आदि

बनाने की मूलभूत क्रियाएं सिखाई जाती हैं। यह समस्त निर्मित वस्तुएं कारागार के अन्दर ही उपयोग की जाती हैं। सरसों का तेल अवश्य बाजार में विक्रय किया जाता है। इसकी इतनी अधिक मांग है कि इसके लिए कारागार प्रशासन को खुली निविदाएं आमंत्रित करनी पड़ती हैं।

- **कागज इकाई –** इस इकाई में बन्दी कागज बनाना तथा कागज से बनी हुई कलाकृतियां आदि का निर्माण सीखते हैं जिसे वे रिहाई के पश्चात जीविकोपार्जन के लिए उपयोग कर सकते हैं। कागज के विभिन्न प्रकार के थैले, आकर्षक कागज के थैले, फाइल कवर, फाइल फोल्डर, लिफाफे, मून रॉक पेपर, संगमरमर के कागज, कार्डबोर्ड पेपर आदि बनाने का प्रशिक्षण भी इस इकाई में दिया जाता है। यह इकाई कारागार, प्रशासन में उपयोग आने वाली विभिन्न प्रकार की स्टेशनरी आदि भी बनाती है कारागार प्रशासन के कार्य में आता है।

तिहाड़ कारागार की तरह देश के अन्य कारागारों में भी विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। कर्नाटक कारागार प्रशासन बन्दियों को स्थानीय मांग के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर सुधार के कार्य में संलग्न है। कारागार अधिकारी बन्दियों के शैक्षणिक स्तर के अनुरूप विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। कर्नाटक कारागार में परिरुद्ध दोषसिद्ध बन्दी ट्यूबवेल पाइप एवं स्नानागार के उपयोग की विभिन्न वस्तुएं निर्मित कर रहे हैं। इसी प्रकार अन्य उद्योग प्रशिक्षण जैसे कम्प्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक, नर्सिंग, आदि का प्रशिक्षण बन्दियों को दिया जा रहा है। इसीलिए सुधार की अपार संभावनाएं कर्नाटक करागार में दिखाई देती हैं। कारागार प्रशासन द्वारा उद्योग विभाग से सामंजस्य बनाकर बन्दियों की रिहाई के पश्चात रोजगार दिलवाने पर भी कार्य किया जा रहा है।

बन्दियों की एक बहुत बड़ी संख्या बांस की विभिन्न वस्तुएं बनाने का कार्य करने में भी संलग्न है। रिहाई के पश्चात इस प्रशिक्षण का भी अपना एक महत्व है क्योंकि इस उद्योग को कम लागत से भी प्रारम्भ किया जा सकता है अतः बन्दियों को रिहाई के पश्चात निवेश के लिए आर्थिक सहयोग के लिए रूप में अन्य व्यक्तियों पर निर्भर नहीं रहना होगा। वे स्वयं कम लागत से भी इस उद्योग को प्रारम्भ कर सकते हैं।

कृषि, उद्यानिकी एवं औषधीय पौधों की खेती– के ओजीजर, वोलनगिरी एवं भंजानगर एवं उत्तराखण्ड कारागरों में परिरुद्ध विभिन्न प्रकार के बन्दी कृषि उद्यानिकीय एवं औषधीय पौधों की खेती कर एक नए प्रकार का कौशल सीख रहे हैं। इस प्रकार

के उद्योग को राष्ट्र की विभिन्न जेलों में प्रचारित किया जा रहा है जिससे वह भी सुधार की प्रक्रिया में इस प्रकार के व्यवसाय को लागू कर बन्दी सुधार में अंशदान कर सकें। भुवनेश्वर, पुरी, कोरापट, वोलनगिरी, बीजू पटनायक ओपन एयर आश्रम, जामूझरी आदि कारागारों में यह कौशल तीव्रता से अपनाया जा रहा है। औषधीय पौधों की खेती, बीजू पटनायक ओपन एयर आश्रम में 40 एकड़ की जमीन पर की जा रही है। इसके अतिरिक्त एक जैव ईंधन पौधों को भी लगाया जा रहा है। टिस्यू संस्कृति कार्यक्रम भी विभिन्न कारागारों में संचालित किए जा रहे हैं। महिला एवं महिला बाल विकास विभाग के सौजन्य से महिला बन्दियों के लिए केलों को पकाने का उद्योग एक लाभकारी उद्योग का रूप लेता जा रहा है। इस व्यवसाय से महिला बन्दियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की संभावनाओं में वृद्धि हो रही है।

- **बन्दी समूह बैण्ड –** बन्दी समूह बैण्ड का प्रशिक्षण राजस्थान की छः केन्द्रीय कारागारों में दिया जा रहा है। जहां बन्दियों को विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाने का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा निजी पार्टियों में नियत दर पर यह बैण्ड उपलब्ध करवाए जाते हैं। 50 प्रतिशत आय से बन्दी एवं शेष 50 प्रतिशत आय बैण्ड के रखरखाव एवं संचालन, निवेश के रूप में सुरक्षित रखी जाती है।

कुछ अभिनव पहल– उपरोक्त व्यावसायिक शिक्षा के अतिरिक्त भारतीय कारागारों में बन्दी सुधार एवं पुनर्वास की दिशा में भारतीय कारागार प्रशासन ने कुछ अभिनव पहल की है जो प्रशंसा योग्य है। इन अभिनव योजनाओं में से कुछ योजनाएं वर्णित की जा रही हैं–

- राष्ट्रीय नमूना संस्थान के विद्यार्थियों को जेल उद्योग से संलग्न करने के लिए एक अभिनव प्रयास कारागार प्रशासन द्वारा किया गया। इस प्रयास द्वारा छात्रों द्वारा परियोजना प्रतिवेदन में कारागारों उद्योग को भी परियोजना विषय–सूची में सम्मिलित किया गया, इस पहल से राष्ट्रीय नमूना संस्थान के विद्यार्थी, कारागारों के व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़कर अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। ये परियोजनाएं वस्त्र, बढ़ई, चमड़ा उत्पाद, छपाई तथा पुस्तक बाइंडिंग आदि पर ली जा सकेंगी। परियोजनाएं न केवल उत्पाद कार्य की मौलिकता को बताएंगी वरन् उसकी विक्रय संभावनाओं पर भी प्रकाश डालेंगी जिससे किसी कार्य को करने के पूर्व ही उस उद्योग का औचित्य स्पष्ट हो जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय संस्थान का एक दल

अहमदाबाद की साबरमती जेल में निरीक्षण के लिए जा चुका है।

- भारतीय कारागार प्रशासन के अन्तर्गत जेलों में असंख्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं किन्तु उचित मार्गदर्शन के अभाव में इन उत्पादों का सही विक्रय नहीं हो पाता। इस कमी को दूर करते हुए वह पहली बार इस आवश्यकता को समझते हुए भारतीय कारागार प्रशासन ने कारागार उत्पाद का विज्ञापन देने हेतु योजना बनाई है। फ्रेश लाइम सोडा एवं मुद्रा संस्थान जो कि एक निजी विज्ञापन निकाय है, के माध्यम से कारागार उत्पाद को ब्राण्ड उत्पाद के रूप में प्रचारित किया जा रहा है जिससे उत्पाद के विक्रय में कई गुना वृद्धि होने के अवसर होंगे।
- **बाजार रणनीति –** अहमदाबाद कारागार प्रशासन ने बाजार रणनीति भी बनाई है जिसमें कारागार उत्पाद बिग बाजार जैसे– व्यापारियों द्वारा विक्रय करने की योजना पर अमल करने जा रहा है। मॉल्स में एक पृथक से ऑउटलेट भी कारागार के उत्पाद के लिए निश्चित किया जा रहा है जिससे संभ्रान्त वर्ग में भी कारागार उत्पाद दखल कर सकेगा। भारतीय प्रबन्ध संस्थान अहमदाबाद भी इस परियोजना को अपने कौशल से तैयार करने के लिए सहयोग प्रदान कर रहा है।
- **बन्दी कौशल –** बन्दियों के कौशल को निखारने भारतीय उद्यमिता संस्थान, गांधीनगर द्वारा यह प्रयास किए जा रहे हैं कि उद्यमिता कौशल की दृष्टि से किस प्रकार बन्दियों के कौशल को निखारा जाए। इस कार्य के द्वारा बन्दियों के कौशल को चिन्हित व विकसित किया जा सकेगा।
- **स्व–सहायता समूह का निर्माण –**उपरोक्त अभिनव प्रयोगों के अतिरिक्त कारागार प्रशासन ने बन्दियों के सुधार हेतु स्व–सहायता समूह के रूप में एक और अभिनव पहल की है। प्रशासन ने बन्दियों की आर्थिक गतिविधियों को चिन्हित करते हुए बन्दियों के समूह बना दिए हैं जिसको प्रचारित व प्रसारित किया गया। बन्दियों के द्वारा किए गए कार्य को स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है जिससे बन्दी रिहाई के पूर्व ही यह सुनिश्चित कर ले कि वह किसी उद्योग में कितनी राशि अर्जित कर सकेंगे। इस संदर्भ में प्रथम स्व–सहायता समूह कैन्टीन की सुविधा के रूप में बन्दियों द्वारा संचालित किया गया जिसे अपार सफलता प्राप्त हुई।

वाह्य जगत से सम्पर्क – बन्दी सुधार के विभिन्न उपायों में एक परम्परागत

एवं स्वाभाविक उपाय बन्दी का बाह्य जगत से सम्पर्क है। जहां एक ओर बाह्य जगत से सम्पर्क बन्दी सुधार का एक अचूक उपाय है, वहीं यह सम्पर्क बन्दी का मानव अधिकार भी है। विभिन्न प्रकार की जनहित याचिकाओं में समय–समय पर उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बन्दी को अपने परिवार एवं अन्य मित्र समूहों से मुलाकात के अधिकार दिए गए हैं।

एक व्यक्ति को कारावास में रखना दण्ड इसीलिए माना जाता है कि वह व्यक्ति अपने प्रियजनों से सम्पर्क नहीं कर पाता किन्तु इस दण्ड के परिणाम में भावनात्मक शुष्कता एवं जीवन के प्रति लगाव में कमी से बचाव के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय कानून बन्दी की मौलिक प्रवृत्तियों की संतुष्टि के अनुकूल किसी भी बन्दी को बाह्य जगत से सम्पर्क के अधिकार देता है। कारावास की अवधि में अपराध करने की अपराधी भावना, अपने परिवार से दूर रहकर नए अति–अनुशासित वातावरण में बन्दी कभी–कभी समायोजन नहीं कर पाता अतः बन्दी सुधार के स्थान पर तनाव व अवसाद का शिकार बन जाता है, ऐसी स्थिति में सुधार के स्थान पर बन्दी विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित होने लगता है। विभिन्न पाश्चात्य देशों में भी कारागारों में दाम्पत्य मुलाकातों को अनुमति दी जाती है जिससे पति–पत्नी के बीच दाम्पत्य सम्बन्धों में शुष्कता न आने पाए और बन्दी भावनात्मक तौर पर अपने परिवार से जुड़ा रहे। यद्यपि भारतीय कारागार प्रशासन में दाम्पत्य मुलाकात के लिए अनुमति नहीं दी जाती किन्तु परिवार, मित्र एवं कानूनी सलाह के लिए कानून विशेषज्ञों से सम्पर्क की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त बन्दी को अस्थाई रिहाई भी विशेष अवसरों पर दी जाती है जिससे बन्दी अपने पारिवारिक दायित्व का पूरे कर सके। यद्यपि अस्थाई रिहाई की शर्तें सख्त होने के कारण भारतीय कारागार में इसका उपयोग बहुत कम होता है।

भारतीय कारागारों में नियमित मुलाकात व्यवस्था होती है जिससे बन्दी अपने परिवार वालों से व अन्य व्यक्तियों से मिलकर अपनी भावनाओं का आदान–प्रदान कर सकता है। प्रसिद्ध अपराधशास्त्री परिवारों से जुड़ाव को भी सुधार एवं पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। कारागारों में बन्दियों की संख्या क्षमता से अधिक होने के कारण यद्यपि पारिवारिक मित्रों के साथ मुलाकात गुणात्मक नहीं होती किन्तु फिर भी यह संक्षिप्त मुलाकातें भी बन्दी को अपने परिवार से जोड़े रखती हैं। कारागार प्रशासन मुलाकातों के लिए एक पंजी संधारित करता है जिससे प्रत्येक बन्दी को समान रूप से न्याय मिल सके। कारागार अधीक्षक को नियम से अधिक मुलाकातें करवाने के

अधिकार भी हैं, परिस्थिति एवं आवश्यकता को देखते हुए कारागार अधीक्षक अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। विशेष तौर पर महिला बन्दियों को मुलाकातों के अधिकार अपेक्षाकृत अधिक हैं तथा वे पत्राचार के माध्यम से भी अपने परिवार से जुड़ी रह सकती हैं।

बाह्य जगत से प्रत्यक्ष सम्पर्क के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष सम्पर्क समाचार–पत्रों, दूरदर्शन, रेडियो समाचार, पत्राचार आदि के माध्यम से करने के अधिकार हैं। इस अप्रत्यक्ष सम्पर्क से जहां एक ओर बन्दी की अभिव्यक्ति की मूल प्रवृत्ति संतुष्ट होती है वहीं बन्दियों को समाज के विषय में अद्यतन जानकारी भी प्राप्त होती है। पाश्चात्य देशों में दूरभाष से सम्पर्क को अनुमति दी जाती है किन्तु भारतीय कारागारों में नहीं। दक्षिण भारत के कुछ कारागारों में जेल अधिकारियों के निरीक्षण में दूरभाष पर परिवार से सम्पर्क करने के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। पाश्चात्य देशों की तरह मार्च 2010 में तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में बन्दियों को अपने परिवार और समाज के इच्छित सदस्यों नियन्त्रित रूप में दूरभाष द्वारा सम्पर्क करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह सुविधा केवल उन बन्दियों के लिए है जो अपने अच्छे आचरण के माध्यम से चिन्हित किए जाएंगे। बन्दी सप्ताह में एक बार अपने परिवार से सम्पर्क कर सकेगा किन्तु बात करने की समय सीमा 5 मिनिट ही रहेगी। साथ ही सम्पूर्ण बातचीत सुरक्षित कर ली जाएगी जिससे दूरभाष पर वार्तालाप कर इस सुविधा का दुरूपयोग न हो सके। यह सुविधा इसी तथ्य को ध्यान में रखकर दी गई है, बन्दी सुधार की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से भावनात्मक सम्बन्ध बरकरार रख सके। इसके अतिरिक्त भारतीय कारागारों में समाचार पत्र–पात्रिकाओं के माध्यम से भी बन्दियों को बाह्य जगत से सम्पर्क का पूरा अधिकार दिया गया है। प्रत्येक बन्दी बैरक में समाचार पत्र–पत्रिकाएं तथा दूरदर्शन के सृजनात्मक चैनल दिखाए जाते हैं जिससे बन्दियों की सुधारात्मक प्रवृत्तियों को बल मिल सके।

उपरोक्त विश्लेषण से निःसन्देह यह बात कही जा सकती है कि भारतीय कारागार प्रशासन व जेल अधिकारी, कर्मचारी एवं स्वयं बन्दी आज कारागारों को सुधारालय में परिवर्तित करने के लिए कृतसंकल्प हैं। शासन के विभिन्न विभाग आपसी सामंजस्य कर बन्दी सुधार की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। भारतीय कारागारों की सुधार प्रक्रिया को देख वास्तविक रूप में कारागारों को एक समुदाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि समाज के अन्य समुदाओं की तरह अपने आप में विशिष्टता रखता है। जहां एक विशिष्ट जनसंख्या उद्देश्यपूर्ण ढंग से एक निश्चित

भू–भाग पर रहते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करती है। उपरोक्त विश्लेषण बन्दी सुधार का एक सकारात्मक विश्लेषण है जो निश्चित रूप से ब्रिटिश राज्य की तुलना में सन्तोषप्रद है किन्तु इसी सुधार प्रक्रिया में कई त्रुटियां एवं दोष हैं। यदि इन कमियों और त्रुटियों को दूर किया जा सके तो निःसन्देह बन्दी सुधार एवं कारागार प्रशासन तीव्र एवं उच्चस्तर के परिणाम पा सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि समस्त कमियों के पश्चात भी भारतीय कारागारों में सुधार की प्रक्रिया जारी है। यदि निष्पक्ष रूप से कहा जाए तो यह स्पष्ट है कि भारतीय कारागार प्रशासन के उद्देश्यों में समाहित बन्दी सुधार उद्देश्य कार्य तो कर रहा है किन्तु अभी भी संरचनात्मक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उद्देश्य अपनी गहनता के स्तर पर कार्य नहीं कर पा रहा है।

अध्याय 3.

सामयिक शासकीय प्रयास

1835 के पूर्व भारतीय कारागार मात्र बन्दियों को रखने का एक स्थान मात्र होते थे जहां दण्डित बन्दियों को रखा जा सके तथा प्रतिशोधात्मक रूप में दण्डित किया जा सके, किन्तु कालान्तर में अपराधशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों एवं मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के सम्मिलित प्रयास से दण्ड का स्वरूप सुधार एवं पुनर्वास में परिवर्तित हो गया जो कि आधुनिक सुधारात्मक दर्शन का आधार बन गया। वर्तमान में कारागार बन्दियों के रखने का मात्र स्थान नहीं है बल्कि बीमार सामाजीकृत व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्तित्व में परिवर्तित करने वाली सामाजिक परिवर्तन की एक सशक्त संस्था के रूप में उभर कर आए हैं। आधुनिक कारागार प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। जब लार्ड मेकॉले ने सर्वप्रथम वैधानिक समिति के समक्ष 21 दिसम्बर 1835 में भारतीय कारागारों की दयनीय एवं दारूण स्थिति का वर्णन करते हुए सुधार के लिए गुहार की तथा एक समीक्षात्मक समिति गठित करने की अनुशंसा की। इस प्रकार बन्दियों एवं कारागारों की स्थिति में सुधार आने लगा। इस दिशा में सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन अखिल भारतीय जेल समिति द्वारा सन् 1919–20 में किया गया। इस अध्ययन के पश्चात ही जेलों को एक समुदाय के रूप में माना जाने लगा। जहां विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक, सामाजिक–आर्थिक एवं सामाजिक–राजनैतिक परिदृश्य के व्यक्ति एक स्थान पर रहते हों। इसके पश्चात ही कारागार सुधारात्मक संस्थाओं में परिवर्तित होने लगे, बन्दियों को अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं के नए दृष्टिकोण के साथ अपनाया गया जहां उनका मानसिक, शारीरिक सुधार मानवीय गरिमा के साथ किया जाने लगा। आधुनिक कारागार प्रशासन इस सिद्धान्त में विश्वास करने लगा कि अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, वरन व्यक्ति सामाजिक–सांस्कृतिक एवं सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों से अपराधी के

रूप में परिवर्तित होता है। वैश्विक एवं राष्ट्रीय सुधारात्मक दर्शन इस बात में विश्वास करता है कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से किसी अपराधी को कारावास में रखना न्यायोचित है किन्तु उसका स्थाई समाधान बन्दी को सुधार कर पुनर्वासित करना ही है। सुधार प्रशासन के इस उद्देश्य को तभी पूरा किया जा सकता है जबकि बन्दी कारावास में सुधर कर एक अनुशासित व्यक्ति में परिवर्तित हो जाए। लगभग 85 प्रतिशत बन्दी प्रथम अपराधी होते हैं जिनसे समाज को सुरक्षा का भय नहीं होता। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि कारागार प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कारागारों को सुरक्षित बनाना है जहां बन्दी कारावासित होता है तथा कारावास अवधि में मूलभूत सुविधाओं के माध्यम से बन्दी में सुधार लाकर पुनर्वासित होने के लिए तैयार करता है।

विगत दशकों में संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं के प्रकाश में भारतीय कारागार प्रबन्धन में पारदर्शिता एवं मानवीयता लाने हेतु न्यायिक एवं कार्यपालक अधिकारियों का ध्यानाकर्षण भारतीय कारागारों की ओर तीव्रता से हुआ है।

शासकीय प्रयासों की समय रेखा

1930 में मानवाधिकार शब्द अस्तित्व में आया 1939 और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जून 1945 में एक प्रसंविदा व संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों के हस्ताक्षर करवाए जिसमें से भारत भी एक देश था। संयुक्त राष्ट्र संघ की यही सार्वभौमिक घोषणा कारागार प्रशासन के लिए एक कारागार सुधार का सुदृढ़ आधार बनी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रसंविदाएं भी भारत एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों में संयुक्त रूप से पालन करने की बाध्यता संयुक्त राष्ट्र ने बनाई –

- सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकार अतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966
- आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1976
- यातना के विरूद्ध प्रसंविदा 1987
- प्रजातीय भेदभाव को दूर करने हेतु प्रसंविदा 1977
- महिलाओं के प्रति सभी भेदभाव मिटाने की प्रसंविदा 1981
- बच्चों के अधिकारों की प्रसंविदा 1990
- प्रवासीय श्रमिक प्रसंविदा 1990।
- अंतरर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून 1949।

यद्यपि 1937 से 1947 की अवधि में जनसामान्य के बीच जन सुधार का मुद्दा

जागरुकता की लहर बन गया। कुछ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारियों ने जेलों की दशाएं सुधारने के लिए सरकार पर दबाव बनाए।

जेल प्रशिक्षण शाला की स्थापना – 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई बंदी सुधार एवं पुनर्वास को राजनैतिक सुधारकों द्वारा विशेष महत्व दिया गया। 1950 में संविधान में जेलों को एक राज्य का विषय बनाया गया और सूची 2 में –राज्यों की सूची में सातवीं अनुसूची (एन्ट्री 4) स्वतंत्रता के पश्चात पहला दशक जेल सुधारों के लिए जाना जाता है। स्वतंत्रता के कुछ ही समय पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्पूर्णानंद जेल प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ की स्थापना की जिससे जेल अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण मिल सके और वे बन्दियों का सुधार व पुनर्वास वैज्ञानिक तरीके से कर सकें। यह प्रशिक्षण शाला एशिया की पहली और सबसे बड़ी प्रशिक्षण संस्था के रूप में जानी जाती थी।

विभिन्न जेल सुधार समितियां – भारत सरकार द्वारा जेल सुधार हेतु कई जेल सुधार समितियां गठित की गईं जिनका मुख्य उद्देश्य जेलों में मानवतावादी स्थितियों के आधार पर बंदियों का सुधार वैज्ञानिक स्तर पर करना था। कुछ इनमें से उल्लेखनीय समितियां निम्नानुसार हैं :–

- पूर्वी पंजाब जेल सुधार समिति, 1948–1949,
- मद्रास जेल सुधार समिति, 1950–51,
- उड़ीसा जेल सुधार समिति, 1952–55,
- त्रावणकोर एवं कोचीन जेल सुधार समीति, 1953–55,
- उत्तर प्रदेश जेल औद्योगिक जांच समिति, 1955–56 तथा
- महाराष्ट्र जेल उद्योग पुनर्गठन समिति, 1958–1959।

इसी बीच डा. वाल्टर रेक्लेस, संयुक्त राष्ट्र बंदी सुधार कार्य के विशेषज्ञ 1951–52 के दौरान भारतीय कारागार प्रशासन के अवलोकन के लिए भारत आए। उनका प्रतिवेदन भारत में जेल प्रशासन भी भारतीय जेलों के सुधारात्मक इतिहास में दूसरा मील का पत्थर साबित हुआ। डा. रेक्लेस ने जेलों को जेलों से सुधारात्मक गृह में परिवर्तित करने की गहरी अनुशंसा की साथ ही नई जेलों की स्थापना का समर्थन किया । उनकी अन्य महत्वपूर्ण अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं –

- किशोर अपराधी वयस्क अपराधियों के साथ न रखे जाएं
- जेल सेवाएं विशेषतः प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा संचालित की जाएं
- विशेषीकृत प्रशिक्षण जेल अधिकारियों के द्वारा बंदी सुधार किया जाए

- एक संपूर्ण कालिक परिवीक्षा पुनरावलोकन मंडल का गठन किया जाए जो कि बंदियों को रिहाई के पश्चात पुनर्वास कर सके।
- एक सलाहकार समिति का गठन किया जाए जो सुधार प्रशासन भारत सरकार के नाम से जाना जाए तथा राज्य सरकारों को सुधार कार्यक्रमों को संचालित एवं विकसित करने में मदद कर सके।
- विशेषज्ञों का राष्ट्रीय दल बनाया जाए जिससे की उच्च व्यावसायिक विशेषज्ञता का आदान–प्रदान कर सुधार प्रशासन को उच्च व्यावसायिक सुझाव दे सके।
- जेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की विचारगोष्ठियां समय–समय पर आयोजित की जाएं।

भारत सरकार ने वाल्टर रेक्लेस की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए अखिल भारतीय जेल अधिनियम समिति 1957 में गठित की जिसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक जेल अधिनियम बनाना था। अखिल भारतीय जेल अधिनियम समिति को जेल प्रशासन से जुड़े सभी विषयों पर सुधार हेतु सुझाव देने के लिए निर्देशित किया गया। एक समग्र नीति निर्धारक के रूप में जेल अधिनियम कार्य कर सके।

इसी अनुक्रम में भारत सरकार ने डब्लूय सी रेक्लेस की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो आफ करेक्शनल सर्विसेज का गठन गृह मंत्रालय के अधीन 1961 में किया। करेक्शनल सर्विसेज ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य कारागार प्रशासन बंदियों की पुनर्वास, अनैतिक व्यापार परीवीक्षा किशोर न्याय आदि मुद्दों को देखना था।

कार्यकारी समूह का गठन – 1972 में गृह मंत्रालय भारत सरकार ने जेलों के कार्यकारी समूह का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट 1973 में प्रस्तुत की इस रिपोर्ट में जेलों की राष्ट्रीय नीति बनाने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय नीति के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार प्रस्तावित किए गए :–

- कारावास के अन्य संभावित विकल्प तलाश करना।
- जेल अधिकारियों की सेवा शर्तों में विकास एवं सही प्रशिक्षण
- बंदियों की श्रेणियों का वैज्ञानिक विभाजन
- जेल प्रशासन को सामाजिक सुरक्षा का अभिन्न अंग मानकर राष्ट्रीय योजना पर शामिल करने पर बल देना।
- जेल प्रशासन को प्रमुखता प्रदान करना ।

- जेल प्रशासन को पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल करना ।
- संविधान में जेलों के विषय को कान्करेंट सूची में शामिल करना।

1971 में ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्था के रूप में पुनर्गठित हुआ । जिससे कि समाज की सुरक्षा का पुनार्वलोकन किया जा सके।

इतने प्रयासों के पश्चात भी जेल प्रशासन राज्य सरकारों के अधीन होने से बहुत ही असंतोष जनक था। अंततः 1980 भारत सरकार ने एक अखिल भारतीय जेल सुधार समिति माननीय न्यायधीश श्री ए एन मुल्ला की अध्यक्षता में गठित की। तीन वर्ष के अंतराल के पश्चात इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस प्रतिवेदन में 658 अनुशंसाएं समिति द्वारा की गईं और राज्य सरकारों को वितरित की गईं, क्योंकि राज्य का विषय होने की वजह से राज्य को ही इन अनुशंसाओं का पालन करना था। इस समिति ने जेलों की राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुल्ला समिति के प्रतिवेदन से बंदियों के सुधार एवं पुनर्वास को जो अब तक जेलों में प्राथमिकता न पा सका था प्राथमिकता पाकर बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया।

राष्ट्रीय जेल नीति का प्रारूप राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकार अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 के अनुरूप को समाहित करते हुए परिवर्तित किया। उसके पश्चात पुनः भारत सरकार ने 26 मई 1986 को राष्ट्रीय महिला बंदी विशेषज्ञ समिति माननीय न्यायाधीश कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में गठित की, जिसका प्रतिवेदन समिति द्वारा 18 मई 1987 को सौंपा गया। भारत सरकार ने समिति की अनुशंसा पर गहरी रूचि दिखाते हुए प्रतिवेदन इस आशय के साथ भेजा कि जेलों को सुरक्षित स्थान बनाना है। साथ ही भारत सरकार ने अखिल भारतीय जेल प्रशासन सुरक्षा एवं अनुशासन समूह 28 जुलाई 1986 में श्री आर.के. कपूर की अध्यक्षता में गठित किया, जिन्होनें अपना प्रतिवेदन 29 जुलाई 1987 में प्रस्तुत किया।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की भूमिका – अखिल भारतीय जेल सुधार समिति की अनुशंसा के आधार पर 28 अगस्त 1970 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को एक राष्ट्रीय स्तर पर नाभिक संस्था के रूप में चिन्हित किया गया, नवम्बर 1975 में पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो के अन्तर्गत ही सुधार प्रशासन को पृथक से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया, तब से आज तक निरन्तर सुधारात्मक प्रशासन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अन्तर्गत भारतीय कारागार प्रशासन को गुणात्मक दिशा–निर्देश दे रही है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कारागार प्रशासन की नाभिक संस्था के रूप में भूमिका अदा कर रही है। सुधारात्मक

प्रशासन प्रकोष्ठ के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

- कारागारों एवं कारागार आंकड़ों का विश्लेषण एवं सामान्य समस्याओं का समाधान
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी राज्य कारागार प्रशासन को उपलब्ध कराना।
- कारागार प्रशासन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर उच्च स्तरीय शोध आयोजित करना तथा शोध के लिए निर्देशन देना तथा विभिन्न शोध संस्थानों व राज्य सरकारों से सामंजस्य करना।
- कारागार प्रशिक्षणों कार्यक्रमों को बदलते हुए सामाजिक परिवेश के अनुसार पुनरावलोकन करना। विभिन्न स्तर के जेल अधिकारियों के लिए समरूप प्रशिक्षण रूपरेखा तैयार करना।
- सुधारात्मक प्रशासन से संबंधित विभिन्न शोध प्रतिवेदनों को प्रकाशित करना, समाचार पत्रिका तथा अनुश्रवण साधनों का विकास करना।
- सलाहकार मण्डल का गठन करना जो कि सुधारात्मक प्रशासन के कार्यों पर उच्च स्तरीय सलाह दे सके।

उपरोक्त उद्देश्यों के साथ सुधारात्मक प्रशासन प्रकोष्ठ सतत प्रयासों से कारागार प्रशासन को बन्दियों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए उच्चस्तर पर निर्मित कर रहा है। इस दिशा में सर्वप्रथम पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा कारागारों में बन्दियों की बढ़ती हुई संख्या पर राज्य कारागार प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया क्योंकि गुणात्मक रूप में यदि बन्दी कारागारों में नहीं रह पाता तो उसमें सुधार की कल्पना मात्र कागजी कल्पना के समान होगी। बन्दियों की संख्या को नियन्त्रित करने के लिए एक समग्र पहल की आवश्यकता थी जिसमें विभिन्न स्तरों से प्रयास किए जाने थे जैसे कि प्रशासनिक, वैधानिक एवं वित्तीय प्रावधान आदि। भारतीय कारागारों में क्षमता से अधिक बन्दी अधिकता जहां एक ओर अमानवीय स्थितियों को निर्मित कर रहा था वहीं दूसरी ओर विचाराधीन बन्दियों की सुनवाई जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों का हनन करने का कारक बनता जा रहा था। भारत की तरह अन्य देशों में भी जेलों में बन्दी अति प्रजता की समस्या है। जो कि बन्दियों के सुधार एवं पुनर्वास पर विपरीत असर डालती है। कारागार प्रशासन की सम्पूर्ण क्षमता अधिकता को संभालने में खर्च हो जाती है।

ऐसी स्थिति में सुधारात्मक प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत में भी

कारागारों में यही स्थिति है। यद्यपि अधिकता का कारागारों में वैश्विक परिदृश्य देखें तो यह स्पष्ट होता है कि भारत में तुलनात्मक दृष्टि में कारावास की दर अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। तालिका क्रमांक 3.1 विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में कारागार की दर को दर्शाती है। इसी तालिका में देखा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र, रशिया एवं दक्षिण अफ्रीका में प्रति एक लाख बन्दी–सर्वाधिक 753, 609 एवं 331 है। कारावास दर है जबकि इसके विपरीत फ्रांस, जर्मनी, जापान और भारत में प्रति एक लाख बन्दी कारावास दर तुलनात्मक दशष्टि में मात्र क्रमशः 96, 87, 63, 32 है।

बन्दी अतिप्रजता बीमारियों का भी एक बहुत बड़ा कारण है। बन्दी सुधार एवं पुनर्वास के शासकीय–सामयिक प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण नई जेलों का निर्माण है जो गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य शासन को आर्थिक सहयोग देकर किया गया। वर्तमान में भारतीय कारागारों में कम करावास दर होने के बावजूद भी बन्दियों की अधिकता कारागार प्रशासन के लिए समस्याओं का कारण बना हुआ है। तालिका क्रमांक 3.2 भारतीय कारावास दर को प्रदर्शित करती है।

तालिका क्रमांक 3.1 कारावास दर

राष्ट्र का नाम	कारावास दर प्रति एक लाख
संयुक्त राष्ट्र	753
रशिया	609
दक्षिण अफ्रीका	331
सिंगापुर	273
ब्राजील	243
न्यूजीलैण्ड	199
यू.के.	154
आस्ट्रेलिया	134
कनाडा	117
फ्रांस	96
जर्मनी	87
जापान	63
भारत	32

स्रोत : अन्तर्राष्ट्रीय कारावास अध्ययन केन्द्र किंग्स महाविद्यालय लन्दन, 2008

जो कि कारागारों में बन्दी अधिकता को दर्शाता है। 31 दिसम्बर 2008 के अनुसार कुल 3,90,328 बन्दी 1357 भारतीय जेलों में परिरुद्ध हैं। तालिका में दर्शाए गए आंकड़े वर्ष 2001 से 2008 तक के हैं। तालिका में वर्ष 2001 से वर्ष 2005 तक बन्दी अतिप्रजता में वृद्धि होती दर्शाई गई है। बन्दी अधिकता 36 प्रतिशत से 45.4 प्रतिशत तक हो गया किन्तु 2006 से 2008 तक निरन्तर अधिकता कम होती दर्शाई गई है। बन्दी अधिकता में कमी भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रयासों से आ पाई है।

तालिका क्रमांक 3.2

भारतीय कारागारों में बन्दी जनाधिक्य

वर्ष	जेलों की कुल संख्या	कुल क्षमता	वर्तमान बन्दी संख्या	अतिप्रजता
2001	1119	229713	313635	365:
2002	1135	229874	322357	402:
2003	1140	233543	326519	3980:
2004	1179	238639	333421	3972:
2005	1328	246497	358368	454:
2006	1336	263911	373271	414:
2007	1276	277304	376396	357:
2008	1357	291266	390328	34:

स्रोत : जेल सांख्यिकी राष्ट्रीय अपराध अभिलेखागार,नई दिल्ली, 2008

भारतीय कारागारों में यद्यपि 2006 से बन्दी अतिप्रजता कम होती दिखाई दे रही है क्योंकि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा असंख्य विशेषज्ञ समूह एवं समितियों का गठन किया गया है जो कि बन्दी अतिप्रजता की समस्या को समझ कर वैज्ञानिक स्तर पर सुझाव दे सकें। इन समितियों द्वारा दिए गए सुझाव और इन सुझावों पर किए गए प्रयासों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

- वैधानिक उपाय
- परिकल्पनात्मक वैकल्पिक कारावास का विकास
- विचाराधीन बन्दियों की सुनवाई की प्रक्रिया को तीव्र बनाना।

- संरचनात्मक सुविधाओं का विकास जैसे कि अतिरिक्त संरचना एवं वर्तमान संरचना का विकास।
- जेल प्रशासन में ऐसी व्यवस्थाओं का विकास जिनके द्वारा बन्दी अतिप्रजता कम की जा सके।
- उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग।
- न्यायपालिका एवं अभियोजन के साथ समायोजन।
- केन्द्रीय वित्तीय सहायता –

बन्दी अतिप्रजता जैसी समस्या के समाधान हेतु केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता भी राज्य कारागार प्रशासन को दी गई। कारागार आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987 से 1992 तक 450 मिलियन की राशि सहायता राज्य कारागार प्रशासन को दी गई जिसका औसत 90 मिलियन की राशि प्रति वर्ष था। पूर्व में यह योजना पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नहीं थी किन्तु वर्ष 1993 के बाद यह आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित हो गई। आठवी पंचवर्षीय योजना में एक हजार मिलियन कारागारों में आधुनिकीकरण योजना के लिए स्वीकृत किया गया जो कि पूरी तरह से अपर्याप्त राशि थी। इस योजना के अन्तर्गत और अधिक राशि की आवश्यकता थी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने इस विषय में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो से पर्याप्त राशि की जानकारी प्राप्त की जिसके माध्यम से भारतीय कारागारों को सामान्य न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके और बन्दियों को उनकी मानवीय गरिमा के अनुरूप सुविधाएं देकर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं के अनुरूप रखा जा सके जिससे बन्दियों को स्वस्थ व स्वच्छ वातावरण दिया जा सके। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने उन आवश्यकताओं को चिन्हित किया जिनके आधार पर बन्दियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। निम्नलिखित तालिका क्रमांक 3.3 बन्दियों एवं भारतीय कारागारों की आवश्यकताओं को चिन्हित करती हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता थी तथा भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता द्वारा जिन्हें दूर करने का प्रयास किया गया–

तालिका क्रमांक 3.3

बन्दियों एवं भारतीय कारागारों की आवश्यकताऐं

क्र.	आवश्यकता	कुल आवश्यकता	लागत रूपये करोड़ में
1.	नई जेलों का निर्माण	256 विभिन्न जेलों का निर्माण	1052.30 (168 नई जेलों का निर्माण)

2.	पुरानी जेलों की मरम्मत एवं नवीनीकरण	1253 विभिन्न प्रकार की जेलों का नवीनीकरण	248.42 1785 अतिरिक्त बैरकों का निर्माण एवं सुधार
3.	स्वच्छता में सुधार	7481 शौचालयों का निर्माण एवं 1716 नलकूपों का खनन	48.37
4.	जेल अधिकारियों के आवास गृहों का निर्माण	विभिन्न स्तर के जेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 18892 आवास गृहों का निर्माण	465.83 (आवास गृहों का निर्माण 8950)
	कुल –		**1814.92**

स्रोत : गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

उपरोक्त आवश्यकताओं को समझते हुए भारत सरकार द्वारा 1800 करोड़ की राशि आधुनिकीकरण योजना को पूरा करने के लिए दिनांक 5.9.2002 से अगले पांच वर्षों तक के लिए स्वीकृत की गई किन्तु इस बार सम्पूर्ण राशि में केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों का 75 : 25 का अनुपात रखा गया। यह योजना 27 राज्यों में चलाई गई। अरूणाचल प्रदेश को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया। ग्याहरवें केन्द्रीय वित्त आयोग ने 10 करोड़ की राशि पृथक से स्वीकृत की। यह योजना 31.3.2009 को समाप्त हो गई। **(**पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,नई दिल्ली**)**

वर्तमान प्रयासों का सुधार पर प्रभाव

उपरोक्त वर्णित प्रयासों से भारत सरकार ने कारागार प्रशासन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जिससे सुधार व पुनर्वास का परिदृश्य परिवर्तित होने लगा। साथ ही भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कारागारों के आधुनिकीकरण की जो राशि कारागारों को प्रदान की गई उससे भारतीय कारागारों का परिदृश्य बदलने लगा। अमानवीय स्थिति वाले कारागार सुधारात्मक संस्थाओं में परिवर्तित प्रतीत होने लगे। बन्दियों के लिए नलकूपों के द्वारा पर्याप्त जल की व्यवस्था की गई जिससे बन्दियों में स्वच्छता की आदतों का विकास करने की व्यावहारिक बाधाएं दूर हुईं। कारागारों के अन्दर बन्दी अतिप्रजता से गन्दे शौचालय व 1453 बैरक व 107 नई जेलों व पर्याप्त शौचालयों से स्वच्छ दिखाई देने लगे। जिससे बन्दियों का आक्रोश कम हुआ और उनका रूझान सुधारात्मक कार्यक्रमों की ओर बढ़ा। बन्दियों को व्यावसायिक

शिक्षा देने हेतु कार्यस्थल की कमी थी किन्तु नई जेलों के निर्माण से इस कमी में भी काफी हद तक सुधार हुआ है। बन्दी सुधार को तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब तक कि जेल कर्मचारी और अधिकारियों का पूरा समय बन्दियों को न मिले। जेल अधिकारी एवं कर्मचारियों के 8082 नए आवास गृह बने जिससे जेल अधिकारियों की आवास समस्या दूर हुई और वे प्रसन्नचित होकर सुधार कार्य में अपना समय दे पा रहे हैं। बन्दियों की कुण्ठा में कमी आने से बन्दी भी अपने सुधार व पुनर्वास की ओर आशांवित होने लगे हैं।

यदि बन्दियों के पुनर्अपराधिता के आंकड़े देखें तो स्पष्ट होता कि कारागारों में दिए जाने वाले सुधार प्रशिक्षण के प्रभाव से पुनर्अपराधिता की संख्या में क्रमशः कमी आने लगी। तालिका क्रमांक 3.5 भारत में पुनर्अपराधिता को दर्शा रही है। अधिकांश बन्दी प्रथम अपराधी हैं किन्तु अपराधिता का प्रतिशत द्वितीय जेल प्रवेश एवं तृतीय जेल प्रवेश में तुलनात्मक दृष्टि में कम है।

तालिका क्रमांक 3.5

भारत में पुनर्अपराधिता

क्रमांक	वर्ष	प्रथम अपराधी	द्वितीय अपराधी	तृतीय अपराधी
1	2003	1,38,596	41,133	14,701
2	2004	2,19,691	44,458	13,855
3	2005	1,67,379	50,306	16,534
4	2006	1,73,421	44,303	14,453
5.	2007	1,74,008	49,647	15,134

स्रोत : भारत में अपराध, 2007

वर्ष 2003 में जहां 1,38,596 व्यक्ति प्रथम अपराधी के रूप में गिरफ्तार हुए वहीं दूसरी बार मात्र 41,133 बन्दी ही गिरफ्तार किए गए। तीसरी बार बन्दी बनाए गए व्यक्ति मात्र 14,701 थे। इसी प्रकार 2004 में 2,19,691 बन्दी गिरफ्तार किए गए, दूसरी बार 44,458 तीसरी बार गिरफ्तार किए जाने वाले बन्दियों की संख्या 13,855 थी। एक ओर जहां पहली बार गिरफ्तार होने वाले बन्दियों की संख्या वर्ष 2003 में 1,38,556 थी वहीं इस संख्या में वृद्धि होकर 1,74,008 हो गई जबकि तीसरी बार गिरफ्तार होने वाले व्यक्तियों की संख्या कमोवेश वही रही।

तालिका क्रमांक 3.4

शासकीय प्रयासों से कारागारों का परिवर्तित परिदृश्य–

क्र.	राज्यों के नाम	निर्मित जेलों की संख्या	अतिरिक्त बैरकों का निर्माण	जेल अधिकारियों के कुल नवनिर्मित आवास गृह
1	आंधप्रदेश	2	132	603
2	असम	1	4	122
3	बिहार	4	99	248
4	छत्तीसगढ़	5	23	309
5	गोआ	0	0	10
6	गुजरात	7	81	0
7	हिमाचल प्रदेश	1	3	18
8	हरियाणा	5	2	177
9	झारखण्ड	1	12	65
10	जम्मू एवं कश्मीर	4	58	179
11	कर्नाटक	11	66	456
12	केरल	4	5	112
13	मध्यप्रदेश	2	269	1241
14	महाराष्ट्र	4	47	390
15	मणिपुर	0	0	6
16	मेघालय	2	0	16
17	मिजोरम	4	35	69
18	नगालैण्ड	4	11	13
19	उड़ीसा	18	57	673
20	पंजाब	2	74	260
21	राजस्थान	9	18	310
22	सिक्किम	1	2	1
23	तमिलनाडु	6	12	809
24	त्रिपुरा	1	6	101
25	उत्तरप्रदेश	2	380	1494

26	उत्तरांचल	4	11	130
27	पश्चिम बंगाल	3	36	270
	कुल	107	1443	8082

स्रोत : भारत में अपराध, 2007

वित्तीय सहायता के अतिरिक्त पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा जेल अधिकारियों हेतु विभिन्न प्रशिक्षणों को संचालित किया गया जिसके माध्यम से जेल अधिकारियों ने बन्दियों के सुधार एवं पुनर्वास के विषय में जानकारी प्राप्त कर अपने–अपने कारागारों में उस जानकारी को लागू कर बन्दियों में सुधार लाने का प्रयास किया। वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो विभिन्न प्रशिक्षण जैसे कि– जेल प्रबन्धन में मानव अधिकार, देखना ही सीखना है, व्यक्तित्व का विकास, वर्टिकल इन्टरएक्शन कोर्स आदि प्रशिक्षणों के माध्यम से जेल अधिकारियों को प्रशिक्षित कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रीय सुधारात्मक संस्थानों चेन्नई, चण्डीगढ़ और पश्चिम बंगाल आदि के माध्यम से भी प्रशिक्षण आयोजित करवा रहा है। शासकीय प्रयासों से बन्दियों के सुधार पर सकारात्मक प्रभाव के लिए जो प्रयास किए गए वह निश्चित ही सफल हो रहे हैं किन्तु फिर भी इन प्रयासों को निरन्तर बनाए रखने की आवश्यकता है।

भविष्य में बंदी सुधार की संभावनाएं –जेल अधिकारियों का उच्च प्रशिक्षण जिसमें मूलभूत प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण,बन्दियों का उच्च शैक्षणिक स्तर, समाज का परिवर्तित दृष्टिकोण, केन्द्रीय शासन की वित्तीय एवं वैधानिक सहायता, भविष्य में बन्दी सुधार की अपार संभावनाएं रखती हैं।

सच तो यह है कि 1947 के पश्चात निरन्तर कारागार सुधार के जो प्रयास किए गए वह आज में फलीभूत होते प्रतीत होते हैं किन्तु यह आंशिक सुधार ही हैं। बन्दी सुधार के लिए कारागार प्रशासन का सम्पूर्ण संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक सुधार अति आवश्यक है तभी बन्दी सुधार संभव है। पश्चिम देशों में कारागार प्रशासन में उपलब्ध संरचनात्मक सुविधाओं को यदि देखा जाए तो उसकी तुलना में भारतीय कारागार प्रशासन के पास मात्र दस प्रतिशत संरचनात्मक सुविधाएं हैं। वर्तमान में कारागार प्रशासन में कुछ मूलभूत दोष हैं जैसे कि मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, महिला चिकित्सक एवं सुधार कर्मचारी की संख्या नाम मात्र को है। जेलों में सुरक्षाकर्मी, जेलर, अधीक्षक ही सुधार के कार्य देखते हैं, पृथक से उच्च प्रशिक्षित व्यावसायिक सुधार कर्मचारी एवं अधिकारियों की अत्यधिक कमी है। यह वे अधिकारी हैं जिनका प्रशिक्षण आधा–अधूरा है, जिन्हें मानव व्यवहार तक की समझ नहीं है। बन्दी सुधार कार्य में

संलग्न कर्मचारी अपने सामान्य ज्ञान से बन्दी सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्य को कर रहे हैं, यद्यपि वे ये कार्य प्रशिक्षित अधीक्षक के निर्देशानुसार ही कर रहे हैं। भारतीय कारागारों में पाश्चात्य देशों की तरह बन्दी सुधार की अपार संभावनाएं छुपी हैं। भारतीय कारागारों में व्यवहार सुधार हेतु कोई विशेष पाठ्यक्रम संचालित नहीं होता है जबकि पाश्चात्य देशों में यौन अपराधियों को सामान्य अपराधियों से पृथक सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रेणीगत किया जाता है। इसी प्रकार हिंसक अपराधों में संलग्न बन्दियों को सामाजिक अपराधों में संलग्न व्यक्तियों से पृथक उपचार दिया जाता है। मानसिक एवं भावनात्मक अस्थिरता ही आधे से अधिक अपराधों का कारण होती है लेकिन भावनात्मक स्थिरता के लिए योग विपासना आदि उपचारों के अतिरिक्त कोई औषधीय उपचार नहीं दिया जाता। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय कारागार प्रशासन को मूलभूत संरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रकार्यात्मक तत्वों की ओर भी पैनी दृष्टि रखनी होगी तभी गुणात्मक दृष्टि से बन्दी सुधार संभव है।

मानव व्यवहार की समझ – राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि बन्दी एक बीमार व्यक्ति की तरह है एवं कारागारों का वातावरण अस्पताल की तरह होना चाहिए जहां उन्हें उपचारित कर सामान्य व्यक्ति बनाया जा सके। भारतीय कारागार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उक्त कथन को ही साकार करते नजर आते हैं किन्तु उपचार तभी हो सकता है जबकि कारागार अधिकारियों को मर्ज के कारण गहराई से पता हों। पुलिस एवं अन्य विभागों की तरह जेल अधिकारियों की तैनाती अपने कार्यस्थल पर बिना मूलभूत प्रशिक्षण के हो जाती है। यद्यपि हमारे देश में कुछ जेल प्रशिक्षण संस्थान हैं किन्तु मात्र कुछ प्रतिशत जेल अधिकारियों के अतिरिक्त प्रायः सभी बिना किसी प्रशिक्षण के जेलों में अपना कार्य करना प्रारम्भ कर देते हैं। यद्यपि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा विभिन्न पुनश्चर्या एवं मानव अधिकार पाठ्यक्रम जेल अधिकारियों के लिए आयोजित किए जाते हैं किन्तु यह सम्पूर्ण सुधारात्मक प्रशासन के मौलिक उद्देश्यों को विस्तृत तौर पर स्पष्ट नहीं कर सकते क्योंकि यह संक्षिप्त अवधि के होते हैं। जेल प्रशिक्षण संस्थानों में एवं क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थानों में जेल अधिकारियों के लिए विशेष रूप से आवश्यक विशेषीकृत पाठ्यक्रम संचालित नहीं है। सम्पूर्णानन्द जेल प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ भारतीय कारागार प्रशासन का एक प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थान है किन्तु यहां भी कारागार प्रशासन प्रशिक्षण के नाम पर समाजशास्त्र, अपराधशास्त्र एवं विधि विषयों का ज्ञान दिया जाता है। यही कारण है कि भारतीय कारागारों में पदस्थ जेल अधिकारी बिना मूल प्रशिक्षण के अपनी

पदस्थापना पर कार्य करना प्रारम्भ कर देते हैं। सुधार पुनर्सामाजीकरण की एक सम्पूर्ण एवं विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें बिना मानव व्यवहार को समझे परिणाम पाना प्रायः असंभव है। जिस प्रकार एक चिकित्सक बीमार व्यक्ति को बिना उसकी बीमारी जाने रोग का निदान नहीं कर सकता उसी प्रकार मानव व्यवहार, उसको प्रभावित करने वाले तत्व जाने बिना एवं संक्षिप्त मानव व्यवहार की गहन समझ के अभाव में कोई जेल अधिकारी किसी बन्दी को पुनर्सामाजीकरण की प्रक्रिया में सहयोग नहीं दे सकता।

व्यक्तित्व गतिशीलन – मानव व्यक्तित्व एक स्थिर अपरिवर्तनशील इकाई न होकर विभिन्न मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है। फलतः सामान्य तथा असामान्य दोनों ही व्यवहारों को समझने के लिए व्यक्तित्व के प्रमुख गत्यात्मक पक्षों का अध्ययन–आवश्यक है (क्योंकि सामान्य तथा असामान्य दोनों को एक ही नियम नियन्त्रित करते हैं। उनमें मात्रा का अन्तर है प्रकार का नहीं–अध्याय–1) व्यक्तित्व के प्रमुख गत्यात्मक पक्ष हैं –अहं () जैविक तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी आवश्यकताएं तथा समायोजन प्रक्रिया इनमें से प्रत्येक पक्ष का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है।

- अहं

सम्पूर्ण मनुष्य वंशानुक्रम तथा वातावरण की अन्तर्क्रिया का परिणाम है। विकासक्रम में धीरे–धीरे शिशु स्वयं तथा अन्य व्यक्तियों एवं पदार्थों में अन्तर का बोध करने लगता है और इस प्रकार क्रमिक रूप से उनमें अहं (ego) अथवा निजत्व (& me) का विकास होता है। वहीं अहं उसके व्यक्तित्व का केन्द्र बिन्दु है जो जीवन के विभिन्न अनुभवों का मूल्यांकन तथा संगठन करता है। यद्यपि प्रारम्भिक आयु के अनुभव अहं के विकास पर बाद के अनुभवों की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालते हैं तथापि अहं तथा वातावरण का सम्बन्ध गत्यात्मक है। अतः अंह का विकास जीवन के अनुभव के साथ–साथ होता है, यह एक स्थिर, अपरिवर्तनशील तथा जीवन के किसी बिन्दु विशेष के साथ चिपका होने वाला तथ्य नहीं है।

व्यक्ति का अहं वास्तविकता का ज्ञान तथा परख करने वाला, बुरे तथा भले का विचार विकसित करने वाला तथा अपनी योग्यताओं का आस–पास के वातावरण के सन्दर्भ में मूल्यांकन करने वाला व्यक्तित्व का केन्द्र बिन्दु है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन को एक अविच्छिन्न धारा के रूप में समझने में सहायक हैं क्योंकि इसी के आधार पर व्यक्ति भूतकाल के अनुभवों का स्मरण, वर्तमान का ज्ञान, भविष्य के सम्बन्ध में विभिन्न योजनाओं का निर्माण तथा जीवन की विभिन्न समस्याओं के सुलझाने

का प्रयास करता है। यही कारण है कि व्यक्ति इस महत्वपूर्ण अहं की रक्षा तथा विकास में सतत प्रयत्नशील रहता है।

• आवश्यकताएं

मानव के सरल से सरल तथा जटिल से जटिल व्यवहार को समझने के लिए उसकी आवश्यकताओं के स्वरूप तथा इन आवश्यकताओं की तृप्ति हेतु किए गए प्रयासों की जानकारी अनिवार्य है। मानव जन्म लेते ही आवश्यकताएं अनुभव करता है जिनकी पूर्ति वातावरण द्वारा ही सम्भव है। व्यक्ति की प्रारम्भिक आवश्यकताएं प्रधानतः जैविक होती हैं, यथा–भोजन, वायु, पानी तथा अन्य आवश्यकताएं जिनकी संतुष्टि उसके जीवनवर्द्धन के लिए आवश्यक है। जीवन के विकास के साथ–साथ वह अन्य आवश्यकताओं की अनुभूति करता है, यथा–प्रेम, सुरक्षा, आत्मसम्मान आदि। इन्हें व्यक्तित्व सम्बन्धी आवश्यकताओं का नाम दिया गया है। इनकी सन्तुष्टि उसके संवेगात्मक सन्तुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। स्पष्ट है, व्यक्ति की आवश्यकताओं के दो प्रमुख प्रकार हो सकते हैं–(1) जैविक तथा (2) व्यक्ति सम्बन्धी। इन्हीं दोनों प्रकार की आवश्यकताओं का दूसरा नाम प्रेरणा है।

• जैविक आवश्यकताएं

मनुष्य की जैविक आवश्यकताएं अनर्जित हैं। इनमें से कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनकी पूर्ति प्राण–रक्षा के लिए अनिवार्य है। इन्हें प्राणरक्षात्मक कहा जा सकता है। पानी, भोजन, ऑक्सीजन, विश्राम या निद्रा, मलमूत्र त्याग तथा उपयुक्त तापक्रम प्राणरक्षात्मक आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की तृप्ति हेतु व्यक्ति के जैविक स्तर पर सन्तुलन बनाए रखने वाली प्रक्रिया तब तक कार्य करती रहती है जब तक शारीरिक सन्तुलन स्थापित न हो जाए या शरीर का ही अन्त न हो जाए। इन प्राणरक्षात्मक आवश्यकताओं के अतिरिक्त काम ज्ञानात्मक (स्पर्श, ध्वनि, दृष्टि, गन्ध, स्वाद के वातावरण की जानकारी पाने), (मांसपेशियों के कार्य द्वारा तनाव दूर करने) तथा सुखद अनुभूतियों तथा उत्तेजनाओं को ग्रहण करने अथवा त्यागने सम्बन्धी संवेगात्मक आवश्यकताएं भी जैविक आवश्यकताएं हैं। ये आवश्यकताएं शरीर के विकास के लिए आवश्यक हैं। इनकी अतृप्ति प्राणान्त नहीं करती है, किन्तु शारीरिक विकास अवश्य प्रभावित होता है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से प्राणरक्षात्मक आवश्यकताओं की तृप्ति में बाधा पड़ती है। स्पष्ट है कि इन आवश्यकताओं की सन्तुष्टि

का क्रम इस प्रकार है–(1) आवश्यकता की पूर्ति न होने पर तनाव उत्पन्न होना तथा शक्ति संचालन की प्रक्रिया का प्रारम्भ होना, (2) उस आवश्यकता से सम्बन्धित लक्ष्य पदार्थ की प्राप्ति हेतु क्रिया का प्रारम्भ होना तथा जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए तब तक उसका अनवरत रूप से चलना, (3) लक्ष्य–प्राप्ति पर आवश्यकता की सन्तुष्टि एवं सुखद अनुभूति का होना तथा तनाव का दूर हो जाना।

जीवन के कुछ प्रारम्भिक महीनों में तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है और इनकी पूर्ति में डाली गई बाधा शिशु के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। धीरे–धीरे विकास क्रम के साथ सामाजिक प्रभाव भी इनको प्रभावित करती है और व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में इनकी नियन्त्रित रूप से तुष्टि करना सीख लेता है।

• व्यक्ति सम्बन्धी आवश्यकताएं

जैविक आवश्यकताओं के अतिरिक्त व्यक्ति की कुछ अन्य आवश्यकताएं भी हैं जिन्हें वह समाज में रहकर सीखता है और जो उसके व्यक्तित्व के सन्तुलन के लिए आवश्यक है। इन्हें व्यक्ति सम्बन्धी आवश्यकताएं कहा गया है। ये आवश्यकताएं जैविक आवश्यकताओं की तुलना में अधिक विविधता लिए हुए होती हैं क्योंकि ये व्यक्ति के सीखने के ढंगों, माता–पिता के जीवन मूल्यों तथा अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं पर आधारित हैं। इनकी तृप्ति के लक्षण भी अधिक भिन्नता लिए रहते हैं। एक समाज में जो कार्य तथा गुण महत्वपूर्ण हैं, वे ही दूसरों के लिए अनावश्यक भी हो सकते हैं, यथा–विभिन्न समाजों में नेतृत्व अधिक मान्य गुण माना जाता है जबकि अरपेश जाति के लोग इसे व्यर्थ समझते हैं। इन आवश्यकताओं का विभिन्न समाजों में भिन्न–भिन्न रूप क्यों न हो, किन्तु इनकी तृप्ति उपयुक्त व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य है। यद्यपि विशेषज्ञ इनकी संख्या के सम्बन्ध में एकमत नहीं हैं तथापि प्रमुख आवश्यकताओं का वर्णन निम्नवत है :

- **प्रेम –** दूसरों को चाहना तथा दूसरों के द्वारा स्वयं को चाहे जाने की आवश्यकता। माता–पिता, पत्नी, भाई–बहन, मित्र तथा अन्य परिवारीजनों के द्वारा चाहे जाने से इस आवश्यकता की तृप्ति होती है। यह प्रेम भरे शब्दों, सहानुभूति, विश्वास पात्रता, अपनत्व तथा विशेष ध्यान रखने के रूप में व्यक्त हो सकती है। प्रेम की तृप्ति व्यक्तित्व के सामान्य विकास के लिए आवश्यक है। लैगडन तथा स्टाउट ने पर्याप्त समायोजित 158 बालकों में प्रेम तथा अपनत्व की आवश्यकता की तृप्ति प्रत्येक में विद्यमान देखी। ऑलपोर्ट का

भी यह मत है कि मनुष्य दूसरों के साथ घनिष्ठ प्रेममय सम्बन्धों का इच्छुक रहता है। जिन बालकों को अपने परिवार में पर्याप्त प्रेम तथा सहानुभूति नहीं मिलती वे दूसरों के प्रति भी इसका प्रदर्शन नहीं कर पाते। कई बार ऐसे लोग जिससे प्रेम करते हैं, उसे सदैव अपने ही अधिकार में रखना चाहते हैं। उनकी दूसरों से प्रेम पाने की चाह कभी सन्तुष्ट नहीं होती। इनमें से कई लोगों में दूसरों से दूर भागने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे उनमें एकान्तता तथा आत्म अवमूल्यन की तीव्र भावना व्याप्त हो जाती है। मैश्लो इस आवश्यकता की अतृप्ति को असामान्यता का प्रमुख कारण मानता है।

- **सामाजिक प्रशंसा या प्रतिष्ठा–** प्रेम की आवश्यकता से मिलती–जुलती आवश्यकता दूसरों द्वारा अनुमोदन तथा मान्यता प्राप्ति की है। विकासक्रम से बच्चा यह समझ जाता है कि उसका अस्तित्व दूसरों की सहायता तथा अनुमोदन पर निर्भर है। उसे ज्ञात होने लगता है कि जब वह समाज द्वारा मान्य ढंग से व्यवहार करता है तो उसे प्रशंसा एवं पुरस्कार मिलता है और जब वह समाज द्वारा अमान्य व्यवहार करता है तो उसे दण्ड एवं निन्दा सहन करनी पड़ती है। प्रारम्भ में तो यह स्थिति परिवार तक ही सीमित रहती है किन्तु बाद में वह यह समझ जाता है कि अपनी जैविक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे समाज के विभिन्न समूहों द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अतः इस आवश्यकता का अर्थ है कि व्यक्ति यह अनुभव करे कि वह समूह का अभिन्न अंग है तथा समूह भी उसको मान्यता एवं स्वीकृति प्रदान करता है। इस प्रकार वह समाज में अपना स्थान बनाना चाहता है जिससे लोग उसको आदर तथा सम्मान प्रदान करें। इसकी पूर्ति न होने पर व्यक्तित्व में अनेक अवांछित व्यवहार उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ अध्ययनों में यह देखा गया है कि एकान्त में रहने वाले समूह द्वारा यदि किसी व्यक्ति का बहिष्कार कर दिया जाए तो उस व्यक्ति में गुम–सुम बने रहने, यकायक रो पड़ने, अवस्तुबोधन, शारीरिक स्वच्छता के प्रति उदासीनता, उद्देश्यहीन रूप में घूमने तथा खाली दृष्टि से शून्य की ओर ताकने जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। उसी व्यक्ति को यदि समूह में पुनः मिला लिया जाए तो उसके यह लक्षण शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। यह तथ्य सामाजिक प्रशंसा की आवश्यकता के महत्व की ओर संकेत करता है।
- **उपलब्धि की आवश्यकता –** दूसरों की तुलना में आगे निकलने की

इच्छा। अपने कार्यक्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में दूसरे व्यक्तियों से अधिक निपुणता की प्राप्ति इसकी सन्तुष्टि करती है।

- **आत्मसम्मान –** प्रत्येक व्यक्ति अपने अहं की रक्षा येन–केन–प्रकारेण करता है जिसके परिणामस्वरूप वह अपने आपको महत्वपूर्ण समझता है तथा स्वयं को दूसरों की इज्जत एवं सम्मान का अधिकारी मानता है। शिक्षा, शारीरिक, आकर्षण, आर्थिक स्तर, उच्च जीवन–दर्शन आदि के आधार पर वह अपने–आपको आदर के योग्य मानता है। स्वयं को आदर का पात्र बनाने के सभी प्रयास इसकी तृप्ति करते हैं। यदि इस आवश्यकता की तृप्ति नहीं होती है तो व्यक्ति में हीनता, ग्लानि तथा असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है।
- **सुरक्षा –** विकास क्रम में व्यक्ति यह सीख लेता है कि उसकी विभिन्न जैविक तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी आवश्यकताओं की तृप्ति उसे सुख प्रदान करती है। फलतः वह इन आवश्यकताओं की तृप्ति कर सकने वाले साधनों को निश्चित बनाना चाहता है जिससे उनकी पूर्ति बिना संशय के होती रहे। इसी कारण हम अज्ञात की अपेक्षा जानी–पहचानी चीजों एवं परिस्थितियों को अधिक चाहते हैं। हम धर्म तथा विज्ञान के द्वारा सभी बातों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं जिससे हम इस जगत को समझें तथा स्थान सुरक्षित रख सकें। बीमा कराने, अधिक सुरक्षित व्यवसाय का चयन करने आदि कार्यों के पीछे इस आवश्यकता के लिए सम्भावित खतरों से बचाव की इच्छा निहित है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकताओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति की इस भावना तथा विश्वास से उत्पन्न होती है कि जो लोग उसके जीवन में संवेगात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनके साथ वह स्थाई तथा सन्तोषप्रद सम्बन्ध बनाए रखने में सक्षम रहेगा। गेट्स आदि सुरक्षा की आवश्यकता को प्रेम परिवार एवं मित्रों द्वारा अपनत्व तथा भविष्य की निश्चितता का समन्वित रूप मानते हैं। इनकी पूर्ति सुरक्षा को कायम रखती है। इस आवश्यकता की अतृप्ति व्यक्ति को असुरक्षित बनाती है, जिससे उसमें भय एवं आशंका तथा निश्चेष्टता उत्पन्न हो जाती है। परिणामस्वरूप वह अनेक महत्वपूर्ण एवं विकास के लिए आवश्यक अनुभवों के लाभ से वंचित रह जाता है।
- **उपयुक्तता –** 'उपयुक्तता' का अर्थ है वातावरण के द्वारा प्रस्तुत कठिनाइयों

को सफलतापूर्वक दूर करने की सामर्थ्य का विश्वास। जब व्यक्ति को आत्मविश्वास हो कि वह विभिन्न समस्याओं को सुलझाने तथा आवश्यकताओं की तृप्ति कर सकने में समर्थ है तो उसे उपयुक्तता की अनुभूति होती है जिससे वह अपने को उपयोगी तथा मूल्यवान समझता है। जब परिस्थितियाँ इतनी जटिल तथा भयावह हों जिनका सामना करने में व्यक्ति अपने को असमर्थ पाए तो उसे अनुपयुक्तता की अनुभूति होगी और वह अपने को व्यर्थ तथा अनुपयोगी समझने लग सकता है। यह स्थिति अहं के विकास के लिए घातक है। उपयुक्तता की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बौद्धिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक योग्यताओं का पर्याप्त विकास आवश्यक है, बालक तभी अपने इर्द–गिर्द की समस्याओं को सुलझा सकेगा।

गेट्स इसे उपलब्धि तथा सामाजिक प्रशंसा की आवश्यकता का समन्वित रूप मानता है। यह सुरक्षा की आवश्यकता से मिलती–जुलती है।

- **वास्तविकता की परख –** विकास–क्रम में सामान्य व्यक्ति शैशवावस्था से ही अपने आस–पास के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण के साथ तालमेल रखने का प्रयास करता रहता है। वास्तविकता के परखने की यह प्रक्रिया उसमें एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में विकसित होने, प्रभावपूर्ण समायोजन कर सकने तथा अपने अनुभव व तर्क की योग्यता का लाभ उठा सकने की व्यावहारिक योग्यता तथा क्षमता को जन्म देती है। यह योग्यता स्वयं को समझने तथा अपने अनुरूप सफलता प्राप्त करने के लिए परमावश्यक है। जिन व्यक्तियों की वास्तविकता की परख शारीरिक क्षति, सामाजिक निन्दा अथवा अन्य अवांछित परिणामों के रूप में व्यक्त होती है, उनका व्यक्तित्व–विकास अवरोधिता तथा असंगठित होता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उपर्युक्त आवश्यकताएं सामान्य सामाजिक अन्तर्क्रिया का परिणाम हैं। इनका आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रत्येक व्यक्ति में इनकी तीव्रता की मात्रा उसकी परिस्थितियों के अनुसार भिन्न–भिन्न होती है। एक व्यक्ति के लिए कोई आवश्यकता अधिक आवश्यक और दूसरे के लिए वही अति नगण्य हो सकती है। अधिक लालित–पालित बालक के लिए सामाजिक प्रशंसा की जरूरत बहुत ही कम और एक अन्श्रय व्यक्ति जिसके माता–पिता बड़े कठोर रहे हों, के लिए यही आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण हो सकती है, शायद तनिक सी सामाजिक निन्दा उसको विचलित कर दे। कोई व्यक्ति किस प्रेरणा को अधिक महत्व देता है तथा उसका

विभिन्न प्रेरणाओं के गठन का स्वरूप कैसा है, इसका निर्धारण आंशिक रूप से एक ओर तो उसकी वास्तविकता, अच्छाई–बुराई तथा परिवर्तन एवं विकास की संभावनाओं सम्बन्धी मान्यताओं पर आधारित होता है, तो आंशिक रूप से दूसरी ओर उसके वातावरण की आवश्यकताओं, परिसीमाओं तथा सुअवसरों पर निर्भर करता है। जैविक आवश्यकताओं की भांति इन आवश्यकताओं की सन्तुष्टि में बाधा पड़ने पर व्यक्ति में स्थिति–सन्तुलन बिगड़ जाता है जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करता है जिससे व्यक्ति में गतिशीलता उत्पन्न होती है। परिणामस्वरूप वह उस आवश्यकता की पूर्ति करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति में क्रियाशील हो जाता है।

व्यक्ति की जैविक तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी आवश्यकताएं अचेतन भी हो सकती हैं। इसके पूर्व कि व्यक्ति भूख का अनुभव करे उसके अनजाने ही काफी पहले से यह आवश्यकता उसमें कार्य कर रही होती है। इसी भांति सुरक्षा, उपयुक्तता, प्रेम, आत्म–सम्मान आदि व्यक्तित्व सम्बन्धी आवश्यकताएं भी अचेतन तथा अर्द्धचेतन रूप से व्यक्ति में व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। ये आवश्यकताएं अधिक जटिल होती हैं। हम अनेक ऐसे कार्य करते रहते हैं जिनके वास्तविक कारणों की जानकारी हमें नहीं होती।

किसी व्यक्ति के सामान्य होने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी उपर्युक्त दोनों प्रकार की आवश्यकताएं अतिरंजित न हों अर्थात कोई ऐसी एक या अधिक प्रेरणाएं न हों जो दूसरी प्रेरणाओं के उपर्युक्त विकास में बाधा डालें और उन्हें ठीक से अभिव्यक्त न होने दें। इसी भांति इन आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति इतनी न्यून भी न हो जिससे व्यक्ति में उस प्रेरणा का अभाव उत्पन्न हो जाए। ये दोनों अतिरंजित स्थितियां अत्यधिक बढ़ी या घटी व्यक्ति की अनुपयुक्त समायोजन की द्योतक होंगी। स्पष्ट है कि इनकी उपयुक्त पूर्ति में बाधा डालने वाली परिस्थितियां व्यक्तित्व के उचित विकास में बाधक मानी जाएंगी। इन परिस्थितियों का विवेचन असामान्यता के कारणों में किया जाएगा।

- **नियमहीनता –** 1893 में दुर्खीम नाम के समाजशास्त्री ने नियमहीन व्यवहार के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया और उन्होंने यह बताया कि बिना नियमहीनता के कोई भी समाज संभव ही नहीं है क्योंकि यह प्रायः असंभव है कि समाज में रहने वाले असंख्य लोगों में से कोई भी व्यक्ति किसी भी आदर्श या नियमों से विचलित न हुआ हो। नियमहीनता न केवल स्वाभावित है बल्कि प्रगतिशील समाज का एक स्वाभाविक अंग भी है। उदाहरणार्थ– आत्महत्या, 1938 में

मर्टन ने भी नियमहीनता को अपराध का प्रमुख कारण बताया है। दुर्खीम ने नियमहीनता की स्थिति को समाज की व्यक्ति के व्यवहार को नियन्त्रित करने की स्थिति को समाज की असफलता के रूप में लिया है। इस स्थिति में भी यदि व्यक्ति समाज का समर्थन एवं सहयोग नहीं पाता है तो निश्चित ही वह अपराध की ओर प्रेरित होता है। (आहूजा राम, 2002)

समायोजन प्रक्रिया – मानव में स्वयं के पोषण, रक्षण तथा विकास की प्रवृत्ति है। यही कारण है कि वह स्वयं के विघटन तथा क्षय के प्रति विरोध प्रदर्शित करता है। यदि मनुष्य में यह आधारभूत प्रवृत्ति न होती तो किसी भी प्रकार की चिकित्सा उसके विघटित व्यक्तित्व को संगठित न कर पाती। डाक्टर व मनोचिकित्सक तो केवल मनुष्य की स्वास्थ्य के प्रति इस उन्मुखता को सहायता मात्र पहुंचाते हैं। अतः अपने पोषण, रक्षण तथा विकास के हेतु ही व्यक्ति वातावरण से सम्पर्क स्थापित करता है। व्यक्ति तथा उसके वातावरण के मध्य प्रभावपूर्ण सन्तुलन बनाए रखने की प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। यह वास्तविकता की चाहना के प्रति अनुकूलन है। यदि व्यक्ति की विभिन्न जैविक व्यक्तित्व सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से होती रहे, तो उसका जीवन सरलता से बीतता जाएगा किन्तु हमारी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति इतनी सहज नहीं है। अनेक बाह्य तथा आन्तरिक कठिनाइयों के कारण आवश्यकता की पूर्ति में बाधा पड़ती है। जिससे उसका समायोजन बिगड़ने लगता है। बाधा के कारण व्यक्ति और अधिक प्रयास करता है या अन्य अप्रत्यक्ष साधनों का सहारा लेता है जिससे उसकी आवश्यकताओं की तृप्ति किसी न किसी रूप में अवश्य हो जाए। स्पष्ट है कि समायोजन की प्रक्रिया में (1) आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया (2) आन्तरिक तथा बाह्य कठिनाइयों के कारण लक्ष्य प्राप्ति में बाधा जिससे व्यक्ति में असन्तुलन का उत्पन्न होना, और (3) इस असन्तुलन के दूर करने के विविध प्रयास निहित हैं।

समायोजन में परिवार का योगदान – अरस्तू के अनुसार समुदाय परिवारों का एक संगठन है। इस प्रकार परिवार समुदाय की एक इकाई है। मैकाइवर ने परिवार को अन्य सामाजिक संगठनों का केन्द्र कहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक परिवार सामाजिक संगठन की एक प्राथमिक और मौलिक इकाई के रूप में महत्वपूर्ण रहा है। बीसन्ज और बीसन्ज के शब्दों में ''परिवार मौलिक और सार्वभौम संस्था है। उस पर प्रत्येक समाज का अस्तित्व निर्भर है।''मानव समाज के इतिहास में परिवार सबसे पहला सामाजिक समूह है। आदिम युग में मनुष्य छोटे–छोटे परिवारों

में रहता था। इन परिवारों में किसी प्रकार का संगठन अथवा स्थायित्व नहीं था परन्तु साधारण जैवकीय तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं उनसे पूरी होती थीं। आमतौर से एक परिवार में स्त्री और पुरूष के अलावा उनके बच्चे भी रहते थे। शक्तिशाली पुरूष बहुत सी स्त्रियां रखते थे अतः उनकी स्त्रियों और बच्चों को मिलाकर बड़े–बड़े परिवार साथ रहते थे, धीरे–धीरे जब मनुष्य खेती करना सीख गया तब कई परिवार एक स्थान पर इकट्ठे तथा स्थाई रूप से रहकर खेती आदि करने लगे। इन परिवारों में धीरे–धीरे पड़ोसी के नाते एक दूसरे के सुख–दुःख में शामिल होने से सामाजिक सम्बन्ध बढ़ने लगे और इस तरह कई परिवारों के मिलने से समुदाय बने और समुदाओं से समाज का निर्माण हुआ। इस प्रकार परिवार ही वे प्राथमिक समूह थे जिनसे धीरे–ध ीरे मानव समाजों की उत्पत्ति हुई।

परिवार मानव समाज की एक मौलिक इकाई है उसकी नींव मानव की जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर टिकी हुई है। आधुनिक काल में परिवार के बहुत से काम अन्य समितियों ने उनसे ले लिए हैं परन्तु फिर भी ऐसी अनेक जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं जिनको मानव, परिवार के बिना पूरा नहीं कर सकता। हैवलॉक ऐलिस ने अपने खोज पूर्ण प्रबन्धों में यह दिखलाया है कि बालक के लिए मां के दूध का जो महत्व है उसको किसी भी अन्य तरीके से नहीं पाया जा सकता। मनोवैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि पारिवारिक स्नेह के अभाव के कारण बालक के मनोवैज्ञानिक विकास पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ता है। परिवार के बाहर भी यौन वासनाओं की पूर्ति की जा सकती है परन्तु उसे कभी भी वास्तविक भावात्मक सुख नहीं मिल सकता। इस प्रकार मनुष्य स्वभाव से ही परिवार में रहना चाहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इस कथन का वास्तविक अर्थ यही है कि वह परिवार के बिना नहीं रह सकता। अतः परिवार समाज की एक मौलिक इकाई है।

- **परिवार की स्थिति केन्द्रीय है –** मानव समाज में परिवार की स्थिति केन्द्रीय (nuclear) होती है। आदिम समाजों में तो सम्पूर्ण सामाजिक संगठन ही पारिवारिक इकाइयों पर आधारित हैं और समाज में श्रमविभाजन भी परिवार के आधार पर होता है। आज के जटिल सामाजिक ढांचे में परिवार का महत्व पहले से कम अवश्य हो गया है परन्तु आज भी समाज के अधिकांश सदस्यों की अधिकांश क्रियाएं परिवार के लिए और परिवार से ही सम्बन्धित होती हैं। देखा जाता है कि लोग अपने आराम से अधिक अपनी स्त्री, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के सुख और आराम के लिए

मेहनत करते हैं। अतः अब भी परिवार मनुष्य की अधिकांश क्रियाओं का केन्द्र है।

समाज की सुव्यवस्था परिवारों की सुव्यवस्था पर निर्भर है। यदि किसी समाज में परिवार विघटित होंगे तो सामाजिक संगठन कभी भी कायम नहीं रह सकता। सामाजिक विघटन का एक बड़ा कारण पारिवारिक विघटन है। परिवार समाज के सदस्यों का चरित्र निर्माण करते हैं। फ्रायड आदि मनोवैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि बालक का चरित्र तथा मनोवृत्तियां परिवार में जैसे बन जाते हैं, वह आगे चलकर समाज में भी उसी के अनुसार व्यवहार करता है। एलर के अनुसार व्यक्ति का पारिवारिक कार्य उसके सामाजिक कार्य को प्रभावित करता है।(शर्मा, राजेन्द्र एवं रचना, 1998)

- **परिवार व्यक्ति का समाजीकरण करता है –** इस प्रकार परिवार में व्यक्ति का समाजीकरण होता है। परिवार की परिभाषा करते हुए मैरिल ने लिखा है, ''परिवार माता, पिता की ओर बच्चों की एक स्थाई समिति है जिसके प्राथमिक कार्य बालक का समाजीकरण करना और सदस्यों को सन्तुष्ट करना है।'' डीवी और टफ्टस के अनुसार परिवार प्रजाति की शिक्षा तथा संरक्षण की सामाजिक संस्था है। परिवार में ही बालक कोमलता, सहानुभूति, आत्म समर्पण तथा जिम्मेदारी महसूस करना आदि आवश्यक गुण सीखता है। परिवार में सीखे हुए गुणों से ही बालक आगे चलकर समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनता है। राइट ने ठीक ही लिखा है कि हर एक परिवार में बालक को स्वतन्त्रतापूर्वक विचार प्रकट करने और अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने का अवसर मिलता है। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी भली प्रकार सिद्ध कर दिया कि परिवार के अच्छे पर्यावरण के बिना बालक का समुचित विकास असम्भव है। परिवार में उसकी जो प्रवृत्तियां और आदतें बन जाती हैं उनको वह बड़े होकर छोड़ नहीं सकता है। फ्रायड के अनुसार परिवार में बालक का बड़ों के प्रति जो दृष्टिकोण रहता है उसी से निश्चित होता है कि उसका समाज अथवा बिरादरी के बढ़े–बूढ़ों के प्रति क्या दृष्टिकोण होगा। बालक की प्रारंभिक शिक्षा परिवार में ही होती है। प्रो. कार्लिंगवुड के अनुसार बालकों की शिक्षा परिवार में माता–पिता के ही साथ में होनी चाहिए। माता–पिता को बच्चों के सारे कामों में भाग लेना चाहिए। बालक अपने बड़ों के अनुकरण से बहुत कुछ सीखता है। महात्मा गांधी आदि विचारवान व्यक्ति सदैव अपने बच्चों के विकास पर स्वयं ध्यान रखते थे।

इस प्रकार परिवार ही बालक को समाज के रीति–रिवाजों, व्यवहारों, संस्कृति के अन्य आवश्यक अंगों, स्वास्थ्य–रक्षा, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, सहयोग आदि की व्यावहारिक शिक्षा देता है।

- **परिवार संस्कृति का वाहक है –** परिवार समाज की एक प्राथमिक और मौलिक इकाई है। उससे ही व्यक्ति का चरित्र और व्यक्तित्व ढलता है। उसके द्वारा ही समाज व्यक्ति को अपनी संस्कृति प्रदान करता है। अतः समाजीकरण करने वाली एक संस्था के रूप में परिवार का बड़ा महत्व है। ''द फेमिली कन्वेन्स ऑफ ट्रेडीशन'' नामक लेख में लिखा है ''परिवार का खास काम बच्चों को स्वीकृति प्रदान करना है। विवाह के समाज परिवार की संस्था भी संस्कृति के अलग–अलग तत्वों से बनती है। इसी कारण से धार्मिक, न्यायिक, राजनैतिक, कलात्मक और भाषा सम्बन्धी पहलू होते हैं। जब कभी युग पर किसी नई विचारधारा का अधिकार जमता है तो उससे परिवार को भी एक नया रूप मिलता है। जिससे आने वाली पीढ़ियों का लालन–पालन और मनोवृत्ति उस विचारधारा के अनुरूप हो सके। रोम में राजनीति और कानून का जोर था इसलिए वहां की पारिवारिक व्यवस्था भी ऐसी थी जिसमें बच्चों का पालन–पोषण उस संस्कृति के अनुरूप हो। आज आर्थिक व्यवस्था की प्रधानता है। इसलिये परिवार ने अपना रूप बदल लिया है, वह बच्चों की मनोवृत्ति, नई संस्कृति के अनुरूप बनाता है।'' इस प्रकार परिवार व्यक्ति को समाज की संस्कृति के अनुरूप बनाता है। परिवार में बालक को समाज में प्रचलित रीति–रिवाजों, व्यवहारों, परम्पराओं आदि की शिक्षा मिलती है।
- **परिवार के द्वारा सामाजिक नियन्त्रण –** सामाजिक जीवन सम्बन्धों का ताना–बाना है। इन सम्बन्धों को ठीक रूप में रखने के लिए अधिकारों और कर्तव्यों की ऐसी व्यवस्था की जाती है, जिससे समाज के सदस्यों में आपस में संघर्ष न हो और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में साथ–साथ विकसित हो सकें। समाज में व्यक्तियों का यह सामंजस्य बनाए रखने के लिए समाज व्यक्ति पर अनेक प्रकार के नियन्त्रण लगाता है, उनको बड़ों की आज्ञा मानना, छोटों से सहानुभूति रखना और अन्य लोगों से सहानुभूति करना सिखाता है।

मन की विभिन्न अवस्थाएं

समाज में व्यवस्था रखने के लिए यौन सम्बन्धों पर कड़ा नियन्त्रण रखने की आवश्यकता है अन्यथा आज के जटिल सामाजिक जीवन में अव्यवस्था फैल जाएगी, स्त्री पुरुष सम्बन्धों की दृढ़ता समाप्त हो जाएगी, वर्ण संकर सन्तान उत्पन्न होगी जिनकी देख–भाल करने वाला कोई न रहेगा। यद्यपि मानव–शास्त्रियों मीड और मैलिनोवस्की ने ऐसे समाजों का भी पता लगाया है जहां यौन नियन्त्रण बहुत कम है परन्तु फिर भी समाज आमतौर से व्यवस्थित रहता है परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था आधुनिक सभ्य मानव की प्रवृति के सर्वथा विरुद्ध है। यौन सम्बन्धों के इस नियन्त्रण का काम समाज के लिए परिवार करता है। परिवार में अविवाहित युवक–युवतियों के आचार–व्यवहार पर लगभग सभी संस्कृतियों में न्यूनाधिक नियन्त्रण रखा जाता है जब तक कि उनका विवाह न हो जाए। इसी प्रकार परिवार व्यक्ति को अन्य, अनेक दुर्गुण और अपराधों, शराब पीना, चोरी करना, धोखेबाजी आदि से रोकता है। बहुत कम मां–बाप अपने बच्चों को झूठा और हत्यारा बनाना चाहेंगे। बुरा आदमी भी आमतौर से यह कोशिश करता है कि उसके बच्चें इन बुराइयों को न सीखें। परिवार में बच्चों को बुरे कामों के करने पर डांट व दण्ड सहन करना पड़ता और अच्छे काम करने पर पुरस्कार मिलता है या शाबासी मिलती है। इससे वे बुरी आदतें छोड़ते हैं और अच्छी–अच्छी बातें सीखतें हैं। इस प्रकार समाज में अच्छे नागरिकों का बनाना योग्य माता–पिता पर निर्भर है। (शर्मा, राजेन्द्र एवं रचना, 1998)

- **आदर्शों की सीख –** प्रत्येक समाज में कुछ मूल्यों या आदर्शों को ऊंचा और सभ्यता का चिन्ह माना जाता है। जिस व्यक्ति में ये आदर्श अधिक पाए जाते हैं उसका समाज में बड़ा सम्मान होता है। उदाहरण के लिए भारत में धार्मिक और आध्यात्मिक गुणों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तथा धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्तियों का समाज में सब कहीं बड़ा आदर होता है। इसके अलावा भारतवर्ष में साधारणतः विवाह से पूर्व यौन सम्बन्धों पर नियन्त्रण आवश्यक माना जाता है। समाज में ऊंचे माने जाने वाले इन मूल्यों को व्यक्तियों में उत्पन्न करने का भार परिवारों पर ही है। यह ठीक है कि स्वभाव के अनुसार भी प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र भिन्न–भिन्न होता है परन्तु पारिवारिक पर्यावरण का भी उसे बनाने में बड़ा हाथ है। गांधी इत्यादि संसार के बड़े–बड़े धार्मिक व्यक्तियों में से अनेक पर उनके परिवार के किसी न किसी व्यक्ति का जबर्दस्त धार्मिक प्रभाव था। महापुरूषों के निर्माण में उनकी माताओं का

सदा ही बड़ा भारी हाथ रहा है। भिन्न–भिन्न संस्कृतियों के मानने वालों के आदर्शों में जो मौलिक भेद पाया जाता है वह उनके परिवारों में ही उत्पन्न होता है।

- **माता पिता तथा बालक के सम्बन्ध –** मनोविश्लेषणवादियों ने माता–पिता और बालक के सम्बन्ध के महत्व का मनोवैज्ञानिक विवेचन करके यह बतलाने की चेष्टा की है कि बालक पर माता–पिता का और उसके संबंध का इतना अधिक प्रभाव क्यों पड़ता है। फ्रायड के अनुसार माता–पिता विशेषतया पिता बालक के सामने आदर्श के रूप में होते हैं। वे अधिक शक्तिशाली होते हैं और सब कामों को भली–भांति कर पाते हैं। बालक अचेतन अवस्था में ही पिता से तादात्म्य कर लेता है। वह उस जैसा बन जाना चाहता है। देखा जाता है कि छोटा लड़का अपने पिता के कपड़े पहन कर या उसकी छड़ी लेकर उसकी तरह चलने का नाटक करता है। माता–पिता जैसा करते हैं वैसे बालक भी करने लगता है। तादात्म्य के अलावा इसमें एक दूसरा तत्व अनुकरण का है। बालक अनुकरण से बहुत कुछ सीखता है। तरह–तरह के कामों को वह अपने माता–पिता का अनुकरण करके या बड़े भाई–बहनों का अनुकरण करके सीख जाता है। बालक माता–पिता के उदाहरण से सीखता है। यदि माता–पिता स्वयं कोई काम करते हों तो बालक को उस काम से रोकना बड़ा कठिन होगा क्योंकि बालक यह समझता है कि जब माता–पिता उस काम को करते हैं तो वह काम अवश्य किया जाना चाहिए। इसमें अनुकरण भी है और तादात्म्य भी। माता–पिता से बालक को सुझाव भी मिलते हैं। वे जो काम करते हैं उनके सुझाव से वह वैसा ही करने लगता है। इस प्रकार माता–पिता से बालक के सम्बन्ध में केवल तादात्म्य ही नहीं बल्कि अनुकरण, संकेत और सहानुभूति की प्रक्रियाएं भी काम करती हैं। फ्रॉयड के अनुसार माता–पिता के प्रति लड़के–लड़की दोनों का दृष्टिकोण एक सा नहीं होता। फ्रॉयड ने मनुष्य में बचपन से ही काम वासना का होना माना है। उसके अनुसार बालक केवल भूख के कारण ही मां के स्तन नहीं चूसता बल्कि इस काम में उसे सुख मिलता है। उसकी माता उसको केवल भोजन देने वाली ही नहीं है बल्कि उसकी सहानुभूति का आवलम्बन भी है। फ्रॉयड ने बालकों में भिन्न लिंगीय काम प्रवृत्ति का होना भी माना है। उसके अनुसार लड़का माता को और लड़की पिता को अधिक चाहते हैं। मां लड़की

की प्रेमिका है। अतः स्वभावतया उसका पिता उसका प्रतिद्वन्द्वी बन जाता है। बालक देखता है कि कभी–कभी उसके पिता के कारण ही उसको अपनी माता का प्यार नहीं मिल पाता। बहुधा पिता के आने पर माता बालक को छोड़कर पिता के पास चली जाती है। इससे बालक में पिता के प्रति शत्रुता की भावना जागती है। जहां वह एक आदर्श के रूप में उसका आदर करता है वहां दूसरी ओर एक प्रतिद्वन्द्वी के रूप में उससे घृणा भी करता है।

- **ईडीपस ग्रन्थि –** इन परस्पर विरोधी प्रेरणाओं से लड़के में ईडीपस भावना ग्रन्थि बन जाती है। फ्रॉयड ने इस प्रत्यय से लड़के में पिता के प्रति इन परस्पर विरोधी भावनाओं को दिखलाने का प्रयास किया है। यह प्रत्यय एक प्राचीन ग्रीक कथा पर आधारित है जिसमें एक ग्रीक राजा के ईडीपस नाम के पुत्र के विषय में ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह अपने पिता को मारकर माता से विवाह करेगा। यह सुनकर राजा ने उसको जंगल में छुड़वा दिया था। जंगल में वह कुछ लोगों के हाथ पड़ गया। उसका पालन–पोषण हुआ और वह बड़ा होकर एक बड़े जन–समूह का नेता बन गया। कहा जाता है कि अन्त में उसने अपने पिता पर आक्रमण किया और उसको परास्त करके मार डाला तथा रानी से विवाह कर लिया जो कि वास्तव में उसकी मां थी। बाद में जब उसे वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो आत्म ग्लानि के कारण वह राज पाठ छोड़कर जंगलों में चला गया।(शर्मा, राजेन्द्र एवं रचना, 1998)
- **एलेक्ट्रा ग्रन्थि –** फ्रॉयड का कहना है कि जिस प्रकार लड़का माता से अधिक प्रेम करता है उसी प्रकार लड़की पिता से अधिक प्रेम करती है। पुत्री के पिता के प्रति प्रेम को फ्रॉयड ने एलेक्ट्रा मानसिक ग्रन्थि का नाम दिया है। ग्रीक की एक पौराणिक कथा के अनुसार एलेक्ट्रा नामक एक लड़की ने अपने पिता गजामैमनान से विवाह करने के लिए अपने भाई औरस्टीज की सहायता से अपनी मां क्ताइटीम्नैस्ट्रा की हत्या करवा दी थी। पुत्री–पिता से प्रेम करती है और इसलिए अचेतन रूप से मां को अपना प्रतिद्वन्द्वी समझकर उससे घृणा करने लगती है।(शर्मा, राजेन्द्र एवं रचना, 1998)

माता–पिता और बालकों के सम्बन्ध के विषय में फ्रॉयड का मत कुछ विचित्र पड़ता है। परन्तु वास्तव में इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसमें थोड़ा बहुत सत्य अवश्य है। इससे माता–पिता अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन करके बच्चों पर अच्छा

प्रभाव डाल सकते हैं। पिता बाहर जाए तो उसको चाहिए कि वह पुत्री को पत्र अवश्य लिखे चाहे पत्नी को न लिखे। ऐसा करने पर पुत्री को बड़ा सन्तोष होगा जोकि उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक सिद्ध होगा।

समायोजन एवं मानसिक स्वास्थ्य – समायोजन ही जीवन है। मनोविज्ञान का विशेष उद्देश्य है व्यक्ति को जीवन में समायोजित करना। दैनिक जीवन में हम सभी प्रायः समायोजन करते हैं। यदि बस में पचास व्यक्तियों के लिए स्थान है और साठ व्यक्ति सफर कर रहे हैं तो उन्हें बस में समायोजित होना पड़ता है। कक्षा में तीस छात्रों के स्थान पर पैंतीस छात्र भी समायोजित हो जाते हैं। हम जब भी किसी के घर जाते हैं तो वहां हमें और घर के सदस्यों को एक–दूसरे के प्रति समायोजित होना पड़ता है। किसी भी नए वातावरण में व्यक्ति को समायोजित होना पड़ता है। कभी–कभी हमें समायोजन करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने वाह्य तथा आन्तरिक वातावरण के साथ समायोजन करने में समर्थ होते हैं, वे सफल होते हैं किन्तु समायोजन स्थापित करने में जिनके सिद्धान्त आदि आड़े आ जाते हैं वे असफल रहते हैं। सफलता–असफलता केवल समायोजन के परिणाम हैं। जीवन की समस्याओं का समाधान समायोजन में निहित है। विशेषकर इस चिन्ताओं के युग में जितना सम्भव हो सके उतना ही सीधे और सरल मार्ग से लक्ष्य तक पहुंने की दक्षता ही समायोजन का आधार है।

समायोजन शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द एडजस्टमेण्ट है। इसकी व्युत्पत्ति जीव विज्ञान के एडाप्शन शब्द से हुई है। नवजात शिशु जन्म लेने के पश्चात् यदि वातावरण से समायोजित हो जाता है तो वह जीवित रहता है अन्यथा नहीं। लैन्डिस तथा बाल्स ने समायोजन की व्याख्या करते हुए कहा है कि समायोजन का अर्थ है– ''नित्यप्रति के जीवन के मतभेदों, अन्तर्द्वन्द्वों और निर्णयों को व्यवस्थित, क्रमबद्ध और एकरस बना लेना अथवा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने व्यावहारिक तत्वों में नियमन या व्यवस्थापन बना लेना।''

मैस्लो तथा मिटिलमैन के अनुसार ''समायोजन व्यक्ति की वह विशेषता है जिसके अनुसार वह अपने जीवन की मुख्य समस्याओं को समझता है, उनकी प्रतिक्रिया करता है एवं उनका समाधान करता है।'लारेन्स एफ.शैफर के अनुसार ''समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीवित प्राणी अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की तुष्टि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में एक सन्तुलन बनाए रखता है।''

व्यक्ति आवश्यकताओं एवं समस्याओं का एक रूप है। जन्म लेते ही उसे शारीरिक आवश्यकताएं घेर लेती हैं। आयु बढ़ने के साथ–साथ उनमें मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। उन सभी समस्याओं के बीच में रहते हुए व्यक्ति को एक ओर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करने होते हैं और दूसरी ओर जीवन की समस्याओं के लिए समाधान खोजना पड़ता है। इन दोनों के लिए एक बाह्य और आन्तरिक वातावरण होता है जिसके साथ समायोजन स्थापित करना ही सामान्य व्यवहार की विशेषता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना और लक्ष्य प्राप्त करना ही समायोजन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है।

समायोजन की विशेषताएं –

समायोजन एक निरन्तर प्रक्रिया है – समायोजन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं।

- **समायोजन एक निरन्तर प्रक्रिया है –** व्यक्ति जीवन में एक बार ही समायोजन नहीं करता वरन आवश्यकता उत्पन्न होने पर वह बार–बार उसकी पूर्ति करना चाहता है। पूर्ति करते समय उसके सम्मुख अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं और वह उनको दूर करने पर ही अपनी आवश्यकता पूर्ण कर पाता और स्वयं को समायोजित कर पाता है। एक आवश्यकता पूर्ण होने के पश्चात या साथ ही दूसरी आवश्यकता आरम्भ हो जाती है। इस प्रकार यह कभी न अन्त होने वाला क्रम है।
- **प्रेरणा –** समायोजन प्रक्रिया व्यक्ति में उपस्थित प्रेरणा या आवश्यकता से प्रारम्भ होती है।
- **समायोजन व्यक्ति से सम्बन्धित है –** व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। अतः एक ही वातावरण में दो व्यक्ति भिन्न–भिन्न रूप से समायोजित होते हैं। जब वातावरण की परिस्थितियां आवश्यकताओं की सन्तुष्टि में बाधक होती हैं तो व्यक्ति अपनी बाह्य व आन्तरिक मांगों के साथ–साथ कुण्ठित हो जाता है और वह अपने जीवन मूल्यों, सामाजिक मानकों, अभिवृत्तियों, पूर्वाग्रहों के आधार पर समायोजित होने का प्रयास करता है। ये उन्हीं व्यक्तियों को ज्ञात होती है जो समायोजन कर रहे हैं।

- **विविध अनुक्रियाएं –** आवश्यकता की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने पर व्यक्ति–प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है। ये अनुक्रियाएं सामान्य भी होती हैं ओर असामान्य भी। यदि इन अनुक्रियाओं के फलस्वरूप व्यक्ति का वातावरण के साथ समायोजन हो जाता है तो समायोजन की समस्या हल हो जाती है।
- **समायोजन संस्कृतियों के अनुसार भिन्न होता है –** कोई व्यक्ति जो किसी एक समाज में किसी विशिष्ट सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में सुसमायोजित माना जाता है– वह किसी भिन्न समाज में भिन्न सांस्कृतिक विन्यास से वैसा नहीं माना जाता है। उदाहरणार्थ –किसी धर्म के विशेष मत के नग्न रहने वाले पुरूष अथवा जनजातीय संस्कृतियों के अर्द्धनग्न नारी एवं पुरूष को भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले भिन्न समाजों में समायोजित नहीं भी समझे जा सकते हैं।

समायोजन के क्षेत्र – जब व्यक्ति और उसके परिवेश के बीच के सम्बन्ध व्यवहार के वर्तमान मानकों अथवा जीवन स्तरों के अनुरूप होते हैं, तो उसे सामान्य अथवा स्वस्थ समायोजन माना जाता है। जो छात्र कक्षा में अनुशासन में रहते हैं, गृहकार्य करते हैं, अध्यापक के पढ़ाते समय पूरा ध्यान देते हैं, वह कक्षा में सुसमायोजित कहलाते हैं। दूसरी ओर वे छात्र जो अनुशासन भंग करते हैं, गृहकार्य नहीं करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, अन्य साथियों को परेशान करते हैं, कुसमायोजित कहलाते हैं। वास्तव में सुसमायोजन और कुसमायोजन के मध्य की सीमा रेखा को परिभाषित नहीं कर सकते हैं।

व्यक्ति के स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्ति के जीवन के तीन प्रमुख क्षेत्रों में उपयुक्त समायोजन होना आवश्यक है–

अ. वैयक्तिक ब. व्यावसायिक स. सामाजिक

अ. वैयक्तिक समायोजन – समायोजन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आवश्यकताओं के साथ समायोजन करते हैं। व्यक्ति की बाह्य तथा आन्तरिक दोनों आवश्यकताएं परिवेश के साथ परस्पर क्रिया से उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति इन आवश्यकताओं से समायोजन करने के लिए निरन्तर प्रतिबल में रहते हैं। आधुनिक युग में मानव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रतिबलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही समायोजन एवं मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यक्ति को जीवन में इन प्रतिबलों के साथ प्रभावशाली समायोजन भी करना पड़ता है।

- **प्रतिबल –** यदि व्यक्ति की आवश्यकताएं तुरन्त और स्वतः पूरी हो जाएं

तो जीवन इतना सरल हो जाएगा कि फिर उसमें प्रति आकर्षण और आनन्द की अनुभूति ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रकृति ने आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधाओं को उत्पन्न करते रहना मानव जीवन के सुख के लिए जरूरी कर दिया है। यदि बिना बाधाओं के आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो फिर जीवन में जीने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। यह बाधाएं जो जीवन–संग्राम में समय–समय पर उत्पन्न होती रहती हैं, व्यक्ति पर एक विशेष प्रकार का दबाव बनाए रखती हैं। यह दबाव प्रतिबल के नाम से जाना जाता है।

प्रतिबल का प्रत्यय भौतिक शास्त्र से लिया गया है। जब एक यान दूसरे यान से टकराता है तो दोनों ही क्षतिग्रस्त होते हैं। रस्सी या फीते को जब हम किसी विशेष सीमा तक खींचते हैं तो वह टूट जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शक्तियां एवं प्रतिबल हमें धकेलते एवं खींचते रहते हैं। रोजेन तथा ग्रेगरी ने प्रतिबल की व्याख्या करते हुए कहा है कि, ''प्रतिबल ऐसी बाह्य एवं आन्तरिक अनिष्टकारी एवं अभावपूर्ण उद्दीपक स्थितियों का ज्ञान कराता है जिनके साथ समायोजन स्थापित करना अत्यधिक कठिन होता है।''

प्रतिबल दो प्रकार का होता है–शारीरिक (जैविक) तथा मनोवैज्ञानिक। जैविक या शारीरिक (Biological) स्तर के प्रतिबल के उदाहरण में जब निमोनिया का वाइरस चलता है और उत्पाद मचाता है तो उस समय शारीरिक स्तर पर जो आवश्यकताएं होती हैं वह सुरक्षा सम्बन्धी होती हैं। इसी प्रकार अपराध मनोवैज्ञानिक प्रतिबल का स्रोत है जिसमें अहम की सुरक्षा प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं। उदाहरण स्वरूप जब देश में युद्ध की स्थिति होती है तो प्रतिबल व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों स्तर पर कार्य करता है। प्रतिबल के विकास में भौतिक, सामाजिक या मानसिक कोई भी कारण हो सकता है।

3.3.8 प्रतिबल के स्रोत – समायोजन की समस्याओं या प्रतिबल के तीन स्रोत माने जाते हैं–

(1) कुंठा (2) अर्न्तद्वन्द्व एवं (3) दबाव।

- **कुंठा–** जब व्यक्ति अपने निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ रहा होता है, उस समय कुछ बाधाएं रास्ता रोकती हैं। लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाने की ऐसी स्थिति में व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न हो सकती है। यदि व्यक्ति के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता, तो उसे यह ज्ञात नहीं होता कि उसे कहां पहुंचना है और वह लक्ष्यहीन, दिशाहीन व्यक्ति, कुंठित, अव्यवस्थित ओर असन्तुलित हो जाता है। आज के

युग में लक्ष्यहीन और दिशाहीन युवा वर्ग पूर्णतः कुण्ठित, अव्यवस्थित और असंतुलित होकर जहां जगह मिल जाती है वहां फिट होने की कोशिश करता है। कोलमैन ने एक उदाहरण द्वारा कुण्ठा की उत्पत्ति को इस प्रकार से समझाया है– जब एक युवा लड़की अपने कालेज की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है, परन्तु माता–पिता उसे पार्टी में जाने से रोक देते हैं तो ऐसी स्थिति में लड़की में कुण्ठा उत्पन्न हो जाती है क्योंकि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाई। कोलमैन ने कुण्ठा को परिभाषित करते हुए कहा है –

''जब व्यक्ति एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, उस समय यदि उसके अभिप्रेरक के मार्ग में अवरोधक आ जाए और स्थाई व अस्थाई रूप में उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो वह अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। परिणामस्वरूप वह कुण्ठित होने लगता है।

कुण्ठाओं को दो वर्गों में बांट सकते हैं –

- **वाह्य कुण्ठाए –** वातावरण में दो प्रकार के अवरोध सदैव सक्रिय रहते हैं। भौतिक ओर सामाजिक। भौतिक अवरोध के अन्तर्गत प्राकृतिक बाधाएं और आपदाएं आती हैं। जैसे–सूखा, बाढ़, अकाल, तूफान, आग, भूकम्प आदि। ये भौतिक आपदाएं व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक देती हैं और बहुत सी दशाएं हैं, जिनके कारण व्यक्ति को निरन्तर परिश्रम करने के बाद भी असफलता हाथ लगती है। ये भौतिक वातावरण से उत्पन्न कुण्ठाएं कहलाती हैं।
- **सामाजिक कुण्ठाए –** सामाजिक वातावरण में निहित कुण्ठाएं उस समय प्रकट होती हैं जब व्यक्ति समाज की बुराइयों के विरोध में कोई कदम उठाता है या सामाजिक मान्यताओं, नियमों और परम्पराओं के विपरीत चलता है। अन्तर्जातीय विवाह, विवाह से पूर्व कामुक सम्बन्ध, हिंसात्मक कार्य आदि ऐसी परिस्थितियां हैं, जो व्यक्ति के मन को कुंठित कर देती हैं। नौकरी में सवर्ण जाति के व्यक्ति को प्रतिभा सम्पन्न होते हुए भी अवसर नहीं मिलता जबकि आरक्षण के कारण अयोग्य व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है, जूनियर व्यक्ति की पदोन्नति हो जाती है, ऐसे में व्यक्ति निराशा में लम्बे समय तक रहने के बाद कुण्ठित मन लेकर अकर्मण्य हो जाता है।

अध्याय 4

बन्दियों के सुधार के कानूनी प्रावधान

बन्दियों के उपचार की व्यवस्था विभिन्न सोपान तय करते हुए आज अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंची है। दण्ड–नीति में दण्ड की आवश्यकता पर सन 1964 के अमेरिकन जरनल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एण्ड पुलिस साइन्स नामक पत्रिका में अत्यंत उद्‌बोधक एवं रोचक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें दण्ड में औचित्य से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार किया गया था। इस लेख के अनुसार दण्ड के कारण दण्डित व्यक्ति अपनी वैयक्तिक स्वतन्त्रता से वंचित रहता है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों को दण्डित करना एक आवश्यक कार्य माना जाता है। प्रत्यावर्ती अपराधियों में समाज द्वारा निर्धारित विधिक नियमों का उल्लंघन करने की दुष्वृति प्रायः पाई जाती है। संभवतः इसका कारण यह होता है कि ऐसे अपराधी स्वयं को सामाजिक अर्हताओं के अनुकूल समायोजित नहीं कर पाते हैं। अतः प्रश्न यह उठता है कि ऐसा कौन–सा कारण है जो इन्हें समाज द्वारा निर्धारित नियमों के विरूद्ध आचरण करने के लिए उकसाता है। अनेक शोध अपराधियों का परीक्षण किए जाने के पश्चात यह सिद्ध करते हैं कि उनके मस्तिष्क की कोई दुर्बलता उन्हें आपराधिक आचरण करने के लिए प्रेरित करती है तथा जिसे उपचारात्मक लाक्षणिक पद्धति द्वारा ठीक किया जा सकता है। यही कारण है कि वर्तमान में कारावासियों के लिए अधिकांशतः उपचारात्मक दण्ड की नीति अपनाई जाती है ताकि वे समाज में पुनः अनुशासित व्यक्ति के रूप में समाज में पुनर्वासित हो सकें। दण्ड का यह स्वरूप प्राचीन काल में नहीं था।

प्राचीन समय में जब विधि या न्याय–प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी, किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने पर अन्य व्यक्ति उसके प्रति क्रोध के कारण उसे हानि पहुंचाने

की प्रवृत्ति रखते थे तथा उसे निर्दयता पूर्वक कठोर दण्ड देते थे। किसी निश्चित विधि अथवा न्याय–व्यवस्था के अभाव में मनुष्यों द्वारा अपने विवाद वैयक्तिक रूप से स्व–सहाय के रूप में द्वन्द्व–युद्ध अथवा रूधिर–बैर द्वारा तय कर लिए जाते थे। यदि कोई अपराधी किसी व्यक्ति की हत्या कर देता था तो मृतक के संबंधियों को मृतक के रक्त के प्रतिकार में हत्यारे को मार डालने का अधिकार प्राप्त था। इस प्रथा को लेक्स टेलिओनिस द्वारा कहा गया है, जिसका अर्थ यह होता है कि अपराधी को ठीक उतनी ही हानि पहुंचाई जाए जितनी उसने अपने अपराध–कृत्य द्वारा अपकारित व्यक्ति को पहुंचाई थी। इसी प्रथा को आंख के लिए आंख तथा दांत के लिए दांत की उक्ति द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, जिसके अन्तर्गत अपकारित व्यक्ति अपकारी व्यक्ति को वैयक्तिक रूप से उतनी ही हानि पहुंचाने का अधिकार रखता है जितनी उसे अपकारी व्यक्ति के अपराध के कारण हुई हो। गोकिन ने इस प्रथा के विषय में लिखा है कि उस समय दण्ड को अपकारित व्यक्ति को हुई हानि की प्रतिक्रिया का परिणाम मात्र माना जाता था परन्तु रूधिर बैर के कारण द्वन्द्व–युद्ध का परिणाम यह होता था कि प्रतिशोध की भावना में हिंसक कृत्यों के कारण विवाद का अन्त होना कठिन होता था। इसके अतिरिक्त, इससे निर्बल अपकारित व्यक्ति को अपराधी से प्रतिशोध लेना असंभव था परन्तु सामाजिक विकास के साथ ही मनुष्यों में एक दूसरे के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति आदर की भावना उत्पन्न हुई, जिसने आगे चल कर विधि की कल्पना को साकार रूप दिया। इसके परिणाम स्वरूप अपकारी से द्वंद्व–युद्ध करने के स्थान पर अपकारित व्यक्ति को हुई हानि के लिए धन के रूप में क्षति पूर्ति दी जाने की पद्धति अपनाई जाने लगी। यह राशि अपराध के स्वरूप एवं अपकारित व्यक्ति के सामाजिक स्तर के आधार पर निश्चित की जाती थी। उल्लेखनीय है कि प्राचीन समय में लागू क्रूर एवं निर्दय दण्ड–व्यवस्था के बावजूद अपकारित व्यक्ति के लिए प्रत्यास्थापन की व्यवस्था थी तथा अपकार के कारण हुई हानि के लिए वह अपराधी से क्षति प्राप्त करने का अधिकारी था परन्तु आज अपराधी से वसूल की गई आर्थिक दण्ड की राशि भी अपकारित व्यक्ति को न दी जाकर सरकारी कोष में जमा कर दी जाती है। *(एन.वी. परान्जपे 1982)*

कालान्तर में अपराधियों को दण्डित करने का कार्य शासक ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया। फलतः अपकारिता व्यक्ति द्वारा स्व–सहाय के आधार पर स्वयं वैयक्तिक रूप से अपराधी से प्रतिशोध लेने की प्रथा समाप्त कर दी गई। शासक द्वारा दण्ड दिए जाने का प्रयोजन यह होता था कि मनुष्य एक दूसरे की स्वतन्त्रता में अनुचित हस्तक्षेप

न करें। घोर अपराधियों को निर्वासन का दण्ड देने की व्यवस्था की गई जिसके दो मुख्य उद्देश्य थे। प्रथम यह कि देश से निर्वासन के कारण निर्वासित अपराधी से उस समाज को भविष्य में हानि होने की सम्भावना नहीं रहती थी तथा दूसरा यह कि उस समाज के अन्य व्यक्ति अपराधी द्वारा किए गए अपराध की पुनरावृत्ति करने से भय खाते थे। प्रो. मेटलैण्ड का कथन है कि इंग्लैण्ड के इतिहास के प्रारम्भिक काल में चार प्रकार के दण्ड प्रमुखता से प्रचलित थे जिन्हें क्रमशः 1. अद्वैधकरण 2. रूधिर द्वंद्व 3. क्षति–पूर्ति 4. प्राण–दण्ड अथवा अंग–विच्छेद कहा जाता था। *मेटलेण्ड, 1835*

यूरोपियन इतिहास के मध्य युग में धार्मिकता का सर्वाधिक महत्व बढ़ गया। इसका प्रभाव न्याय एवं दण्ड व्यवस्था पर भी पड़ा। किसी भी अपकृत्य को पाप और पुण्य की दृष्टि से देखा जाने लगा। अपराधी का दोष या उसकी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए अग्नि–परीक्षा आदि जैसे विचित्र साधन अपनाए जाते थे। इस बात का साक्ष्य वर्तमान न्यायालयों में प्रचलित शपथ विधि आदि है। अपराधी द्वारा अपने अपराध–कृत्य के लिए पश्चाताप करना या उसमें प्रायश्चित करने की इच्छा या आत्म–ग्लानि उत्पन्न होना ही उसके लिए पर्याप्त दण्ड माना जाने लगा। पश्चाताप अथवा आत्म–ग्लानि के लिए उसे एकान्तवास में रखना आवश्यक समझा गया। इसी के परिणामस्वरूप एकान्त कारावास के वर्तमान दण्ड की प्रथा आरम्भ हुई। *(एन.वी.परान्जपे 1982)* हिन्दू–विधिशास्त्र में भी आत्म–शुद्धि को विशेष महत्व दिया गया है। यदि अपराधी वास्तव में स्वयं द्वारा किए गए अपराध के लिए लज्जित होता है तथा पश्चाताप करता है तो इस पश्चाताप के कारण उसे होने वाले मानसिक क्लेश से बढ़कर कोई अन्य दण्ड नहीं हो सकता है परन्तु प्रसिद्ध इटेलियन अपराधशास्त्री गेराफेलो ने इस धारणा को अस्वीकार करते हुए व्यक्त किया है कि पश्चाताप या आत्म–चिन्तन को केवल एक सैद्धांतिक महत्व प्राप्त है तथा प्रत्यक्ष में इसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है क्योंकि अपराधियों में स्वभावितः ही नैतिकता के प्रति अनास्था होती है। *फेड्रिक हावर्ड,1802* गेराफेलो का यह तर्क प्रत्यावर्ती अपराधियों के प्रति लागू हो सकता है किन्तु परिस्थितिक अपराधियों या प्रथमतः अपराध करने वाले अपराधियों के लिए पश्चाताप स्वयं में ही असहनीय दण्ड होता है। सारांश में यह कहा जा सकता है कि रूढ़िगत नियमों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों के लिए देश निकाले का दण्ड समुचित समझा जाता था, जिससे समाज के अन्य व्यक्ति उन नियमों का उल्लंघन न कर पाएं तथा नव–अपराधियों के लिए सामान्य कारावास का दण्ड पर्याप्त माना जाता था जिससे कि उन्हें अपने दुष्कृत्य के लिए पश्चाताप करने का अवसर मिल सके।

दण्ड – शास्त्र में मानवीय दण्ड–व्यवस्था लागू करने का वास्तविक श्रेय सुप्रसिद्ध अपराधशास्त्री बकारिया, गेराफेलो, फैरी तथा बेन्थम आदि को ही है, जिन्होंने क्रूर, अमानुषिक तथा कठोर दण्डों का कड़ा विरोध किया और दण्ड को अपराधी में सुधार किए जाने का साधन माना है। गेरासफेलो ने कुछ विशिष्ट प्रकार के अपराध करने वाले अपराधियों के लिए देश से निर्वासन का दण्ड सबसे उपयोगी माना, जिससे समाज के अन्य व्यक्ति वैसे अपराध करने से बचे रहें। परन्तु वर्तमान में अपराधी को उसके देश से निर्वासित करने की अपेक्षा दण्ड के रूप में उसे अपने मूल निवास–स्थान से निर्वासित करना ही पर्याप्त माना जाता है। गत दशकों से अपराधियों से कृषि–कार्य अथवा श्रम–कार्य करवाने के उद्देश्य से उन्हें कारावासियों के खुले कैम्पों में उचित नियन्त्रण में रखा जाता है ताकि वे अपनी उप–जीविका स्वयं अर्जित कर सकें तथा देश पर भार रूप न बने रहें। *गेराफेलो, क्रिमिनोलॉजी, 1825*

विगत दशकों में हुई वैज्ञानिक प्रगति तथा सभ्यता के विकास के कारण पश्चिमी देशों में सुधारवाद एवं नवजागृति की लहर उठी। फ्रांस में सन् 1779 की मानव–अधिकारों की घोषणा से शासक द्वारा अपराधियों को मनमाने ढंग से दण्डित किए जाने की प्रथा समाप्त कर दी गई तथा इसी समय से शासक द्वारा अपराधी को दण्डित करने के अधिकार को आवश्यकता के नियम के अन्तर्गत सीमित रखा गया। परिणामतः अपराधी को केवल उतना ही दण्ड दिया जा सकता था जितना उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए आवश्यक होता था। इस प्रकार यूरोपियन दण्ड–पद्धतियों में प्रतिशोधक एवं कठोर दण्ड के विरूद्ध अभियान का प्रारंभ इसी समय से माना जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न यूरोपियन देशों की दण्ड–प्रणालियों तथा न्याय प्रशासन में अनेक परिवर्तन हुए तथा दण्ड–शास्त्र का अपराधविज्ञान की एक स्वतन्त्र–शाखा के रूप में विकास प्रारंभ हुआ इस नवोदित दण्ड–शास्त्र के अन्तर्गत अपराधियों को दण्डित करने के बजाए उनमें सुधार करने पर अधिक जोर दिया गया तथा उनके उपचार के लिए उपचारात्मक दण्ड पद्धति अपनाई जाने लगी। अपराध एवं अपराधियों के प्रति वैज्ञानिक उपागमन से यह पूर्णतः सिद्ध कर दिया गया है कि यातनात्मक दण्ड प्रभावोत्पादक न होकर अपराधियों को अधिक–खतरनाक तथा समाज विरोधी बनाता है। सेम्यूअल रोमिले ने लिखा है कि आपराधिक न्याय–प्रशासन में अमानुषिक तथा क्रूर दण्ड–व्यवस्था के कारण जनता में निर्दयता तथा क्रूरता की भावना फैलना अवश्यम्भावी है। उल्लेखनीय है कि गेराफेलो ने सुधारात्मक दण्ड व्यवस्था का विशेष समर्थन नहीं किया है। उनके विचार में सुधारात्मक दण्ड केवल नव–अपराधी

अथवा प्रथमतः अपराध करने वाले अपराधियों के लिए ही प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है जब कि प्रत्यावर्ती और अभ्यस्त अपराधियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ना संभव नहीं है। इसी प्रकार वे प्रतिरोधक दण्ड दिए जाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उससे अपराधियों की परिस्थितियों के अनुसार दण्ड की मात्रा निर्धारित करना कठिन था। परन्तु वे बकारियो के इस तर्क से सहमत थे कि सामाजिक अस्तित्व एवं समाज में मनुष्य के अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से दण्ड–व्यवस्था अत्यावश्यक है।

भारतीय जेल प्रशासन ब्रिटिश शासन की देन थी मुख्यतः ब्रिटिशर्श के पूर्व भारत में मुगल शासन काल में जेलों का अस्तित्व अवश्य था किन्तु बंदियों की संख्या अधिक नहीं होती थी । ब्रिटिश शासन के दौरान ही भारतीय आंदोलनकारियों को जेलों में रखा जाता था एवं बंदियों की संख्या इसी दौरान तीव्रता से बढ़ी। चूंकि इस दौर में शासक गैर भारतीय थे अतः बंदियों का शोषण करने में नहीं चूकते थे लार्ड मैकाले ने सर्वप्रथम भारत में वैधानिक कौंसिल को 21 दिसंबर 1835 को एक लेख भेजा जिसमें प्रथम बार भारतीय जेलों की दिल दहला देने वाली अमानवीय स्थिति के बारे में वर्णन किया, जिसमें उन्होंने एक समिति बनाने की अनुशंसा की जो कि जेलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सके। इसी क्रम में इसी आशय की जेल अनुशासनात्मक समिति का गठन 2 जनवरी 1936 में लार्ड विलियम बेंटिक ने किया। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय जेल सुधार समिति (1919–1920) का गठन किया गया जो कि भारतीय कारागार प्रशासन के इतिहास में प्रथम बार बंदियों के सुधार एवं पुनर्वास की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। पहली बार जेल प्रशासन के इतिहास में बंदियों का सुधार एवं पुनर्वास को जेल प्रशासन का मुख्य उद्देश्य बनाया गया। तब से आज तक निरन्तर जेल सुधार एवं बन्दियों को मानवीय आधार पर सुधार एवं पुनर्वास के सिद्धांत पर कारावास में रखा जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएं – राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी पुरजोर समर्थन किया, उन्होंने कहा कि अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं साथ ही उन्होंने अपराधी को बीमार मानसिकता वाला व्यक्ति बताकर कारागारों को अस्पतालों की भूमिका अदा करने के लिए अनुशंसा की। इसी दौरान वर्ष 1930 में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बन्दियों के मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा जून 1945 में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिधि में लाया गया। इस आशय की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा पर समस्त सदस्य राष्ट्रों के हस्ताक्षर मानव अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु किए गए। इन सदस्य राष्ट्रों में भारत भी एक सदस्य राष्ट्र था जिसने

प्रसंविदा पर अपने हस्ताक्षर किए। तब से निरंतर संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं के माध्यम से सदस्य राष्ट्रों पर मानव अधिकारों के अनुपालन में बाध्यतामूलक प्रभाव बनाए हैं। इनमें से प्रमुख प्रसंविदाएं निम्नानुसार हैं –

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 – चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और सम्मान तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति ही विश्व–शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। चूंकि मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ही ऐसे बर्बर कार्य हुए जिनमें मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार किया गया, चूंकि एक ऐसी विश्व–व्यवस्था की स्थापना की (जिसमें लोगों को भाषण और धर्म की आजादी तथा भय और अभाव से मुक्ति मिलेगी) सर्वसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षा घोषित की गईं, चूंकि अगर अन्याययुक्त शासन और जुल्म के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के लिए उसे ही अन्तिम उपाय समझ कर– मजबूर नहीं हो जाता है, तो कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है, चूंकि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ाना जरूरी है, चूंकि संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य देशों की जनता ने बुनियादी मानव अधिकारों में, मानव अधिकारों में, मानव व्यक्त्वि के गौरव और योग्यता में और नर–नारियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास को अधिकार पत्र में दुहराया है और यह निश्चय किया है कि अधिक व्यापक स्वतंत्रता के अन्तर्गत सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर स्तर को ऊंचा किया जाए। चूंकि सदस्य देशों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संयुक्त राष्ट्रों के सहयोग से मानव अधिकारों और बुनियादी आजादियों के प्रति सार्वभौम सम्मान की वृद्धि करेंगे। चूंकि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह से निभाने के लिए इन अधिकारों और आजादियों का स्वरूप ठीक–ठीक समझना सबसे अधिक जरूरी है, इसलिए अब सामान्य सभा घोषित करती है कि मानव अधिकारों की यह सार्वभौम घोषणा सभी देशों और सभी लोगों की समान सफलता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों और आजादियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उपाय किए जाएं जिनसे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों की सार्वभौम और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन कराए। इसके अतिरिक्त सार्वभौमिक घोषणा के निम्नलिखित अनुच्छेद बन्दियों के सुधार को निर्देशित करते हैं –

अनुच्छेद–3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद–4 के अनुसार कोई भी गुलामी या दासता की हालत में न रखा जाएगा, गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा।

अनुच्छेद–5 के अनुसार किसी को भी शारीरिक यातना न दी जाएगी और न ही किसी के प्रति निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार होगा। अनुच्छेद–6 के अनुसार हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार है।

अनुच्छेद–6 के अनुसार कानून की निगाह में सभी समान हैं और सभी बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं। यदि इस घोषणा का अतिक्रमण करके कोई भी भेदभाव किया जाएगा उस प्रकार के भेद–भाव को किसी प्रकार से उकसाया जाए, तो उसके विरुद्ध समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है।

अनुच्छेद–7 के अनुसार सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का हक है।

अनुच्छेद–8 के अनुसार किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश निष्कासित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद–9 के अनुसार सभी को पूर्णतः समान रूप से हक है कि उनके अधिकारों और कर्तव्यों के निश्चय करने के मामले में और उन पर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उनकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष एवं निष्पक्ष अदालत द्वारा हो।

अनुच्छेद–10 (1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर दण्डनीय अपराध का आरोप किया गया हो, तब तक निरपराध माना जाएगा, जब तक उसे ऐसी खुली अदालत में, जहां उसे अपनी सफाई की सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों, कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध कर दिया जाए। (2) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे कृत या अकृत (अपराध) के कारण उस दण्डनीय अपराध का अपराधी न माना जाएगा, जिसे तत्कालीन प्रचलित राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध न माना जाए और न उससे अधिक भारी दण्ड दिया जा सकेगा, जो उस समय दिया जाता, जिस समय वह दण्डनीय अपराध किया गया था।

अनुच्छेद–11 के अनुसार किसी व्यक्ति की एकान्तता, परिवार, घर या पत्र–व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप या आक्षेपों के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी

रक्षा का अधिकार प्राप्त है।

- अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकार एवं प्रसंविदा 1976
- अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा 1976
- क्रूरता के विरूद्ध प्रसंविदा 1987
- नस्लीय भेदभाव उन्मूलन प्रसंविदा 1967

महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का सभी रूपों में उन्मूलन 1981 – मौलिक मानवाधिकार संधियों में लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। सीडॉ महिला बन्दियों के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर पुरुषों के ही समान महिला बन्दियों को पुरुष बन्दियों के समान मानव मानने के विचार का समर्थन करता है। साथ ही महिला बन्दियों को सुधार हेतु उनकी आवश्यकता अनुसार विशेष योजनाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार को निर्देशित करता है। स्त्रियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव हटाने हेतु संविदा सीडॉ एक ऐसा ही विशेष कानून है। यह न केवल मानवाधिकारों को महिलाओं के संदर्भ में परिभाषित करता है, बल्कि उन क्षेत्रों पर भी प्रकाश डालता है, जिनमें उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर भेदभाव होता है जैसे रोज़गार, स्वास्थ्य, पारिवारिक ज़िन्दगी, शिक्षा, कारागार प्रशासन में दिए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि। सीडॉ बाकी मानवाधिकारों के दस्तावेज़ों (संधियों और घोषणाओं) से अलग है जो 'लिंग पर आधारित भेदभाव' को निष्पक्ष रूप से संबोधित करते हैं। सीडॉ यह स्पष्ट करती है कि महिलाएं सामूहिक तौर पर लिंग आधारित भेदभाव की शिकार हैं। यह इस ओर भी ध्यान दिलाती है कि महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव का वैचारिक आधार पितृसत्तात्मक सोच है। यही सोच–परिवार के अन्दर, कार्यस्थल और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका तथा योग्यता निर्धारित करती है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की असमानता का स्रोत लिंग आधारित पितृसत्तात्मक सोच है। इस तरह से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जुड़ाव स्थापित करना सीडॉ का विशेष योगदान है। मौलिक मानवाधिकार संधियों से महिलाओं पर विशेष कानून सीडॉ तक के सफर के तहत मानवाधिकारों का दायरा सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र तक बढ़ गया है। *सीडॉ, 1981*

तालिका क्रमांक 4.1

संयुक्त राष्ट्र में महिला अधिकारों की मान्यताएं		
क्रमांक	**वर्ष**	**अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ों के नाम**
1.	1949	व्यक्तियों के अवैध व्यापार और अन्य लोगों की वेश्यावृत्ति के शोषण के दमन हेतु संविदा
2.	1951	एक समान वेतन पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आई. एल. ओ.) की 100वीं संविदा
3.	1952	महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों पर संविदा
4.	1956	दासता के उन्मूलन पर अनुपूरक संविदा
5.	1957	शादीशुदा महिलाओं की नागरिकता पर संविदा
6.	1962	शादी की सहमति, शादी की न्यूनतम आयु और शादी के पंजीकरण पर संविदा
7.	1974	आपातकाल और सशस्त्र संघर्ष के दौरान महिलाओं और बच्चों के संरक्षण पर घोषणा
8.	1979	स्त्रियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव हटाने हेतु संविदा का अंगीकरण
9.	1981	सीडॉ का लागू होना
10.	2000	सीडॉ के लिए वैकल्पिक नयाचार प्रोटोकॉल

स्रोत : सीडॉ 1981

संविदा के दस्तावेज़ में एक उद्देशिका यानी प्रस्तावना तथा 30 अनुच्छेद हैं। प्रस्तावना में सीडॉ का उद्देश्य और आधार निहित है। अनुच्छेद 1 भेदभाव को परिभाषित करता है जबकि अनुच्छेद 2 से 4 में राष्ट्रों के दायित्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 5 से 16 में मूल मुद्दों का समावेश है। इनमें उन क्षेत्रों का 11, 12, 13 उल्लेख है जो विशेषकर महिलाओं को प्रभावित करते हैं जैसे कि शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य और 14 राजनैतिक सहभागिता। इन क्षेत्रों के संबंध में ये अनुच्छेद राष्ट्र के दायित्वों को भी निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 में सीडॉ जेंडर भेदभाव की व्यापक समझ बनाती है। इस समझ को यह अनुच्छेद 5 से 16 में दिए गए क्षेत्रों में लागू करके उनमें जेंडर भेदभाव का उल्लेख करती है। ऐसा करके यह जेंडर भेदभाव को इन क्षेत्रों तक सीमित न रखकर इस समझ को अन्य क्षेत्रों में लागू करने का रास्ता दिखाती है। बाद के अनुच्छेदों 17 से 30 में सीडॉ को कार्यान्वित करने वाली समिति के संगठन, 15 उसकी

गतिविधियों और उसके द्वारा की जाने वाली पुनरावलोकन प्रक्रिया दी गई है, में राष्ट्रों के दायित्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 5 से 16 में मूल मुद्दों का समावेश है। इनमें उन क्षेत्रों का 11, 12, 13 उल्लेख है जो विशेषकर महिलाओं को प्रभावित करते हैं जैसे कि शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य इन क्षेत्रों के संबंध में ये अनुच्छेद राष्ट्र के दायित्वों को भी निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 में सीडॉ जेंडर भेदभाव की व्यापक समझ बनाती है। इस समझ को यह अनुच्छेद 5 से 16 में दिए गए क्षेत्रों में लागू करके उनमें जेंडर भेदभाव का उल्लेख करती है। ऐसा करके यह जेंडर भेदभाव को इन क्षेत्रों तक सीमित न रखकर इस समझ को अन्य क्षेत्रों में लागू करने का रास्ता दिखाती है। बाद के अनुच्छेदों 17 से 30 में सीडॉ को कार्यान्वित करने वाली समिति के संगठन, 15 उसकी गतिविधियों और उसके द्वारा की जाने वाली पुनर्वलोकन प्रक्रिया दी गई है।

जैसा कि ऊपर बताया गया इस नज़रिए पर आधारित दो ढांचे हैं – एक सुरक्षात्मक और दूसरा सुधारात्मक। सुरक्षात्मक ढांचा पुरुषों और महिलाओं में शारीरिक और सामाजिक धारणाओं से उत्पन्न असमानता को पहचानता है। इसी कारण यह पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग व्यवहार को न केवल उचित, बल्कि ज़रूरी ठहराता है। इसका तर्क यह है कि केवल समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यह नज़रिया प्रचलित सामाजिक मान्यताओं के आधार पर महिलाओं को पुरुषों से अलग समूह मानता है। ये मान्यताएं महिलाओं को कमज़ोर, अधीन और सुरक्षा के योग्य ठहराती हैं। इस ढांचे को सुरक्षात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह महिलाओं के बारे में प्रचलित धारणाओं को चुनौती देने की बजाए महिलाओं की अधीनता को प्राकृतिक, निहित और अपरिवर्तनीय मानता है। भिन्नता के नज़रिए से उभरा समानता का दूसरा ढांचा 'सुधारात्मक' या 'ठोस' ढांचा कहलाता है। इसके तहत महिलाओं के लिए अलग व्यवहार निर्धारित करने का उद्देश्य महिलाओं को कमज़ोर मानते हुए सुरक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि उनके लिए समान अवसर तथा लाभ सुनिश्चित करना है। यह दृष्टिकोण पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को पहचानता तो है परन्तु इसका आधार स्वीकार नहीं करता। यह असमानता के पीछे छिपी धारणाओं की जांच करता है और इससे होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए अलग व्यवहार और व्यवस्था विकसित करता है। यह ढांचा व्यवहार की समानता या भिन्नता की बजाए व्यवहार के प्रभाव पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है। यह जेंडर के आधार पर व्यक्तिगत, संस्थागत और व्यवस्थित भेदभाव और रुकावटों को सुधारने का प्रयास करता है।

सीडॉ पर हस्ताक्षरकर्ता देश के रूप में भारत शासन ने भी हस्ताक्षर किए हैं। अतः भारत शासन भारतीय सीमा के अंतर्गत निवास करने वाली महिलाओं के लिए वे चाहें मुक्त समाज में निवास करती हों अथवा जेलों में परिरूद्ध हों को सीडॉ में वर्णित भेदभाव मुक्त नीति का पालन करने के लिए बाध्यताकारी स्थिति रखता है। भारतीय कारावासों में महिला बन्दियों एवं पुरूष बन्दियों में अधोवर्णित भेदभाव का स्पष्ट परिदृश्य परिलक्षित होता है। भारतीय कारावासों में परिरूद्ध महिला बन्दियों को चुनिंदा कारावासों में ही अर्थपूण एवं लाभदायक व्यावसायिक प्रशिक्षणों में संलग्न किया जाता है। अधिकांश महिला बन्दी बुनाई, चुनाई एवं सिलाई जैसे निरूद्धेश्य समय काटने जैसे निरूद्धदेश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण में संलग्न हैं। भारतीय महिला सशक्तिकरण संसदीय समिति एवं आर.डी. उपाध्याय विरूद्ध कर्नाटक राज्य 2006 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई अनुशंसाओं के पश्चात भी विशेष महिला कारावास मात्र 16 राज्यों में ही उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त महिला बन्दियों के सुधार हेतु वर्तमान में किए जा रहे प्रयास राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून की बाध्यता के पश्चात भी अपर्याप्त हैं।

बाल अधिकार प्रसंविदा, 1990 – संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि बचपन पर विशेष ध्यान और सहायता की आवश्यकता है। इस बात पर सहमत होते हुए कि परिवार समाज का मूलभूत समूह है और इस के सभी सदस्यों, विशेषतः बच्चों के विकास और खुशहाली के लिए इसे आवश्यक संरक्षण और सहायता मिलनी चाहिए ताकि यह समाज में अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभा सके।

यह मानते हुए कि बच्चे के व्यक्तित्व के पूर्ण और सुसंगत विकास के लिए, उसे परिवार के बीच खुशी, प्रेम और आपसी समझ–बूझ के वातावरण में बढ़ना चाहिए। यह समझते हुए कि बच्चे को समाज में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ जीने को तैयार किया जाना चाहिए और उस का लालन–पालन, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के आदर्शों की भावना, खासतौर पर शांति, गरिमा, सहिष्णुता, स्वाधीनता, समता और परस्पर एकता की भावना के अनुरूप होना चाहिए।

यह याद रखते हुए कि बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सबसे पहले 1924 में बाल अधिकारों के बारे में जेनेवा घोषणा में व्यक्त की गई। इसे मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (विशेषतः अनुच्छेद 23 तथा 24 में), अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा (विशेषतः अनुच्छेद 10 में) तथा बच्चों के कल्याण से

जुड़ी विशिष्ट एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संबद्ध विधानों और प्रपत्रों में मान्यता दी गई ।

बाल अधिकार घोषणा में कही गई इस बात को याद रखते हुए कि ''शारीरिक तथा मानसिक रूप में अपरिपक्व होने के कारण, बच्चे को सुरक्षा के विशेष उपायों और देखभाल की आवश्यकता है, इसमें जन्म से पूर्व तथा बाद में भी समुचित कानूनी संरक्षण शामिल है।''

माता–पिता के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा पालन और गोद लेने–देने के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विशेष संदर्भ में बच्चे के संरक्षण और कल्याण से संबद्ध सामाजिक और कानूनी सिद्धांतों की घोषणा, बच्चों के मामले में न्याय प्रणाली के बारे में सयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम (पेइचिंग नियमों) और आपात् स्थिति तथा सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के बारे में घोषणा को फिर याद करते हुए, यह समझते हुए कि विश्व के सभी देशों में अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में अनेक बच्चे रह रहे हैं और इन पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। बच्चों के संरक्षण और सुसंगत विकास के लिए प्रत्येक राष्ट्र की परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों का पूरा ध्यान रखते हुए प्रत्येक देश में, खास तौर पर विकासशील देशों में, बच्चों के जीने की स्थितियों में सुधार के काम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को समझते हुए, विभिन्न बातों पर सहमत हुए।

भारतीय कारागारों में 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे भारतीय कारावास में परिरुद्ध महिला बन्दियों के साथ रहते हैं। अतः बाल अधिकार प्रसंविदा 1990 भारतीय कारावास में भी लागू होती है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर. डी.उपाध्याय विरुद्ध कर्नाटक राज्य अप्रैल, 2006 के प्रकरण में बाल अधिकार प्रसंविदा के प्रकाश में ही निर्णय दिया है अर्थात उपरोक्त वर्णित स्थिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही है। भारतीय कारागार में लगभग 1918 छः वर्ष से कम उम्र के बच्चें अपनी 1698 महिला बन्दी माताओं के साथ कारागारों में निवास करते हैं।

यूनेस्को विश्व सर्वशिक्षा घोषणा, 1990

- अन्तर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून *यू.एन.ओ.*
- बन्दियों के उपचार हेतु न्यूनतम मानक नियम, 1966 – यद्यपि कई अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में बन्दियों के सुधार हेतु निर्देश दिए गए हैं, किन्तु

बन्दियों के उपचार हेतु न्यूनतम मानक नियम 1966 उन सभी में अलग महत्व रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने 1990 बन्दियों के उपचार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रसंविदा है, जिसे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 663 सी द्वारा अपनाया गया है। इसके नियम 77–1 एवं 2 के अनुसार बन्दियों को कारावास के दौरान शिक्षा जारी रखने का पूरा अधिकार है, जो कि उनके लिए लाभदायक हो। इस नियम के द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह दोष सिद्ध बन्दी हो या विचाराधीन बन्दी को शिक्षा प्राप्त करते रहने का पूर्ण अधिकार है। यदि वह कारावास के दुष्प्रभाव से शिक्षा अधूरी भी छोड़ता है तो कारागार प्रशासक का यह कर्तव्य है कि वह उसकी शिक्षा को अधूरी न रहने दे वरन राष्ट्रीय व्यवस्था से जोड़े रखे, जिससे बन्दी रिहाई के पश्चात भी अपनी शिक्षा जारी रख सके और पुनर्वासित हो सके।

भारतीय संविधान में वर्णित अधिकार – इस प्रकार उपरोक्त प्रसंविदाओं के हस्ताक्षरकर्ता सदस्य राष्ट्र होने के कारण भारतीय कारागार प्रशासन बन्दियों के लिए उपरोक्त प्रसंविदाओं में वर्णित नियमानुसार कार्रवाई करने लगा। उपरोक्त संविदाओं के प्रकाश में कई राष्ट्रीय कानून भी बन्दियों के उपचार हेतु बनाए गए, चूंकि भारत वर्ष को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई एवं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 1947 से 1950 के बीच जितनी भी प्रसंविदाएं घोषित की गईं, भारतीय संविधान में उनका समावेश कर लिया गया। मुख्यतः 1948 की सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा। इस घोषणा के आधार पर ही निम्नलिखित अधिकार भारतीय नागरिक को दिए गए। जिनमें से प्रमुख अधिकार जो बन्दी सुधार को प्रभावित करते हैं वे निम्नानुसार हैं – भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार जिनके अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेद में भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने सुनील बत्रा विरूद्ध दिल्ली प्रशासन के प्रकरण में यह स्पष्ट किया है कि कोई भी दोष सिद्ध या विचाराधीन बन्दी कारावास में रहने से कुछ विचरण के अधिकारों के अतिरिक्त सभी अधिकारों के उपभोग का पात्र होगा। संविधान में वर्णित निम्नलिखित अनुच्छेद भारतीय बन्दियों के लिए भी लागू होते ये अनुच्छेद निम्नानुसार हैं –

- **अनुच्छेद–14** विधि के समक्ष समानता का अधिकार एवं समान कानूनी सुरक्षा

- **अनुच्छेद–15** धर्म, प्रजाति, जाति एवं लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध।
- **अनुच्छेद–20** पुराने किसी भी प्रचलित विधि के प्रभाव में दण्ड से सुरक्षा।
- **अनुच्छेद–21** जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार बिना किसी विधि के प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता।
- **अनुच्छेद–22(4)** से 7 परिरुद्ध बन्दियों के सुरक्षा के विशेष प्रावधान।
- **अनुच्छेद 32** मूलभूत अधिकारों के प्रभावित होने पर याचिका दायर करने का अधिकार।

इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में वर्णित राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकार बन्दियों के सुधार को प्रभावित करते हैं।

- **अनुच्छेद–** 39(अ) निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार
- **अनुच्छेद–51** राज्य शासन की मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय प्रंसविदाओं के अनुपालन की बाध्यताकारी स्थिति।
- **अनुच्छेद–38** के अनुसार सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों के आधार, असमानता का उन्मूलन

विगत दशकों में विशेष तौर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के क्रियान्वयन के पश्चात जेल सुधार योजनाओं में अत्यधिक तीव्रता आई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय 1948 में घोषित मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के प्रकाश में जेल सुधार के प्रति गहरी रूचि का प्रदर्शन किया।

आदर्श जेल मैन्युअल 2003 – ऐतिहासिक जेल सुधार के विभिन्न प्रयास एवं समय–समय पर गठित विभिन्न जेल सुधार समितियों के प्रतिवेदनों की अनुशंसाओं के आधार पर एवं वर्ष 1996 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामामूर्ति विरुद्ध कर्नाटक राज्य के प्रकरण में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत एक ऐसे समान जेल अधिनियम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया, जो सम्पूर्ण राष्ट्र में एक समान कारागार प्रशासन के प्रशासनिक नियम रखता हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र एवं राज्य शासन को इस प्रकार का आदर्श जेल मैन्युअल बनाने के लिए निर्देशित किया।

भारत सरकार ने आदर्श जेल मैन्युअल, में निर्मित करने हेतु एक समिति गठित की। आदर्श जेल मैन्युअल समिति के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार थे–

जेल कारागार प्रशासन के विभिन्न नियमों एवं प्रावधानों एवं कार्यकारी प्रबंधन

का पुनरावलोकन, बन्दियों के उपचार में उपयोग में लाई जा रही आदर्श पद्धतियों को चिन्हित करना। पुराने जेल अधिनियम एवं वर्तमान स्थितियों के बीच नियमों की कमियों की पूर्ति।

- अखिल भारतीय जेल समिति की अनुशंसाओं के अनुसार बन्दियों के उपचार से संबंधित बन्दियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति गरिमामय तरीके से हो इस तथ्य का परीक्षण। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्देशों के प्रकाश में बन्दियों के उपचार में इनका समावेश एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में उल्लेखित तथ्यों का समावेश।
- जेल प्रबंधन की आन्तरिक व्यवस्थाओं और सुरक्षा को बन्दियों एवं जेल अधिकारियों के अधिकारों के प्रकाश में क्रियान्वित करना। सुरक्षा, संस्थात्मक अनुशासन, संस्थागत उपचारात्मक योजनाएं, महिला, बच्चे एवं मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों, कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण आदि के विषय में सुझाव देना व कारागारों को सुधारात्मक संस्थाओं के रूप में विकसित करना।
- प्रस्तावित जेल प्रबंधन बिल का परीक्षण एवं विश्लेषण करना।

इस आवश्यकता को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, 2001 में आदर्श जेल मैन्युअल की एक पूर्व प्रति तैयार की गई एवं समस्त राज्य शासन को स्थानीय शासन एवं आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2003 तक राष्ट्रीय सहमति प्राप्त कर आदर्श जेल मैनुअल को विधिक जामा पहनाकर भारत सरकार द्वारा राज्य शासन को अपने–अपने संदर्भित राज्यों में क्रियान्वित करने के लिए भेज दिया गया, किन्तु दुर्भाग्यवश कुछ राज्यों के अतिरिक्त अधिकांश राज्य शासन इसके सात वर्ष उपरांत भी आदर्श जेल मैन्युअल 2003 को विधान सभा से पारित नहीं करवा पाए हैं। बहुत से राज्यों में यह प्रक्रियाधीन है। आदर्श जेल मैन्युअल 2003 के अन्तर्गत जेल एवं बन्दी सुधार पुनर्वास की वे समस्त अनुशंसाएं हैं जो समय–समय पर भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन से प्राप्त हुई हैं।

वर्ष 1980–83 में अखिल भारतीय जेल सुधार समिति ने बन्दियों के सुधार के लिए जो अनुशंसाएं की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन अनुशंसाओं के अनुपालन का कई प्रकरणों में समर्थन किया। इन्ही अनुशंसाओं एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुदेशों को आदर्श जेल मैन्युअल 2003 में बन्दियों के अधिकारों के रूप में समाहित किया गया।

मानवीय गरिमा का अधिकार –

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बन्दियों की मानवीय गरिमा को यथावत रखने के निर्देश दिए हैं। कोई भी व्यक्ति कारावास में आकर अमानव नहीं बन जाता।
- बन्दियों को किसी भी प्रकार के अभद्र व्यवहार से बचाव का अधिकार है चाहे वह किसी के भी द्वारा किया गया हो।
- किसी भी प्रकार की हिंसा चाहे वह शारीरिक अथवा मानसिक से बचाव।
- मौलिक अधिकारों के उपभोग का अधिकार कुछ विशेष अधिकारों को छोड़कर।

उपरोक्त नियम बन्दियों के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। बन्दियों के सुधार की दिशा में सबसे पहला कदम इस अधिकार का उपभोग है। कारावास में आकर बन्दी को यदि गरिमा के साथ प्रवेश एवं अन्य व्यवहार मिलता है तो बन्दी चाहे कितना भी अशिक्षित हो यह सीखने लगता है कि उसे भी अन्य व्यक्तियों की मानवीय गरिमा को सुरक्षित रखना है। सामाजीकरण की दिशा में मानवीय गरिमा के अधिकार का उपभोग बन्दी–सुधार की दिशा में पहला कदम है।

न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति का अधिकार – आदर्श जेल मैन्युअल 2003 के अनुसार प्रत्येक कारावासित बन्दी को उपचार हेतु कारावास में रखा जाता है जिससे उसमें सुधार आ सके। इस उपचारात्मक प्रक्रिया के दौरान बन्दी को न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति का अधिकार है, जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा सुविधाएं, स्वच्छ वातावरण एवं पर्याप्त स्वच्छ पीने योग्य पानी।

बाह्य जगत से संपर्क का अधिकार – आदर्श जेल मैन्युअल 2003 बन्दी को बाह्य जगत जैसे कि परिवार के सदस्य, मित्र, रिश्तेदार से नियमानुसार मुलाकात का पूरा अधिकार है। सच तो यह है कि मुलाकात का अधिकार देकर कारागार प्रशासन स्वयं के बहुत बड़े उत्तरदायित्व में कमी ला सकता है। कारागार में आने पर बन्दी का बाह्य जगत से संपर्क टूट जाता है। परिवार से उसके भावनात्मक संबंध समाप्त होने लगते हैं। अधिकांश बन्दियों को एक दिन रिहा होकर समाज में पुनर्वासित होना है। यदि बन्दी भावनात्मक रूप में अपने परिवार, रिश्तेदारों, एवं मित्रों से जुड़ा रहता है तो उसके सामने सुधार हेतु एक लक्ष्य होता है और वह अपने परिवार के लिए स्वयं में सुधार लाकर जल्दी से जल्दी रिहा होना चाहता है। अतः बन्दी के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित मुलाकात व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें परिवार के सदस्य बन्दियों

से गुणात्मक तरीके से भावनात्मक संबंध निर्मित करते रहें।

विधि के उपयोग का अधिकार – आदर्श जेल मैन्युअल 2003 में उपचारात्मक प्रक्रिया के दौरान किसी भी बन्दी को विधि के उपयोग का अधिकार है। इन अधिकारों के अन्तर्गत कारागार प्रशासन से संबंधित विधि प्रावधानों की सूचना का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, निवेदन का अधिकार आदि हैं।

अवैध कारागार दण्ड के विरूद्ध निवेदन का अधिकार – आदर्श मैन्युअल 2003 में बन्दियों को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति कारावास में उन्हें कोई अनुचित दण्ड न दे। चूंकि बन्दी एवं कारावास का पृथक्करण होता है, ऐसी स्थिति में यह अत्यंत स्वाभाविक है कि बन्दी की कमजोर स्थिति जानकर उन्हें दण्डित किया जा सकता है किन्तु इस अधिकार के माध्यम से अनावश्यक दण्ड से बन्दी को सुरक्षा प्राप्त होती है, जिससे बन्दी भयहीन वातावरण में अपनी प्रवृत्तियों को सुधारकर कारावास के अनुरूप कार्य कर सकता है।

राष्ट्रीय कारागार नीति 2007 – वर्ष 2007 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्मित राष्ट्रीय कारागार नीति भी बन्दियों के सुधार की दृष्टि से कारागार प्रशासन में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में साबित होगी।

अस्थाई रिहाई–राष्ट्रीय कारागार निर्माण समिति ने जेल अधिनियम 1894 के उपबन्ध 62 एवं 63 एवं पश्चिमी बंगाल सुधार सेवा अधिनियम 1992 को आंशिक रूप से संशोधित कर बन्दियों के लिए अस्थाई रिहाई को सुधार का एक सशक्त माध्यम बनाने का प्रयास किया है। समिति ने महसूस किया कि अस्थाई रिहाई बन्दियों के सुधार का एक महत्वपूर्ण साधन है। विशेष तौर पर जबकि संपूर्ण कारागार व्यवस्था का उद्देश्य हो। राष्ट्रीय कारागार नीति के माध्यम से बन्दियों की अस्थाई रिहाई को तुलनात्मक दृष्टि से सरल बनाने का प्रयास किया गया है। यद्यपि यह नीति संपूर्ण नियमों का पालन करने के लिए अनुशंसा करती है, किन्तु बन्दियों के सुधार में बन्दी और उसके परिवार के लिए भावनात्मक संबंधों की निरंतरता के लिए अस्थाई रिहाई को एक महत्वपूर्ण साधन मानती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जयन्त विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 1986 के प्रकरण में कहा कि यदि बन्दी की कोई सुनवाई लंबित न हो तो उसे अस्थाई रिहाई पर जाने दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मुल्ला समिति एवं अन्य कई समितियों ने भी अस्थाई रिहाई को बन्दियों सुधार के लिए अधिकतर उपयोग करने की अनुशंसा की है। राष्ट्रीय कारागार नीति ने बन्दियों की अस्थाई

रिहाई के उचित प्रयोग के पूर्व सर्वप्रथम कमजोर अस्थाई रिहाई व्यवस्था को चुस्त करने की अनुशंसा की है। जेल महानिरीक्षक अथवा महानिदेशक बन्दी को यदि अन्य अर्हताएं पूरी करे तो किसी भी विशेष परिस्थिति में पांच दिन की अस्थाई रिहाई दे सकते हैं। उदाहरणार्थ–बन्दी के किसी नजदीकी रिश्तेदारी की बीमारी अथवा विवाह, स्वयं बन्दी के पुत्र या पुत्री का विवाह, भाई अथवा बहन का विवाह, किसी नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु जिसमें उसे रीति–नीतिगत उपस्थित होना अनिवार्य हो, किन्तु किसी ऐसे बन्दी को निम्नलिखित उपबन्धों के अन्तर्गत अस्थाई रिहाई की पात्रता नहीं होगी–

अ. यदि बन्दी आद्तन अपराधी या भगोड़ा है।
ब. छः माह की समयावधि जिसमें कि उसने रिहाई के लिए आवेदन दिया है।
स. किसी ऐसे अपराध के आरोप में दण्डित हो जो अध्याय 12 एवं 17 में वर्णित हैं एवं विश्वासघात का आरोपी हो।

परिवीक्षा पर अस्थाई रिहाई – राष्ट्रीय कारागार नीति, 2007 बन्दियों के लिए परिवीक्षा पर रिहाई को अनुशंसित करती है। इसके पूर्व से ही अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के माध्यम से भारत में परिवीक्षा सेवाएं संचालित होती रही हैं। कई बन्दियों को इसका लाभ भी दिया गया है। भाग 360 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 अपराधी को सशर्त परिवीक्षा पर रिहाई की अनुमति देता है। बन्दियों के सुधार में परिवार का अत्यधिक महत्व है। परिवीक्षा की सुविधा के माध्यम से बन्दी अपने परिवार एवं समाज से जुड़ा रहता है जिससे उसे सामाजिक पृथक्कीरण का सामना नहीं करना पड़ता जिससे बन्दी पर कारावास का दुष्प्रभाव प्रायः समाप्त हो जाता है किन्तु परिवीक्षा सेवाएं सम्पूर्ण भारतीय कारागारों में समान रूप से संचालित नहीं हैं। राष्ट्रीय कारागार नीति समिति ने इस विषय में अनुशंसा करते हुए कहा है कि न्यायिक अधिकारी, जेल अधिकारी एवं अभियोजन पक्ष को संवेदनशील किए जाने की आवश्यकता है जिससे वह परिवीक्षा सेवाओं को और अधिक नियमित और संवेदना से लागू कर पाएंगे। समिति ने पाया कि परिवीक्षा सेवाएं कुछ राज्यों मे समाज कल्याण विभाग के अधीन हैं जिससे जेल विभाग व समाज कल्याण विभाग में परस्पर समन्वय की कमी से परिवीक्षा सेवाएं समुचित रूप से क्रियान्वित नहीं हो पातीं।

अतः यह सेवाएं कारागार प्रशासन ही संचालित करे तो परिवीक्षा सेवा अपराधियों के सुधार के लिए और अधिक उचित रूप में लाभप्रद हो सकती हैं। यद्यपि वर्तमान में भारतीय कारागार प्रशासन में परिवीक्षा अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं किन्तु दुर्भाग्यवश परीवीक्षा की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की अपेक्षा अन्य कार्यों में इनकी सेवाएं

ली जाती हैं, इस प्रकार अनचाहे ही परिवीक्षा प्रक्रिया अपेक्षित रूप में बन्दियों को लाभ नहीं पहुंचा पाती।

राष्ट्रीय कारागार नीति 2007 ने भाग चार में, भाग दो में वर्णित कानूनों के परिप्रेक्ष्य में बन्दियों के सुधार एवं कल्याण हेतु योजनाएं भी अनुशंसित की हैं। राष्ट्रीय कारागार नीति 2007 मात्र नियमों की पुस्तिका न होकर व्यावहारिक क्रियान्वयन भी अनुशंसित किया है। राष्ट्रीय कारागार नीति का दर्शन बन्दियों के सुधार एवं पुनर्वास की दिशा में नया नहीं है अपितु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय बन्दी सुधार के कानूनी प्रावधानों की ही व्यावहारिक अनुशंसा है। यह नीति भी बन्दियों को पुनर्सामाजीकृत कर सामाजिक मुख्य धारा में पुनर्वासित करने का उद्देश्य रखती है एवं सम्पूर्ण कारागार प्रशासन यहां तक कि स्वयं जेल अधिकारियों का व्यवहार भी एक सकारात्मक आदर्शों से प्रेरित होने की अनुशंसा करती है। बन्दियों की दिन–प्रतिदिन की दिनचर्या इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह अपना समय नष्ट न कर अंतिम ध्येय पुनर्वास को बनाए। राष्ट्रीय कारागार नीति ने बन्दियों के सुधार के लिए नियमों के व्याख्यान ही नहीं किया है अपितु एक बन्दी के उपचार को मापने के लिए त्रिस्तरीय पैमाना भी निर्धारित किया है। किसी भी बन्दी के उपचार को निम्नलिखित तीन स्तरों पर देखा जाएगा–

- बन्दी का पुनर्वास
- विभिन्न प्रकार के सुधारात्मक उपाय
- सुधारात्मक उपचारों का मूल्यांकन

प्रथम स्तर पर ऐसे उपचारात्मक कार्यक्रमों को चिन्हित किया जाए जिनके माध्यम से बन्दी स्वयं को चिन्तामुक्त, सृजनात्मक रूप में विकसित कर सकें। प्रत्येक बन्दी की अपनी अलग समस्याएं होती हैं। बन्दियों को श्रेणीबद्ध किया जाए जो उनके उपचार में सहायक हो। बन्दी एवं जेल अधिकारियों के सम्बन्धों को भी उपचारात्मक प्रक्रिया का एक अंग माना गया है। अधिकारी बन्दियों में व्यक्तिगत रुचि लेकर यह अवलोकन करें कि बन्दी की तत्कालीन एवं भविष्य की आवश्यकताएं क्या हैं? बन्दी अपने परिवार से निरन्तर सम्पर्क में है अथवा नहीं? जेल अधिकारी इस बात का भी ध्यान रखें कि बन्दी विशेष यदि अस्थाई रिहाई या परिवीक्षा पर रिहाई की अर्हता रखता हो तो उसे इसका लाभ अवश्य मिले। इसके अतिरिक्त बन्दी में आ रहे सुधारों का सतत मासिक मूल्यांकन करे एवं यदि आवश्यकता हो तो मनोवैज्ञानिक परामर्श के सहयोग से बन्दी में अपेक्षित सुधारों की गति तीव्र करे एवं आवश्यकता पड़ने पर बन्दी

को पुर्न श्रेणीकृत करे। जेल अधिकारी अवलोकित बन्दी की रिहाई, रिहाई की पूर्व तैयारी पर विशेष ध्यान दें एवं रिहाई पश्चात भी बन्दी से सतत सम्पर्क में रहें जिससे बन्दी पुनर्अपराधिता में लिप्त न हो पाएं।

सामाजिक सहभागिता– बन्दी सुधार बिना सामाजिक सहभागिता के संभव नहीं है। इसी तथ्य का महत्व जानकर राष्ट्रीय कारागार नीति, 2007 ने बन्दियों के सुधार में स्वयंसेवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। प्रत्येक बन्दी को सुधार के पश्चात समाज में पुनर्वासित होना है। इसके लिए यदि समाज स्वयं भी बन्दियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखे तो निःसन्देह बन्दियों का सुधार सफल हो सकता है अन्यथा सामाजिक पुनर्वास के अभाव में बन्दियों में मनोवैज्ञानिक अवसाद जन्म लेगा एवं वे पुनर्अपराधिता की ओर प्रवृत्त होंगे।

उपरोक्त नियमों एवं प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि जेल अधिकारियों को वर्षों पुराने ब्रिटिश नियमों के झंझावात में उलझने की आवश्यकता नहीं रही। अब जेल अधिकारियों के समक्ष कारागार प्रशासन में बन्दियों के सुधार के हेतु पर्याप्त कानूनी अधिकार हैं जिनके माध्यम से बन्दियों को उपचारित किया जा सकता है तथा आधुनिक कारागार प्रशासन के दर्शन एवं उद्देश्यों के आधार पर उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त नियम किसी भी कारागार में सुधारालय में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त हैं।

अध्याय 5

बन्दियों का पुनर्वास

सम्पूर्ण विश्व में तीव्र गति से बढ़ती अपराध की दर अन्तर्राष्ट्रीय सुधार प्रशासन समुदाय को बाध्य कर रही है कि समाज के सदस्यों को किस प्रकार अपराधिता से अधिक से अधिक सुरक्षित किया जा सके। अपराधियों को कारावास में बन्द कर देना मात्र समाज की सुरक्षा नहीं है। यदि इन अपराधियों को उचित रूप से निराकृत नहीं किया जाएगा तो निःसन्देह यह समाज के लिए हमेशा ही समस्या बने रहेंगे जिससे अनुशासित सामान्य नागरिक असुरक्षित रहेगा और समाज में असुरक्षा व्याप्त होती रहेगी। इन सभी अव्यवस्थाओं से बचाव के लिए सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समाज विभिन्न प्रकार के प्रभावात्मक साधनों और तरीकों की खोज में लगा हुआ है जिससे कि बन्दियों को अंतिम समाधान तक पहुंचाया जा सके एवं समाज को सुरक्षित बनाया जा सके। विश्व के अपराधशास्त्रीय वर्ग शोध द्वारा निरन्तर इस प्रयास में रहता है कि वह कौन सा उपाय हो जो बन्दियों पर प्रभावशाली हो सके और बन्दी एक अराजक, उद्दण्ड अपराधी से सुसंस्कृत सामाजिकृत व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो सके। सच तो यह है कि कोई एक सूत्र विश्व के सभी बन्दियों पर लागू नहीं किया जा सकता। मानव व्यवहार अत्यन्त जटिल अवधारणा है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके वातावरण व समाजीकरण के आधार पर प्राप्त होता है, किस व्यक्ति का मन मस्तिष्क समाज के या व्यक्तिगत प्रभाव के अन्तर्गत क्या प्रतिक्रिया करेगा कहना अत्यन्त कठिन है किन्तु फिर भी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बन्दी के पूर्व जीवन व घटनाओं के आधार पर बन्दी को समझकर उसका उपचार किया जा सकता है। दण्ड की नवीन सुधारात्मक प्रक्रिया निश्चित ही बन्दियों को समाज में पुनर्वासित करने के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। यद्यपि प्रत्येक देश, काल की

आवश्यकताएं भिन्न होती हैं किन्तु फिर भी अपराधिता व बन्दियों के पुनर्वास में लगभग परिस्थितियां समान ही होती हैं क्योंकि व्यक्ति मानव होने के नाते मूल प्रवृतियों से संचालित होता है जिसमें कुछ भिन्नता हो सकती है। मानव मात्र की समान आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 1948 में बन्दियों के अधिकारों के अन्तर्गत पुनर्वास के अधिकार को भी सम्मिलित किया। अन्य देशों की तरह भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रसंविदा पर हस्ताक्षर किए अतः हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र के रूप में भारत भी भारतीय कारागारों में परिरुद्ध बन्दियों को पुनर्वासित करने हेतु विभिन्न उपाय कर रहा है। पुनर्वास नीति न केवल बन्दी का सुरक्षित भविष्य है वरन यह समाज व शासन दोनों के हित में भी है। जहां एक ओर बन्दी पुनर्वासित होकर समाज को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण देते हैं वहीं शासन को पुनर्अपराधिता के रूप में अपराधियों पर असृजनात्मक धन का अपव्यय नहीं करना होता।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बन्दी उपचार के न्यूनतम नियम अपराध के उपाय एवं उपचार पर सन 1955 में जिनेवा में इस आशय की एक गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें आर्थिक एवं सामाजिक समिति द्वारा घोषणा क्रमांक 663 'सी' नियम 79 के अन्तर्गत बन्दियों के पुनर्वास एवं रिहाई के पश्चात उनकी देखभाल की घोषणा की गई जिसके अनुसार बन्दी को एवं उसके परिवार को एक दूसरे से समायोजन के लिए कारागार प्रशासन को निर्देशित किया गया। साथ ही नियम 80 में यह निर्देशित किया गया कि बन्दी के कारावास के दौरान उसके भविष्य को दृष्टि में रखते हुए सुधार के लिए प्रेरित किया जाए तथा उसके परिवार के साथ सम्बन्धों के निर्वाह में भी कारागार प्रशासन सहयोग करे जिससे बन्दी रिहाई के पश्चात समाज में समायोजित हो सके। इसके आगे भी नियम क्रमांक 81 कारागार प्रशासन को निर्देशित करता है कि यदि बन्दी को अपने आपको समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए यदि किसी अभिलेख या दस्तावेज की आवश्यकता हो तो ऐसे दस्तावेज भी उसे दिए जाएं, साथ ही मौसम के अनुरूप पर्याप्त वस्त्र आदि साधन उपलब्ध कराए जाएं जिससे कि रिहा बन्दी अपने परिवार तक बिना किसी संघर्ष के पहुंच सके।

यद्यपि 1955 में ही न्यूनतम बन्दी उपचार मानक नियम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपना लिए गए थे किन्तु व्यवहार में सच यह है कि रिहाई के पश्चात भी बन्दी विभिन्न प्रकार की बेबसी की बेड़ियों में जकड़ा होता है। कटु सत्य तो यह है कि बन्दियों का पुनर्वास एक लम्बी एवं जटिल प्रक्रिया है जिसमें कारागार प्रशासन से लेकर समाज

के विभिन्न संस्थाओं की सहभागिता के बिना बन्दियों का पुनर्वास संभव नहीं है। सैद्धांतिक तौर पर बन्दियों को रिहाई के पश्चात उनके निवास तक जाने के लिए वस्त्र एवं उचित धनराशि, पर्याप्त आवश्यकतानुसार दी जाती है कि रिहाई के पश्चात वे किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करेंगे किन्तु बन्दियों का पूर्ण सामाजिक पुनर्वास भारतीय कारागार प्रशासन के लिए आज भी दिवास्वप्न के समान है। बिरले ही रिहा बन्दी ऐसे हैं जो सामाजिक दृष्टि से पुनर्वासित हो सकें, वह भी अपने परिवार के सहयोग व स्वयं के आत्मबल से। रिहा बन्दी विभिन्न प्रकार की वैयक्तिक एवं सामाजिक निर्योग्यताओं से जूझते हैं। विशेष तौर पर कारागारों से रिहाई के पश्चात रिहा बन्दी शब्द सामाजिक कलंक की तरह बन्दियों का पीछा करता है जिसके आगे उनकी बहुत सी कार्यक्षमताएं फीकी पड़ जाती हैं। रिहा बन्दी को सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि कोई भी व्यक्ति समाज में उसकी सामाजिक जमानत (समर्थन) देने को आगे नहीं आता जिससे कारागार प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी बन्दी सामाजिक तौर पर पुनर्वासित नहीं हो पाता।

पुनर्वास के उद्धेश्य – भारतीय कारागार प्रशासन में बन्दियों की पुनर्वास योजना ऐतिहासिक तौर पर बहुत संघर्ष के पश्चात अपने वर्तमान रूप में आई है। समाज की सुरक्षा व बन्दी का पुनर्वास दोनों ही तत्वों का संतुलन एक लम्बे विचार–विमर्श के बाद हो पाया है। अधिकांश बन्दी कारागारों से रिहा होकर जीवन के संघर्ष में पुनः उलझ जाते हैं और भीड़ का एक हिस्सा मात्र हो जाते हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि बन्दियों को पुनर्वासित करने की योजनाएं पूर्ववत मशीनी रूप में संचालित होती रहती हैं। बिना यह जाने कि यह योजनाएं किसी बन्दी को पुनर्वासित करने के लिए सफल भी हैं या नहीं। सम्पूर्ण वैश्विक कारागार प्रशासन बन्दियों के सामाजिक पुनर्वास हेतु विभिन्न पुनर्वास योजनाएं संचालित कर रहा है जिसमें मुख्य तौर पर बन्दियों की शैक्षणिक क्षमता का विकास, उनकी आदतों का विकास तथा उनमें अर्थोपार्जन जैसे कौशल का विकास आदि मुख्य योजनाएं हैं। पुनर्वास शब्द सुधार प्रशासन में 20 वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया (टीटर्स,1944) पुनर्वास से तात्पर्य यह समझा जाता था कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बन्दी को कारागार में शिक्षा–दीक्षा एवं प्रेरणा देकर समाज एवं कानून के विभिन्न नियमों का पालन करने योग्य बनाया जा सके। इस विषय में सर जॉन टॉयलर जेल महानिरीक्षक के निर्देशन में सर्वप्रथम प्रयास वर्ष 1891 में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में प्रारम्भ हुआ जो आज उत्तरप्रदेश के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1894 में रिहा बन्दी सहायता समिति

के नाम से एक समिति का गठन किया गया किन्तु इस समिति को समाज का समर्थन न मिल सका अतः यह समिति बन्दियों के पुनर्वास व रिहाई पश्चात देखभाल में अधिक सफल न हो सकी। परिणामतः भारतीय जेल समिति वर्ष 1919–20 ने बन्दियों की रिहाई के पश्चात देखभाल व पुनर्वास के लिए एक नई शुरूआत की। पुनः वर्ष 1921 में रिहा बन्दी सहायता समिति मद्रास में गठित की गई। इसी तरह मुम्बई में वर्ष 1923 तथा बंगाल में वर्ष 1928 में समितियां गठित की गईं। वर्ष 1937 में उत्तरप्रदेश में भी एक बार पुनः रिहा बन्दी कल्याण समिति गठित की गई जिसने कई जिलों में अपनी शाखाएं संचालित कीं। वर्ष 1950 तक यह समिति उत्तरप्रदेश अपराध निरोधक समिति के नाम से जानी जाती रही। (ऐहूसन, 1970) पुनर्वास की प्रक्रिया जेलों में ही प्रारम्भ हुई।

मुख्यतः पुनर्वास का शाब्दिक तात्पर्य पुर्न+वास है अर्थात बन्दी का किसी स्थान पर एक बार पुनः स्थापन या रहना होता है। आदर्श जेल मैन्युअल, 2003 के अनुसार रिहाई के पश्चात बन्दी की देखभाल व पुनर्वास की प्रक्रिया को पृथक नहीं किया जा सकता। यह बन्दी उपचार का अभिन्न अंग है। रिहाई के पश्चात बन्दियों की देखभाल व पुनर्वास की प्रक्रिया संस्थात्मक सुधार, उपचार का ही अंग है। अतः कारागार प्रशासन को बन्दियों के सुधार एवं पुनर्वास हेतु अपने उपाय मात्र सुधार संस्थाओं तक ही सीमित नहीं रखना है वरन उन्हें बन्दी पुनर्वास के रूप में बन्दी रिहाई के पश्चात भी निरन्तर रखना है। रिहाई के पश्चात बन्दियों की अनुवर्ती सेवा (फॉलोअप सर्विसेस) प्रत्येक बन्दी के लिए आवश्यक नहीं है। जिन बन्दियों का पुनर्वासित होना कठिन हो वहां बन्दियों को रिहाई के पूर्व ही परामर्श के माध्यम से अवलोकन रखा जाए जिससे बन्दी के पुनर्वास में समस्याओं का सामना न करना पड़े। आदर्श जेल मैन्युअल 2003 के द्वारा बन्दियों के पुनर्वास के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

- पुनर्वास की प्रक्रिया के माध्यम से बन्दियों को परामर्श, सहयोग एवं सुरक्षा प्रदान करना।
- रिहा बन्दी को उसकी मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से उबरने के लिए सहयोग प्रदान करना।
- कारागार में रहने का सामाजिक कलंक क्षीण करने में बन्दी को सहयोग करना।
- सामाजिक सहभागिता में सहयोग करना।

- बन्दी को उसके परिवार, पड़ोसी, कार्यक्षेत्र एवं सामाजिक सम्बन्धों के सामन्जस्य में परामर्श एवं सहयोग करना।
- *बन्दी की वैयक्तिक, शारीरिक, मानसिक व्यावसायिक, सामाजिक प्रवृत्तियों का कारावास के पश्चात् पुनर्समायोजन करने में मदद देकर सम्पूर्ण सार्थक पुनर्वास करना। पुर्नवास के उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यद्यपि*
- *अनेक प्रयास किए जा रहे है आदर्श जेल मैन्युअल 2003 की रचना ही बन्दियों के पुनर्वास एवं सशक्त सुधार एवं पुनर्वास के लिए की गई है किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज भी भारतीय कारागार प्रशासन में कुछ ही राज्यों में आदर्श जेल मैन्युअल को राज्य शासन द्वारा वैधानिकता का जामा पहनाया गया है। अण्डमान–निकोबार कारागार प्रशासन ने केन्द्र शासित होने के कारण आदर्श जेल मैन्युअल 2003 को पूरी तरह से लागू किया है, बन्दी सुधार एवं पुनर्वास की सम्पूर्ण प्रक्रियाएं 'आदर्श जेल मैन्युअल 2003 की निर्धारित अनुशंसाओं के अनुरूप ही हो रही हैं किन्तु अधिकांश राज्य आज भी वर्षों पुराने जेल अधिनियम के अनुसार ही कारागार प्रशासन की प्रक्रियाओं को संचालित कर रहे हैं। आदर्श जेल मैन्युअल 2003 का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण देश में समरूप कारागार प्रशासन लाना था। राज्यों में आदर्श जेल मैन्युअल 2003 लागू न होने के कारण यह उद्देश्य बाधित हो रहा है।*

आदर्श जेल मैन्युअल 2003 में कई समितियों के प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुशंसाओं का समावेश किया गया है। जैसे कि–मुल्ला कमेटी, वॉल्टर रेक्लेस प्रतिवेदन आदि। बन्दियों के पुनर्वास की योजना बन्दियों की रिहाई के पूर्व ही बन जानी चाहिए जिससे बन्दी को रिहाई के पूर्व ही किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, समझाया जा सके और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा सके। आदर्श जेल मैन्युअल 2003 में पुनर्वास की योजना को कारागार मे प्रवेश के समय ही योजित करना अनुशंसित किया गया है। बन्दियों के पुनर्वास में कल्याण अधिकारी की मुख्य भूमिका निर्धारित की गई है। यद्यपि पूर्व से ही कल्याण अधिकारी प्रत्येक कारागार प्रशासन के कार्यालयीन संरचना में होते हैं लेकिन इनका कोई महत्वपूर्ण योगदान बन्दी के सुधार एवं पुनर्वास में नहीं है। बन्दी पुनर्वास में स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मिलित करने हेतु भी आदर्श जेल मैन्युअल 2003 में अनुशंसित किया गया है। कारागार प्रशासन एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के आपसी सामन्जस्य को बन्दियों को उच्च स्तरीय पुनर्वास सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं।

वर्तमान पुनर्वास व्यवस्था का मूल्यांकन – भारतीय कारागार प्रशासन में यद्यपि राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा अनेक वित्तीय एवं संरचनात्मक सहयोग किए जा रहे हैं किन्तु बन्दियों की तीव्र गति से बढ़ती संख्या की तुलना में यह सारे प्रयास एवं साधन अपर्याप्त हैं यद्यपि पाश्चात्य देशों के समान भारतीय कारागार प्रशासन अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं के पालन में कटिबद्ध है किन्तु यह उल्लेखनीय है कि कुछ दशकों पूर्व तक भारतीय कारागार प्रशासन ब्रिटिश राजनीति के अनुसार ही संचालित होते थे। वर्ष 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में जेल सुधार के क्रियान्वयन का उल्लेखनीय वर्ष रहा है किन्तु भारत सरकार के अथक प्रयास पूर्व से ही हो रहे थे। भारतीय कारागार प्रशासन अधिकारी बिना किसी उचित प्रशिक्षण, उचित संसाधन, कारागार प्रशासन में मानव अधिकार जैसी नवीन सैद्धांतिक चुनौती का सामना कर रहे थे। यद्यपि जो भी विषम परिस्थितियां थीं उनमें बन्दियों के पुनर्वास के विषय में सदैव उत्साह था। यही कारण है कि पुनर्वास की गति धीमी अवश्य थी किन्तु अवरुद्ध नहीं थी।

व्यावसायिक शिक्षा – लगभग 50 वर्ष पूर्व से ही व्यावसायिक शिक्षा जेल कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। सम्पूर्ण वैश्विक जगत में बन्दियों को संलग्न रखने के लिए व्यावसायिक शिक्षा का उपयोग किया जाता है जिससे जहां एक ओर बन्दी की अपराधी प्रवृत्ति में रोक लगती है वहीं रिहाई के पश्चात बन्दी अपने व्यावसायिक कौशल के आधार पर जीविकोपार्जन कर सकता है तथा सफल सामाजिक पुनर्वास कर सकता है। व्यावसायिक कौशल बन्दी में आत्मविश्वास व सामाजिक पृथकीकरण से जूझने का साहस देता है जिससे बन्दी किसी भी प्रकार के मानसिक अवसाद से अपना बचाव कर सकता है। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय शोध व्यावसायिक शिक्षा के महत्व की व्याख्या करती हैं (ग्रेवर और रिटिच,1995) बन्दी पुनर्वास में व्यावसायिक शिक्षा को अत्यन्त महत्वपूर्ण बताते हैं, अन्य शोध भी बढ़ते हुए रोजगार अवसर एवं घटती हुई पुनर्अपराधिता के सिद्धान्त को पुर्नस्थापित करते हैं। (हॉरर, गिल्स,गार्डन, वेल्डन, 2003) भारतीय कारागार प्रशासन में भी व्यावसायिक शिक्षा एवं कार्य प्रशिक्षण कारागार प्रशासन का एक अनन्य अंग है। बन्दियों के विभिन्न अधिकारों में कारावास अवधि का सदुपयोग करना भी एक मुख्य अधिकार है। इसी अधिकार के तहत बन्दियों को भारतीय कारागार प्रशासन में कारावास अवधि के दौरान विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं जैसे कि कालीन बुनाई, वस्त्र बुनाई, कैन बुनाई, लकड़ी की बढ़ईगिरी, बेकरी कार्य, कम्प्यूटर शिक्षा, खेती, प्रिन्टिंग प्रेस के आदि के

कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वाहन चालन, विद्युत सुधार कार्य, टेलरिंग आदि कार्यों का भी प्रशिक्षण बन्दियों को दिया जाता है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो अपने उच्च स्तरीय शोध कार्यों के माध्यम से भारतीय कारागारों में संचालित अच्छे एवं उल्लेखनीय व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी एकत्रित कर उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से अन्य कारागार प्रशासकों तक प्रसारित करती है, जिससे दूसरे राज्य के कारागार अधिकारी भी प्रभावात्मक एवं महत्वपूर्ण कार्यों को अपना कर बन्दी पुनर्वास योजनाएं संचालित कर सकें। भारतीय कारागार प्रशासन में प्रायः प्रत्येक कारागार में व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। सिद्धान्तः कारागारों के उद्देश्य का पालन हो रहा है। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण बन्दियों को दिए जा रहे हैं। स्थानीय मांग को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय कौशल का भी समावेश व्यावसायिक प्रशिक्षण में किया जा रहा है, किन्तु फिर भी बन्दियों की पुनर्वास प्रक्रिया बहुत धीमी है। कारागारों में बन्दियों के पुनर्वास की प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग एवं मध्यप्रदेश जेल मुख्यालय, भोपाल द्वारा एक कार्यगोष्ठी 1998 में भोपाल में आयोजित की गई। व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व के बारे में विचार–विमर्श के दौरान रिहा बन्दियों को भी विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया। वह बन्दी जो कारागारों में प्रशिक्षण पा चुके थे, अपने विचार व्यक्त करते हुए बहुत आक्रोशित थे। उन्हीं बन्दियों में से एक रिहा बन्दी श्री गुड्डू कोष्टी जिसने कारागार में 18 वर्ष व्यतीत किए, ने स्पष्ट किया कि मैंने 18 वर्ष कारागार में व्यतीत किए, मुझे विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए गए लेकिन यह सब नाम मात्र के थे जिससे समय तो काटा जा सकता था किन्तु रिहाई के पश्चात धनार्जन नहीं किया जा सकता। गुड्डू कोष्टी रिहाई के पश्चात कई वर्ष तक पुनर्वास के लिए समाज में संघर्ष करते रहे। गुड्डू कोष्टी की शिकायत भले ही प्रत्येक बन्दी की शिकायत न हो अधिकांश बन्दियों की यह शिकायत अवश्य है। तालिका क्रमांक 5.1 भारतीय कारागार प्रशासन में बन्दियों को दिए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण के आंकड़ों को दर्शाता है।

अधिकतम राशि मुख्यतः बन्दियों के भोजन एवं चिकित्सा सुविधाओं पर व्यय की जा रही है। बहुत कम राशि ही व्यावसायिक प्रशिक्षण पर व्यय की जा रही है किन्तु यदि व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यवस्थित व योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो निःसन्देह भोजन व चिकित्सा जैसे बड़े व्यय स्वतः कारागार प्रशासन द्वारा अर्जित किए जा सकते हैं।

जिस अनुपात में व्यय हो रहा है उस अनुपात में सृजनात्मक रूप में परिणाम नहीं

प्राप्त हो रहे हैं। तालिका क्रमांक 5.1 जेलों में बन्दियों को दिए जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण के आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सामान्यतः समस्त व्यावसायिक प्रशिक्षण वर्षों पुराने हैं, साथ ही निम्नलिखित कौशल का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक भी वर्षों पुराने कौशल का प्रशिक्षण देते हैं जो कि सामान्यतः बाजार में प्रचलित नमूनों से अत्यधिक पुराना है जिसकी बाजार में कोई उपयोगिता नहीं है। साथ ही इन कालीनों को बनाने तक ही व्यावसायिक प्रशिक्षण सीमित रहता है, उसकी कोई विक्रय रणनीति नहीं है। इसीलिए इस व्यावसायिक प्रशिक्षण में संलग्न बन्दी मनोवैज्ञानिक तौर पर इस व्यावसायिक कौशल से प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं हैं। यह कौशल उन्हें रिहाई के पश्चात समाज में पुनर्वासित होने के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का आत्मविश्वास नहीं देता। शोध परियोजनाओं में तथ्य संकलन करने हेतु कारागार निरीक्षण के दौरान फिनाईल और साबुन का अवलोकन किया गया दोनों ही उत्पाद औपचारिकता मात्र के लिए निर्मित किए जाते हैं। फिनाईल एवं साबुन बनाने का मुख्य उद्देश्य बन्दियों को व्यावसायिक कौशल देने के साथ–साथ कारागारों की आवश्यकता को पूरा करना भी है किन्तु दुर्भाग्यवश कारागार अधिकारी एवं कर्मचारी यह कहते पाए गए कि वे स्वयं इस उत्पाद को उपयोग करना पसन्द नहीं करते।

महिला बन्दियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण का मूल्यांकन – भारत का सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण आर.डी. उपाध्याय विरुद्ध कर्नाटक राज्य के निर्देश एवं महिला सशक्तिकरण संसदीय समिति महिलाओं को विशेष रूप से ऐसे व्यवसायों के प्रशिक्षण के लिए निर्देशित करती है जिसके माध्यम से महिलाओं को न केवल कारावास की अवधि व्यतीत करने हेतु हल्के–फुल्के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाएं बल्कि ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाएं जिसके माध्यम से वे रिहाई के पश्चात आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही कारावास में रहने का जो सामाजिक कलंक रिहा बन्दियों पर होता है, विशेषकर महिला बन्दियों पर, उससे अप्रभावित रह सकें। भारतीय कारागार प्रशासन में जेल सांख्यिकी 2008 के दौरान 4.95 प्रतिशत महिला बन्दी परिरुद्ध हैं अर्थात 95 प्रतिशत पुरूष बन्दी एवं मात्र 5 प्रतिशत महिला बन्दी कारागारों में रहती हैं। विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी महिला बन्दियों की कम संख्या होने के कारण महिला बन्दियों के लिए विशेष तौर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए जाते, जिन व्यावसायिक प्रशिक्षण से पुरूष बन्दियों को प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हीं व्यावसायिक प्रशिक्षणों से महिला बन्दियों को महिला मानकर भी प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है। कुछ कारागारों को यदि छोड़ दिया जाए तो अधिकांश कारागारों

में महिला बन्दी सिलाई, बुनाई या बांस की बुनाई आदि हल्के–फुल्के कार्य के अलावा अन्य कार्य करती दिखाई नहीं देतीं। भारत के कारागारों के शोध के दौरान किए गए निरीक्षण में सामान्यतः महिलाएं किसी भी कारागार में कम्प्यूटर, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, आदि का प्रशिक्षण लेते नहीं पाई गईं।

तालिका क्रमांक 5.1
बन्दियों को दिए जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण

क्र. स.	प्रशिक्षण का प्रकार	राज्यों के नाम
1.	कृषि	गोआ, हरियाणा, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम और त्रिपुरा रुई
2.	बांस की वस्तुएं बनाना	असम, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम एवं अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
3.	बढ़ईगिरी	आंध्र प्रदेश, असम, गोआ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पाण्डीचेरी
4.	हथकरघा बुनाई	झारखण्ड, कर्नाटक, मिजोरम और तमिलनाडु
5.	साबुन और फिनाईल बनाना	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल
6.	वस्त्र सिलाई	आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोआ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नगालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु,त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केन्द्रीय शासित प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल्ली, पाण्डीचेरी
7.	बुनाई	आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पाण्डीचेरी

8.	अन्य विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोआ गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पाण्डीचेरी

स्रोत : जेल सांख्यिकी, 2008

अशिक्षित श्रेणी में सर्वाधिक बन्दी भारतीय कारागारों में परिरुद्ध हैं, यद्यपि यह सत्य है कि महिलाएं, पुरूषों की तुलना में और अधिक अशिक्षित हैं किन्तु फिर भी पुनर्वास की दृष्टि से महिला बन्दियों को भी पुरूष बन्दियों के समान बाजार की मांग के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना नितान्त आवश्यक है। तालिका क्रमांक 5.2 में भारतीय कारागारों में परिरुद्ध बन्दियों को दिए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थिति दर्शाता है। भारतीय कारागारों में लगभग 3,76,396 बन्दी परिरुद्ध हैं। तालिका 5.2 में वर्णित आंकड़े भारतीय कारागार प्रशासन में पुनर्वास के प्रयासों की कमजोर स्थिति को दर्शाते हैं।

भारतीय कारागारों में बन्दियों को कई वर्ष पुराने व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। कुल 1091 बन्दी कृषि में प्रशिक्षित किए गए, बढ़ईगिरी में 6877, केनिंग में 417, टेलरिंग में 4593 एवं बुनाई में 5035 बन्दियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। मात्र 698 बन्दियों को साबुन एवं फिनाईल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया जबकि 698 बन्दी हस्त करघा के कौशल से प्रशिक्षित किए गए। अन्य विभिन्न प्रकार के ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण जो विभिन्नता के आधार पर पृथक–पृथक कारागारों में चलाए जा रहे हैं, के अन्तर्गत 22681 बन्दी प्रशिक्षित किए गए, इस प्रकार कुल बन्दी संख्या 3,76,396 में से मात्र 41996 बन्दी ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सके।

अर्थात मात्र 10 प्रतिशत बन्दी ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। यद्यपि कुछ राज्य जैसे कि गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, पंजाब, झारखण्ड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश आदि राज्यों में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में बन्दियों को प्रशिक्षित किया गया किन्तु इन राज्यों की बन्दी संख्या एवं अतिप्रजता की दृष्टि में यह संख्या नाममात्र ही है। पुनर्वास हेतु दिए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता, बनाए गए उत्पाद की विक्रय से विश्लेषित की जा सकती है। दुर्भाग्यवश कारागारों में प्रशिक्षण के दौरान बनाए गए उत्पाद का विक्रय भी एक कमजोर परिदृश्य उपस्थित करता है।

इस दृष्टि से महाराष्ट्र कारागार प्रशासन ने सर्वाधिक राशि 1534.5 लाख रूपए

अर्जित किए। इसके पश्चात बिहार जिसने 936.7 लाख रूपए की राशि अर्जित की, इसी प्रकार उत्तरप्रदेश, गुजरात एवं दिल्ली ने क्रमशः 523, 462 एवं 340 लाख की राशि उत्पादों के विक्रय के द्वारा अर्जित की। इसके पश्चात जिन कारागारों ने एक उल्लेखनीय राशि अर्जित की उनमें तमिलनाडु, पंजाब एवं आंध्रप्रदेश हैं जिन्होंने 340, 273, 240.1 लाख की राशि कारागार उत्पादों को विक्रय कर अर्जित की किन्तु बन्दियों की संख्या की अपेक्षा उत्पाद की यह राशि बहुत अधिक आकर्षित करने वाली नहीं है। इस राशि को मात्र किसी विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता को नापने के मापदण्ड के लिए देखा जा सकता है। जो व्यवसाय जेल प्रबन्धन के अनुभवी एवं प्रशिक्षकों के अवलोकन में भी आय अर्जित नहीं कर सकता, उसे रिहाई के पश्चात अकेला एक बन्दी आत्मनिर्भर सफलता से संचालित नहीं कर सकता। पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षणों को निम्नलिखित तालिका क्रमांक 5.2 में वर्णित प्रति बन्दी आय की तुलना के आधार पर भी मापा जा सकता है।

इसी प्रकार यदि प्रति बन्दी अर्जित राशि के रूप में विभाजित किया जाए तो महाराष्ट्र कारागार प्रशासन ने सर्वाधिक प्रति बन्दी आय 5,927 रूपए की राशि अर्जित की जबकि गुजरात ने 4,416 रूपए एवं दिल्ली कारागार प्रशासन ने 3,988 रूपए की राशि अर्जित की। उत्तराखण्ड यद्यपि बहुत ही छोटा सा राज्य है किन्तु यहां पर वन औषधि की पैदावार बन्दियों द्वारा करवाई जाती है जिससे एक बहुत बड़ी आय कारागार प्रशासन को होती है।

तालिका क्रमांक 5.2

बन्दियों द्वारा बनाए गए उत्पादों से कारागारों को अर्जित आय

क्रमांक	राज्य	राशि (लाख रूपए)
1	महाराष्ट्र	1534.5
2	गुजरात	462
3	दिल्ली	340
4	बिहार	936.7
5	केरल	2197
6	तमिलनाडु	340
7	पंजाब	273
8	आंध्रप्रदेश	240.1

स्रोत : जेल सांख्यिकी, 2008

उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन में प्रति बन्दी 2,687 रूपए की राशि अर्जित की गई। इसी प्रकार बिहार, केरल, तमिलनाडु में क्रमशः 2,363, 2,197, 2,048 रूपए की राशि प्रति बन्दी अर्जित की गई। पंजाब और आंध्रप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ कारागार प्रशासन में प्रति व्यक्ति 1,700 से 1,534 रूपए के मध्य राशि अर्जित की।

अपर्याप्त संसाधनों की कमी से भारतीय कारागार प्रशासन में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है किन्तु इन व्यावसायिक प्रशिक्षणों के माध्यम से बन्दियों का पुनर्वास उस स्तर पर नहीं हो रहा जो स्तर कारागार प्रशासन ने निर्धारित किया है। इसके कई कारण हैं इन कारणों में मुख्य कारण निम्नानुसार हैं –

- **भारतीय कारागारों में बन्दी अतिप्रजता–** विश्व के अन्य कारागार प्रशासन की तरह भारतीय कारागार प्रशासन में भी बन्दी अतिप्रजता है। इसी कारण पुनर्वास की योजनाएं गुणात्मक तरीके से लागू करने में कारागार प्रशासन असफल रहता है। कारागार प्रशासन व शासन की समस्त क्षमता व धन बन्दियों को कारागार में रखने व उनके भोजन, वस्त्र, एवं चिकित्सा आदि पर व्यय हो जाती है एवं बन्दी पुनर्वास का उद्धेश्य अनचाहे ही द्वितीयक हो जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों में तीन महत्वपूर्ण अनुशंसाएं बन्दियों की कारावास अवधि के लिए की हैं। 1. यदि एक व्यक्ति बन्दी के रूप में कारावास में परिरूद्ध है तो इसका यह आशय कतई नहीं लेना चाहिए कि वह एक अमानव बन गया है। 2. बन्दी कारागार में कारागार अवधि के दौरान विचरण के अधिकारों को छोड़कर शेष अन्य सभी मानवाधिकारों का हकदार है। 3. कारावास में रहना स्वयं दण्ड है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य दण्ड से बन्दी को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। उपरोक्त अनुशंसाओं को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय भारत, सरकार ने सभी कारागार अधिकारियों को सचेत किया तथा भविष्य में कारागार प्रशासन को बन्दी अतिप्रजता की इस समस्या से उबारने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने कई उपाय किए हैं जिससे कि कारागारों में अनावश्यक बन्दी अतिप्रजता न रहे जैसे कि लंबित प्रकरणों की त्वरित सुनवाई, लोक–अदालतें, एवं कई नई जेलों का निर्माण तथा इन जेलों को संचालित करने के लिए कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पदों पर भर्ती आदि।
- व्यावसायिक प्रशिक्षकों का वर्षों पुराना अनअद्यतन ज्ञान – भारतीय कारागारों में पदस्थ व्यावसायिक प्रशिक्षक वर्षों पुराने कौशल के माध्यम से बन्दियों को

प्रशिक्षित कर रहे हैं। ये प्रशिक्षक स्वयं भी बन्दियों के पुनर्वास के प्रति जागरूकता नहीं रखते हैं तथा कारागार की दैनिक दिनचर्या में मात्र औपचारिकता पूर्ण करने के स्तर तक ही व्यावसायिक प्रशिक्षण को महत्व देते हैं। इन प्रशिक्षकों का ज्ञान वर्षों पुराना है। उत्पाद वस्तुएं किस प्रकार बाजार में विक्रय की जाएं अथवा कौन से उत्पाद की बाजार में क्या मांग है जैसी मूलभूत जानकारियों का ज्ञान इन प्रशिक्षकों को नहीं होता है।

- व्यावसायिक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण का अभाव – व्यावसायिक प्रशिक्षकों का ज्ञान प्रशिक्षण के बारे में अद्यतन नहीं होता क्योंकि इन प्रशिक्षकों को कभी पृथक से व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान ही नहीं किया गया। जेल अधिकारी एवं कर्मचारियों की एक न्यून संख्या ही प्रशिक्षण प्राप्त कर सकी है, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षकों का कोई उल्लेख नहीं है। प्रशिक्षण के अभाव में कारागार प्रशासन के परिवर्तित उद्देश्यों की जानकारी नहीं हो पाती इसलिए वे बन्दियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व से अज्ञात रहते हैं।
- **व्यावसायिक प्रशिक्षकों के विशेष प्रशिक्षणों की कमी –** व्यावसायिक प्रशिक्षकों के विशेष प्रशिक्षणों का अत्यधिक अभाव है। व्यावसायिक प्रशिक्षकों को मात्र प्रशिक्षण ही नहीं दिया जाना चाहिए अपितु विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जिससे वे परिवर्तित समय में अपनी भूमिका को समझकर नवीन रूप में वैज्ञानिक पद्धति के साथ कार्य कर सकें।
- **अर्थ एवं उद्देश्यहीन व्यावसायिक प्रशिक्षण–** अनावश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण जिनकी बाजार में कोई मांग नही हैं। भारतीय कारागारों में बन्दियों को ऐसे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं जिनका न कोई वर्तमान है और न ही कोई भविष्य है अर्थात् ये कौशल न आज बाजार में कोई मांग रखते हैं और न ही रिहाई के पश्चात बन्दियों को आत्मनिर्भर जीवन देने में कोई मदद कर सकते हैं। आज के प्रतिर्स्पधात्मक युग में जबकि रिहा बन्दी सामाजिक कलंक का शिकार होता है, के लिए रिहाई के पश्चात समाज में अपनी जगह बनाना अत्यंत कठिन होता है। अतः कारागार प्रशासन में बन्दियों के पुनर्वास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण को इतना वैज्ञानिक बनाना होगा जिससे प्रत्येक प्रशिक्षित बन्दी रिहाई के पश्चात आत्म निर्भरता से जीविकोपार्जन कर सके।
- **नाभिक योजना का अभाव –** भारतीय कारागारों मे प्रचलित व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वासित बन्दियों की संख्या पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट

है कि बन्दियों के पुनर्वास उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए कोई नाभिक वैज्ञानिक योजना नहीं बनी है। यद्यपि आदर्श जेल कारागार मैन्युअल 2003 एवं राष्ट्रीय कारागार नीति एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों में सदैव इस बात की अनुशंसा की गई है कि बन्दियों के पुनर्वास हेतु अर्थपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाएं जिससे कि बन्दी रिहाई के पश्चात आत्मनिर्भर रूप से जीवन यापन कर सकें किन्तु किसी भी प्रतिवेदन में यह उल्लेख नहीं है कि वे कौन से प्रशिक्षण हों जिनके माध्यम से बन्दियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इस विषय पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा दो राष्ट्रीय स्तर के शोध कार्य करवाए गए हैं, 'बेस्ट प्रेक्टिसेस इन प्रिजन मेनेजमेंट' एवं इम्पेक्ट ऑफ वोकेश्नल ट्रेनिंग ऑन प्रिजनर रिफारमेशन'। यदि इन प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुशंसाओं को अमल में लाया जाए तो बन्दियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण को एक उन्नत दिशा दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त एक नाभिक समरूप योजना भी केन्द्र सरकार द्वारा बनाई जाए जिससे किसी राज्य विशेष की स्थानीय आवश्यकता को समझ कर पूर्ण व्यावसायिक रणनीति बनाकर क्रियान्वित की जाए।

- **पृथक व्यावसायिक प्रशिक्षण मण्डल का अभाव–** किसी भी केन्द्रीय योजना को बनाने के लिए पृथक से व्यावसायिक प्रशिक्षण मण्डल बनाकर ही इस प्रस्ताव को पूर्णरूपेण क्रियान्वित किया जा सकता है। पृथक व्यावसायिक प्रशिक्षण मण्डल में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा नामांकित कारागार विशेषज्ञ, अपराधशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, अनुभवी जेल अधिकारी, वर्तमान व्यावसायिक प्रशिक्षक आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।
- **व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वैज्ञानिक पद्धति का अभाव –** किसी भी कारागार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व प्रादेशिक स्थितियों, स्थानीय स्थितियों, बन्दियों की अभिवृत्तियों, शैक्षणिक योग्यताओं आदि की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। कोई भी व्यवसाय तभी अर्थपूर्ण हो सकता है जबकि उस व्यावसायिक प्रशिक्षण को बाजार की मांग के अनुरूप मूल जानकारियों के साथ प्रारम्भ किया गया हो, साथ ही उस कार्य में संलग्न बन्दियों की अभिवृत्तियां भी उस कार्य को ग्रहण करने योग्य हों।

- **व्यावसायिक प्रशिक्षकों की जेल प्रबन्धन के अन्य कार्यों में संलग्नता**

सम्पूर्ण जेल अधिकारियों में 20 प्रतिशत जेल सुरक्षा अधिकारी हैं, 30 प्रतिशत मध्यम स्तर के सुरक्षा अधिकारी हैं तथा 21 प्रतिशत कार्यालयीन कर्मचारी हैं तथा 18 प्रतिशत उच्चस्तरीय प्रशासकीय अधिकारी हैं, 8 प्रतिशत चिकित्सा कर्मचारी हैं तथा मात्र 3 प्रतिशत ही सुधार कर्मचारी उपलब्ध हैं। यह मात्र 3 प्रतिशत अधिकारी भी भारतीय कारागारों में अन्य कार्यों को संपादित करते हैं। सारांशतः भारतीय कारागारों में वर्तमान व्यावसायिक प्रशिक्षण बिना किसी वैज्ञानिक योजना के चलाए जा रहे हैं।

यद्यपि इस आशय में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली के सुधारात्मक प्रशासनिक प्रकोष्ठ ने राष्ट्रीय स्तर के कई शोध कार्य संचालित किए तथा उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर समस्त जेल मुख्यालयों पर भी वितरित किया किन्तु इन शोध प्रतिवेदनों की अनुशंसाओं को जेल अधिकारियों द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया। उपरोक्त कारणों के प्रभाव से बन्दी पुनर्वास नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, इन्हीं कारणों से पाश्चात्य देशों में बन्दियों के पुनर्वास प्रयासों की तुलना में भारतीय कारागार प्रशासन बन्दियों के पुनर्वास के प्रयासों का स्तर बहुत निम्न है। अधोलिखित पृष्ठों में पाश्चात्य देशों में दिए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षणों का परिदृश्य वर्णित है।

यद्यपि भारतीय कारागारों में भी एक बड़ी संख्या में टेलरिंग का व्यावसायिक प्रशिक्षण बन्दियों को दिया जाता है। जेल सांख्यिकी, 2008 के अनुसार 41,996 प्रशिक्षित बन्दियों में से 5000 बन्दियों को टेलरिंग के लिए प्रशिक्षित किया गया किन्तु कुछ कारागारों को छोड़कर अन्य कारागारों में परम्परागत टेलरिंग सिखाई जाती है जिसका रिहाई के पश्चात बन्दियों को कोई विशेष लाभ नहीं होता। विगत 5 वर्षों से साबरमती जेल, अहमदाबाद ने अवश्य राष्ट्रीय नमूना संस्थान, अहमदाबाद से सामंजस्य स्थापित कर बन्दियों को उच्च स्तरीय टेलरिंग प्रशिक्षण देने का प्रयास किया है जिससे बन्दी अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक आशांवित हैं।

भारतीय कारागारों में भी बढ़ईगिरी में 6877 बन्दी एवं बांस के फर्नीचर निर्माण में 417 बन्दियों को प्रशिक्षित किया गया। किन्तु भारतीय कारागारों में निर्मित फर्नीचर को प्रदर्शित करने के लिए प्रायः कारागारों के पास न ही पर्याप्त कर्मचारी हैं और न ही स्थान। इसके अतिरिक्त यदि भारतीय कारागारों में बन्दियों को फर्नीचर बनाने का उच्च प्रशिक्षण दे भी दिया जाता है तो रिहाई के पश्चात उनके इस कौशल को प्रमाणित करने के लिए किसी अधिकृत संस्था का प्रमाण–पत्र नहीं होता। ऐसी स्थिति में बन्दियों

का कौशल नियोक्ता के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं हो पाता। इस आशय में पुनः साबरमती केन्द्रीय कारागार, अहमदाबाद ने बन्दियों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पाद को अभिजात्य वर्ग के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रशंसात्मक प्रयास किए हैं। कारागार प्रशासन एवं भारतीय प्रबन्ध संस्थान के आपसी सामंजस्य से बन्दियों द्वारा निर्मित उत्पाद बहुचर्चित 'मॉल' में प्रदर्शित करने की योजना बनाई गई है जिससे बन्दियों के कौशल को समझा, परखा जा सके एवं उनके बनाए हुए उत्पादों की बाजार में मांग बढ़े और बन्दी रिहाई के पश्चात सही मायनों को पुनर्वासित हो सके। साबरमती केन्द्रीय कारागार, अहमदाबाद द्वारा किए गए प्रयासों को सम्पूर्ण भारतीय कारागार अधिकारियों के समक्ष प्रशिक्षण के दौरान रखा गया जिससे वे भी अपने कारागार में बन्दियों के हित में इन अच्छी परम्पराओं को अपना सकें।

शैक्षणिक सुविधाओं का मूल्यांकन–शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अकथनीय महत्व रखती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कारागार विशेषज्ञ वॉल्टर रेक्लेस ने भी शिक्षा को अपराधी पुनर्वास में महत्वपूर्ण माना है। अखिल भारतीय जेल सुधार समिति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्देशन, मुल्ला समिति प्रतिवेदन, महिला सशक्तिकरण संसदीय समिति प्रायः सभी ने शिक्षा को पुनर्वास का अभिन्न अंग माना है। सुनील बत्रा विरुद्ध दिल्ली प्रशासन के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तीन प्रमुख निर्देशन दिए जिसमें एक निर्देशन यह भी था कि बन्दी विचरण के अधिकार के अतिरिक्त कारावास की अवधि में समस्त मानवाधिकार का उपभोग कर सकता है। शिक्षा का अधिकार भी बन्दी का मूलभूल मानवाधिकार है, इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में भी बन्दियों को कारावास में शिक्षा के अधिकार के उपभोग पर सहमति एवं हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र को बाध्यतामूलक निर्देश दिए गए हैं। अच्छे जेल प्रबन्धन के लिए कई उपाय किए जाते हैं किन्तु शिक्षा एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक उपाय है जिसके माध्यम से बन्दी का पुनर्वास किया जा सकता है। सामान्य सभा 1990 ने शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय बन्दियों के न्यूनतम उपचार नियम घोषणा 663 सी 31 जुलाई, 1957 के अनुसार बन्दियों की शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। अशिक्षितों को एवं युवा बन्दियों को शिक्षित करना अत्यधिक आवश्यक है जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। भारतीय कारागारों में बन्दियों का जनसंख्यात्मक परिदृश्य भी कारागारों में शिक्षा के महत्व को सहज ही स्पष्ट करता है।

अशिक्षित बन्दियों का राज्यवार

भारतीय कारागारों में सर्वाधिक बन्दियों को साक्षरता की आवश्यकता है एवं उसके पश्चात बन्दियों को पुनर्वास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिसके आधार पर वह अपना जीविकोपार्जन कर सके क्योंकि यह बन्दी कक्षा दसवीं से भी कम तक शिक्षित हैं इसके पश्चात ऐसे बन्दियों की संख्या है जो 10 वीं कक्षा तक शिक्षित हैं। तकनीकी, डिप्लोमा एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त मात्र नगण्य बन्दी ही हैं किन्तु फिर भी उन्हें रोजगार की आवश्यकता है।

भारतीय कारागारों में शिक्षा के परिदृश्य पर अध्याय 02 में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2007 में भारतीय कारागारों में 29107 बन्दियों को प्राथमिक शिक्षा, 60029 प्रौढ शिक्षा, 2564 बन्दियों को उच्च शिक्षा एवं 2778 बन्दियों को कम्प्यूटर शिक्षा दी गई।

शिक्षित बन्दियों का वितरण

कारागार में दी जाने वाली शिक्षा मात्र अच्छे उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए ही नहीं हो अपितु समस्त अशिक्षित एवं दसवीं कक्षा से कम शिक्षित बन्दियों को अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए किन्तु वर्तमान में कारागारों में यह स्थिति नहीं है। कारागार प्रशासन को मुक्त विद्यालयों से सामंजस्य स्थापित कर शीघ्र ही अशिक्षितों को शिक्षित करने के प्रावधान किए जाने चाहिएं।

कारागारों में महिला बन्दियों की शैक्षणिक सुविधाओं के विषय में अत्यन्त दयनीय स्थिति है। मात्र कुछ ही महिलाएं कारागारों में शिक्षित हो रही हैं। यद्यपि भारतीय कारागारों में शिक्षकों के पृथक से पद निर्मित हैं किन्तु यह शिक्षक भी अन्य कार्यों में संलग्न रहते हैं। महिला बन्दी शिक्षित होने में कोई रूचि नहीं लेती। परिपक्व उम्र में महिला बन्दियों को शिक्षित करने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श के साथ–साथ शिक्षा देने की आवश्यकता है। परामर्श के द्वारा महिला बन्दियों को उनके रिहा जीवन के विषय में जानकारी देने की आवश्यकता है जिससे वे यह समझ सकें कि शिक्षा उनके जीवन में विशेषकर कारावासित होने के सामाजिक कलंक के साथ कितनी अधिक आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण संसदीय समिति, आर.डी.उपाध्याय विरुद्ध कर्नाटक राज्य के प्रकरण में भी महिला बन्दियों को शिक्षित करने के निर्देश कारागार प्रशासन को दिए गए हैं किन्तु फिर भी महिला बन्दियों की शिक्षा एवं उनकी शैक्षणिक सुविधाओं की दशा विचारणीय है।

अशिक्षित महिला एवं पुरूष बन्दियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय कारागारों में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय का अत्यन्त अभाव है। कारागारों को एक समुदाय माना जाता है। समुदायों की तरह बन्दियों को समस्त शिक्षण सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिएं। शिक्षा के द्वारा बन्दियों का व्यक्तित्व विकास होगा, वे व्यवहार के तरीके सीख सकेंगे और उन्हें नैतिक शिक्षा भी प्राप्त हो सकेगी। उचित शिक्षा के पश्चात ही व्यावसायिक शिक्षा की ओर बन्दियों का रूझान होगा। अतः कारागारों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर प्राथमिक से लेकर उच्चतर स्तर के विद्यालय संचालित करने की नितांत आवश्यकता है।

यद्यपि कुछ कारागारों में प्राथमिक विद्यालय हैं लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से वे सामुदायिक विद्यालयों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। कारागार एवं सामान्य समाज का अन्तर मिटाते हुए कारागारों में ही समाज की अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की तरह विद्यालय संचालित होंगे तभी भारतीय कारागारों का एक बहुत बड़ा अशिक्षित बन्दी वर्ग रिहाई के पश्चात कारागारों से शिक्षित होकर निकल सकेगा।

गुणात्मक पुनर्वास में बाधक तत्व – यद्यपि भारतीय कारागार प्रशासन बन्दियों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए पूरी लगन से प्रयासरत है किन्तु फिर भी यदि गुणात्मक पुनर्वास की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे बन्दियों की संख्या बहुत ही कम है जिन्होनें कारावास की अवधि में ऐसे कौशल अर्जित किए जिनके द्वारा रिहाई के पश्चात वे आत्मनिर्भर रूप में पुनर्वासित हो सकें। पाश्चात्य देशों में बन्दियों की पुनर्वास स्थिति की तुलना में भारतीय कारागार प्रशासन उद्देश्य और संसाधन होने के बावजूद भी अत्यधिक पिछड़ा है। समस्त कानूनी प्रावधानों की अनुसंशाओं में पुनर्वास को बन्दियों के उपचार के साथ जोड़कर देखा जाता है। आलोचनात्मक दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारतीय कारागारों में बन्दी सुधार हेतु अधिक प्रयास किए जा रहे हैं किन्तु पुनर्वास के प्रयास अधूरे हैं। गुणात्मक पुनर्वास के मार्ग में निःसंदेह कई बाधक तत्व हैं वे निम्नानुसार हैं–

प्रशिक्षित जेल कर्मचारियों की कमी – जेल अधिकारियों का प्रशिक्षण बन्दियों के पुनर्वास में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय कारागार प्रशासन में प्रशिक्षित जेल अधिकारियों की स्थिति बहुत दयनीय है। राष्ट्रीय अपराध एवं अपराधिता एवं फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, क्षेत्रीय कारागार प्रशासन संस्थान चंडीगढ़, वेल्लोर एवं कोलकाता संर्पूणानन्द जेल प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ

आदि संस्थानों में जेल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। किन्तु यह संस्थान गुणात्मक प्रशिक्षण की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। जहां एक ओर प्रशिक्षण संस्थानों की कमी है वहीं दूसरी ओर ऐसे विषय विशेषज्ञों का अभाव है जो कि इन संस्थानों में गुणात्मक प्रशिक्षक का कार्य कर सकें। प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या बन्दी अतिप्रजता की दृष्टि से अपर्याप्त है। केवल 26 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों ने जेल अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया। सर्वाधिक प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या आन्ध्रप्रदेश कारागार प्रशासन की है, जहां वर्ष 2007 में 2900 जेल अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। इसके पश्चात द्वितीय स्थान पर प. बंगाल कारागार प्रशासन है। जहां 801 कारागार अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार अन्य राज्यों द्वारा भी जेल अधिकारियों को अन्यत्र स्थानों पर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। किन्तु जेल अधिकारियों के प्रशिक्षण के विषय में सर्वाधिक विचारणीय पहलू यह है कि जेल अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर का एक भी प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा मानव अधिकारों के तहत अधिकारियों के मानव अधिकार को सुरक्षित रखते हुए एक अखिल भारतीय जेल प्रशासन कैडर की अनुशंसा की गई है, किन्तु बिना किसी राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण लिए जेल अधिकारी जेल पुलिस महानिरीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक जैसे उच्च पदों तक, पर कार्य करते हैं। यद्यपि पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जेल प्रबंधन में मानव अधिकार, वर्टिकल इन्टरक्शन कोर्स, व्यक्तित्व विकास एवं देखना ही सीखना है जैसे प्रशिक्षण प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं, किन्तु प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध न होने के कारण इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना कठिन कार्य होता है।

- बन्दियों के अनुपात में जेल अधिकारियों का अभाव – बन्दियों के गुणात्मक पुनर्वास में दूसरा बाधक तत्व बन्दियों के अनुपात में जेल अधिकारियों का अभाव होना है। भारतीय कारागार प्रशासन में राज्यों की विभिन्न बन्दी संख्या के अनुसार जेल कर्मचारी अधिकारी पदस्थ हैं।

भारतीय कारागारों में बन्दी अधिकारी औसत बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। अन्य देशों की तुलना में भारतीय कारागारों में प्रति अधिकारी आठ बन्दियों की संख्या है जिससे बन्दियों की व्यक्तिगत अभिवृतियों को समझकर पुनर्वास करने की स्थिति नहीं बन पाती। बन्दी अतिप्रजता की स्थिति में एक व्यवसाय चाहे, अनचाहे सभी बन्दियों पर थोप दिया जाता है। अधिकारियों की अप्रशिक्षित होने से ऐसी स्थिति निर्मित होती है।

तालिका क्रमांक 5.3 भारत एवं अन्य देशों के बन्दी एवं जेल अधिकारियों के अनुपात को प्रदर्शित करता है। सिंगापुर एवं भारत के अतिरिक्त अन्य सभी देशों में बन्दी एवं जेल अधिकारी अनुपात अत्यंत ही कम है, जिससे जेल अधिकारियों का पूरा ध्यान पुनर्वास की योजना पर केन्द्रित रहता है। बन्दियों का सुधार एवं पुनर्वास एक लम्बी प्रक्रिया है जो बन्दी के कारावास में प्रवेश से ही प्रारम्भ हो जाती है। प्रवेश के दौरान ही बन्दी की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक मानसिक एवं शारीरिक स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जेल अधिकारी उसे किसी विशेष सुधार कार्यक्रम या पुनर्वास योजना में सम्बद्ध करते हैं। यद्यपि भारतीय कारागारों में भी जेल अधिकारी अपने स्तर पर वे समस्त प्रक्रियाएं अपनाते हैं जिन्हें राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अन्तर्गत उन्हें अपनाना चाहिए किन्तु गुणात्मक पुनर्वास जेल अधिकारियों की प्रति बन्दी संख्या पर अत्यधिक निर्भर करता है।

तालिका क्रमांक 5.3
बन्दी अधिकारी अनुपात

क्रमांक	राष्ट्र का नाम	बन्दी अधिकारी अनुपात
1.	हांगकांग	1:2.2
2.	ऑस्ट्रेलिया	1:2.3
3.	इण्डोनेशिया	1:4.5
4.	कोरिया	1:4.8
5.	चीन	1:5.4
6.	मंगोलिया	1:5.6
7.	भारत	1:7.5
8.	सिंगापुर	1:7.9
	स्रोत : अन्तर्राष्ट्रीय जेल अध्ययन केन्द्र, किंग्स कालेज, लंदन,2008	

- **बाजार की मांग के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षणों का अभाव –** भारतीय कारागारों में बहुत कम कारागार ही ऐसे हैं जहां स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। अधिकांश व्यावसायिक प्रशिक्षण वर्षों पुराने एवं बिना किसी सोच–विचार के, घिसे–पिटे रूप में, जेल प्रशासन की दूरदर्शिता एवं व्यक्तिगत रूचि के अभाव में

संचालित हो रहे हैं, जो कि बन्दियों के गुणात्मक पुनर्वास में बाधा उत्पन्न कर रहा है।

- **समाज की जागरूकता –** अधिसंख्य बन्दियों को रिहाई के पश्चात समाज में पुनर्वासित होने के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि नियमानुसार बन्दियों को बाह्य जगत से सम्पर्क के पूरे अधिकार कारागार प्रशासन के माध्यम से दिए जाते हैं अपितु फिर भी यह सम्पर्क मात्र परिवार तक ही सीमित रहता है, जिससे समाज का वह वर्ग जिसमें बन्दी को रिहाई के पश्चात अपने कार्य के लिए अथवा सामाजिक सम्बन्धों के लिए सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है, वह वर्ग सम्पूर्ण जेल व्यवस्था जो सुधार व्यवस्था के नाम से स्थापित हो चुकी है, अनजान रहते हैं। हांगकांग जेल प्रशासन दूरदर्शन के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दे रहा है जिससे सामान्य जनता बन्दियों के मानवीय पक्ष को देख सके। इससे रिहा बन्दियों के लिए समाज के सदस्यों की मानसिकता– नकारात्मकता की कमी आती है और वे बन्दियों को समाज का ही एक सामान्य अंग मानकर अपनाने लगे हैं। इसी प्रकार कारागार प्रशासन जनता को जागरूक बनाने के लिए विभिन्न प्रयास करे तो रिहा बन्दियों के लिए पुनर्वास के रास्ते और अधिक खुल जाएंगे।
- **कारावास का सामाजिक कलंक –** शासन एवं प्रशासन बन्दियों को कारागार में रखकर सुधार की प्रक्रिया से उन्हें पुनर्सामाजिकृत समाज में तब तक पुनर्वासित नहीं कर सकती जब तक कि समाज के सदस्यों से रिहा बन्दियों से सामाजिक कलंक न हट जाए। बन्दियों के पुनर्वास में सबसे बड़ी बाधा उनके ऊपर लगा कारावासित होने का कलंक होता है। इस कलंक को दूर करने के लिए अधोलिखित पंक्तियों के अनुसार समाज को समय–समय पर कारावास प्रशासन के उद्देश्यों से परिचित कराना होगा तभी बन्दी गुणात्मक दृष्टि से पुनर्वासित हो सकेंगे।
- **व्यावसायिक कौशल का प्रमाणीकरण –** भारतीय कारागार प्रशाासन द्वारा बन्दियों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं किन्तु यह प्रक्रिया तब बेमानी हो जाती है जबकि रिहाई के पश्चात कौशल रखते हुए भी बन्दी के पास कोई अधिकृत प्रमाण–पत्र नहीं होता जिससे वह अपने कौशल का प्रमाण दे सके। अतः कारागार प्रशासन द्वारा जितने भी

व्यावसायिक प्रशिक्षण करवाए जाएं, उनसे संबंधित अधिकृत विभागों द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किए जाएं जिससे बन्दी के कौशल का प्रमाणीकरण हो सके और वे रिहाई के पश्चात एक कुशल कारीगर की तरह अर्थोपार्जन कर समाज में पुनर्वासित हो सकें।

- **गारन्टी का अभाव –** सुधार प्रशासन में रिहाई के पश्चात बन्दियों की देखभाल भी कारागार प्रशासन का एक उत्तरदायित्व है, जो वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा वहन किया जाता है। कुछ वर्षों पूर्व तक यह कार्य जेल प्रशासन द्वारा ही किया जाता था, यद्यपि राष्ट्रीय कारागार नीति के अन्तर्गत रिहाई के पश्चात बन्दियों की देखभाल के लिए कारागार प्रशासन द्वारा ही संस्थाएं स्थापित करने की अनुशंसा की गई है जिससे बन्दियों को कारावास की अवधि में सुधार की प्रक्रिया के साथ ही पुनर्वास की प्रक्रिया का भी जेल अधिकारी निरन्तर अवलोकन कर सकेंगे। वर्तमान में कारावास से रिहा बन्दी अपनी गारन्टी देने में अपने आपको असमर्थ पाता है। बड़े से बड़ा कौशल होने पर भी उसे सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। इस विषय में कारागार प्रशासन को बन्दी के वर्तमान नियोक्ता से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए जिससे बन्दी का वर्तमान नियोक्ता की अनावश्यक सन्देहास्पद दृष्टि से बचाव हो सके। इस दिशा में राष्ट्रीय कारागार नीति ने बन्दियों के व्यक्तिगत एवं समूह बीमा का भी प्रावधान किया है जिसके लिए सम्पूर्ण बीमा एक्ट में शासकीय प्रयासों से परिवर्तन किए गए हैं। इस प्रावधान से बन्दी एवं बन्दियों के परिवार परस्पर जुड़े रहेंगे।
- **कमजोर मुलाकात व्यवस्था –** कारावास की अवधि में बन्दी का परिवार के साथ सम्पर्क कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि मुलाकात व्यवस्था सशक्त नहीं हो तो बन्दी एवं उसके परिवार के परस्पर भावनात्मक सम्बन्धों में भी शुष्कता आने लगती है। दॉम्पत्य सम्बन्धों में तो लगभग असुरक्षा सही भी सिद्ध होती है। बन्दी साक्षात्कार से यह तथ्य स्पष्ट हुए कि आजीवन कारावास के युवा बन्दियों के जीवन साथियों ने पुनर्विवाह कर लिए। जिन बन्दी दम्पत्तियों के बच्चें होते हैं, वे परस्पर अधिक सघन भावनात्मक सम्बन्धों में बंधें होते हैं। यदि ऐसे परिवारों की मुलाकात व्यवस्था निरन्तर एवं गुणात्मक तरीके से होती रहे तो निश्चित ही बन्दी को रिहाई के पश्चात समाज में पुनर्वासित होने में अधिक समस्याओं का सामना नहीं

करना पड़ता किन्तु दुर्भाग्यवश भारतीय कारागारों में वर्तमान में संचालित मुलाकात व्यवस्था बन्दी एवं उसके परिवार को भावनात्मक रूप से संतुष्ट नहीं कर पाती। इसके लिए बन्दी अतिप्रजता भी सतही मुलाकात के लिए उत्तरदाई है। भावनात्मक असंतुष्टि के कारण बन्दी मानसिक अवसाद से घिरे रहते हैं एवं भविष्य के प्रति निराश एवं असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। अतः गुणात्मक पुनर्वास के लिए अपूर्ण एवं असंतुष्ट मुलाकात व्यवस्था भी बहुत बड़ा बाधक तत्व है।

सारांशतः कहा जा सकता है कि भारतीय कारागार प्रशासन यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात ब्रिटिश कारागार व्यवस्था से पृथक अपना अस्तित्व बना चुका है अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं के अनुसार भारतीय कारागार प्रशासन को ढाल चुका है, किन्तु फिर भी निम्नलिखित चित्र क्रमांक 5.7 के आंकड़े भारतीय कारागारों से रिहा बन्दियों के अधूरे पुनर्वास प्रस्तुत करते हैं। 376000 भारतीय बन्दियों की तुलना में बन्दियों का मात्र एक छोटा समूह ही पुनर्वासित हो पाया है।

भारत में पुनर्वासित बन्दी

बन्दियों के पुनर्वास की दृष्टि से भारतीय कारागार प्रशासन को अभी बहुत लंबा मार्ग तय करना है। बन्दियों का सुधार तभी अर्थपूर्ण एवं स्थाई होगा जबकि कारागार प्रशासन बन्दियों को गरिमामय सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास देने में समर्थ होगा।

अध्याय 6

बंदियों के पुनर्वास के कानूनी प्रावधान

कारागार प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य बन्दियों का सुधार है, किन्तु यह उद्देश्य तब तक अधूरा है जब तक कि बन्दियों को समाज की मुख्य धारा में पुनर्वासित न कर दिया जाए। बन्दियों का सुधार एवं पुनर्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार बन्दियों के सुधार के विभिन्न कानूनी प्रावधान हैं उसी प्रकार बन्दियों को सुधार कर समाज में पुनर्वासित करने के लिए भी विभिन्न कानूनी प्रावधान हैं अर्थात कारागार प्रशासन की यह कानूनी बाध्यता है कि वह बन्दी का न केवल सुधार करे वरन उसे समाज में गुणात्मक तरीके से पुनर्वासित भी करे जिससे वह पुनः अपराधिता में संलग्न न हो। इसीलिए सम्पूर्ण वैश्विक कारागार प्रशासन नित नए अनुसंधान कर बन्दियों को पुनर्वासित करने के तरीके खोज रहा है। वर्तमान में भारतीय कारागार प्रशासन बन्दियों के सुधार के लिए जो प्रयास कर रहा है उनकी तुलना में पुनर्वास की प्रक्रिया तुलनात्मक दृष्टि से कमजोर है किन्तु फिर भी सुधार के साथ ही पुनर्वास की प्रक्रिया भी विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रभाव में धीरे–धीरे तीव्र हो रही है। आदर्श जेल मैन्युअल, 2003 एवं राष्ट्रीय कारागार नीति, 2007 बन्दियों के पुनर्वास के लिए भविष्य में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर सुदृढ़ रूप से स्थापित होकर बन्दियों के उत्तरोत्तर सुधार की अभिनव योजनाएं सिद्ध होंगी। परिणामस्वरूप भारतीय कारागारों में बन्दियों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से कमी आएगी और बन्दी अपराधिता का परित्याग कर समाज और देश की उन्नति में सहायक सिद्ध होंगे।

भारतीय समाज में आज भी जेलों को सुधारालय नहीं माना जाता है। बन्दी पुनर्वास हेतु दो पक्ष मुख्य हैं प्रथम स्वयं बन्दी का समाज में पुनर्वासित होने की

इच्छाशक्ति, द्वितीय समाज की बन्दी को पुनर्वासित होने देने के लिए स्वीकारोक्ति। भारतीय कारागार प्रशासन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत बन्दी के पुनर्वास हेतु प्रथम पक्ष अर्थात बन्दी को समाज में पुनर्वासित होने के लिए हरसंभव प्रयास करता है। बन्दी के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य सुधार से लेकर उसके आध्यात्मिक, बौद्धिक एवं व्यावसायिक ज्ञान तक, जिसके माध्यम से एक बन्दी समाज की मुख्य धारा में गुणात्मक रूप में पुनर्वासित हो सके किन्तु आज भी पुनर्वास का द्वितीय पक्ष अर्थात समाज की स्वीकारोक्ति के विषय में शासन द्वारा बहुत अधिक प्रयास नहीं किए गए हैं। इसीलिए बन्दी को समाज में पुनर्वास के लिए समाज की स्वीकारोक्ति नहीं मिल पाती जिससे बन्दी को रिहाई के पश्चात, कौशल प्राप्त होने के पश्चात कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पीटरसिला ने वर्ष 2000 में बन्दियों के पुनर्वास पर आधारित अपने लेख में इस बात पर प्रकाश डाला कि रिहाई के पश्चात बन्दी को प्रारंभिक छः माह तक बहुत अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है विशेष तौर पर तब जबकि बन्दी अशिक्षित एवं अकुशल रूप में ही कारागार से रिहा हो जाते हैं। लिप्से ने वर्ष 1995 में इस विषय में लिखा कि सफल पुनर्वास बन्दी की रोजगार पाने की क्षमता पर आधारित होता है। इस स्थिति से बचाव के लिए इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं –

बन्दी उपचार के न्यूनतम मानक नियम – बन्दी उपचार के न्यूनतम मानक नियम संयुक्त राष्ट्र सभा में जिनेवा में 1955 में आर्थिक एवं सामाजिक समिति की घोषणा क्रमांक 663 सी, 31 जुलाई 1957 को अपनाए गए। इस प्रसंविदा में निम्नलिखित प्रावधान किए गए जिनके माध्यम से शासन पर बन्दियों के पुनर्वास हेतु कानूनी बाध्यतामूलक प्रभाव हैं।

- **बाह्य जगत से सम्पर्क –**नियम 37 के द्वारा यह प्रसंविदा बन्दियों के परिवारों से निरन्तर सम्पर्क बनाने के अधिकार बन्दी को देती है जिससे बन्दी को रिहाई के पश्चात किसी भी प्रकार की भावनात्मक शुष्कता का सामना न करना पड़े। निश्चित ही यह मुलाकात जेल अधिकारियों के निरीक्षण में ही करने की अनुमति दी जाती है। नियम 38 (1) विदेशी राष्ट्रीयता वाले बन्दियों को कूटनीतिक प्रतिनिधि परामर्शदाता रखने की भी अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त नियम 39 बन्दियों के लिए पत्रकारिता के माध्यम से बाह्य जगत से सम्पर्क के अधिकार सुरक्षित करता है जैसे कि समाचार पत्र पाक्षिक

संस्थात्मक प्रकाशन नियंत्रित दूरभाषिक वार्तालाप, दूरदर्शन आदि।

- **बन्दियों द्वारा कार्य –** नियम 71 (1) से 72 (3) तक बन्दियों के पुनर्वास हेतु कारागार में बन्दियों के कार्य पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रसंविदा का नियम 71–1 के अनुसार बन्दियों से जो कार्य कराए जाएं वह उन्हें प्रताड़ना देने के लिए नहीं वरन कौशल विकसित करने के रूप में होना चाहिए। नियम 71–2 के अनुसार प्रत्येक बन्दी यदि शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसे कार्य पर लगाया जाना अनिवार्य होगा। नियम 71–3 किसी भी बन्दी को निरूद्देश्य बैठाए रखना निषेध करता है। प्रतिदिन प्रत्येक बन्दी रोजगारमूलक उपयोगी प्रकृति के कार्यों में संलग्न रहेगा जो भविष्य में बन्दी के पुनर्वास के लिए सहायक सिद्ध हो सके। विशेष तौर पर युवा बन्दियों को ऐसे कार्यों में संलग्न किया जाना चाहिए जो उनके जीविकोपार्जन के लिए उपयोगी हो। नियम 71–1 करागार प्रशासन को निर्देशित करता है कि कारागार में सिखाए जा रहे कार्य इस प्रकार के हों जो बाह्य समाज के कार्यों से समानता रखते हों जिससे बन्दी रिहाई के पश्चात सहजता से रोजगार प्राप्त कर सके। नियम 73–1 इस बात के लिए निर्देशित करता है कि बन्दियों को सिखाए जाने वाले उद्योग, प्रशासकों द्वारा संचालित किए जाएं न कि निजी ठेकेदारों के द्वारा। बन्दियों से लिए गए कार्य का पारिश्रमिक देना अनिवार्य होगा।
- **शिक्षा–** बन्दियों के मानक न्यूनतम उपचार प्रसंविदा के नियम 77–1 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक बन्दी को जो कि अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान अवश्य दिया जाए। प्रशासन यह प्रयास करे कि बन्दी कारागार में कारावास की अवधि में कम से कम इतनी शिक्षा प्राप्त करे कि व्यावसायिक प्रशिक्षण आसानी से प्राप्त कर सके। सामाजिक सम्बन्ध एवं रिहाई के पश्चात बन्दी का अवलोकन– नियम 79 प्रशासन को निर्देशित करता है कि बन्दी सामाजिक पुनर्वास को दृष्टिगत रखते हुए समाज एवं परिवार के सदस्यों से वांछनीय स्तर पर नियमित सम्पर्क रखे। बन्दी की इस गतिविधि पर प्रशासन नियमित अवलोकन करे और यदि कोई अस्वाभाविक स्थिति उत्पन्न हो तो कारागार प्रशासन बन्दी के परिवार एवं बन्दी के बीच परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध कराए, जिससे बन्दी रिहाई के पश्चात उसका सामाजिक पुनर्वास मात्र कारागार प्रशासन का उत्तरदायित्व न रहे वरन परिवार के

माध्यम से भी बन्दी को सामाजिक पुनर्वास की सामाजिक स्वीकारोक्ति प्राप्त हो सके।

सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा– इस प्रसंविदा के अनुसार बन्दियों का उपचार एवं पुनर्वास कारागार प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है। अनुच्छेद 10–3 के अनुसार किसी भी उपचारात्मक उपाय एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण का उद्देश्य बन्दी के पुनर्वास से संबंधित होना चाहिए।

आदर्श जेल मेन्युअल 2003 – उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रंसविदा के अतिरिक्त भारतीय कारागार प्रशासन के सुचारू एवं सार्वभौमिक समरूपता के लिए विभिन्न अनुशंसाओं को समाहित कर आदर्श जेल मैन्युअल 2003 के अन्तर्गत भी पुनर्वास से संबंधित विभिन्न प्रावधान किए गए हैं जैसा कि पूर्व में भी उल्लेख किया जा चुका है कि इस नवीनतम मैन्युअल में उन समस्त अनुशंसाओं को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है जो वर्षों से महत्वपूर्ण होने के पश्चात भी किन्हीं कारणों से लागू नहीं हो पा रही थीं। आदर्श जेल मैन्युअल, 2003 के नियम 20–1 में यह वर्णन किया गया है कि बन्दियों का पुनर्वास एवं रिहाई के पश्चात उनकी देखभाल कारागार प्रशासन का एक अभिन्न अंग है। रिहाई एवं पुनर्वास के मध्य बन्दियों की देखभाल भी कारागार प्रशासन के द्वारा संस्थात्मक रूप में की जानी चाहिए। वहीं नियम 20–2 यह भी स्पष्ट करता है कि प्रत्येक बन्दी को रिहाई के पश्चात नियमित देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। अधिकांश बन्दी ग्रामीण कृषक परिवारों से होते हैं जिन्हें सामान्यतः रिहाई के पश्चात स्वीकार कर लिया जाता है। इन बन्दियों को मात्र इस बात की आवश्यकता होती है कि कारावास के दौरान इनके परिवार नियमित सम्पर्क में रहें, जबकि नियम 20–3 के अनुसार कुछ बन्दी इस प्रकार के होते हैं जिन्हें नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है जिससे कि यह आपराधिक प्रवृत्तियों से दूर रहकर सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें एवं पुनर्वास के मार्ग में आ रहीं समस्त बाधाएं दूर की जा सकें। नियम 20–4 में रिहाई के पश्चात बन्दियों की देखभाल के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार बताए गए हैं –

- बन्दियों को सहयोग, परामर्श एवं समर्थन उपलब्ध कराना।
- रिहा बन्दियों को मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं में सुरक्षा प्रदान करना।
- कारावास के सामाजिक कलंक से बन्दियों को सुरक्षित करना।
- बन्दियों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना।

- बन्दियों को व्यावसायिक रूप में सुस्थापित करने के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करना।
- इसके अतिरिक्त रिहाई के पश्चात पुनर्वास हेतु आ रही विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करना।

आदर्श जेल मैन्युअल, 2003 के नियम 20–7 में बन्दियों की रिहाई के पश्चात देखभाल को तीन स्तर पर बांटा गया है।

- जबकि कारागार के अन्दर विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रहा हो।
- रिहाई के तुरन्त पश्चात एवं
- रिहाई के पश्चात लगभग पांच वर्ष की अवधि

नियम 20–8 में इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि रिहाई के पश्चात देखभाल की सेवाओं एवं कारागार प्रशासन में आपसी सामंजस्य होना आवश्यक है। नियम 20–9 रिहाई पश्चात देखभाल में महिलाओं, बच्चों, वृद्ध एवं बीमार रिहा बन्दियों की विशेष देखभाल के लिए निर्देशित करता है। आद्तन अपराधियों को भी रिहाई के पश्चात विशेष अवलोकन एवं नियन्त्रण की आवश्यकता होती है। आदर्श जेल मैन्युअल 2003 पुनर्वास हेतु विभिन्न प्रावधान के अतिरिक्त बन्दियों की रिहाई के पश्चात देखभाल के लिए संपूर्ण क्रियान्वयन योजना संबंधी नियमों का भी समावेश किया गया है। नियम 20–10 में योजना नियम के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि रिहाई के पश्चात देखभाल कारागार में बन्दी के तुरंत प्रवेश के साथ ही प्रारंभ हो जानी चाहिए। नियम 20–11 इस बात पर बल देता है कि बन्दी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप ही रिहाई के पश्चात देखभाल की योजना प्रारंभ हो जानी चाहिए। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम बन्दी को बन्दी श्रेणी निर्धारक समिति, बन्दी की श्रेणी निर्धारित करे, उसी के अनुरूप बन्दी की रिहाई के पश्चात योजना बनाए। इस योजना के निर्धारण के पूर्व बन्दी का व्यक्तित्व, उसका कमजोर पक्ष, बन्दी का सशक्त पक्ष, उसकी सीमाएं एवं योग्यताएं अवश्य ही दृष्टिगत करनी होंगी। बन्दी की रिहाई के पश्चात देखभाल विशेषतौर पर पुनर्वास की दृष्टि से तथ्यसंगत होना चाहिए, जिसमें बन्दी का पुनर्वास किसी भी तरह असफल न हो।

इसके अतिरिक्त नियम 20–12 में बन्दी से यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि वह रिहाई के पश्चात क्या काम करना चाहता है और उसे किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है। तत्पश्चात उसकी चाही गई दिशा में ही वैज्ञानिक तौर पर तर्कसंगत सहयोग कर बन्दी को पुनर्वासित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

आदर्श जेल मैन्युअल 2003 के नियम 20–14 में कल्याण अधिकारी की भूमिका का भी निर्धारण किया गया है। कल्याण अधिकारी को बन्दी के कारागार प्रवेश की अवधि में ही बन्दी से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे समय रहते ही रिहाई के बाद की योजना को अंजाम दिया जा सके। कल्याण अधिकारी का यह भी कर्तव्य है कि वह बन्दी और उसके परिवार के सदस्यों के बीच एक सामान्य संबंध बनाए रखने में भूमिका अदा करे। यदि कल्याण अधिकारी यह पाए कि किसी बन्दी से उसके परिवार के सदस्यों से संबंद्ध भावनात्मकता के आधार पर कमजोर हैं तो वह बन्दी एवं उसके परिवार के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करे।

स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका– आदर्श जेल मैन्युअल, 2003 में नियम 20–17 के अनुसार बन्दियों की रिहाई के पश्चात देखभाल एवं पुनर्वास के लिए कारागार प्रशासन को स्वयंसेवी संस्थाओं की एक कड़ी निर्मित करनी चाहिए जिससे यदि कारागार प्रशासन किन्ही कारणों से पुनर्वास के कार्य में असफल हो तो स्वयंसेवी संस्थाएं बन्दी से निरन्तर सम्पर्क कर उसके पुनर्वास को गुणात्मक रूप से अंतिम रूप दें। स्वयंसेवी संस्थाओं से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह समाज में जनसाधारण के बीच बन्दियों के पुनर्वास हेतु जनजागृति लाएं। ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं जो कारागार प्रशासन में उल्लेखनीय कार्य कर रही हों उन्हें पृथक से चिन्हित किया जाए तथा उन्हें महानिदेशक अथवा महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन के माध्यम से पुरस्कृत किया जाए।

पारिवारिक एवं दाम्पत्य समायोजन में सहयोग– नियम 20–21 कारागार प्रशासकों को निर्देशित करता है कि पुलिस बल से सामंजस्य स्थापित कर, रिहा बन्दी को अनावश्यक तौर पर आदतन अपराधी के तौर पर संदिग्धता के आधार पर परेशान न करे। साथ ही पुलिस के कार्यपालिक अधिकारियों को बन्दियों के पारिवारिक एवं सामाजिक समायोजन की समस्याओं से अवगत कराएं जिससे कि वे भी बन्दियों के सामाजिक पुनर्वास में मददगार सिद्ध हो सकें। इसी प्रकार ग्रामीण परिवेश में सरपंचों एवं सामुदायिक विकास अधिकारियों को बन्दियों की पुनर्वास की आवश्यकताओं, विशेष तौर समाज की स्वीकारोक्ति से अवगत कराया जाए।

राष्ट्रीय कारागार नीति, 2007 – आदर्श जेल मैन्युअल, 2003 की भांति गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बन्दियों के समेकित कल्याण हेतु राष्ट्रीय कारागार नीति निर्मित की गई। राष्ट्रीय कारागार नीति के अन्तर्गत भी बन्दियों के पुनर्वास हेतु विस्तार से निर्देश एवं नियम दिए गए हैं जिनका पालन करना प्रत्येक कारागार

प्रशासक के लिए अनिवार्य है। राष्ट्रीय कारागार नीति के उद्देश्य क्रमांक बारह के अनुसार बन्दियों में कार्य करने की आदत का विकास किया जाना चाहिए, जिससे अनावश्यक एवं निरूद्देश्य बैठ कर समय नष्ट करने की आदत का विकास न हो सके। उद्देश्य क्रमांक अट्ठारह विशेष तौर पर महिला बन्दियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए निर्देशित करता है जिससे वे रिहाई के पश्चात कौशल के अभाव में पुनः शोषित न हो सकें। राष्ट्रीय कारागार नीति के भाग–चार में बन्दियों के पुनर्वास हेतु अनेक अनुशंसाएं की गई हैं। अधिकांश अनुशंसाएं आदर्श जेल मैन्युअल में भी समाहित हैं। कुछ विशेष अनुशंसाएं हैं जिनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु विशेष निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय कारागार नीति के अनुसार नवप्रशिक्षितों को उनके कौशल के अनुरूप रिहाई के पश्चात रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एक रोजगार प्रदाय प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी चाहिए। रोजगार में आने के पूर्व ही बन्दी को कारागार उद्योग के अन्तर्गत ही उन्नत रूप में प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है जो सतत मूल्यांकन से प्राप्त किया जा सकता है।

राज्य जेल मुख्यालय में इस आशय के विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इन प्रशिक्षणों में गुणात्मकता एवं रिहाई के पश्चात पुनर्वास की दृष्टि से उन लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो उस उद्योग विशेष से संबंधित हो एवं उक्त विषय के विशेषज्ञ हों। बन्दियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के पश्चात संबंधित विशेषज्ञता विभाग द्वारा योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाना चाहिए।

उपरोक्त नियमों के प्रकाश में सारांशतः यह कहा जा सकता है कि कारागार प्रशासन के समक्ष विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधान बन्दियों के पुनर्वास हेतु उपलब्ध हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध कराने हेतु भी तत्पर हैं। आवश्यकता मात्र विभिन्न पक्षों के परस्पर सामंजस्य की है।

अध्याय 7

उपसंहार

पिछले अध्यायों में अध्याय क्रमांक 1 से 6 तक भारतीय कारागारों का तथ्यात्मक परिदृश्य का वर्णन किया गया है। एक समय भारतीय कारागार मात्र परिरूद्ध रखने में स्थान मात्र थे, किन्तु आज भारतीय कारागार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वप्न के अनुरूप दण्ड के सुधारात्मक दर्शन के अनुसार सुधारालय में परिवर्तित हो चुके हैं। यद्यपि यह सत्य है कि, आज भी भारतीय कारागारों में बन्दी सुधार एवं पुनर्वास राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के उल्लेखित स्तर पर नहीं हो रहा है। अप्रशिक्षित कारागार अधिकारी, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव, अशिक्षित बन्दी वर्ग का बाहुल्य एवं अजागरूक रूढ़िग्रस्त समाज ये कुछ ऐसी बाधाएं थीं, जिन्हें पार करने में गृह मंत्रालय भारत सरकार को एक लंबा समय लगा किन्तु आज भारतीय कारागार प्रशासन का जो परिवर्तित परिदृश्य दिखाई देता है वह न्यायपालिका एवं पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय भारत सरकार की ही एक लंबी यात्रा है।

भारतीय कारागार प्रशासन सुधार एवं पुनर्वास के उस मार्ग पर बहुत आगे निकल चुका है। कानूनी प्रावधान उस नींव के समान होते हैं जिस पर भवन बनाया जाता है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय कारागार प्रशासन के लिए राष्ट्रीय कारागार नीति, 2007 आदर्श जेल मैन्युअल, 2003 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय आदि के रूप में एक सशक्त नींव निर्मित कर ली है, मात्र भवन बनना शेष है क्योंकि भवन की उंचाई मजबूत नींव पर आधारित होती है। बन्दियों का सुधार एवं पुनर्वास गुणात्मक रूप में कानूनी प्रावधानों के स्तर पर लाने के लिए लेखक द्वारा निम्नलिखित अनुसंशाएं की गई हैं जो निम्नानुसार हैं –

1. आदर्श जेल मैन्युअल, 2003 को भारत के संपूर्ण राज्यों में शीघ्रता

से लागू करवाया जाना – न्यायमूर्ति ए.एन. मुल्ला समिति, अखिल भारतीय जेल सुधार समिति, न्यायमूर्ति श्री अय्यर समिति प्रतिवेदन, महिला सशक्तिकरण संसदीय समिति एवं समय–समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों आदि की विभिन्न अनुशंसाएं आदर्श मैन्युअल, 2003 में सिलसिलेवार समाहित की गईं हैं, तथ्यगत रूप में आदर्श जेल मैन्युअल वर्ष 2001 में तैयार कर संपूर्ण भारत वर्ष के राज्यों के जेल मुख्यालयों को भेजा गया जिससे एक राष्ट्रीय सहमति एवं संशोधन प्राप्त हो सके। वर्ष 2003 में आंशिक प्रादेशिक संशोधन एवं राष्ट्रीय स्वीकृति के साथ कानूनी जामा पहनाकर आदर्श जेल मैन्युअल, 2003 के रूप में राज्य कारागार प्रशासन को इस आशय के साथ भेजा गया कि वे अपने राज्य की वैधानिकी द्वारा इसे स्वीकृत करवाकर अपने–अपने राज्य में लागू करवाएंगे। जिससे संपूर्ण देश में बन्दी सुधार एवं पुनर्वास एवं कारागार प्रशासन के अन्य विषयों से संबंधित समरूप नियमों की स्थापना होगी किन्तु दुर्भाग्यवश चुनिंदा राज्यों को छोड़कर जिनकी संख्या नगण्य है, के अतिरिक्त अधोवर्णित मैन्युअल राज्यों में लागू नहीं हो पाया है। जैसा कि ऊपर भी कहा जा चुका है कि आदर्श जेल मैन्युअल, 2003 एक मजबूत नींव के समान है जो गुणात्मक सुधार एवं पुनर्वास का मजबूत आधार है। अतः सर्वप्रथम कारागार प्रशासकों को आदर्श मैन्युअल, 2003 को अपने–अपने राज्यों में लागू करवाने हेतु ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

2. **राष्ट्रीय कारागार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की आवश्यकता –** भारतीय पुलिस, भारतीय न्यायिक व्यवस्था एवं अन्य विभागों से संबंधित प्रायः सभी विभागों के राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान हैं जहां आवश्यकता अनुसार मूल एवं पुनश्चर्या, उन्मुखीकरण एवं पदोन्नतिपूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मात्र भारतीय कारागार प्रशासन ही ऐसा विभाग है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं है, जहां कारागार अधिकारियों को नियुक्ति के तुरंत बाद आधारभूत प्रशिक्षण दिया जा सके। इसी प्रकार पदोन्नतिपूर्व प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण प्रशिक्षण देने की उचित व्यवस्था नहीं है यद्यपि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, नई दिल्ली एवं क्षेत्रीय सुधारात्मक संस्थान अपने स्तर से मानव अधिकार, व्यक्तित्व विकास, देखना ही सीखना है एवं वर्टीकल इन्टरेक्शन

कोर्स जेल अधिकारियों के लिए आयोजित करते हैं किन्तु फिर भी कारागार अधिकारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकता इच्छित स्तर पर पूरी नहीं हो पाती हैं। अतः एक राष्ट्रीय कारागार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की अत्यंत आवश्यकता है जो पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो, नई दिल्ली से सामंजस्य स्थापित कर निरंतर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता रहे। राष्ट्रीय कारागार प्रशिक्षण संस्थान में ऐसे कारागार विशेषज्ञों को पदस्थ करने की आवश्यकता है जो कारागार अधिकारियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दे सकें जैसे मानव व्यवहार की समझ, उच्च स्तरीय कारागार अधिकारी, समाजशास्त्र, अपराधशास्त्र, मनोविज्ञान, कानून आदि के प्राध्यापक एवं तकनीकी ज्ञान रखने वाले प्राध्यापक। राष्ट्रीय कारागार प्रशिक्षण संस्थान न केवल परंपरागत रूप में कारागार अधिकारियों को प्रशिक्षित करे वरन आवश्यकता अनुसार कारागार की समस्याओं पर आधारित नवीन पाठ्यक्रमों की संरचना करें। राष्ट्रीय कारागार प्रशिक्षण संस्थान के साथ–साथ राज्य स्तरीय कारागार प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करने की भी अत्यंत आवश्यकता है। इन संस्थानों से प्रशिक्षित अधिकारी निश्चित रूप से बन्दियों के सुधार एवं पुनर्वास में एक नवीन गति ला सकते हैं।

3. **विभिन्न विभागों में परस्पर सामंजस्य की आवश्यकता –** यद्यपि आदर्श मैन्युअल, 2003 एवं राष्ट्रीय कारागार नीति, 2007 दोनों में ही विस्तृत तौर पर बन्दियों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए विभिन्न अनुसंशाएं कीं हैं एवं समाज कल्याण विभाग से सामंजस्य स्थापित करने पर भी बल दिया गया है। लेखक का यह सुझाव है कि आज कारागार प्रशासन को मात्र अन्य विभागों से सामंजस्य की आवश्यकता है उदाहरणार्थ महिला बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की केन्द्रीय परियोजनाएं आयोजित करता है। यदि कारागार प्रशासन महिला एवं बाल विकास विभाग से सामंजस्य स्थापित कर इन परियोजनाओं का लाभान्वित समूह महिला बन्दियों को चिन्हित करवा सके तो महिला बन्दियों को उचित लाभ मिल सकता है। कारागार प्रशासन का कार्य अपने आप ही बहुत कम हो सकता है। इसी प्रकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न परियोजनाएं आयोजित की जातीं हैं, यदि कारागार प्रशासन युवा बन्दियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से

सामंजस्य स्थापित कर युवा बन्दियों को चिन्हित करवाया जाए तो ये बन्दी लाभान्वित हो सकते हैं तथा जो प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर कारागार के बाहर प्राप्त होता वही प्रमाण–पत्र उन्हें कारागार के अंदर प्राप्त होगा तो निःसंदेह रूप में कारागार प्रशासन के उपकृत होंगे। इसी प्रकार वृद्ध रिहा बन्दियों के लिए सामाजिक न्यायकारिता विभाग से संपर्क कर परिवार के असहयोग की स्थिति में वृद्धाश्रमों में रहने का प्रबंध किया जा सके तो वृद्ध तथा बेसहारा बन्दियों का पुनर्वास हो सकता है।

4. **महिला बन्दियों के पुनर्वास हेतु विशेष प्रयास –** विश्व के अन्य कारागारों की ही तरह भारतीय कारागार भी पुरूष प्रधान हैं। भारतीय कारागारों में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 5 प्रतिशत है, शेष 95 प्रतिशत, पुरूष बन्दियों की है। चूंकि पुरूष बन्दियों का बाहुल्य है, अतः महिला बन्दी स्वाभाविक तौर पर द्वितीयक स्थान पर आ जाती हैं। जिससे महिलाओं के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप सुधार एवं पुनर्वास योजनाओं का अभाव होता है। सामान्यतः पुरूष बन्दियों के साथ रिहाई का सामाजिक कलंक उतना अधिक प्रभावी नहीं होता है जितना कि महिला बन्दियों के साथ। अतः लेखक का सुझाव है कि रिहाई के पूर्व ही महिला बन्दियों के रिश्तेदारों से संपर्क कर संभावित पुनर्वास की स्थिति की जानकारी ले ली जानी चाहिए जिससे अन्य कोई बाहरी व्यक्ति महिला बन्दी को आश्रय के अभाव में शोषित न कर सके। यद्यपि जेल अधिनियम में औपचारिकता के तौर पर ये सारे उपाय बताए गए हैं लेकिन कारागार अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान इन विषयों पर संवेदनशील बनाकर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा आयोजित मानव संसाधन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित स्वाधार योजना के अंतर्गत संचालित निराश्रित महिला आवास गृह को कारागार प्रशासन यदि संचालित करे तो यह कारागार प्रशासन के लिए, कारागार प्रशासन का महिला बन्दी पुनर्वास की दिशा में उल्लेखनीय अंशदान होगा। इसी प्रकार महिला बन्दी जिन्हें मात्र बुनाई–चुनाई जैसे प्रशिक्षण तक सीमित रखा जाता है विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है जिससे ये महिला बन्दी जहां एक ओर अपने जीवन का भार स्वयं उठाने योग्य होंगी, वहीं सामाजिक पुनर्वास में आ रही चुनौतियों का सामना करने का साहस जुटा सकेंगी। लेखक ने शोध परियोजनाओं के

संचालन के दौरान कई राज्यों का भ्रमण करने पर पाया कि अधिकांश महिला बन्दी बिना किसी अर्थपूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण के मानसिक अवसाद की स्थिति में कारावास की अवधि काटती हैं, उन्हे मात्र सफाई–चुनाई एवं बुनाई का कार्य दिया जाता है। यदि कोई कारागार अधिकारी अधिक जागरूक है तो महिला बन्दियों को सिलाई कार्य का प्रशिक्षण दिलवाते हैं किन्तु इन व्यवसायों का कोई ऐसा भविष्य नहीं जिससे कि महिला बन्दी अपने जीविकोपार्जन करने के लिए उपयोग कर सके। महिलाओं को होटल व्यवसाय, नर्सिंग प्रशिक्षण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नर्सरी प्रशिक्षक, विद्यालय अध्यापक, आशुलिपिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्वागत कक्ष कर्मचारी आदि का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है, जिससे वे अपना जीविकोपार्जन करने में सक्षम हो सकें। महिला बन्दियों की रिहाई के पूर्व उनके परिवारों को भी उनकी भावनात्मक स्थिति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है तभी महिला बन्दी वास्तविक रूप में पुनर्वासित हो सकेंगी।

5. **समूह बीमा योजना –** भारतीय कारागारों में बन्दियों की सुधारात्मक प्रक्रिया बन्दी पुनर्वास प्रक्रिया से तुलनात्मक रूप से अधिक सशक्त है। बन्दियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय कारागार नीति, 2007 में समूह बीमा योजना के बारे में अनुशंसा की गई है। लेखक का सुझाव है कि इस योजना को अविलंब लागू किया जाना चाहिए। बन्दी का समूह बीमा के अतिरिक्त व्यक्तिगत बीमा भी यदि किया जाए तो बन्दी परिवार से और अधिक जुड़ेगा एवं बन्दी को मनोवैज्ञानिक तौर पर आत्मसम्मान का यह अहसास होगा कि वह भी अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने के योग्य है।

6. **बन्दियों के पुनर्वास हेतु पुरस्कारों की घोषणा –** भारतीय समाज में जनसामान्य आज भी इस बात के प्रति जागरूक नहीं हैं कि एक बन्दी यदि अपराध करता है तो यह समाज की असफलता है किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। अतः बन्दियों के सामाजिक पुनर्वास हेतु सामाजिक स्वीकृति विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि गृह मंत्रालय, भारत सरकार भी बन्दी पुनर्वास में मददगार होने हेतु पुरस्कार की घोषणा करे तो समाज के कई सदस्य बन्दियों के सामाजिक पुनर्वास हेतु सहायक हो जाएंगे। उदाहरणार्थ वनों के विकास हेतु, नारी सशक्तिकरण हेतु, शिक्षा के प्रचार हेतु, विभिन्न पुरस्कारों की घोषणा भारत सरकार करती है, जिससे जन–सामान्य एक ओर

इन कार्यों का महत्व समझता है, दूसरी ओर शासन की नीतियों का सहायक होता है। उसी प्रकार पुरस्कारों की घोषणा से जन–सामान्य यह समझ पाएगा कि रिहा बन्दी के साथ एक सामान्य व्यक्ति जैसा ही व्यवहार करना है।

7. **नियोक्ताओं को कारागार वेबसाइट के माध्यम से प्रशिक्षित बन्दियों की सूची देना –** भारतीय कारागारों में कई बन्दी विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षणों से प्रशिक्षित किए जा रहे हैं, किन्तु कारागार प्रशासक रोजगार प्रकोष्ठ के अभाव में प्रशिक्षित बन्दियों की श्रेणीबद्ध जानकारियां नियोक्ता को देने में असमर्थ रहते हैं। पाश्चात्य देशों विशेषकर ऑस्ट्रेलिया कारागार प्रशासन के द्वारा कारागारों की वेबसाइट पर प्रशिक्षित बन्दियों की सूची प्रकाशित की जाती है जिससे कम दरों पर नियोक्ता कुशल श्रमिकों को अपने उपक्रम में कार्य देने को उतावले रहते हैं। यदि यही व्यवस्था भारतीय कारागार प्रशासक भी करें तो निश्चित ही विभिन्न कारखानों में भारतीय कारागारों से रिहा बन्दियों को रोजगार का अवसर मिल सकता है। इस आशय से लेखक के द्वारा उद्योग संचालक (भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी) से विचार–विमर्श किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि किसी भी रोजगार योजना में रिहा बन्दी भी सहभागिता कर सकते हैं बशर्ते वे उस योजना के अनुसार योग्यता रखते हों। इसी प्रकार विभिन्न अस्पतालों से संपर्क कर महिला बन्दियों को सम्मानित कार्य दिलवाया जा सकता है।

8. **राष्ट्रीय पुनर्वास मण्डल –** कारागार प्रशासन के उद्देश्यों में दो प्रमुख उद्देश्य बन्दियों का सुधार एवं पुनर्वास है। चूंकि सुधार संस्थात्मक रूप में किया जाता है, संपूर्ण कारागार प्रशासन अपने प्रशासन के अंतर्गत इस प्रक्रिया को संपूर्ण करता है। अतः बन्दियों के सुधार हेतु मात्र गुणात्मक रूप में कार्य करने की आवश्यकता है किन्तु बन्दियों का पुनर्वास स्वयं बन्दी के लिए एवं कारागार प्रशासन के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि बन्दी का सामाजिक पुनर्वास समाज के परिप्रेक्ष्य में होता है। अतः बन्दियों के पुनर्वास हेतु अत्यंत तार्किक व पैनी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है जिससे समाज बन्दी को एक सामान्य नागरिक मानकर अपना सकें। लेखक द्वारा एक राष्ट्रीय पुनर्वास मण्डल गठन करने की अनुशंसा की जाती है।

जिसका प्रतिमान अगले पृष्ठ में दिया गया है। राष्ट्रीय पुनर्वास मण्डल का मुख्य उद्देश्य भारतीय कारागारों से रिहा बन्दियों को गुणात्मक रूप में सामाजिक तौर पर पुनर्वासित करना होगा। इसके अतिरिक्त पुनर्वासित बन्दियों को पुनर्वास के पश्चात भी यदि किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो बन्दी अपने संदर्भित राज्य पुनर्वास मण्डल में संपर्क कर समस्या के समाधान के लिए आवेदन कर सकता है। राष्ट्रीय पुनर्वास मण्डल जहां एक ओर रिहा बन्दियों को गुणात्मक रूप में पुनर्वासित करेगा वहीं दूसरी ओर पुनर्वासित बन्दियों की समस्याओं के संपर्क में रहने से पुनर्अपराधिता पर भी रोक लगेगी।

अंतिम निष्कर्ष

जहां तक बन्दियों के सुधार एवं पुनर्वास का प्रश्न है निःसंदेह भारतीय कारागार प्रशासक प्रशंसा के पात्र हैं। बन्दी अतिप्रजता, मूलभूत अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव, अप्रशिक्षित जेल अधिकारी, नए सुधारात्मक दर्शन के प्रति सामाजिक अनभिज्ञता आदि कुछ ऐसे बाधक तत्व हैं, जो किसी भी उच्च वैधानिक प्रावधान को कमजोर करने में सफल हो सकते हैं, किन्तु भारतीय कारागार प्रशासकों ने उपरोक्त बाधक तत्वों को पार कर बन्दियों के सुधार एवं पुनर्वास का विधिसंगत शुभारंभ कर दिया है किन्तु यदि दूसरी ओर समग्रता की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय कारागारों में ऐसे बन्दियों की संख्या अधिक है जो गरीबी और बेरोजगारी से विवश होकर अथवा सामाजिक रूढ़ियों के प्रभाव में आपराधिक प्रकरणों में पंजीबद्ध हुए हैं। बन्दियों का सुधार, पुनर्वास की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है किन्तु फिर भी अभी भारतीय कारागार प्रशासन को बन्दियों के सुधार एवं पुनर्वास हेतु एक लम्बा मार्ग तय करना है।

बन्दियों का सुधार एवं पुनर्वास दोनों ही मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो कारागार प्रशासकों की व्यक्तिगत रूचि एवं शासन के अन्य विभागों से गुणात्मक सामंजस्य द्वारा ही पूर्ण की जा सकती हैं। बन्दियों के पुनर्वास हेतु उपरोक्त राष्ट्रीय पुनर्वास मण्डल की अबिलम्ब स्थापना की जाए जिससे बन्दी कारागार से रिहा होने के पश्चात स्वयं को समाज की चुनौतियों के समक्ष अकेला न पाए।

परिशिष्ट - अ

मानव अधिकारी की सार्वभौम घोषणा

परिचय –

10 दिसम्बर 1948 को यूनाइटेड नेशन्स की जनरल असेम्बली ने मानव अधिकारी की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। इसका पूर्ण पाठ आगे के पृष्ठों में दिया गया है। इस ऐतिहासिक कार्य के बाद ही असेम्बली ने सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे इस घोषणा का प्रचार करें और देशों अथवा प्रदेशों की राजनैतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का विचार किए बिना, विशेषतः स्कूलों और अन्य शिक्षा संस्थाओं में इसके प्रचार, प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का प्रबन्ध करें। इसी घोषणा का सरकारी पाठ संयुक्त राष्ट्र की इन पांच भाषाओं में प्राप्त है – अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। अनुवाद का जो पाठ यहां दिया गया है, वह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा –

प्रस्तावना – चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और समान तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति ही विश्व–शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। चूंकि मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ही ऐसे बर्बर कार्य हुए जिनमें मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार किया गया, चूंकि एक ऐसी विश्व–व्यवस्था की उस स्थापना की (जिसमें लोगों को भाषण और धर्म की आजादी तथा भय और अभाव से मुक्ति मिलेगी) सर्वसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षा घोषित

किया गया है चूंकि अगर अन्याययुक्त शासन और जुल्म के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के लिए उसे ही अन्तिम उपाय समझ कर– मजबूर नहीं हो जाता है तो कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है चूंकि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ाना जरूरी है चूंकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की जनता ने बुनियादी मानव अधिकारों में, मानव व्यक्त्वि के गौरव और योग्यता में और नर–नारियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास को अधिकार पत्र में दुहराया है और यह निश्चय किया है कि अधिक व्यापक स्वतंत्रता के अन्तर्गत सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर स्तर को ऊंचा किया जाए चूंकि सदस्य देशों ने यह प्रतिज्ञा की है कि, वे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानव अधिकारों और बुनियादी आजादियों के प्रति सार्वभौम सम्मान की वृद्धि करेंगे। चूंकि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह से निभाने के लिए इन अधिकारों और आजादी का स्वरूप ठीक–ठीक समझना सबसे अधिक जरूरी है, इसलिए अब सामान्य सभा घोषित करती है कि मानव अधिकारों की यह सार्वभौम घोषणा सभी देशों और सभी लोगों की समान सफलता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों और आजादी के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उपाय किए जाएं जिनसे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों की सार्वभौम और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन कराए।

अनुच्छेद 1

सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अन्तरात्मा की देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए।

अनुच्छेद 2

सभी को इस घोषणा में सन्निहित सभी अधिकारों और आजादी को प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार–प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, सम्पत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतंत्र हो, संरक्षित हो, या स्वशासन रहित हो या परिमित

प्रभुसत्ता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनैतिक, क्षेत्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहां के निवासियों के प्रति कोई फर्क न रखा जाएगा।

अनुच्छेद 3

प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 4

कोई भी गुलामी या दासता की हालत में न रखा जाएगा, गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा।

अनुच्छेद 5

किसी को भी शारीरिक यातना न दी जाएगी और न ही किसी के प्रति निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार होगा।

अनुच्छेद 6

हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार है।

अनुच्छेद 7

कानून की निगाह में सभी समान हैं और सभी बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं। यदि इस घोषणा का अतिक्रमण करके कोई भी भेदभाव किया जाएगा। उस प्रकार के भेद–भाव को किसी प्रकार से उकसाया जाए तो उसके विरुद्ध समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है।

अनुच्छेद 8

सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का हक है।

अनुच्छेद 9

किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश निष्कासित न किया जाएगा।

अनुच्छेद 10

सभी को पूर्णतः समान रूप से हक है कि उनके अधिकारों और कर्तव्यों के निश्चय करने के मामले में और उन पर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उनकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष एवं निष्पक्ष अदालत द्वारा हो।

अनुच्छेद 11

- प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर दण्डनीय अपराध का आरोप किया गया हो, तब तक निरपराध माना जाएगा, जब तक उसे ऐसी खुली अदालत में, जहां उसे अपनी सफाई की सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों, कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध कर दिया जाए। (2) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे कृत या अकृत (अपराध) के कारण उस दण्डनीय अपराध का अपराधी न माना जाएगा, जिसे तत्कालीन प्रचलित राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध न माना जाए और न उससे अधिक भारी दण्ड दिया जा सकेगा, जो उस समय दिया जाता, जिस समय वह दण्डनीय अपराध किया गया था।

अनुच्छेद 12

किसी व्यक्ति की एकान्तता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप या आक्षेपों के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 13

- प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सीमाओं के अन्दर स्वतंत्रता पूर्वक आने, जाने और बसने का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को अपने या पराए किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश को वापस आने का अधिकार है।

अनुच्छेद 14

- प्रत्येक व्यक्ति को सताए जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने और रहने का अधिकार है।

- इस अधिकार का लाभ ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा जो वास्तव में गैर–राजनीतिक अपराधों से संबंधित हैं या जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य हैं।

अनुच्छेद 15

- प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र विशेष को नागरिकता का अधिकार है।
- किसी को भी मनमाने ढंग से अपने राष्ट्र की नागरिकता से वंचित न किया जाएगा या नागरिकता का परिवर्तन करने से मना न किया जाएगा।

अनुच्छेद 16

- बालिग स्त्री–पुरूषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की रूकावटों के आपस में विवाह करने और परिवार की स्थापना करने के अधिकार हैं।
- उन्हें विवाह के विषय में वैवाहिक जीवन में तथा विवाह विच्छेद के बारे में समान अधिकार हैं।
- विवाह का इरादा रखने वाले स्त्री–पुरूषों की पूर्ण और स्वतन्त्र सहमति पर ही विवाह हो सकेगा।
- परिवार समाज की स्वाभाविक और बुनियादी सामूहिक इकाई है और उसे समाज तथा राज्य द्वारा संरक्षण पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 17

- प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरों के साथ मिलकर सम्मति रखने का अधिकार है।
- किसी को भी मनमाने ढंग से अपनी सम्मति से वंचित न किया जाएगा।

अनुच्छेद 18

प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अन्तरात्मा और धर्म की आजादी का अधिकार है। इस अधिकार के अन्तर्गत अपना धर्म या विश्वास बदलने और अकेले या दूसरों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप से अथवा निजी तौर पर अपने धर्म या विश्वास को शिक्षा, क्रिया, उपासना तथा व्यवहार के द्वारा प्रकट करने की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद 19

प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अन्तर्गत बिना हस्तक्षेप के कोई राय रखना और किसी भी माध्यम के जरिए से तथा सीमाओं की परवाह न करके किसी की सूचना और धारणा का अन्वेषण, ग्रहण तथा प्रदान सम्मिलित है।

अनुच्छेद–20

- प्रत्येक व्यक्ति को शान्तिपूर्ण सभा करने या समिति बनाने की स्वतन्त्रता का अधिकार है।
- किसी को भी किसी संस्था का सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद–21

- प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से चुने गये प्रतिनिधियों के जरिए हिस्सा लेने का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का समान अधिकार है।
- सरकार की सत्ता का आधार जनता की इच्छा होगी। इस इच्छा का प्रकटन समय–समय पर और असली चुनावों द्वारा होगा। ये चुनाव सार्वभौम और समान मताधिकार द्वारा होंगे और गुप्त मतदान द्वारा या किसी अन्य समान स्वतन्त्र मतदान पद्धति से कराए जाएंगे।

अनुच्छेद 22

समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के उस स्वतन्त्र विकास तथा गौरव के लिए– जो राष्ट्रीय प्रयत्न या अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के संगठन एवं साधनों के अनुकूल हो–अनिवार्यतः आवश्यक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक़ है।

अनुच्छेद 23

- प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, इच्छानुसार रोजगार के चुनाव, काम की उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेकारी से संरक्षण पाने का हक है।
- प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के समान मज़दूरी पाने का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को, जो काम करता है, अधिकार है कि वह इतनी उचित और अनुकूल मजदूरी पाए, जिससे वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए ऐसी अजीविका का प्रबन्ध कर सके, जो मानवीय गौरव के योग्य हो तथा आवश्यकता होने पर उसकी पूर्ति अन्य प्रकार के सामाजिक संरक्षणों द्वारा हो सके।
- प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमजीवी संघ बनाने और उनमें भाग लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद 24

प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। इसके अन्तर्गत काम के घण्टों की उचित हदबन्दी और समय–समय पर मजदूरी सहित छुट्टियां सम्मिलित हैं।

अनुच्छेद 25

- प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो। इसके अन्तर्गत खाना, कपड़ा मकान, चिकित्सा–सम्बन्धी सुविधाएं और आवश्यक सामाजिक सेवाएं सम्मिलित हैं। सभी को बेकारी, बीमारी, असमर्थता, वैधव्य, बुढ़ापे या अन्य किसी ऐसी परिस्थिति में आजीविका का साधन न होने पर जो उसके काबू के बाहर हो, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।
- जच्चा और बच्चा को खास सहायता और सुविधा का हक है। प्रत्येक बच्चे को वह समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त होगा।

अनुच्छेद 26

- प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और बुनियादी अवस्थाओं में निःशुल्क होगी। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होगी। टेक्निकल, यांत्रिक और पेशों सम्बन्धी शिक्षा साधारण रूप से प्राप्त होगी और उच्चतर शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर समान रूप से उपलब्ध होगी।
- शिक्षा का उद्देश्य होगा मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रता के प्रति सम्मान की पुष्टि। शिक्षा द्वारा राष्ट्रों, जातियों अथवा धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भावना, सहिष्णुता और मैत्री का विकास होगा और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयत्नों को आगे बढ़ाया जाएगा।
- माता–पिता को सबसे पहले इस बात का अधिकार है कि वे चुनाव कर सकें कि किस किस्म की शिक्षा उनके बच्चों को दी जाएगी।

अनुच्छेद 27

- प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, कलाओं का आनन्द लेने तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेने का हक है।
- प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति से उत्पन्न नैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसका रचयिता वह स्वयं हो।

अनुच्छेद 28

प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रता को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके।

अनुच्छेद 29

- प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो।
- अपने अधिकारों ओर स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति केवल

ऐसी ही सीमाओं द्वारा संबद्ध होगा, जो कानून द्वारा निश्चित की जाएंगी और जिनका एकमात्र उद्देश्य दूसरों के अधिकारों और स्वतन्त्रता के लिए आदर और समुचित स्वीकृति की प्राप्ति होगा तथा जिनकी आवश्यकता एक प्रजातन्त्रात्मक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण की उचित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

- इन अधिकारों और स्वतंत्रता का उपयोग किसी प्रकार से भी संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों और उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 30

इस घोषणा में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए जिससे यह प्रतीत हो कि किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति को किसी ऐसे प्रयत्न में संलग्न होने या ऐसा कार्य करने का अधिकार है, जिसका उद्देश्य यहां बताए गए अधिकारों और स्वतंत्रता में से किसी का भी विनाश करना हो।

परिशिष्ट-ब

बाल अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1990

यह मानते हुए कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र के सिद्धान्तों के अनुसार समूचे मानव–समुदाय की अंतर्निहित गरिमा और सभी के समान और अहस्तांतरणीय अधिकारों की मान्यता ही विश्व में स्वाधीनता, न्याय और शांति का आधार है। यह समझते हुए कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र को मानने वाले राष्ट्रों ने मूलभूत मानव अधिकारों और मानवीय गरिमा तथा सम्मान के प्रति आस्था व्यक्त की है ताकि व्यापक स्वाधीनता के वातावरण में सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया है।

यह मानते हुए कि संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा तथा मानव अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में यह घोषणा की है और सहमति व्यक्त की है कि हर व्यक्ति को जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा अन्य राय, राष्ट्रीय अथवा सामाजिक उद्‌गम, संपत्ति, जन्म या हैसियत जैसे किसी भी भेदभाव के बिना इस घोषणा और प्रसंविदाओं में प्रदत्त अधिकार और स्वाधीनताएं प्राप्त हैं।

इस बात को पुनः स्मरण करते हुए कि मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि बचपन पर विशेष ध्यान और सहायता की आवश्यकता है।

इस बात पर सहमत होते हुए कि परिवार समाज का मूलभूत समूह है और इस के सभी सदस्यों, विशेषतः बच्चों के विकास और खुशहाली के लिए इसे आवश्यक संरक्षण और सहायता मिलनी चाहिए ताकि यह समाज में अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभा सके।

यह मानते हुए कि बच्चे के व्यक्तित्व के पूर्ण और सुसंगत विकास के लिए, उसे परिवार के बीच खुशी, प्रेम और आपसी समझ–बूझ के वातावरण में बढ़ना चाहिए।

यह समझते हुए कि बच्चे को समाज में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ जीने को तैयार किया जाना चाहिए और उस का लालन–पालन संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र के आदर्शों की भावना, खासतौर पर शांति, गरिमा, सहिष्णुता, स्वाधीनता, समता और परस्पर एकता की भावना के अनुरूप होना चाहिए।

यह याद रखते हुए कि बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सबसे पहले 1924 में बाल अधिकारों के बारे में जेनेवा घोषणा में व्यक्त की गई। इसे मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (विशेषतः अनुच्छेद 23 तथा 24 में), अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा (विशेषतः अनुच्छेद 10 में) तथा बच्चों के कल्याण से जुड़ी विशिष्ट एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संबद्ध विधानों और प्रपत्रों में मान्यता दी गई ।

बाल अधिकार घोषणा में कही गई इस बात को याद रखते हुए कि ''शारीरिक तथा मानसिक रूप में अपरिपक्व होने के कारण, बच्चे को सुरक्षा के विशेष उपायों और देखभाल की आवश्यकता है, इसमें जन्म से पूर्व तथा बाद में भी समुचित कानूनी संरक्षण शामिल है।''

माता–पिता के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा पालन और गोद लेने–देने के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विशेष संदर्भ में बच्चे के संरक्षण और कल्याण से संबद्ध सामाजिक और कानूनी सिद्धांतों की घोषणा, बच्चों के मामले में न्याय प्रणाली के बारे में सयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम (पेइचिंग नियमों) और आपात् स्थिति तथा सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के बारे में घोषणा को फिर याद करते हुए, यह समझते हुए कि विश्व के सभी देशों में अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में अनेक बच्चे रह रहे हैं और इन पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है,

बच्चों के संरक्षण और सुसंगत विकास के लिए प्रत्येक राष्ट्र की परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों का पूरा ध्यान रखते हुए प्रत्येक देश में, खास तौर पर विकासशील देशों में, बच्चों के जीने की स्थितियों में सुधार के काम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को समझते हुए, निम्न बातों पर सहमत हुए –

अनुच्छेद 1

इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में, बच्चे से तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक मनुष्य से है बशर्ते कि बच्चे पर प्रयोज्य कानूनों के अंतर्गत, बच्चा इस उम्र से पहले वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेता।

अनुच्छेद 2

1. इस समझौते में शामिल देश अपने अधिकार–क्षेत्र में प्रत्येक बच्चे के लिए, बच्चे अथवा उसके माता–पिता अथवा कानूनी अभिभावक की जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक तथा अन्य विचार, राष्ट्रीय, जातीय अथवा सामाजिक सद्गम, संपत्ति, विकलांगता, जन्य और हैसियत के किसी भी भेदभाव के बिना इस समझौते में प्रदत्त अधिकारों का सम्मान करेंगे और इन्हें सुनिश्चित करेंगे।
2. समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करने के सभी उचित उपाय करेंगे कि बच्चे के माता–पिता, कानूनी अभिभावकों अथवा परिवार–जनों हैसियत, गतिविधियों, व्यक्त विचारों अथवा विश्वासों के कारण बच्चे को किसी भी प्रकार का भेदभाव या दंड न झेलना पड़े।

अनुच्छेद 3

1. बच्चों से संबद्ध सभी कार्यों, चाहे वे निजी अथवा सार्वजनिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं, अदालतों, प्रशासनिक अधिकारियों अथवा विधायी निकायों द्वारा किए जाएं, बच्चे के सर्वोत्तम हितों पर सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा।
2. समझौते में शामिल देश बच्चे के कल्याण के लिए आवश्यक संरक्षण और देखभाल सुनिश्चित करेंगे और ऐसा करने में उसके माता–पिता, कानूनी अभिभावकों अथवा उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का ध्यान रखेंगे और इस काम के लिए सभी उपयुक्त विधायी तथा प्रशासनिक उपाय करेंगे।
3. समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए जिम्मेदार संस्थाएं, सेवाएं और सुविधाएं, कर्मचारियों की संख्या, उपयुक्तता और उचित निरीक्षण के मामले में सक्षम अधिकारियों द्वारा खास तौर पर सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।

अनुच्छेद 4

इस समझौते में स्वीकृत अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए समझौते में शामिल देश सभी उपयुक्त विधायी, प्रशासनिक और अन्य उपाय करेंगे। आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए समझौते में शामिल देश अपने उपलब्ध संसाधनों का यथासंभव अधिकतम उपयोग करेंगे और आवश्यक होने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के दायरे में ऐसा करेंगे।

अनुच्छेद 5

समझौते में शामिल देश माता–पिता अथवा (जहां लागू हो) स्थानीय रीति–रिवाजों के अनुसार विस्तारित परिवार अथवा समुदाय के सदस्यों, कानूनी अभिभावकों अथवा बच्चे के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार अन्य व्यक्तियों के ऐसे दायित्वों, अधिकारों और कर्तव्यों का, बच्चे की उभरती क्षमताओं के अनुरूप सम्मान करेंगे, जिन दायित्वों अधिकारों और कर्तव्यों से इस समझौते में स्वीकार किए गए अधिकारों का बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने में उचित दिशा–निर्देश मिलते हैं।

अन्च्छेद 6

1. समझौते में शामिल देश मानते हैं कि हर बच्चे को जीने का जन्मजात अधिकार है।
2. समझौते में शामिल देश बच्चों के जीवित रहने और विकास को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

अन्च्छेद 7

1. जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे का पंजीकरण करा लिया जाएगा और जन्म से ही उसे अपना नाम होने, एक राष्ट्रीयता प्राप्त करने तथा जहां तक संभव हो, माता–पिता द्वारा उचित देखभाल किए जाने तथा यह जानने का अधिकार होगा कि उसकी देखभाल हो रही है।
2. समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करेंगे कि अपनी–अपनी राष्ट्रीयता से विहीन हो जाए।

अनुच्छेद 8

1. समझौते में शामिल देश विधि–सम्मत रूप से राष्ट्रीयता, नाम और पारिवारिक संबंधों सहित बच्चे की अस्मिता के अधिकार का सम्मान करेंगे और इस में कोई अवैध हस्तक्षेप नहीं होने देंगे।
2. अगर किसी बच्चे को उसकी अस्मिता के कुछ या सभी घटकों से गैर–कानूनी तरीके से वंचित किया गया हो तो समझौते में शामिल देश उसकी अस्मिता को जल्दी से जल्दी बहाल करने के लिए प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद 9

1. समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करेंगे कि माता–पिता की इच्छा के खिलाफ बच्चा उनसे अलग न किया जाए, केवल ऐसे मामलों को छोड़कर, जब सक्षम अधिकारी प्रयोज्य कानून और प्रक्रियाओं के अन्तर्गत न्यायिक समीक्षा के बाद निर्धारित करें कि किसी बच्चे का माता–पिता से अलग रहना उसके सर्वोत्तम हित में है। ऐसा निर्धारण ऐसे विशिष्ट मामले में आवश्यक हो सकता है जब माता–पिता द्वारा बच्चे के साथ दुर्व्यवहार अथवा उसकी उपेक्षा की जाए अथवा माता–पिता के अलग–अलग रहने की स्थिति में बच्चे के निवास–स्थान के बारे में फैसला करना अनिवार्य हो जाए।
2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत किसी भी कार्रवाई के दौरान, इसमें भाग लेने के इच्छुक सभी पक्षों को कार्रवाई में भाग लेने और अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया जाएगा। समझौते में शामिल देश माता–पिता दोनों से या किसी एक से अलग रखे गए बच्चे के इस अधिकार का सम्मान करेंगे कि वह माता और पिता दोनों से नियमित आधार पर व्यक्तिगत संबंध और सीधा संपर्क रख सकें बशर्ते कि ऐसा करना बच्चे के सर्वोत्तम हितों के प्रतिकूल न हो।
3. अगर समझौते में शामिल देश की किसी कार्रवाई जैसे नजरबंदी, कैद, देश निकाला, निर्वासन अथवा मृत्यु (राज्य की हिरासत के दौरान किसी भी कारण से व्यक्ति की मृत्यु सहित) के कारण माता–पिता या इनमें से किसी एक को बच्चे से अलग होना पड़ता है तो समझौते में शामिल देश, अनुरोध किए जाने पर, माता–पिता, बच्चे अथवा उचित होने पर परिवार के अन्य सदस्य को परिवार से अलग सदस्य (सदस्यों) के निवास आदि के बारे में जानकारी देगा

बशर्ते कि ऐसी जानकारी देना बच्चे के हित के प्रतिकूल न हो। समझौते में शामिल देश यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी जानकारी मांगने पर, संबद्ध व्यक्ति (व्यक्तियों) को कोई बुरे परिणाम न झेलने पड़ें।

अनुच्छेद 10

1. अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत समझौते में शामिल देशों के दायित्वों के अनुरूप, अगर किसी देश को परिवार के पुनर्मिलन के लिए उस देश को छोड़ने या उसमें आने के लिए बच्चे अथवा उसके माता–पिता का आवेदन प्राप्त होता है तो समझौते में शामिल देश ऐसे आवेदनों पर सकारात्मक, मानवीय और तुरंत कार्रवाई करेंगे। समझौते में शामिल देश यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा आवेदन करने पर आवेदकों और उनके परिवारजनों को बुरे परिणाम न झेलने पड़ें।
2. अगर किसी बच्चे के माता–पिता अलग–अलग देशों में रहते हों तो उसे, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर माता–पिता दोनों से नियमित आधार पर निजी संबंध और सीधे संपर्क रखने का अधिकार होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति और अनुच्छेद 9 पैराग्राफ 2 के तहत समझौते में शामिल देशों के दायित्वों के अंतर्गत, ये देश अपने देश सहित किसी भी देश को छोड़ने तथा अपने देश में प्रवेश करने के बच्चे और उसके माता–पिता के अधिकार का सम्मान करेंगे। लेकिन देश को छोड़ने का अधिकार ऐसे प्रतिबंधों से बाधित होगा जो प्रतिबंध कानून द्वारा लगाए गए हों और जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकताओं और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को बनाए रखने को आवश्यक हो और इस समझौते में माने गए अन्य अधिकारों के अनुरूप हों।

अनुच्छेद 11 –

1. समझौते में शामिल देश बच्चों को गैर–कानूनी तरीके से विदेश भेजे जाने और उनके वापस नहीं लौटने की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाएंगे।
2. इस उद्देश्य के लिए, समझौते में शामिल देश नए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते करने तथा वर्तमान समझौते को बढ़ावा देने के प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद – 12

1. अपने विचार बता ना सकने वाले बच्चे को समझौते में शामिल देश आश्वस्त करेंगे कि उससे जुड़े हर मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का उसे अधिकार है। बच्चे की आयु तथा परिपक्वता के अनुरूप उसके विचारों को पर्याप्त महत्व दिया जाएगा।
2. इस उद्देश्य के लिए, बच्चे को, खास तौर से, बच्चे से सम्बद्ध किसी न्यायिक या प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान, राष्ट्रीय कानून के प्रक्रियात्मक नियमों के अंतर्गत स्वयं अथवा किसी प्रतिनिधि अथवा उचित संस्था के माध्यम से अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 13.

1. बच्चे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इस अधिकार में बिना किसी सीमा के मौखिक, लिखित अथवा मुद्रित रूप में, कला–रूप में अथवा बच्चे के पसंद के किसी और माध्यम से, सभी प्रकार की जानकारी और विचार मांगने, प्राप्त करने और दूसरों को बताने की आजादी का अधिकार होगा।
2. यह अधिकार कुछ प्रतिबंधों के तहत हो सकता है लेकिन ये प्रतिबंध केवल कानूनी तथा आवश्यक होने चाहिएं:

   क : अन्य व्यक्तियों के अधिकारों अथवा प्रतिष्ठा के लिए

   ख : राष्ट्रीय सुरक्षा, अथवा सार्वजनिक व्यवस्था अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य अथवा नैतिकता के लिए।

अनुच्छेद 14

1. समझौते में शामिल देश विचारों, अंतरात्मा और धर्म की आजादी के बच्चे के अधिकार सुनिश्चित करेंगे।
2. समझौते में शामिल देश, बच्चे की उभरती क्षमताओं के अनुरूप अपने अधिकार के इस्तेमाल के लिए माता–पिता अथवा (जहां प्रयोज्य हो) कानूनी अभिभावकों के बच्चे को दिशा देने के अधिकारों और कर्त्तव्यों का सम्मान करेंगे।
3. अपने धर्म अथवा विश्वासों के प्रदर्शन की आजादी पर कानून द्वारा निर्धारित

ऐसी सीमाएं हो सकती हैं जो सार्वजनिक सुरक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य अथवा नैतिकताओं अथवा अन्य लोगों के मूलभूत अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं।

अनुच्छेद 15

1. समझौते में शामिल देश संगठन बनाने की आजादी तथा शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने की बच्चों की आजादी के अधिकार को स्वीकार करते हैं।
2. इन अधिकारों के कार्यान्वयन में ऐसे प्रतिबंधों को छोड़ कर अन्य कोई प्रतिबन्ध कानून के अनुरूप हों और जो किसी लोकतांत्रिक समाज में राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य अथवा नैतिकताओं के संरक्षण अथवा अन्य लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक हों।

अनुच्छेद 16

1. किसी भी बच्चे की निजता, परिवार, घर और पत्र–व्यवहार पर मनमाने और गैरकानूनी ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर गैरकानूनी तरीके से हमला भी नहीं किया जाएगा।
2. बच्चे को ऐसे हस्तक्षेपों और हमलों के खिलाफ कानूनी संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 17 – समझौते में शामिल देश जन–संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे को अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से सूचना और सामग्री मिले, खास तौर पर ऐसे स्रोतों से, जो बच्चे के सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक हित तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, समझौते में शामिल देश

(क) जन संचार माध्यमों को बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक हित के लिए और अनुच्छेद 29 की भावना के अनुरूप सूचना और सामग्री देने को प्रोत्साहित करेंगे।

(ख) अनेक सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से ऐसी सामग्री के निर्माण, प्राप्ति और आदान–प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे।

(ग) बाल–पुस्तकों के प्रकाशन और उनके बच्चों तक पहुंचने को बढ़ावा देंगे।

(घ) अल्पसंख्यक अथवा आदिम वर्गों के बच्चों की भाषागत आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान रखने के लिए जनसंचार माध्यमों को प्रोत्साहित करेंगे।

(ङ.) अनुच्छेद 13 और 18 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बच्चे के हित के प्रतिकूल सूचना और सामग्री से उसके बचाव के लिए उचित दिशा–निर्देश तैयार करने के काम में जनसंचार माध्यमों को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 18

1. समझौते में शामिल देश इस सिद्धांत की मान्यता सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करेंगे कि बच्चे की देखभाल और विकास की माता–पिता दोनों की समान जिम्मेदारी है। बच्चे की देखभाल और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी माता–पिता अथवा (परिस्थिति के अनुरूप) कानूनी अभिभावकों की है। बच्चे के सर्वोत्तम हित की, उनकी बुनियादी चिंता होनी चाहिए।
2. इस समझौते में प्रदत्त अधिकारों को सुनिश्चित करने और बढ़ावा देने के लिए समझौते में शामिल देश माता–पिता और कानूनी अभिभावकों को उचित सहायता देंगे ताकि वे बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारियां निभा सकें। समझौते में शामिल देश बच्चों पर उचित ध्यान देने के लिए संस्थाओं, सुविधाओं और सेवाओं के विकास को भी सुनिश्चित करेंगे।
3. समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त प्रयास करेंगे कि काम–काजी माता–पिता को बच्चों की देखभाल की ऐसी सेवाओं और सुविधाओं से लाभ उठाने का अधिकार मिले जिसके वे पात्र हों।

अनुच्छेद 19

1. समझौते में शामिल देश ऐसे सभी उचित विधाई, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षणिक उपाय करेंगे जिनसे माता–पिता (अथवा माता या पिता), कानूनी अभिभावक (अभिभावकों) और अन्य किसी व्यक्ति की देखरेख में रह रहे बच्चों को सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक हिंसा, चोट अथवा अपमान, उपेक्षा अथवा उपेक्षाजनक व्यवहार, दुर्व्यवहार अथवा शोषण जिसमें यौन–शोषण शामिल है, से बचाया जा सके।
2. इन संरक्षण उपायों में औचित्य के अनुसार, बच्चे और उसकी देखभाल करने वालों को आवश्यक सहायता देने के लिए सामाजिक कार्यक्रम बनाने की

प्रभावी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। इन उपायों में बच्चों से दुर्व्यवहार रोकने तथा ऐसे दुर्व्यवहार का पता लगाने, रिपोर्ट किए जाने, उपयुक्त अधिकारी को विचारार्थ सौंपे जाने, जांच, उपचार, दुर्व्यवहार के बाद के घटनाक्रम पर नजर रखना और उचित होने पर न्यायिक कार्रवाई भी शामिल है।

अनुच्छेद 20

1. अगर कोई बच्चा अस्थाई अथवा स्थाई रूप से अपने पारिवारिक वातावरण से वंचित है अथवा उसी के सर्वोत्तम हित में उसे अपने पारिवारिक वातावरण में भेजा जाना उचित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह बच्चा सरकार की ओर से विशेष संरक्षण और सहायता पाने का अधिकारी है।
2. समझौते में शामिल देश अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप ऐसे बच्चे की देखभाल की वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे।
3. इस देखभाल में, अन्य बातों के अलावा, माता–पिता का दायित्व अन्य व्यक्ति द्वारा संभाला जाना, इस्लामी कानून के अनुसार कफाला, गोद दिया जाना और जरूरी होने पर बच्चे की देख–भाल के लिए उचित संस्था में रखा जाना शामिल है। बच्चे की देखभाल की समस्या के समाधानों का चयन करने में बच्चे की देख–रेख की वर्तमान व्यवस्था की निरंतरता बने रहने तथा बच्चे की जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भाषाई पृष्ठभूमि पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

अनुच्छेद 21

समझौते में शामिल जो देश गोद लेने की प्रथा को मान्यता देते हैं अथवा इसकी इजाजत देते हैं, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रक्रिया में बच्चे के सर्वोत्तम हितों पर सर्वोपरि ध्यान दिया जाना और ये देश–

क. यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे को गोद लिया जाना केवल सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत होने की स्थिति में ही हो और यह अधिकारी प्रयोज्य कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार तथा साथ संबद्ध और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर निर्धारित करे कि माता–पिता, संबंधियों और कानूनी अभिभावकों के साथ बच्चे के संबंध को देखते हुए गोद दिया जाना स्वीकार किया जा सकता है तथा आवश्यक होने पर, संबद्ध व्यक्तियों ने गोद दिए जाने की

जानकारी प्राप्त करके आवश्यक परामर्श के बाद अपनी सहमति दी है।

ख. यह मानेंगे कि दूसरे देश में गोद दिया जाना बच्चे की देखभाल का वैकल्पिक तरीका तभी हो सकता है जब बच्चे को अपने ही देश के किसी देख–भाल करने वाले या परिवार में नहीं रखा जा सकता अथवा बच्चे के अपने देश में किसी उचित तरीके से उसकी देखभाल नहीं की जा सकती।

ग. यह सुनिश्चित करेंगे कि दूसरे देश में गोद दिए गए बच्चे को भी वही संरक्षण और जीवन–स्तर मिलेगा जो उसके अपने देश में गोद दिए जाने की स्थिति में उपलब्ध है।

घ. इस बात को सुनिश्चित करने के सभी उचित कदम उठाएंगे कि दूसरे देश में गोद दिए जाने की स्थिति में, बच्चे को विदेश भेजने से इस काम में शामिल लोगों को कोई अनुचित वित्तीय लाभ न हो।

ड. जहां उचित हो, वहां इस अनुच्छेद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्था अथवा समझौते करेंगे और इसी दायरे में यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि दूसरे देश में बच्चे को भेजे जाने का काम सक्षम अधिकारियों अथवा संगठनों द्वारा किया जाए।

अनुच्छेद 22

1. समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करेंगे कि अगर कोई बच्चा शरणार्थी का दर्जा दिए जाने की मांग करता है अथवा लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय कानूनों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत शरणार्थी माना गया है, वह चाहे अपने माता–पिता अथवा अन्य किसी व्यक्ति के साथ हो अथवा न हो, उस बच्चे को उचित संरक्षण और समझौते तथा अन्य ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार अथवा मानवीय प्रसंविदाओं, जिसके कि ये देश सदस्य हैं, के अनुसार मिलने वाले अधिकार दिलाने में मानवीय सहायता मिले।
2. इस उद्देश्य के लिए समझौते में शामिल देश, जैसा वे उचित समझें, संयुक्त राष्ट्र तथा इससे सहयोग करने वाले अन्य सक्षम अंतर–सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों से सहयोग करेंगे ताकि ऐसे बच्चे को संरक्षण दिया जा सके और मदद की जा सके व किसी शरणार्थी बच्चे के माता–पिता अथवा परिवार के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके ताकि बच्चे के

उसके परिवार से पुनर्मिलन के लिए आवश्यक जानकारी जुटाई जा सके। अगर माता–पिता अथवा अन्य परिवारजनों का पता न चल पाए तो, बच्चे को वह संरक्षण मिलना चाहिए जैसा किसी भी कारण से पारिवारिक वातावरण से अस्थाई अथवा स्थाई रूप से अलग हुए किसी भी बच्चे को दिए जाने की समझौते में व्यवस्था है।

अनुच्छेद 23

1. समझौते में शामिल देश मानते हैं कि मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे को पूर्ण और अच्छी जिन्दगी जीनी चाहिए और इस जिन्दगी में गरिमा सुनिश्चित होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा समाज में बच्चे की सक्रिय भागीदारी की सुविधा होनी चाहिए।
2. समझौते में शामिल देश विशेष देखभाल पाने के विकलांग बच्चे के अधिकार को मानते हैं और ये देश आवेदन किए जाने पर पात्र बच्चे और उसकी देखभाल के लिए जिम्मेदार लोगों को, उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप, इस तरह की सहायता को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करेंगे, जो बच्चे की स्थिति तथा उसके माता–पिता अथवा उसकी देखभाल करने वाले अन्य लोगों की परिस्थितियों के अनुरूप होगी।
3. विकलांग बच्चे की विशेष आवश्यकताओं को समझते हुए, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के अनुसार दी जाने वाली सहायता, बच्चे के माता–पिता अथवा उसकी देखभाल कर रहे अन्य लोगों के वित्तीय संसाधनों को देखते हुए, यथासंभव निःशुल्क दी जाएगी और इस सहायता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, पुनर्वास सेवाएं, रोजगार की तैयारी और मनोरंजन के अवसर संभव हो सकें और वह इन्हें ऐसे तरीके से प्राप्त करे जो तरीका बच्चे के यथासंभव पूर्ण रूप से समाज में घुल–मिल सकने तथा उसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास सहित व्यक्तिगत विकास के अनुकूल हो।
4. समझौते में शामिल देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना से विकलांगता रोकने के एहतियाती स्वास्थ्य–संबंधी उपायों तथा विकलांग बच्चों के चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक और कार्य संबंधित उपचार में समुचित जानकारी का आदान–प्रदान करेंगे। इसमें पुनर्वास, शिक्षा तथा व्यावसायिक सेवाओं संबंधी जानकारी की

प्राप्ति भी दिया जाना शामिल है। समझौते में शामिल देश इन क्षेत्रों में अपनी क्षमताएं, कार्यकुशलता और अनुभव बढ़ा सकें, इस मामलें में, विकासशील देशों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

अनुच्छेद 24

1. समझौते में शामिल देश बीमारी के उपचार और फिर स्वस्थ होने के लिए उच्चतम संभव स्वास्थ्य–संबंधी मानक तथा सुविधाएं प्राप्त करने के बच्चे के अधिकार को मान्यता देते हैं। समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि किसी भी बच्चे को ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं पाने के अधिकार से वंचित न होना पड़े।
2. समझौते में शामिल देश इस अधिकार के पूर्ण कार्यान्वयन का प्रयास करेंगे और विशेषरूप से, इन क्षेत्रों में उचित उपाय करेंगे –

क. शिशु तथा बाल–मृत्यु समाप्त करना।

ख. स्वास्थ्य–संबंधी प्राथमिक देखभाल पर विशेष बल देते हुए सभी बच्चों की आवश्यक चिकित्सा सेवा तथा स्वास्थ्य की देखभाल उपलब्ध और सुनिश्चित करना।

ग. बीमारी और कुपोषण को दूर करने के प्रयास करना, इसमें स्वास्थ्य–संबंधी प्रारंभिक देखभाल के दायरे में, अन्य बातों के अलावा, तुरंत और आसानी से उपलब्ध टैक्नोलॉजी के जरिए और पर्याप्त पौष्टिक भोजन और साफ पेय जल उपलब्ध करके और पर्यावरण प्रदूषण के खतरों को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए, बीमारी और कुपोषण दूर करने के प्रयास शामिल हैं।

घ. बच्चे के जन्म से पूर्व और बाद में माताओं के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य–संबंधी देखभाल सुनिश्चित करना।

ड. यह सुनिश्चित करना कि समाज के सभी वर्गों, खासतौर से बच्चों और उनके माता–पिता को बाल–स्वास्थ्य और पोषण की बुनियादी बातों, स्तन–पान के लाभों, स्वच्छता और पर्यावरण की शुद्धि और दुर्घटनाएं रोकने के उपायों के बारे में जानकारी दी जाए और उन्हें इस बारे में शिक्षा तथा इस जानकारी के इस्तेमाल में मदद मिले।

च. स्वास्थ्य ठीक रखने के बारे में एहतियाती देखभाल को बढ़ावा देना, माता–पिता को उचित निर्देश देने की व्यवस्था और परिवार नियोजन की

शिक्षा तथा सेवाएं।

3. समझौते में शामिल देश बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह परंपरागत प्रसंविदाओं को समाप्त करने के सभी प्रभावी और उचित उपाय करेंगे।
4. इस अनुच्छेद में माने गए अधिकारों की धीरे–धीरे पूर्ण प्राप्ति के लिए समझौते में शामिल देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और प्रोत्साहित करने का वचन देते हैं। इस बारे में, विकासशील देशों की आवश्यकता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

अनुच्छेद 25

समझौते में शामिल देश किसी भी ऐसे बच्चे को दिए जा रहे उपचार और उपचार के दौरान उसे रखे जाने से संबद्ध अन्य परिस्थितियों की समय–समय पर समीक्षा के अधिकार को मानते हैं, जिस बच्चे को सक्षम अधिकारियों ने उसके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, संरक्षण और उपचार के लिए रखा है।

अनुच्छेद 26

1. समझौते में शामिल देश सामाजिक बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा से लाभ उठाने के हर बच्चे के अधिकार को मान्यता देंगे और ऐसे हर संभव प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार बच्चे को पूरी तरह यह अधिकार मिल सके।
2. किसी बच्चे द्वारा अथवा उसकी ओर से ऐसे लाभों के लिए आवेदन किए जाने पर, बच्चे और उसकी देखभाल का दायित्व संभाल रहे व्यक्तियों को संसाधनों और परिस्थितियों तथा अन्य संबद्ध बातों का ध्यान रखते हुए, उचित होने पर बच्चे को ये लाभ दिए जाने चाहिएं।

अनुच्छेद 27

1. समझौते में शामिल देश मानते हैं कि हर बच्चे को उसके भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए समुचित जीवन–स्तर पाने का अधिकार है।
2. बच्चे के माता–पिता उसकी देखभाल का दायित्व संभाल रहे अन्य व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी योग्यताओं और वित्तीय क्षमताओं के अनुरूप, बच्चे के विकास के लिए आवश्यक स्थितियां उसे उपलब्ध कराएं।

3. समझौते में शामिल देश, राष्ट्रीय परिस्थितयों और अपने संसाधनों के अनुरूप, इस अधिकार के कार्यान्वयन में माता–पिता और बच्चों के देखभाल का दायित्व संभालने वाले अन्य व्यक्तियों को सहायता देने के उचित उपाय करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर सामग्री के रूप में सहायता और सहायता कार्यक्रम, खासतौर से पोषण, वस्त्र और आवास के लिए, उपलब्ध कराएंगे।
4. समझौते में शामिल देश, संबद्ध देश में और विदेशों में रह रहे माता–पिता अथवा बच्चे की वित्तीय जिम्मेदारी वाले अन्य व्यक्तियों से बच्चे की देखभाल के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराएंगे, खासतौर से ऐसे मामलों में जब बच्चे की वित्तीय जिम्मेदारी वाला व्यक्ति बच्चों के देश में नहीं रहता हो, समझौते में शामिल देश अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में शामिल होने, ऐसे समझौते करने और अन्य उपयुक्त व्यवस्थाएं करने को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 28

1. समझौते में शामिल देश बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मान्यता देते हैं और समान अवसर के आधार पर इस अधिकार को उपलब्ध कराने में निरंतर प्रगति के लिए निम्न उपाय करेंगे –

क. प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाकर सभी बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध कराना।

ख. सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा सहित माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न रूपों के विकास को बढ़ावा देना और हर बच्चे के लिए इसे सुलभ और उपलब्ध बनाना और जिन बच्चों को आवश्यकता हो, उन्हें निःशुल्क शिक्षा और वित्तीय सहायता देने जैसे उचित उपाय करना।

ग. क्षमता के आधार पर सभी के लिए उच्च शिक्षा सुलभ कराने के सभी उपयुक्त उपाय करना।

घ. सभी बच्चों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक सूचना और दिशा–निर्देश उपलब्ध तथा सुलभ कराना।

ड. स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा पढ़ाई के बीच में ही बच्चों का स्कूल छूट जाने की दर कम करना।

2. समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करने के उपयुक्त उपाय करेंगे कि स्कूल में अनुशासन लागू करने के तरीके बच्चे की मानवीय गरिमा तथा इस

समझौते के प्रावधानों के अनुरूप हों।

3. समझौते में शामिल देश शिक्षा से संबद्ध मामलों, खास तौर से विश्वभर में अज्ञान और निरक्षरता को समाप्त करने तथा वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी और शिक्षण के आधुनिक तरीकों की जानकारी सुलभ बनाने में, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाएंगे और इसे प्रोत्साहित करेंगे। इस मामले में, विकासशील देशों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

अनुच्छेद 29

1. समझौते में शामिल देश इस बात पर सहमत हैं कि बच्चे की शिक्षा को निम्न दिशाओं में निर्देशित किया जाना चाहिए –

क. बच्चे के व्यक्तित्व, प्रतिभाओं तथा मानसिक और शारीरिक योग्यताओं का पूर्ण विकास।

ख. मानव अधिकारों, मूलभूत स्वतंत्रताओं और संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के सिद्धान्तों के प्रति सम्मान का विकास।

ग. बच्चे के माता–पिता, उसकी सांस्कृतिक पहचान, भाषा, जीवन–मूल्यों, बच्चे के निवास तथा उद्‌गम वाले देश के राष्ट्रीय मूल्यों और बच्चे की अपनी सभ्यता के अलावा अन्य सभ्यताओं के प्रति सम्मान की भावना का विकास।

घ. सभी देशों तथा जातीय, राष्ट्रीय और धार्मिक समूहों तथा देश के आदिम निवासियों के बीच समझ–बूझ, शांति, सहिष्णुता, स्त्री–पुरूष समानता और मैत्री की भावना के साथ मुक्त समाज में जिम्मेदारी भरे जीवन के लिए बच्चे को तैयार करना।

ड. प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति सम्मान की भावना का विकास।

3. इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 28 के किसी भी भाग को शैक्षिक संस्थान खोलने या इन्हें निर्देशित करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के अर्थ में नहीं समझा जाएगा बशर्ते कि इन संस्थानों में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के सिद्धान्तों का पालन किया जाए और इन संस्थानों में दी जा रही शिक्षा राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप हो।

अनुच्छेद 30

जिन देशों में जातीय, धार्मिक अथवा भाषाई अल्पसंख्यक और देश के आदिम

निवासी रहते हैं, वहां इन अल्पसंख्यक वर्गों के अथवा आदिम निवासी बच्चे को उसके ग्रुप के अन्य बच्चों के समुदाय में अपनी संस्कृति को मानने, अपने धर्म के बारे में बताने या उसे मानने अथवा अपनी भाषा का प्रयोग करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 31

1. समझौते में शामिल देश आराम करने, खेलने, अपनी उम्र के अनुरूप मनोरंजन करने और सांस्कृतिक जीवन तथा कलाओं में मुक्त रूप से भाग लेने के बच्चे के अधिकार को मान्यता देते हैं।
2. समझौते में शामिल देश सांस्कृतिक और कलात्मक जीवन में योगदान देने के बच्चे के अधिकार को सम्मान और बढ़ावा देंगे और सांस्कृतिक, कलात्मक, मनोरंजनात्मक और विश्राम–संबंधी गतिविधियों के लिए उपयुक्त तथा समान अवसरों वाले प्रावधानों को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 32

1. समझौते में शामिल देश आर्थिक शोषण और जोखिम भरे अथवा बच्चे की शिक्षा में बाधा डालने वाले अथवा बच्चे के स्वास्थ्य अथवा शारीरिक, मानसिक आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिप्रद कार्यों में संरक्षण के बच्चे के अधिकार को मान्यता देते हैं।
2. समझौते में शामिल देश इस अनुच्छेद का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विधाई, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय करेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं के संबद्ध प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, समझौते में शामिल देश विशेष रूप से –

क. रोजगार के लिए न्यूनतम आयु अथवा विभिन्न रोजगारों के लिए अलग–अलग न्यूनतम आयु निर्धारित करेंगे।

ख. रोजगार के घंटों और परिस्थितियों के बारे में उपयुक्त विधान बनाएंगे।

ग. इस अनुच्छेद का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त दंड और अन्य प्रतिबंधों का प्रावधान करेंगे।

अनुच्छेद 33

समझौते में शामिल देश बच्चों को, संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संधियों में परिभाषित नशीले पदार्थों के अवैध इस्तेमाल से बचाने और ऐसे पदार्थों के अवैध उत्पादन तथा तस्करी में बच्चों को लगाया जाना रोकने के लिए विधाई, प्रशासनिक, सामाजिक तथा शैक्षिक उपायों सहित सभी उपयुक्त उपाय करेंगे।

अनुच्छेद 34

समझौते में शामिल देश यौन शोषण दुर्व्यवहार के सभी रूपों से बच्चों को बचाने का वचन देते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समझौते में शामिल देश निम्न बातों को रोकने के लिए सभी उपयुक्त राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय करेंगे –

क. किसी बच्चे को किसी अवैध यौन–कार्य के लिए फुसलाना या जोर–जबरदस्ती करना।

ख. बच्चों का शोषण करते हुए उनसे वेश्यावृत्ति अथवा अन्य अवैध यौन कार्य करना।

ग. बच्चों का शोषण करते हुए नग्नतापूर्ण कार्यों और सामग्री में उनका इस्तेमाल करना।

अनुच्छेद 35

समझौते में शामिल देश किसी उद्देश्य के लिए और किसी भी रूप में बच्चों का अपहरण, बिक्री और व्यापार रोकने के लिए सभी उपयुक्त राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय करेंगे।

अनुच्छेद 36

समझौते में शामिल देश बच्चों के कल्याण के किसी भी पक्ष के लिए अनुचित शोषण के सभी अन्य रूपों से बच्चों को बचाएंगे।

अनुच्छेद 37

समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करेंगे कि –

क. किसी भी बच्चे को यातना अथवा अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड नहीं झेलना पड़ेगा। अठारह साल से कम आयु के व्यक्तियों

को अपराधों के लिए न तो मृत्युदंड दिया जाएगा, न ही ऐसा आजीवन कारावास दिया जाएगा जिससे मुक्त होने की आशा न हो।

ख. किसी भी बच्चे को स्वाधीनता से गैरकानूनी तथा मनमाने तरीके से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी बच्चे की गिरफ्तारी, नजरबंदी और कारावास का दंड कानून के अनुसार ही होगा और कोई उपाय कारगर न होने पर ही ऐसे दंड दिए जाएंगे और ऐसे दंडात्मक उपाय यथा संभव कम से कम अवधि के लिए होंगे।

ग. स्वाधीनता से वंचित हर बच्चे के साथ, मनुष्य की जन्मजात गरिमा को बनाए रखते हुए और ऐसे बच्चे की उम्र के अनुरूप आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मानवता और सम्मान का व्यवहार किया जाएगा। खास तौर से, स्वाधीनता से वंचित बच्चे को सयानों से अलग तभी रखा जाएगा जब ऐसा करना उसके सर्वोत्तम हित में समझा जाए और असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर, ऐसे बच्चे को पत्र–व्यवहार और आते–जाते रहने के जरिए अपने परिवार से संपर्क बनाए रखने का अधिकार होगा।

घ. स्वाधीनता से वंचित हर बच्चे को कानूनी तथा अन्य उपयुक्त सहायता तुरंत सुलभ होने का अधिकार होगा और स्वाधीनता से वंचित किए जाने की वैधता को किसी अदालत या अन्य सक्षम, स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकारी के समक्ष चुनौती देने और ऐसी किसी कार्रवाई पर तुरंत फैसला पाने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 38

1. समझौते में शामिल देश सशस्त्र संघर्षों की स्थिति में बच्चों से संबद्ध कानूनों का सम्मान करने और इन नियमों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने का वचन देते हैं।
2. समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चत करने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय करेंगे कि पन्द्रह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति लड़ाइयों में सीधे हिस्सा न लें।
3. समझौते में शामिल देश पन्द्रह से कम आयु के बच्चों को सेना में भर्ती नहीं करेंगे। पन्द्रह से अठारह वर्ष के व्यक्तियों को सेना में भर्ती करने के मामले में, समझौते में शामिल देश, इन व्यक्तियों में से सबसे ज्यादा, उम्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता देंगे।

4. सशस्त्र संघर्षों की स्थिति में नागरिकों को बचाने के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अपने दायित्वों की पूर्ति के अनुरूप ही, समझौते में शामिल देश ऐसे संघर्ष से प्रभावित बच्चों के संरक्षण और देख–भाल सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय करेंगे।

अनुच्छेद 39

उपेक्षा, शोषण अथवा दुर्व्यवहार के किसी भी रूप, यातना तथा क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार तथा दंड के किसी भी अन्य रूप अथवा सशस्त्र संघर्ष के शिकार बच्चे को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से फिर स्वस्थ बनाने तथा समाज में उसके फिर घुल–मिल सकने को बढ़ावा देने के लिए समझौते में शामिल देश सभी उपयुक्त उपाय करेंगे। बच्चे को पुनःसमन्वय का काम उसके स्वास्थ्यप्रद, आत्मसम्मानपूर्ण तथा गरिमामय वातावरण में किया जाएगा।

अनुच्छेद 40

1. समझौते में शामिल देश मानते हैं कि ऐसे प्रत्येक बच्चे, जिसने कथित रूप से दंड विधान का उल्लंघन किया है, उस पर ऐसा आरोप है या ऐसा माना गया है, उसे ऐसा व्यवहार पाने का अधिकार है जो गरिमा तथा महत्व की बच्चे की अनुभूति को बढ़ावा देने के अनुरूप हो, जो मानव अधिकारों तथा लोगों की स्वाधीनताओं के प्रति बच्चे के सम्मान को और मजबूत बनाए और जिस व्यवहार में बच्चे की आयु, समाज में बच्चे के फिर घुल–मिल सकने और समाज में बच्चे द्वारा रचनात्मक भूमिका निभाए जाने की वांछनीयता का ध्यान रखा जाए।
2. इस उद्देश्य की प्राप्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं के संबद्ध प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, समझौते में शामिल देश, विशेष रूप से इन बातों को सुनिश्चित करेंगे –

क. किसी भी बच्चे पर ऐसे किसी कार्य को करने या अनजाने में हो जाने से दंड कानूनों के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया जाएगा अथवा दोषी नहीं समझा जाएगा अथवा यह नहीं माना जाएगा कि उसने कानून तोड़ा है, जिस कार्य को किए जाते समय वह कार्य राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं था।

ख. प्रत्येक बच्चे को, जिस पर दंड कानून तोड़ने का आरोप है या उसे दोषी माना जा रहा है, कम से कम निम्न गारंटी मिलेगी –

(i) जब तक वह कानूनन दोषी नहीं साबित हो जाता, तब तक उसे निर्दोष माना जाए।

(ii) उसके खिलाफ आरोपों की उसे तुरंत और सीधे और उचित होने पर उसके माता–पिता अथवा कानूनी अभिभावक के जरिए जानकारी दी जाए और अपने बचाव की तैयारी और ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने में उसे कानूनी अथवा अन्य उपयुक्त सहायता प्रदान की जाए।

(iii) सक्षम, स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकारी अथवा न्यायिक निकाय द्वारा कानून के अनुसार न्यायपूर्ण सुनवाई के जरिए, बिना देरी के, मामला निपटाया जाए और इस दौरान कानूनी तथा अन्य उपयुक्त सहायता मौजूद हो बशर्ते कि ऐसा करना, खास तौर पर बच्चे की उम्र अथवा परिस्थिति, उसके माता–पिता और कानूनी तथा अन्य उपयुक्त सहायता मौजूद हो बशर्ते कि ऐसा करना, खास तौर से बच्चे की उम्र अथवा परिस्थिति, उसके माता–पिता और कानूनी अभिभावक को ध्यान में रखते हुए, बच्चे के सर्वोत्तम हित में न माना जाए।

(iv) उसे साक्ष्य देने अथवा अपराध स्वीकार करने, प्रतिकूल गवाहों की जांच करने अथवा उनके द्वारा जांच कराए जाने और सहायता की शर्तों के आधार पर अपनी ओर से गवाह पेश करने और उनकी जांच के लिए बाध्य न किया जाए।

(v) अगर यह माना जाए कि बच्चे ने दंड विधान का उल्लंघन किया है तो उसे इस फैसले और इसके अनुरूप की गई कार्रवाईयों की कानून के अनुसार ज्यादा उच्च, सक्षम, स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकारी अथवा न्यायिक निकाय से पुनः समीक्षा की गारंटी मिले।

(vi) अगर बच्चा प्रयुक्त भाषा को समझ अथवा बोल न सके तो उसे दुभाषिए की निःशुल्क सेवाएं मिलें।

3. समझौते में शामिल देश दंड विधान के उल्लंघन का आरोप लगे, दोषी समझे गए अथवा जिनके बारे में माना गया है कि उन्होंने दंड विधान का उल्लंघन किया है, ऐसे बच्चों के लिए खास तौर से प्रयोज्य कानूनों, प्रक्रियाओं, अधिकारियों और संस्थाओं को बढ़ावा देंगे और खास तौर से –

क. ऐसी न्यूनतम आयु का निर्धारण करेंगे जिससे कम आयु के बच्चे के लिए

माना जा सके कि उसमें दंड विधान के उल्लंघन की क्षमता नहीं है।

ख. जहां उपयुक्त और वांछनीय हो, ऐसे बच्चों के मामलों को बिना न्यायिक कार्रवाई के सुलझाने के प्रयास करेंगे लेकिन साथ ही यह भी ध्यान में रखेंगे कि मानव अधिकार और कानूनी सुरक्षा के प्रावधानों का पूरा ध्यान रखा जाए।

4. देखभाल, माता–पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देख–भाल, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा संस्थागत देखभाल के अन्य विकल्पों जैसे विभिन्न तरीके बच्चों को उपलब्ध हों ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चों के साथ उपयुक्त कल्याणकारी व्यवहार हो और यह व्यवहार उनसे अपराध तथा परिस्थितियों – दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

अनुच्छेद 41

समझौते की कोई भी बात का ऐसे प्रावधानों पर कोई असर नहीं होगा जो बच्चे के अधिकारों की पूर्ति के ज्यादा अनुकूल हों और जो –

क. समझौते में शामिल देश के कानून अथवा

ख. उस देश में लागू अंतर्राष्ट्रीय कानून में सन्निहित हों।

अनुच्छेद 42

1. समझौते में शामिल देश इस समझौते के सिद्धांतों और प्रावधानों के बच्चों और वयस्कों तक व्यापक प्रसार के लिए उपयुक्त और सक्रिय उपाय करने का वचन देते हैं।

अनुच्छेद 43

1. इस समझौते में जिन दायित्वों को निभाने का वचन दिया गया है, समझौते में शामिल देशों द्वारा उनकी प्राप्ति में सफलता की जांच के लिए बाल अधिकारों के बारे में एक समिति गठित की जाएगी जो निम्नलिखित तरीके से कार्य करेगी –

2. समिति में इस समझौते के कार्यक्षेत्र से संबद्ध उच्च नैतिक स्तर और मान्य योग्यता वाले दस विशेषज्ञ होंगे। समझौते में शामिल देश अपने नागरिकों में से इन विशेषज्ञों का चयन करेंगे और ये विशेषज्ञ अपनी व्यक्तिगत क्षमता में इन समितियों में कार्य करेंगे। इनके चयन में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से और प्रमुख

कानूनी प्रणालियों के आधार पर समानता बनाए रखने पर ध्यान दिया जाएगा।

3. समिति के सदस्यों का चुनाव समझौते में शामिल देशों द्वारा मनोनीत लोगों की सूची में से गुप्त मतदान द्वारा होगा। समझौते में शामिल प्रत्येक देश अपने नागरिकों में से एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है।
4. समिति का प्रारंभिक चुनाव इस समझौते के लागू होने की तिथि से छह महीने की अवधि तक संपन्न हो जाएगा। इसके बाद हर दूसरे वर्ष समिति का चुनाव होगा। ऐसे चुनाव से कम से कम चार माह पूर्व, संयुक्त राष्ट्र महासचिव समझौते में शामिल देशों से अपेक्षा करेंगे कि वे दो महीने को अवधि में अपने नामांकन प्रस्तुत कर दें। इसके बाद महासचिव इन मनोनीत सदस्यों और उन्हें मनोनीत करने वाले देशों की अकारादि क्रम से सूची तैयार करेंगे और उसे इस समझौते के सदस्य देशों को प्रस्तुत कर देंगे।
5. संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासचिव द्वारा आयोजित समझौते में शामिल देशों की बैठक में समिति का चुनाव होगा। इन बैठकों में गणपूर्ति (कोरम) के लिए दो तिहाई सदस्य देशों की उपस्थिति आवश्यक होगी। समिति के सदस्य वे व्यक्ति चुने जाएंगे जिन्हें सर्वाधिक मत मिलेंगे और उपस्थित तथा मतदान कर रहे सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का पूर्ण बहुमत भी मिलेगा।
6. समिति के सदस्य चार वर्ष के लिए चुने जाएंगे। दुबारा मनोनीत होने पर वे फिर चुनाव में भाग ले सकेंगे। पहले चुनाव में चुने गए सदस्यों में से पांच सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष में ही समाप्त हो जाएगा और ऐसे सदस्यों का चयन बैठक के अध्यक्ष द्वारा लॉटरी से निकाल कर किया जाएगा।
7. अगर समिति के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या वह इस्तीफा दे दे या वह घोषित कर दे कि वह समिति में अपना दायित्व निभाने की स्थिति में नहीं है तो उसे मनोनीत करने वाला देश अपने देश के विशेषज्ञों में से एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उस सदस्य के कार्यकाल की बाकी अवधि तक काम करेगा लेकिन इसके लिए समिति की मंजूरी लेनी होगी।
8. समिति अपनी कार्य–प्रक्रिया के नियम खुद तय करेगी।
9. समिति अपने पदाधिकारियों को दो वर्ष की अवधि के लिए चुनेगी।
10. समिति की बैठक सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय अथवा समिति द्वारा निर्धारित अन्य किसी सुविधाजनक स्थान पर होगी। समिति की बैठक सामान्यतः हर वर्ष होगी। आवश्यक होने पर समिति की बैठकों की

अवधि का निर्धारण और समीक्षा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अनुमति मिलने पर, समझौते में शामिल देशों की बैठक में की जाएगी।

11. इस समझौते के अंतर्गत समिति के प्रभावी तरीके से काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव आवश्यक संख्या में कर्मचारियों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे।
12. संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी पर, इस समझौते के अंतर्गत गठित समिति के सदस्य महासभा द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार परिलब्धियां प्राप्त करेंगे।

अनुच्छेद 44

1. समझौते में शामिल देश, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जरिए, इस समझौते में मान्य अधिकारों को दिलाने के लिए किए गए उपायों और इन अधिकारों को दिलाने में हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

क. देश के समझौते में शामिल होने के दो वर्ष के अन्दर।

ख. इसके बाद, हर पांच वर्ष बाद।

2. इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत रिपोर्ट में इस समझौते के तहत दायित्वों से जुड़े कारकों और अगर कोई परेशानियां हो तो उनका उल्लेख किया जाएगा। रिपोर्टों में ऐसी पर्याप्त सूचनाएं भी होंगी जिसे समिति को संबद्ध देश में समझौते के प्रावधान लागू करने के बारे में व्यापक जानकारी मिले।
3. समिति समझौते में शामिल देशों से समझौते को लागू करने से संबद्ध और जानकारी देने का भी आग्रह कर सकती है।
4. समिति आर्थिक और सामाजिक परिषद के जरिए, हर दो वर्ष में, महासभा में अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट पेश करेगी।
5. समझौते में शामिल देश अपने नागरिकों के लिए इन रिपोर्टों को व्यापक तरीके से उपलब्ध कराएंगे।

अनुच्छेद 45

इस समझौते के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए –

क. विशेषज्ञता वाली संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और अन्य संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं को ऐसे प्रावधानों के कार्यान्वयन के बारे में अपने प्रतिनिधित्व का

अधिकार होगा जो इन संस्थाओं को सौंपे गए कार्य–क्षेत्र में आते हैं। समझौते के ऐसे क्षेत्रों, जो विशेषज्ञ संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और सक्षम संस्थाओं के कार्य क्षेत्र में आते हैं, के कार्यान्वयन के बारे में विशेषज्ञ–परामर्श के लिए समिति इन संस्थाओं को आमंत्रित कर सकती है। समझौते के ऐसे क्षेत्रों, जो विशेषज्ञ संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और अन्य संबंधित संस्थाओं के कार्यक्षेत्र में आते हैं, के कार्यान्वयन के बारे में समिति इन संस्थाओं को अपनी रिपोर्ट देने के लिए आग्रह कर सकती है।

ख. अगर समझौते में शामिल कोई देश कोई ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसमें तकनीकी परामर्श अथवा सहायता के लिए प्रार्थना की गई हो अथवा आवश्यकता के संकेतों को, अपने प्रेक्षणों तथा सुझावों सहित, यदि कोई हों, विशेषज्ञ एजेंसियों, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और अन्य समक्ष संस्थाओं को प्रस्तुत करेगी।

ग. समिति संयुक्त राष्ट्र महासभा को यह सिफारिश कर सकती है कि वह महासचिव से यह अनुरोध करे कि वे महासभा की ओर से बच्चों के अधिकारों से जुड़े विशिष्ट विषयों पर अध्ययन करवाएं।

घ. इस समझौते के अनुच्छे 44 और 45 के अंतर्गत सूचना के आधार पर समिति सुझाव दे सकती है या आम सिफारिशें कर सकती है। ऐसे सुझाव और आम सिफारिशें समझौते में शामिल संबद्ध देश को भेजी जाएंगी और समझौते में शामिल देश की टिप्पणियों के साथ, यदि कोई हों, महासभा को भेजे जाएंगे।

अनुच्छेद 46

इस समझौते पर सभी देश हस्ताक्षर कर सकेंगे।

अनुच्छेद 47

इस समझौते की पुष्टि की जानी है। पुष्टि की प्रसंविदाएं संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास जमा की जाएंगी।

अनुच्छेद 48

1. यह समझौता पुष्टि या शामिल होने की बीसवीं प्रसंविदा के संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सौंपे जाने की तिथि के तीसवें दिन से लागू हो जाएगा।

2. इस समझौते की पुष्टि करने या इसमें शामिल होने वाला कोई देश जिस तिथि को पुष्टि करने या शामिल होने की बीसवीं प्रसंविदा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास जमा कर देगा, उसके तीसवें दिन से उस देश में यह समझौता लागू हो जाएगा।

अनुच्छेद 49

1. समझौते में शामिल देश किसी संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास दर्ज कर सकता है। ऐसा होने पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव प्रस्तावित संशोधन की जानकारी समझौते में शामिल देशों को देंगे और इन देशों से यह बताने का आग्रह करेंगे कि क्या वे चाहते हैं कि इन प्रस्तावों पर विचार और मतदान के लिए समझौते में शामिल देशों का सम्मेलन बुलाए जाने के पक्ष में हैं। अगर ऐसा सुझाव समझौते में शामिल देशों को भेजे जाने के चार महीने के अंदर कम से कम एक तिहाई सदस्य देश ऐसा सम्मेलन बुलाए जाने की राय देंगे तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में ऐसा सम्मेलन आयोजित करेंगे। सम्मेलन में उपस्थित और वोट दे रहे सदस्यों के बहुमत से पारित कोई भी संशोधन मंजूरी के लिए महासभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
2. इस अनुच्छेद 1 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पारित संशोधन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत और समझौते में शामिल देशों के दो तिहाई सदस्यों द्वारा स्वीकृत होने पर लागू हो जाएगा।
3. अगर कोई संशोधन लागू हो जाता है तो इसे स्वीकृत करने वाले देशों के लिए यह बाध्यकारी होगा। अन्य देशों के लिए अब भी इस समझौते और उनके द्वारा स्वीकृत अन्य पिछले संशोधनों के प्रावधान बाध्यकारी होंगे।

अनुच्छेद 50

1. समझौते में शामिल देशों द्वारा इसकी पुष्टि अथवा इसे मानने के समय विभिन्न मुद्दों पर आपत्तियों को संयुक्त राष्ट्र महासचिव प्राप्त करेंगे और सभी सदस्य देशों को इन्हें भेजेंगे।
2. इस समझौते के उद्देश्य तथा लक्ष्य से मेल नहीं खाने वाली आपत्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुच्छेद 51

समझौते में शामिल कोई देश संयुक्त राष्ट्र महासचिव को लिखित अधिसूचना भेज कर इस समझौते को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी अधिसूचना महासचिव को प्राप्त होने की तिथि के एक वर्ष बाद यह अस्वीकृति प्रभावी हो जाती है।

अनुच्छेद 52

संयुक्त राष्ट्र महासचिव को इस समझौते के दस्तावेजों और प्रसंविदाओं को रखने वाला अधिकारी (संग्राहक) नियत किया गया है।

अनुच्छेद 53

इस समझौते का मूल पाठ, जिसके अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश पाठ भी उतने ही प्रामाणिक हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास जमा रहेगा।

प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने, जो अपनी–अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत हैं, इस समझौते के साक्षी–स्वरूप, इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत की वचनबद्धता

राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशित करेगा –

- कि श्रमिकों, पुरूषों और महिलाओं और सुकुमार उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो और आर्थिक आवश्यकता के कारण नागरिकों द्वारा ऐसे व्यवसाय करने को बाध्य नहीं किया जाए जो उनकी आयु अथवा शक्ति के अनुकूल नहीं है।

कि बच्चों को स्वस्थ तरीके और स्वाधीनता तथा गरिमापूर्ण परिस्थितियों में विकास करने के अवसर दिए जाएं और बचपन तथा यौवन को संरक्षण मिले ताकि उनका और नैतिक तथा भौतिक परित्याग न हो।

परिशिष्ट - स

संदर्भ सूची

1. पेटरसिला जॉन (2000) बन्दियों का अपने समुदाय में लौटना राजनीति, आर्थिक और सामाजिक परिणाम है। वाशिंगटन डी.सी. न्याय के राष्ट्रीय संस्थान।
2. पेटरसिला जॉन (2003) बन्दियों की पुनर्वापिसी न्यूयॉर्क – ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. लिप्सी, मार्क डब्ल्यू (1995) 400 अनुसंधान अध्ययन केन्द्रों से बाल अपराध एवं उनके उपचार पर पड़ता प्रभाव। मेसक्यूरी क्या काम करता है।
4. होलजर, हैरी जे. रफएल, स्टीवन, और माइकाल (स्टोल) 2004, अपराधियों का किया निर्धारित होगा। नियोक्ता को वरीयता एवं उसकी पृष्ठभूमि। पश्चिमी, ब्रुस, पेटील्लो, मरियम और डेविड वीमेन में (एड्स) अमेरिका बन्दीगृह एक माह की कैद से बन्दी के समाज पर प्रभाव – न्यूयार्क, एनवाई, रसेल साधु फाउंडेशन।
5. चेट्टोजेज बी.एन 2007 एन.आई.एफ.सी. 5 गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
6. गोडफेडरशन, एम.टी. हरची 1990 अपराध की एक जनरल थ्योरी : स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस : स्टैनफोर्ड।
7. विधान विधि एवं न्याय परिषद की स्थाई समिति (1998) : सामाजिक सहायता के माध्यम से अपराध निरोधक कानून।
8. सी. जी. 2007 : जेल मुख्यालय मध्यप्रदेश।
9. बी.पी. आर. एंड डी. 2007 : सुधारात्मक कार्यक्रम में शामिल भारत में गैर

सरकारी संगठनों के गृह मंत्रालय संग्रह, नई दिल्ली।
10. भारतीय राष्ट्रीय रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय – 2002–2006 नई दिल्ली के मंत्रालय में 10 अपराध।
11. राष्ट्रीय सांख्यिकी (2006) : इंग्लैण्ड और वेल्स मिड 2005 : जनसंख्या अनुमान।
12. आर. वालएस्ले (2005) विश्व जेल जनसंख्या सूची।
13. 2001–02 गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सशक्तिकरण पर महिलाओं के लिए 13 हवालात समिति एवं 14 महिला एवं बाल विकास विभाग।
14. जेल सांख्यिकी राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, 2002–2006, नई दिल्ली।
15. एकोका एल. 1999 : महिलाओं के स्वास्थ्य जिसमें शारीरिक व मानसिक/मादक द्रव्यों के सेवन पर आपराधिक महिला राष्ट्रीय संगोष्ठी में : वाशिंगटन, डी. सी. अमेरिकी न्याय विभाग।
16. जेल में भेदभाव विराधी आयोग : क्वींसलैण्ड की महिला – 2006
17. बाली कामायनी, 2007 : भारत में जेल शर्तें– मानव अधिकार कानून नेटवर्क।
18. पु.अनु. एवं वि. : बन्दी महिलाओं के मामलें में गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन 2002
19. ब्राउन, ए, मिलर बी और मागियून ई. 1999 : उम्रकैद महिलाओं के शारीरिक और यौन शोषण की गंभीरता की व्यापकता को देखते हुए उन महिलाओं के लिए कानून एवं मनोवैज्ञानिक चिकित्सा : इन्टरनेशनल जर्नल 301–322
20. चट्टोराज बी.एन.2007 एन.आई.सी.एफ. के एजेंडा :गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ।
21. महिलाओं के सशक्तिकरण पर 16 समितियां : (महिला एवं बाल विकास विभाग), गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2003
22. जेरबर जम्मू फ्रीट्स 1995 ई.: शैक्षिक और व्यावसायिक सुधारक शिक्षा कार्यक्रमः हाल ही में अनुसंधान की समीक्षा एवं पुनर्वास।
23. हरेर 1994 एम. 1987 में संघीय जेल विज्ञप्ति में जुर्म : एक प्रारंभिक रिपोर्ट : वाशिंगटन डीसी, जेल के संघीय जांच ब्यूरो।
24. 13 अप्रैल 2006 आरडीएपी 2006 के उपाध्याय बनाम राज्य (4) लुईस के

और हेज 1997 एस में महिलाओं के पूर्व स्वास्थ्य बन्दियों की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा एवं कानून।
25. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो 2006, गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
26. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो 2006, जेल सांख्यिकी 2006, गृह मंत्रालय नई दिल्ली।
27. योजना आयोग : जेलों में महिला बन्दियों के बच्चे जिसका नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में एक अध्ययन।
28. वाल्श 1997: अपराधी महिलाओं के सुधारात्मक मूल्यांकन और काउंसिलिंग : अमेरिकन एसोसिएशन
29. जेलोटनिक 1999 सी : जेल में रखी महिलाओं के बीच असामाजिक व्यक्तित्व जिसमें बचपन का दुरूपयोग। व्यक्तित्व विकार 13 (1) 90–95 की पत्रिका।
30. वेंकटरमण एनएस 2004, भारतीय न्यायपालिका पीयूसीएल बुलेटिन की भूमिका बदल रहा है।
31. आर.के. अबिचंदानी, बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रभावी संरक्षण 2007 में न्यायपालिका की भूमिका।
32. एम.जगन्नाथ राव सत्तारूढ़ अदालत की न्याय तक पहुंच, भारत के विधि आयोग (बीपीआर एण्ड डी,2007) सुप्रीम कोर्ट उच्च जेल, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
33. 1965 (एससी–2)जीजेएक्स – 0272 –अनुसूचित जाति, वी. प्रभाकर पांडुरंग, संगजीजरी और एक अन्य की –महाराष्ट्र राज्य।
34. 1965 (एससी–2) जीजेएक्स – 0272– अनुसूचित जाति याचिकाकर्ता वी. डी. भुवन मोहन पटनायक और अन्य, आन्ध्र प्रदेश।
35. 1975 (एससी–2) जीजेएक्स– 0213– अनुसूचित जाति याचिकाकर्ता प्रतिवादी वी. सुरेश चंद्र, गुजरात राज्य।
36. 1975 (एससी–2) जीजेएक्स– 0314– अनुसूचित जाति वी.कृष्णलाल प्रतिवादी की अपील, दिल्ली राज्य।
37. 1977 (एससी–2) जीजेएक्स– 0244– अनुसूचित जाति मोहम्मद गैसुद्धीन प्रतिवादी की अपील, आन्ध्रप्रदेश राज्य।
38. 1978 (एससी–2) जीजेएक्स–0033– अनुसूचित जाति बाबू सिंह और दूसरे

राज्य के वी. याचिकाकत्ताओं के प्रतिवादी, उत्तर प्रदेश।

39. 1978 (एससी–2) जीजेएक्स– 0233– अनुसूचित जाति, प्रतिवादी, चार्ल्स सबराज प्रार्थक, वी. अधीक्षक, तिहाड़ सेन्ट्रल जेल, नई दिल्ली।
40. 1978 (एससी–2) जीजेएक्स–0230– अनुसूचित जाति प्रतिवादी सुनील बत्रा, याचिकाकर्ता वी. दिल्ली प्रशासन एवं दूसरों को उत्तरदाताओं और चार्ल्स गुरमू।
41. 1980 (एससी–2) जीजेएक्स–0179– अनुसूचित जाति श्री गर्वप्रकाश सिंह, सिब्बू और दूसरों, पंजाब वी. प्रतिवादी।
42. 1979 (एससी–2) जीजेएक्स–0548– अनुसूचित जाति श्री गर्वकाश सिंह, सिब्बू और दूसरों, पंजाब वी. प्रतिवादी।
43. 1980 (एससी–2) जीजेएक्स–0229– अनुसूचित जाति प्रेम शंकर शुक्ला, याचिकाकर्ता वी. दिल्ली प्रशासन, प्रतिवादी।
44. 1980 (एससी–2) जीजेएक्स–0455– अनुसूचित जाति किशोर सिंह रविंदर देव और दूसरों, राजस्थान के राज्य वी. याचिकाकर्ताओं, प्रतिवादी।
45. 1981 (एससी–2) जीजेएक्स–0023– अनुसूचित जाति कारेली मिलिन प्रार्थक, वी. प्रशासक फ्रांसिस, दिल्ली और अन्य लोगों, संघ राज्य क्षेत्र।
46. 1980 (एससी–2) जीजेएक्स–0511– अनुसूचित जाति कादर पेहेदिया और दूसरों को, याचिकाकर्ताओं वी. बिहार स्टेट, प्रतिवादी।
47. 1982 (एससी–2) जीजेएक्स–0117– अनुसूचित जाति मिस वीना सेठी, वी. बिहार और दूसरों, उत्तरदाताओं का याचिकाकर्ता राज्य।
48. 1982 (एससी–2) जीजेएक्स–0137 अनुसूचित जाति संत बीर प्रार्थक, वी. बिहार स्टेट प्रतिवादी।
49. 1983 (एससी–2) जीजेएक्स–0288 अनुसूचित जाति दीना उर्फ दीन दयाल और दूसरों को, याचिकाकर्ताओं वी. भारत और दूसरों को, उत्तरदाताओं का संघ।
50. 1983 (एससी–2) जीजेएक्स–0572 अनुसूचित जाति शीला बरसे प्रार्थक, वी. भारत संघ और दूसरा, उत्तरदाताओं।
51. 1994 (एससी–2) जीजेएक्स–0942 अनुसूचित जाति सुप्रीम कोर्ट के कानूनी और समिति विचाराधीन कैदियों, याचिकाकर्ताओं वी. संघ का प्रतिनिधित्व करना।

52. 1996 (एससी–2) जीजेएक्स–0480 शाहीन– अनुसूचित जाति कल्याण संघ प्रार्थक, वी. भारत और दूसरों को, उत्तरदाताओं का संघ।
53. 1986 (एससी–2) जीजेएक्स–0659 अनुसूचित जाति आरडी उपाध्याय, याचिकाकर्ता, वी.पी. और दूसरों, उत्तरदाताओं का राज्य।
54. 1996 (एससी–2) जीजेएक्स–0943 अनुसूचित जाति आम– क्योंकि इसके निदेशक, याचिकाकर्ता के माध्यम से एक पंजीकृत सोसाइटी और वी.भारत संघ।
55. पालक, और महिला फिलाडेल्फिया के अपराधिता, पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रैस, 1950
56. सायक्स, बन्दी की सोसायटी– अधिकतम सुरक्षा जेल, प्रिंसटन। यूनिवर्सिटी प्रैस, न्यू जर्सी, 1958 के अध्ययन।
57. मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया।
58. 1979 हुसैनरा खातून एवं अन्य रैंकों, बनाम, बिहार राज्य, मामला न्याय पी. एन. भगवती संयुक्त राष्ट्र, (1957)
59. पेल्ली अनुग्रह, 2007 महिला कैदियों के अधिकार।
60. राकेश शुक्ला, 2006 महिला बन्दी, समाचार एवं सुविधाएं, जून के बच्चों की देखभाल।

परिशिष्ट-द

सीडॉ

युनाइटेड नेशन्स डेवलेपमेंट फण्ड फॉर विमेन,दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय आमतौर पर यह समझा जाता है कि संविदा केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत बना दस्तावेज़ है। परन्तु सच्चाई यह है कि संविदा कानूनी दस्तावेज़ और उसके भीतर दिए गए अनुच्छेदों तक सीमित नहीं है। इसका सार और विस्तार अलग–अलग संदर्भो में अनुच्छेदों के प्रयोग और उनसे संबंधित विवादों से उभरता है। यही प्रयोग और विवाद संधि को एक गतिशील और जीवित दस्तावेज़ बनाते हैं। इसी तरह 1979 में जन्मी सीडॉ के स्थिर अनुच्छेदों को सामान्य संस्तुतियों यानी सुझावों और निष्कर्ष के तौर पर आने वाली टिप्पणियों ने गतिशील बनाया है। सामान्य संस्तुति और ये टिप्पणियां सीडॉ के कार्यान्वयन से उभरती हैं। इस प्रकार सीडॉ अन्य संधियों की तरह अनुच्छेदों, सामान्य संस्तुतियों और निष्कर्ष टिप्पणियों से मिलकर बनी है।

संविदा का दस्तावेज़

संविदा के दस्तावेज़ में एक उद्देशिका यानी प्रस्तावना तथा 30 अनुच्छेद हैं। प्रस्तावना में सीडॉ का उद्देश्य और आधार निहित है। अनुच्छेद 1 भेदभाव को परिभाषित करता है जबकि अनुच्छेद 2 से 4 में राष्ट्रों के दायित्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 5 से 16 में मूल मुद्दों का समावेश है। इनमें उन क्षेत्रों का 11 12 13 उल्लेख है जो विशेषकर महिलाओं को प्रभावित करते हैं जैसे कि शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य और 14 राजनैतिक सहभागिता। इन क्षेत्रों के संबंध में ये अनुच्छेद राष्ट्र के दायित्वों को भी निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 में सीडॉ जेंडर भेदभाव की व्यापक समझ बनाती है। इस समझ को यह अनुच्छेद 5 से 16 में दिए गए क्षेत्रों में लागू करके उनमें जेंडर

भेदभाव का उल्लेख करती है। ऐसा करके यह जेंडर भेदभाव को इन क्षेत्रों तक सीमित न रखकर इस समझ को अन्य क्षेत्रों में लागू करने का रास्ता दिखाती है। बाद के अनुच्छेदों 17 से 30 में सीडॉ को कार्यान्वित करने वाली समिति के संगठन, 15 उसकी गतिविधियों और उसके द्वारा की जाने वाली पुनरावलोकन प्रक्रिया दी गई है। सामान्य संस्तुति सीडॉ को कार्यान्वित करने के दौरान सीडॉ समिति के सामने कई नए मुद्दे तथा अलग–अलग संदर्भों से जुड़ी समस्याएं आती हैं। इन नए मुद्दों और समस्याओं की व्याख्या सीडॉ समिति इन्हें अनुच्छेदों के संदर्भ में देखते हुए और सीडॉ की समझ को उन संदर्भों पर लागू करते हुए करती है।

यह व्याख्या ही सामान्य संस्तुति कहलाती है। इस तरह यह संविदा के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करती है 16 तथा उसका विस्तार करती है। अब तक 25 संस्तुतियां दी जा चुकी हैं। इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण संस्तुतियां हैं – 16ए 17ए 19ए 20ए 21ए 23ए 24। सामान्य संस्तुति 19 महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर है। यह ''जेंडर आधारित सभी प्रकार की हिंसा चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त और प्रभावी तरीके'' अपनाने की जवाबदेही राष्ट्र सदस्यों पर डालती है। सामान्य संस्तुति 21 शादी और पारिवारिक संबंधों में महिलाओं की समानता पर है। सामान्य संस्तुति 16 और 17 पारिवारिक उद्यम या व्यवसाय तथा लिंग आधारित घरेलू कामकाज के बंटवारे से उभरे भेदभाव को संबोधित करती हैं। सामान्य संस्तुति 23 का उद्देश्य राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के विरुद्ध, भेदभाव दूर करना और 24 का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। निष्कर्ष टिप्पणी सीडॉ के प्रत्येक राष्ट्र सदस्य को समय–समय पर सीडॉ कमिटी में रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है। इस रिपोर्ट में राष्ट्र यह बताते हैं कि किस प्रकार और किस हद तक उन्होंने अपने देश में सीडॉ का पालन किया है। इन रिपोर्टों का पुनरावलोकन करना सीडॉ कमिटी का प्रमुख कार्य है। पुनरावलोकन के अंतर्गत सीडॉ समिति उन राष्ट्रों के संदर्भ में अपने विचार, निर्णय और सुझाव रखती है। ये निर्णय और विचार निष्कर्ष टिप्पणियां कहलाती हैं। ये सीडॉ के दस्तावेज़ को राष्ट्रों द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने के तरीके दर्शाते हुए सीडॉ की समझ के दायरे को बढ़ाती है। सीडॉ को एक पेड़ के रूप में देखा जा सकता है जिसमें सीडॉ दस्तावेज़ पेड़ का तना है और सामान्य संस्तुतियां उसकी शाखाएं हैं। ये शाखाएं अलग–अलग मुद्दों और परिस्थितियों के संबंध में संविदा के अर्थ को स्पष्ट करती हैं और उसका विस्तार करती हैं। निष्कर्ष टिप्पणियां विभिन्न देशों के संदर्भ में सीडॉ का कार्यान्वयन दर्शाती हैं। इस तरह से सीडॉ नए

मुद्दों, चुनौतियों और चिंताओं के संदर्भ में अपना कार्यान्वयन दो प्रकार से निर्धारित करती है। पहला सामान्य संस्तुति द्वारा मुद्दों के संदर्भ में और दूसरा निष्कर्ष टिप्पणियों द्वारा राष्ट्रों के संदर्भ में। यह निरंतर प्रक्रिया वर्तमान स्थितियों में भी भेदभाव संबोधित करने के लिए सीडॉ को प्रासंगिक बनाती है। इसलिए सम्पूर्ण संविदा केवल संधि के दस्तावेज़ से नहीं बनती बल्कि राष्ट्रों की समीक्षाओं, सामान्य संस्तुतियों तथा निष्कर्ष टिप्पणियों से मिलकर बनती है।

सीडॉ के तीन बुनियादी सिद्धांतों को दस्तावेज़ में ऐसे 12 क्षेत्रों के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है जिन क्षेत्रों में महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव होता है। यह दस्तावेज़ के अनुच्छेद 5 से 16 में किया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार,शादी, परिवार, राजनीति आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। ये अनुच्छेद सिद्धांतों को लागू करने का तरीका दर्शाते हैं परन्तु सीडॉ का पूरा कार्यक्षेत्र और विस्तार निर्धारित नहीं करते। सीडॉ का ढांचा 36 दस्तावेज़ में दिए गए क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों, परिस्थितियों और मुद्दों पर लागू किया जा सकता है। ऐसा सामान्य संस्तुतियों और निष्कर्ष टिप्पणियों में किया गया है। उदाहरण के तौर पर 37 एड्स के संदर्भ में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, महिलाओं के 38, 39 विरुद्ध हिंसा और विकलांगता से प्रभावित महिलाओं की विशेष परिस्थिति। इसी तरह सीडॉ समिति ने आंतरिक संघर्ष से उत्पन्न 40 गम्भीर और आपातकालीन स्थितियों में भी सीडॉ को महिलाओं के संदर्भ में लागू किया है। किताब का यह भाग संविदा के कार्यक्षेत्र और विस्तार पर चर्चा करता है। प्रथम अंग दस्तावेज़ के अनुच्छेद 5 से 16 को इनसे जुड़ी सामान्य संस्तुतियों के साथ उजागर करता है। दूसरा अंग सीडॉ की मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत करता है। ये विशेषताएं किसी एक अनुच्छेद से जुड़ी नहीं हैं। बल्कि ये सिद्धांतों, अनुच्छेदों और सामान्य संस्तुतियों से निकला संविदा का सार पेश करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दस्तावेज़ के 12 क्षेत्र सीडॉ का संपूर्ण क्षेत्र निर्धारित नहीं करते, बल्कि सीडॉ को लागू करने का मार्ग दर्शाते हैं।

सामाजिक समानता लाने तथा महिलाओं की वास्तविक स्थिति में सुधार लाने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक धारणाओं को बदलना ज़रूरी है। यह भी ज़रूरी है कि पारिवारिक ज़िन्दगी तथा घरेलू कामकाज के बंटवारे में भी समानता लाई जाए। इन निजी क्षेत्रों में बदलाव की ज़रूरत के कारण अनुच्छेद 5 सामाजिक नियमों, धारणाओं और प्रथाओं को बदलने की ज़िम्मेदारी राष्ट्रों पर डालता है। ठीक इसी तरह अनुच्छेद 5 (ख) पारिवारिक ज़िन्दगी में पुरुषों और महिलाओं के बीच घर की देख रेख, बच्चों के पालन–पोषण के सामाजिक नियमों को बदलने की ज़िम्मेदारी राष्ट्रों पर

डालता है। इस तरह महिलाओं और पुरुषों की पारिवारिक भूमिका में समानता लाकर यह अनुच्छेद महिलाओं के लिए व्यवसाय के अन्य क्षेत्रों में सम्भावनाएं बढ़ाता है। पारम्परिक धारणाएं और प्रथाएं महिलाओं को पुरुषों के अधीन ठहराकर उन्हें बड़े पैमाने पर हिंसा का शिकार बनाती हैं। इस तरह सामान्य संस्तुति 19 सामाजिक धारणाओं और प्रथाओं को महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा, जैसे घरेलू हिंसा, जबरन विवाह, दहेज के कारण होने वाली हत्याएं, महिलाओं की योनि को काटना सिलना आदि से जोड़ती है। इसलिए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा दूर करने के लिए सामाजिक बदलाव आवश्यक है। (खंड 11) यह सामाजिक समानता को प्राप्त करने के लिए शिक्षा और सार्वजनिक जानकारी के कार्यक्रमों को अपनाने का सुझाव देती है। महिलाओं के अवैध व्यापार और वेश्यावृत्ति में होने वाले शोषण का दमन महिलाओं के अवैध व्यापार और वेश्यावृत्ति के संबंध में राष्ट्रों के दायित्व भिन्न हैं। यह अनुच्छेद महिलाओं के अवैध व्यापार को दूर करने का दायित्व राष्ट्रों पर डालता है। इस अनुच्छेद की भाषा वेश्यावृत्ति या वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं को निशाना नहीं बनाती। बल्कि इसके विपरीत यह वेश्यावृत्ति में महिलाओं पर होने वाले शोषण को संबोधित करती है। सीडॉ का कार्यक्षेत्र और विस्तार 39 सामान्य संस्तुति 19 अनुच्छेद 7 सामान्य संस्तुति 23 अनुच्छेद 8 अवैध व्यापार और वेश्यावृत्ति के संबंध में राष्ट्रों का दायित्व केवल सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों जैसे गरीबी, बेरोज़गारी, युद्ध इत्यादि को भी दूर करने का है जो महिलाओं पर यौनिक हिंसा का खतरा बढ़ाती हैं। यह यौनिक हिंसा के नए तरीकों जैसे यौन पर्यटन को संबोधित करने पर बल देती है। (खंड 13, 14, 15, 16, 24 (ज) राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में समानता के लिए निम्नलिखित अधिकार ज़रूरी हैं। सार्वजनिक संस्थाओं में वोट देना एवं चुनाव लड़ना और सार्वजनिक कार्यालय में पद ग्रहण करना, निर्णय लेना और उनको लागू करना गैर–सरकारी संस्थाओं और संघों (राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन संबंधित) में हिस्सा लेना सामाजिक, सांस्कृतिक धारणाओं तथा जानकारी की कमी के कारण महिलाएं उच्च सार्वजनिक पदों को प्राप्त नहीं कर पातीं। महिलाओं की सार्वजनिक और राजनैतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कानून बनाने के साथ–साथ राष्ट्रों को ऐसी सामाजिक, सांस्कृतिक धारणाओं को बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं : भेदभावपूर्ण धारणाओं में बदलाव महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त करना, चुनावी पदों पर पुरुषों और महिलाओं की संख्या में बराबरी लाना, विभिन्न मुद्दों पर महिलाओं की भागीदारी

और उनका दृष्टिकोण शामिल करना राजनैतिक दलों, श्रमिक संघों, गैर–सरकारी संगठनों आदि में महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करना। (खंड 15ए 18ए 22, 26, 28, 29, 32, 34, 42, 43, 45, 47)

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव दूर करने और समानता के लिए कुछ निम्नलिखित तरीके बताए गए हैं :

शिक्षा के सभी स्तरों तक महिलाओं की पहुंच और व्यावसायिक मार्गदर्शन के समान अवसर, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के अवसर, शिक्षा का समान स्तर, उचित संख्या में स्कूल, कालेज आदि, शिक्षा के कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की जानकारी सामान्य संस्तुति 8 और सामान्य संस्तुति 23 सामान्य संस्तुति 23 अनुच्छेद 9 सामान्य संस्तुति 21 अनुच्छेद 10 पाठ्यक्रम से रूढ़िवादी धारणाओं को मिटाना और पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या में कमी लाना छात्रावृतियों (स्कालरशिप) और अध्ययन अनुदानों के एक समान अवसर उपलब्ध कराना और खेल–कूद और शारीरिक शिक्षा में भागीदारी बढ़ाना। यह सिफारिश करती है कि शिक्षा और सार्वजनिक जानकारी का इस्तेमाल जेंडर संबंधी धारणाओं को समाप्त करने के लिए होना चाहिए। (खंड 24 (छ)

रोज़गार

रोज़गार में समानता को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक कानून विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, खासकर निम्नलिखित के संबंध में : व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता और रोज़गार के समान अवसर का अधिकार, रोज़गार से जुड़े अधिकार और सहूलियतें, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और कार्यस्थल में समान सहूलियतें जिसमें महिलाओं के लिए वेतन सहित प्रसूति अवकाश और अन्य हित शामिल हैं, शादी या गर्भावस्था के आधार पर महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की मनाही तथा कार्यस्थल पर मातृत्व संबंधी सहायक सेवाएं मुहैया कराना।

अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ की 100वीं संविदा के समान वेतन के सिद्धांत को लागू करना। पारिवारिक उद्योग में काम करने वाली महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक हितों की गारंटी के लिए कदम उठाना राष्ट्रों का दायित्व है। यह कार्यस्थल

पर यौन उत्पीड़न को जेंडर संबंधी भेदभाव के रूप में परिभाषित करती है। इसके कारण महिलाओं को रोज़गार के समान अवसर प्राप्त नहीं होते। इसलिए सीडॉ के इस हिस्से में घरेलू काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा, देख–रेख और प्रशिक्षण के लिए सुझाव दिए गए हैं। अनुच्छेद 11

स्वास्थ्य सुरक्षा

यह महिलाओं के संबंध में दो तरह की स्वास्थ्य सेवाओं पर ज़ोर देता है।

पहला, स्वास्थ्य सेवाओं की महिलाओं तक पहुंच और दूसरा जेंडर आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना जैसे गर्भावस्था और प्रसव के बाद की देखभाल। सामान्य संस्तुतियों में कुछ विशेष संदर्भों पर चर्चा की गई है जिनका महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इन संदर्भों का उल्लेख नीचे है। कुछ समुदायों में योनि काटने, सिलने की प्रथा चली आ रही है। इसे जड़ से समाप्त करने के प्रयास को मज़बूत करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें हैं – आंकड़े एकत्रित करना, उन्हें जांचना, प्रचलित धारणाओं में सुधार लाना, महिला संस्थाओं के प्रयासों का समर्थन करना, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी उचित नीतियां बनाना और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग करना। विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर एड्स के प्रभाव और उससे होने वाले जोखिम को ध्यान में रखकर कुछ सिफारिशें की गई हैं। इनमें महिलाओं की सामाजिक भूमिका और प्रजनन संबंधी ज़रूरतों के आधार पर अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तथा एच. आई. वी. से बचाव के कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उनके स्वास्थ्य और जीवन को जोखिम में डालती है। इसी प्रकार कुछ पारम्परिक प्रथाएं महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं की योनि को काटना या सिलना, गर्भवती महिलाओं के लिए आहार संबंधी रोक–टोक और लड़कों को प्राथमिकता देना आदि। महिलाओं को गर्भ तथा प्रजनन संबंधी नियंत्रण का हक देने के लिए इसमें विशेष तथा सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं की सिफारिश की गई है। (खंड 19, 20, 24 (त) लड़कियों की योनि को काटना, बहुविवाह प्रथा तथा वैवाहिक संबंध के भीतर होने वाले बलात्कार के कारण भी बड़े पैमाने पर महिलाओं को एड्स का खतरा रहता है। इसलिए गोपनीयता बरकरार रखते हुए महिलाओं को यौनिक स्वास्थ्य की जानकारी और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के प्रति राष्ट्र की इस ज़िम्मेदारी के अंतर्गत किसी जगह पर गैर–कानूनी ढंग से रहने

वाली महिलाएं और अवैध रूप से लाई गई महिलाएं शामिल हैं। मुश्किल परिस्थितियों में जो महिलाएं हैं उनकी खास स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें होती हैं। जैसे सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में अनुच्छेद 12 वेश्यावृत्ति में लगी या अवैध रूप से लाई गई महिलाएं या बुढ़ापे या विकलांगता से प्रभावित महिलाएं। सीडॉ की यह संस्तुति उन्हें पहचान कर उनके लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का सुझाव देती है। (खंड 16, 18, 24, 25) आर्थिक और सामाजिक जीवन परिवार के अन्दर और बाहर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस प्रकार वित्तीय संस्थाओं और परिवार जैसी निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा किए गए सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को समाप्त करना राष्ट्रों का दायित्व है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में समानता लाना ज़रूरी है।

ऋण

मनोरंजन संबंधी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक योगदान, जीवन की ज़रूरतों और कठिनाइयों को विशेष मान्यता देता है। खासकर ग्रामीण महिलाओं की परिस्थितियों को नज़र मे रखते हुए यह अनुच्छेद राष्ट्रों पर निम्नलिखित क्षेत्रों में कदम उठाने का दायित्व डालता है : ग्रामीण महिलाओं की सामुदायिक गतिविधियों विकास कार्यक्रमों की योजना तथा कार्यान्वयन में सहभागिता होनी चाहिए। ऐसा करने से ही योजनाओं में ग्रामीण महिलाओं की ज़रूरतों और नज़रिए को शामिल किया जा सकता है। इसी समझ से स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, प्रशिक्षण, रहन–सहन की समुचित व्यवस्था, खेती के व्यवसाय के लिए सहयोग सहित आर्थिक अवसर और सामाजिक सुरक्षा के लाभ आदि उपलब्ध होने चाहिए, इससे यह स्पष्ट होता है कि संदर्भ और पहचान को एक साथ देखकर ही महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। पारम्परिक सोच और रोज़गार की खोज में शहरों की तरफ जाने की ज़रूरत ग्रामीण महिलाओं को विशेष रूप से जेंडर आधारित हिंसा का शिकार बना देते हैं। इसलिए हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए खास सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिएं। (खंड 21, 24 (द) अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 14

कानून की नज़र में समानता

नागरिक कानून, कानूनी प्रक्रिया और कानूनी समझौते संबंधी मामलों में

महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का स्तर दिया जाना चाहिए। कानून के अंतर्गत महिलाओं की समानता और उनकी क्षमता पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देश में घूमने–फिरने की और आवास की आज़ादी, आवास चुनने की आज़ादी का समान अधिकार होना चाहिए। महिलाओं की क्षमता पर पाबंदी लगाने वाले निजी समझौते अनुचित हैं। कानून या निजी करार के द्वारा महिलाओं की क्षमता को सीमित करना या पुरुषों के अधीन बनाना अनुचित है। महिलाओं की समझौता करने की क्षमता पर रोक–टोक, कर्ज़ लेने के असमान अवसर तथा महिला साक्षियों को पुरुषों के मुकाबले निचला दर्ज़ा देना ऐसी ही पाबंदियों के उदाहरण हैं। (खंड 7, 8, 9, 10)

विवाह और पारिवारिक कानून

यह अनुच्छेद निजी क्षेत्र के सबसे अंदरूनी हिस्से परिवार में भेदभाव हटाने का दायित्व राष्ट्रों पर डालता है। परिवार में असमानता चाहे सामाजिक नियमों, परम्परा, संस्कृति या आधुनिक कानून की वजह से आई हो, उसे बदलने का दायित्व राष्ट्र पर है। इसके अंतर्गत महिलाओं को समानता का दर्ज़ा न केवल शादी के दौरान मिलना ज़रूरी है, बल्कि शादी करने के संबंध और उसके टूट जाने की स्थिति में भी मिलना चाहिए। शादी करने के संबंध में अधिकार : शादी में महिलाओं की न्यूनतम आयु, शादी में उनकी रज़ामन्दी, शादी का पंजीकरण आदि उनके मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ज़रूरी हैं। केवल बालिग लोगों के बीच ही शादी होनी चाहिए। बाल विवाह महिलाओं के स्वास्थ्य और विकास के लिए खतरा पैदा करता है, इसलिए उसे गैर कानूनी होना चाहिए। शादी के दौरान और शादी टूटने की स्थिति में अधिकार इस प्रकार हैं : महिलाओं को बच्चों की संख्या निर्धारित करने और उनमें अंतर रखने का अधिकार तथा अन्य प्रजनन संबंधी अधिकार होने चाहिए। शादी के दौरान अभिभावकता, गोद लेने संबंधित तथा इस प्रकार के अन्य मामलों में समान अधिकार होने चाहिएं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत महिलाओं को अपना नाम और व्यवसाय चुनने की तथा सम्पत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार होना ज़रूरी है। घरेलू हिंसा, प्रजनन संबंधी अधिकार आदि को सामान्य संस्तुतियों द्वारा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लाया गया है। अनुच्छेद 15 सामान्य संस्तुति 21 अनुच्छेद 16 सामान्य संस्तुति 19 सामान्य संस्तुति 21 सीडॉ की विशेषताएं अनिवार्य नसबंदी, गर्भपात, अपने बच्चों की संख्या और उनके बीच अंतर निर्धारित करने के महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन आदि को पारिवारिक

जीवन संबंधित हिंसा के रूप में देखा गया है। (खंड 22) परिवार में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पारिवारिक और सार्वजनिक जीवन में उनकी सहभागिता के अधिकार को चोट पहुंचाती है। (खंड 23) घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को दीवानी और फौजदारी दोनों प्रक्रियाओं के अंतर्गत न्याय मिलना ज़रूरी है। इसलिए एक तरफ हिंसा पर काबू पाना चाहिए तो दूसरी तरफ सहायक सेवाएं, आश्रय और पुनर्वास संकट केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता है। (खंड 24 (प) से कानून व सामाजिक नियम जिनके अंतर्गत उत्तराधिकार तथा शादी टूटने की स्थिति में पुरुषों को महिलाओं से अधिक हिस्सा मिलता है, भेदभावपूर्ण हैं। शादी या शादी जैसे संबंध के दौरान एकत्रित की गई सम्पत्ति पर महिला और पुरुष का समान अधिकार है। यह इसलिए है क्योंकि परिवार में महिला के योगदान को पुरुष के आर्थिक योगदान के बराबर माना जाना चाहिए। (खंड 28, 30, 31, 32, 33) सीडॉ के अंतर्गत हर महिला को चाहे वह शादीशुदा हो या नहीं, समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। (खंड 29)